# पांचवीं
# पंचवर्षीय
## जिला योजना

1974-75 से 1978-79

चमोली

*पंचम पंच वर्षीय योजना जनपद- [illegible] *

-: विषय सूची :-


| अध्याय | पृष्ठ संख्या |
| --- | --- |
| 1:- भौतिक लक्षण | 1-5 |
| 2:- जनसंख्या एवं व्यवसाय | 6-11 |
| 3:- प्राकृतिक संसाधन | 12-23 |
| 4:- उद्देश्य एवं रणनीति | 24-28 |
| 5:- विभागीय कार्यक्रम :- | |
| (1) कृषि उत्पादन | 29-40 |
| (2) सिंचाई | 41-47 |
| (3) भूमि संरक्षण | 48-51 |
| (4) उद्यान एवं फलोपयोग | 52-59 |
| (5) पशुपालन एवं दुग्ध सम्पूर्ति | 60-69 |
| (6) मत्स्य | 70 |
| (7) वन | 71-75 |
| (8) कृषीय ऋण | 76 |
| (9) सहकारिता | 77-83 |
| (10) पंचायतराज | 84-91 |
| (11) बाढ़ नियंत्रण | 92 |
| (12) वैद्युत शक्ति | 93-97 |
| (13) उद्योग (ग्रामीण लघु उद्योग) | 98-108 |
| (14) खनिज विकास | 109 |
| (15) संचार व्यवस्था | 110-114 |
| (16) पर्यटन | 115-121 |
| (17) सामान्य शिक्षा | 122-126 |
| (18) स्वास्थ्य एवं चिकित्सा | 127-129 |
| (19) पुष्टाहार | 130-132 |
| (20) जल सम्पूर्ति | 133-137 |
| (21) आवास एवं नगरीय विकास | 138 |
| (22) पिछड़े समुदाय का ~~विकास~~ (कल्याण) | 139-146 |
| (23) समाज कल्याण | 147-148 |
| (24) श्रम कल्याण | 149 |
| (25) आर्थिक सेवायें | 150 |



Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi
DOC, No.......................
Date.......................

National Institute of Educational Planning and Administration
★ LIBRARY ★

| अध्याय :- | पृष्ठ संख्या :- |
| --- | --- |
| 6:- वित्तीय दृष्टिकोण एवं धन व्यवस्थाओं का मेलजान | 151-153 |
| 7:- [illegible] की आवश्यकता | 154-156 |
| 8:- [illegible] योजना कार्यक्रम | 157-159 |
| 9:- न्यूनतम आवश्यकताओं के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम | 160-164 |
| 10:- समाज के कमजोर वर्ग के लिये कार्यक्रम | 165-167 |
| 11:- [illegible] | 168-169 |
| 12:- पर्वतीय क्षेत्र का विकास | 170-172 |

विवरण पत्र :-

| | |
| --- | --- |
| 1:- रूप पत्र 1- परिव्यय तथा व्यय | 173-181 |
| 2:- रूप पत्र 2- भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ | 182-203 |
| 3:- विवरण पत्र 1 - आधारभूत आंकड़े | 204-210 |

## 1:- भौतिक लक्षण

24 फरवरी, 1960 को गढ़वाल जनपद की चमोली तहसील को जिले का स्तर प्रदान कर प्रशासनिक सुविधा के लिये जोशीमठ, कर्णप्रयाग, चमोली एवं ऊखीमठ नामक चार तहसीलों में विभाजित कर दिया गया। अपने वर्तमान स्वरूप में चमोली जनपद 29-9-30-2 अक्षांश: तथा 78-1-80-2 देशान्तर रेखाओं के मध्य स्थित है। जनपद की अधिकतम लम्बाई व चौड़ाई क्रमशः 128 व 196 किलोमीटर है। जिले का क्षेत्रफल 9128 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जनपद राज्य में पांच सबसे बड़े जिलों में से एक है। यहां 1639 ग्राम हैं इनमें से 146 गैर आबाद हैं। 18 ग्रामों को मिलाकर 3 नोटीफाइड एरिया गठित की गई है। 1971 की जनगणना के अनुसार यहां की कुल जनसंख्या 2,92,571 थी।

2:- प्राकृतिक दृष्टि से सम्पूर्ण जनपद राज्य के मध्य हिमालय शृंखला जिसमें उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, गढ़वाल, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ के जिले तथा नैनीताल जिले की नैनीताल तथा देहरादून जिले की चकराता तहसीलों के क्षेत्र आते हैं, का अविच्छिन्न अंग है। समुद्रतल से यहां की ऊंचाई प्रायः 900 मीटर से आरम्भ होकर 7,500 मीटर के ऊपर पहुंच जाती है। भारत हिमालय की सर्वोच्च शिखर नन्दादेवी (7817 मीटर) तथा कामेट (7756 मीटर), बद्रीनाथ (7138 मीटर), त्रिशूल (7120 मीटर) तथा द्रोणागिरी (7066 मीटर) इसी जनपद में विद्यमान हैं।

3:- यह जनपद चार प्रमुख घाटियों में विभक्त है जिनको दोनों ओर ऊंची ऊंची चोटियां हैं। यह 4 घाटियां अलकनन्दा, मन्दाकिनी, नन्दाकिनी तथा पिण्डर इन घाटियों के नाम से जानी जाती हैं।

4:- जिले में निम्नवर्ती घाटियों का तापमान उष्ण है। जनपद के मध्य भाग तथा नीचे की सतह पर निम्न पहाड़ियां दक्षिण की ओर ढाल बनाती हैं जब कि जनपद के ऊपरी भाग में हिमाच्छादित चोटियां मिलती हैं। ऊपर लिखे पर्वत शिखरों के अतिरिक्त जनपद में निम्न प्रमुख शिखर हैं:

1:- चौखम्बा 7,006 मीटर
2:- [illegible] 3,116 मीटर
3:- नन्दाघुंटी 5,810 मीटर
4:- नन्दाकोट 6,895 मीटर।

5:- झीलों में भोकलताल, देवरियाताल, बेनीताल, रूपकुण्ड, वासुकीताल हेमकुण्ड और सतोपंथ के नाम उल्लेखनीय हैं।

6: - भूतत्व के आधार पर जनपद की जोशीमठ तहसील के पूरे क्षेत्र और चमोली तहसील के उत्तर भाग को लोवर-पैलियोजोइक, चमोली तहसील के शेष भाग, ऊखीमठ तहसील के सम्पूर्ण क्षेत्र और कर्णप्रयाग तहसील के शेष भाग को ग्रेनाइट्स श्रेणी दी जा सकती है।

7: - जनपद में जलवृष्टि का विभाजन सामान्यतया निम्न प्रकार रहता है

1:-अप्रैल-मई (मानसून से पूर्व) 92- 2 मिली मीटर

2: जून-सितम्बर (मानसून) 1063-0 ,,

3: अक्टूबर-नवम्बर (मानसून के पश्चात) 46-5 ,,

4: -दिसम्बर-मार्च (शीतकाल) 231-9 ,,

वार्षिक योग - 1433-4 मिली मीटर

मासिक औसत - 119-4 मिली मीटर

8: - जोशीमठ तहसील और उसके पार्श्ववर्ती चमोली तहसील के क्षेत्र में वर्षा के औसत 800 से 1000 मिली मीटर तक वर्षा होती है। ऊखीमठ और कर्णप्रयाग तहसील के पश्चिमी भाग में 1200 से 1600 मिली मीटर तक वर्षा होती है। अन्य क्षेत्रों में वर्षा का वार्षिक औसत 1000 से 1200 मिली मीटर के बीच है। इस प्रकार पूरे जिले के लिये वर्षा का कोई एक औसत स्वीकार करना युक्तिसंगत न होगा।

9: - यहाँ यह उल्लेखनीय है कि स्थानों की ऊँचाई के अनुसार वर्षा की मात्रा और विश्वसनीयता बदल जाती है। वायु की दिशा में पड़ने वाले पार्श्वों में सापेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है।

10: - जलवायु की दृष्टि से जनपद को निम्नांकित खण्डों में विभक्त किया जा सकता है।

(1)-उष्ण मानसूनी भाग : -

1,500 मीटर तक ऊँचे उपत्यकाओं में ग्रीष्म ऋतु में गर्म रहता है।

(२) शीतोष्ण भू-भाग:-

१,३०० मीटर से २,००० मीटर तक ऊँचे स्थान सर्वाधिक स्वास्थ्यप्रद होते हैं। यहाँ यदाकदा हिमपात होता है।

(३) शीतल भू-भाग:-

२,००० से ३,००० मीटर की ऊँचाई तक के क्षेत्रों में कड़ी सर्दी पड़ती है। पहाड़ों के उत्तरी भाग पर सूर्य की किरणों के कम समय तक रहने के कारण घाटी में नमी अधिक होती है।

(४) बुग्याल:-

३००० से ४००० मीटर की ऊँचाई पर घास से ढके ढलान मिलते हैं। इस क्षेत्र में अप्रैल से बर्फ पिघलने लगती है और घास का फर्श बिछ जाता है जो वर्षा ऋतु में रंग-बिरंगे पुष्पस्थल में परिणित हो जाता है।

(५ ध्रुव कटीय भू-भाग:-

४००० से ५००० मीटर की ऊँचाईपर जाड़े की अवधि लम्बी और गर्मी की ऋतु अल्पकालीन होती है। वनस्पति का अभाव रहता है।

(६) हिमालय :-

हिमानियाँ एवं हिम शिखरों के समीप की धरती लगभग ८ मास तक वर्फ से ढकी रहती है।

११- इस जनपद में सनातन हिम रेखा ५,००० मीटर पर है जो सर्दियों में २५०० मीटर तक उतर आती है।

१२- ग्रीष्मकाल १३ फरवरी से १२ जून तक, वर्षाकाल १३ जून से १२ अक्टूबर तक और शीतकाल १३ अक्टूबर से १२ फरवरी तक माना जाता है। माणा और नीति जनपद की उच्चतम उन्नतांश की मानव बस्तियाँ हैं। यहाँ पर बसन्त ऋतु सबसे अल्पकालिक होती है।

१३- उत्तरी माणा-नीति जैसे अतिशीतल स्थानों पर वार्षिक तापमान ०सेन्टीग्रेड पाया जाता है। यूँ प्रति १०० मीटर की ऊँचाई पर तापमान एक डिग्री सेन्टीग्रेड तक गिर जाता है।

१४ मुख्य सदा प्रवाहिनी एवं मौसमी धाराओं के नाम निम्न प्रकार दिये जा रहे हैं :-

१- अलकनन्दा, २- सरस्वती, ३- धौलीगंगा, ४- ऋषिगंगा, ५- गरुड़गंगा, ६- पातालगंगा, ७- बिरही, ८- नन्दाकिनी, ९- पिण्डर, १०- मन्दाकिनी, ११- सोनगंगा, १२- कालीगंगा, १३- बीरगंगा, १४- बालखिला, १५- निंगाल, १६- खूंजागाड़, १७- सूर्यगाड़, १८- पावी, १९- नाकिनी, २०- व्यूणा, २१- रौणा, २२- भरमा, २३- लस्तर, २४- नाहींगंगा, २५- मेलगंगा, २६- गुप्तारगाड़, २७- तोतीगाड, २८- प्राणमती, २९- आटागाड़, ३०- रामगंगा।

नोट:- २ से १५ तक अलकनन्दा में, १६-२३ तक मन्दाकिनी में तथा २४ से २९ तक पिण्डर में मिलती हैं।

१५- नदियों की लम्बाई तथा उनके स्राव (Discharges) की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है। नदियाँ गहरी घाटियों से होकर बहती हैं। अतएव उनके मार्गों में परिवर्तन की कोई सम्भावना नहीं है। हाँ जल के घर्षण से वे अपनी तलहटी को उत्तरोत्तर निचला करती जा रही है।

१६- जनपद की भौगोलिक विशेषताओं को दृष्टि में रखते हुये दो उप सम्भाग बनाये गये हैं। प्रथम उप सम्भाग में विकास खण्ड केदारनाथ (ऊखीमठ), दशोली (चमोली), जोशीमठ (जोशीमठ) तथा थराली हैं। दूसरे उप सम्भाग में विकास खण्ड मन्दाकिनी (अगस्तमुनि) नागपुर (पोखरी), कर्णप्रयाग, नारायणबगड़ एवं गैरसैण हैं।

१७- प्रथम उप सम्भाग हिमालय की पर्वत श्रेणियों के समीप है और समुद्रतल से २,००० मीटर से अधिक ऊँचाई का भू-भाग है। इस क्षेत्र में शीतल वायु एवं बुग्याल पाये जाते हैं। सर्दी के दिनों में अधिकतर भू-भाग हिमाच्छादित रहता है और तेज हवायें चलती हैं। सीमा क्षेत्र की माणा और नीती घाटियों के ग्रामों में निवास करने वाले लोग सर्दी के दिनों में अपने मूल ग्रामों को छोड़कर नीचे के स्थानों में चले आते हैं।

१८- इस भू-भाग में वर्षा में ८०० से १,००० मिलीमीटर तक वर्षा होती है। जनपद की सभी सतत् वाहिनी नदियाँ इसी भू-भाग से निकलती हैं। यह उप सम्भाग जनपद के २। ३ भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ की जनसंख्या बिखरी हुई है और इसका घनत्व कम है। इस उप सम्भाग में उद्यान के विकास की विशेष संभावनायें हैं तथा भेड़ पालन के लिये उपयुक्त है। यह उप सम्भाग राष्ट्रीय दृष्टि से भी

महत्वपूर्ण है। केदारनाथ तथा बद्रीनाथ धाम भी इसी उप सम्भाग में हैं जहाँ प्रति वर्ष राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र से लाखों यात्री आते हैं।

१९- द्वितीय उप सम्भाग समुद्र तल से २,००० मीटर से नीचे का क्षेत्र है। यहाँ की जलवायु उष्ण एवं शीतोष्ण है। घाटियों में गर्मी और सर्दी दोनों प्रकार की जलवायु रहती है। इस भू-भाग में कृषि योग्य क्षेत्र अधिक है। वर्षा १२०० से १६०० मिलीमीटर तक होती है। इस उपसम्भाग में जनसंख्या का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक है। जहाँ तक खनिज पदार्थों का प्रश्न है, अधिकतर खनिज पदार्थ इसी उप सम्भाग में पाये जाते हैं।

२०- प्राय: २,००० मीटर तक अच्छे ढंग से खेती की जा सकती है। यहाँ तलाऊँ उपराऊँ, इजरान तथा कटीले प्रकार की कृषि योग्य भूमि पाई जाती है। स्थायी रूप से सिंचित क्षेत्र को तलाऊँ कहते हैं। जिस भूमि में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर शुष्क कृषि की जाती है, उसे उपराऊँ कहते हैं। इजरान भूमि में तीसरे या चौथे वर्ष खेती की जाती है। कटील वह भूमि है जिस पर सीढ़ीदार खेत नहीं बनाये जाते क्योंकि उर्वरता निम्न कोटि की होती है जिसे पशुओं के मलमूत्र एवं गोशालाओं में बिछाई गई पत्तियों का प्रयोग करके बढ़ाया जाता है। वैसे अब कटीली की प्रथा प्राय: समाप्त हो गई है।

भूमि के समतल न होने के कारण जल धरती के ऊपर और नीचे दोनों स्थानों में शीघ्र बह जाता है। जनपद में पानी की कमी नहीं है। उपत्यकाओं में अनेक सदा नीरा नदियाँ एवं उनकी शाखायें बहती हैं, परन्तु सिंचाई के लिये उनके जल का समुचित उपयोग नहीं हो सका है।

2-जन संख्या एवं व्यवसाय

1971 की जनगणना के अनुसार चमोली जनपद की जनसंख्या 2,92,571 थी जिसमें 1,41,962 पुरुष तथा 1,50,609 महिलायें थी। जिले का क्षेत्रफल 9,1228 वर्ग कीलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जहाँ जनपद प्रदेश के पांच सबसे बड़े जिलों में से एक है, वहीं आबादी की दृष्टि से उत्तरकाशी जनपद को छोड़कर सबसे छोटा भी है। यद्यपि गत दशक में यहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि राज्य की औसत दर से न्यून रही परन्तु गढ़वाल मण्डल के चारों जिलों में यह सबसे अधिक पायी गई। 1971 की जनगणना से पूर्व यहाँ 1657 ग्राम थे जिनमें से 18 ग्रामों को मिलाकर 3 नोटीफाइड एरिया बना दी गई है और अब कुल ग्रामों की संख्या 1639 है और इनमें से 146 गैर आबाद एवं 16 हिमाच्छादित ग्राम हैं।

2- गत दशक में जनसंख्या के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है उसका अनुमान नीचे दी गई सारिणी से हो सकता है।

*भारत एवं उत्तर प्रदेश में जनपद-चमोली*

| मद | सन्दर्भ वर्ष | इकाई | जनपद चमोली | उत्तर प्रदेश | भारत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1:-क्षेत्रफल | xxxx | दसलाख वर्ग कीमी० | 0-009 | 0-29 | 3-277 |
| 2:-जनसंख्या | 1971 | दसलाख | 0-293 | 88-4 | 547-44 |
| 3:- जनसंख्या वृद्धि दर | 1961-71 | प्रतिशत | 15-6 | 19-8 | 24-7 |
| 4:-जनसंख्या का घनत्व | 1971 | प्रति वर्ग को० मी० | 32 | 300 | 182 |
| 5:-नगरों की संख्या | 1971 | संख्या | 3 | 293 | 2921 |
| 6:- गाँवों की संख्या | 1961 | संख्या | 1529 | 1,12,624 | 5,666,-8' |
| 7:- नगरीय जनसंख्या | 1971 | प्रतिशत | 4-60 | 14-00 | 19-887 |

3- 1971 की जनगणना के अनुसार जनपद की नगरीय जनसंख्या 12,206 थी इसमें 7624 पुरुष एवं 4,582 महिलायें थी। जनसंख्या का एकमात्र घनत्व जोशीमठ की बस्ती के आसपास था। जनपद की ग्रामीण जनसंख्या 2,80,365 थी जिसमें से 1,344,33

पुरुष तथा 1,46,027 महिलायें थी। इस जनपद में घोर अतीत से पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक रही। यद्यपि प्रत्येक दशक में यौन अनुपात में कमी आती रही है परन्तु आज भी जिले की जनसंख्या में नारी बाहुल्य है। महिलाओं के अत्यधिक होने का प्रमुख कारण, पुरुषों का भारी संख्या में रोजगार की तलाश में जिले से बाहर जाना है। जैसे जैसे रोजगार की सुविधायें स्थानीय रूप से सुलभ होती जा रही हैं, यह असन्तुलन भी कम होता जा रहा है।

4:- 1961 की जन गणना के अनुसार प्रति एक हजार पुरुषों के पीछे 1108 स्त्रियाँ थीं परन्तु 1971 में यह संख्या घटकर 1061 रह गई है फिर भी यह राज्य के औसत 883 से कहीं अधिक है। लेकिन अनुपात की इस विषमता का कारण यह नहीं है कि चमोली जनपद में बालक कम और बालिकायें अधिक संख्या में जन्म लेती हैं अथवा बालिकाओं का लालन पालन बालकों की अपेक्षा अधिक सावधानी से होता है। ~~xxx~~ वास्तविकता स्पष्ट है कि बालक और बालिकायें लगभग समान अनुपात में जन्म लेती हैं और उनकी देखभाल भी एक सी होती है। इस तथ्य की पुष्टि 1961 की जनगणना के समय 0-14 आयुवर्ग के बालकों की संख्या 48,866 और बालिकाओं की संख्या 48,297 से होती है। चमोली जनपद की जनसंख्या सम्बन्धी कुछ प्रमुख आंकड़े निम्न तालिका में दिये हुए हैं।

| वर्ष | क्षेत्र | कुल जनसंख्या (लाख में) | स्त्री पुरुष अनुपात | दशाब्दिक प्रतिशत वृद्धि | जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग की0मी0) | साक्षरता का प्रतिशत | नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1961 | चमोली | 2-53 | 1108 | 16-67 | 28 | 21-80 | - |
| | पौड़ी गढ़वाल | 4-82 | 1164 | 14-12 | 89 | 23-33 | 5-70 |
| | टिहरी गढ़वाल | 3-48 | 1202 | 13-53 | 79 | 15-99 | 2-20 |
| | उत्तरकाशी | 1-23 | 964 | 15-82 | 15 | 15-58 | 2-20 |
| | पिठौरागढ़ | 2-64 | 1055 | 18-54 | 37 | 23-35 | - |
| | देहरादून | 4-29 | 766 | 18-61 | 139 | 38-75 | 46-1 |
| | अल्मोड़ा | 6-33 | 1080 | 15-05 | 90 | 21-38 | 4-30 |
| | नैनीताल | 5-74 | 719 | 73-10 | 85 | 27-37 | 19-5 |
| | उत्तर प्रदेश | 737-00 | 909 | 16-66 | 251 | 17-65 | 12-90 |
| | भारत | 4391-00 | 941 | 21-60 | 134 | 24-00 | 18-00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | चमोली | 2-93 | 1061 | 15-58 | 32 | 28-13 | 4-60 |
| | पौड़ी गढ़वाल | 5-39 | 1180 | 11-87 | 99 | 31-53 | 6-40 |
| | टिहरी गढ़वाल | 3-97 | 1198 | 14-13 | 90 | 19-09 | 2-66 |
| | उत्तरकाशी | 1-50 | 896 | 22-06 | 19 | 22-00 | 4-60 |
| | देहरादून | 5-83 | 772 | 35-80 | 189 | 45-04 | 46-00 |
| | पिठौरागढ़ | 3-08 | 1073 | 16-89 | 43 | 31-43 | 3-90 |
| | अल्मोड़ा | 7-42 | 1103 | 17-20 | 106 | 28-73 | 5-10 |
| | नैनीताल | 7-90 | 802 | 37-57 | 116 | 32-49 | 22-20 |
| | उत्तर प्रदेश | 884-00 | 883 | 19-80 | 300 | 21-64 | 14-00 |
| | भारत | 5470-00 | 932 | 24-66 | 182 | 29-34 | 19-87 |

| जिला | कार्य कर्ताओं का प्रतिशत | | काम करने वालों में प्रतिशत कृषक | | अन्य | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1961 | 1971 | 1961 | 1971 | 1961 | 1971 |
| चमोली | 65-3 | 58-2 | 88-8 | 86-9 | 11-2 | 13-1 |
| पौड़ी गढ़वाल | 58-9 | 45-2 | 85-8 | 81-2 | 13-8 | 17-2 |
| टिहरी गढ़वाल | 64-5 | 51-6 | 92-7 | 91-5 | 7-0 | 8-0 |
| उत्तरकाशी | 69-0 | 63-7 | 86-6 | 85-3 | 12-5 | 13-8 |
| देहरादून | 40-2 | 35-2 | 35-0 | 28-2 | 60-2 | 63-7 |
| पिठौरागढ़ | 59-9 | 41-7 | 87-3 | 79-9 | 11-9 | 18-9 |
| अल्मोड़ा | 59-3 | 39-6 | 89-5 | 83-9 | 9-9 | 14-5 |
| नैनीताल | 48-4 | 34-4 | 49-7 | 45-3 | 38-8 | 36-6 |

| | 1961 | 1971 |
|---|---|---|
| 1:- जनसंख्या में कार्य रत व्यक्तियों का प्रतिशत | 65-3 | 58-2 |
| 2:- कार्य रत जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत | 60-8 | 54-5 |
| 3:-कार्य रत जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत | 69-0 | 61-0 |
| 4:-कार्य रत जनसंख्या में कृषकों का प्रतिशत | 88-8 | 86-9 |
| 5:- कार्यरत कृषकों में पुरुषों का प्रतिशत | 80-4 | 74-3 |
| 6:- कार्य रत कृषकों में स्त्रियों का प्रतिशत | 95-4 | 97-4 |
| 7:- कुटीर उद्योगों में कार्य रत जनसंख्या का प्रतिशत | 4-5 | 1-9 |
| 8:- कुटीर उद्योगों में कार्य रत पुरुषों का प्रश | 5-1 | 2-8 |
| 9:- कुटीर उद्योगों में कार्य रत स्त्रियों का प्रतिशत | 4-1 | 1-3 |
| 1 :- अन्य कार्यों में रत जनसंख्या का प्रतिशत | 6-7 | 11-2 |
| 11:- अन्य कार्यों में रत पुरुषों का प्रतिशत | 14-5 | 22-9 |
| 12:- अन्य कार्यों में रत स्त्रियों का प्रतिशत | 0-5 | 1-3 |

5:- 1961 में कार्य रत जनसंख्या का प्रतिशत 65-3 था जो 1971 में घटकर 58-2 हो गया। 1961 में उक्त जनसंख्या का 88 -8 प्रतिशत कृषि एवं सहवर्गीय धन्धों में, 4-5 प्रतिशत खनन, विनिर्माण लघु उद्योग एवं निर्माण तथा 6-7 प्रतिशत वाणिज्य, परिवहन संचार एवं अन्य सेवाओं में लगा हुआ था। 1971 में क्रमशः 86-9, 1-9 व 11-2 हो गया। यहाँ एक उल्लेखनीय बात यह है कि जिले में पुरुषों की अपेक्षा महिलायें अधिक संख्या में कार्य रत हैं एवं वे परिश्रम भी अधिक करती हैं। यहाँ का आर्थिक ढाँचा उनके सहयोग पर टिका हुआ है जैसा कि उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है।

6:- इन सबके बावजूद स्त्रियाँ उपेक्षितावस्था में हैं। उनमें शिक्षा का अभाव है तथा सार्वजनिक जीवन में उन्हें कोई विशेष भूमिका निभाने को नहीं दी जाती है, 1971 में जहाँ पढ़ने वाली आयु के 99प्रतिशत बालक आधारिक विद्यालयों में जाते थे वहाँ केवल 44 प्रतिशत बालिकायें ही पाठशालाओं में भर्ती थी। पूर्व माध्यमिक स्तर पर यह प्रतिशत क्रमशः 44 और 6 रहा है।

7:- पिछड़े हुये समुदाय में प्रायः अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को गिना जाता है। 1971 की जनगणना में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों की सदस्य संख्या क्रमशः 48,957 व 8151 थी जो जिले की जनसंख्या का क्रमशः 12-8 प्रतिशत होती है। गत दशक में जहाँ जिले की सामान्य जनसंख्या की वृद्धि दर 15 रही वहाँ अनुसूचित जातियों में इस वृद्धि का प्रतिशत 13-9 देखने को मिला। अनुसूचित जन जातियों की स्थिति के विषय में टिप्पणी देना सम्भव नहीं है क्यों कि 1961 की जनगणना के समय उनकी पृथक से गिनती नहीं की गई थी।

8:- 1961 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति के सदस्यों की कुल संख्या 42,998 थी जिसमें से 42,825 व्यक्तियों ने अपने को शिल्पकार की संज्ञा दी थी। शेष 173 ने अपनी जाति बाल्मीकी तथा चमार आदि बतलाई थी। चमोली में महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों की विद्यमानता के कारण स्वास्थ्य विभाग सफाई कर्मचारियों की काफी संख्या में नियुक्त करता आ रहा है एवं तीर्थ यात्राकाल में मोचियों को भी पर्याप्त काम मिल जाता है। ये कर्मचारी प्रायः पार्श्व वर्ती मैदानी जिलों से आते हैं और अधिकांश ने इस जिले में निवास ग्रहण कर लिया है। इस प्रकार से 173 व्यक्ति जिले के मूल निवासी न हो कर मैदानी इलाकों से आकर बसने वाले अनुसूचित जाति के सदस्य हैं।

9:- योजनाओं के निर्माण एवं आर्थिक अध्ययनों के लिये राज्य नियोजन संस्थान के अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा वर्ष 1978 तथा उसके बाद के कुछ वर्षों के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के जनसंख्या के प्रक्षेपित अनुमान बनाये गये हैं। पांचवीं योजना के लिये जनशक्ति से सम्बन्धित कार्यकारी दल के जनसंख्या एवं श्रमशक्ति पर गठित उप कार्यकारी दल ने इस पृष्ठ भूमि में कि अभी तक जनसंख्या की वृद्धि दर में बराबर वृद्धि होती रही है, परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रभाव को ध्यान में रखते हुये यह संस्तुति दी कि 1971-79 के बीच प्रक्षेपित जनसंख्या तैयार करने के लिये वार्षिक वृद्धि दर वही ली जाय जो 1961 व 1971 की जनगणनाओं के बीच रही थी। विशेषज्ञ समिति द्वारा वर्ष 1979, 1981 व 1986 की ~~प्रक्षिप्त~~ प्रक्षेपित जन संख्या यदि 1979-81 और 1979-86 के बीच वार्षिक वृद्धि दर देखी जाय तो यह क्रमशः 1-7 और 1-4 प्रतिशत आती है। इसी दृष्टिकोण से कि जनसंख्या के अनुमान कम न हों

वर्ष 1979 से 1984 के बीच वार्षिक वृद्धि दर 1-81 तथा 1984 के बाद यह विशेषज्ञ समिति के अनुसार 1-4 प्रतिशत मानकर प्रक्षेपण किया गया है।

जनपद चमोली की 1971 से 1989 तक प्रक्षिप्त जनसंख्या का विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है।

चमोली जनपद की १९७१-८९ की प्रक्षिप्त जनसंख्या (हजार में)

| वर्ष | ग्रामीण | नगरीय | कुल |
|---|---|---|---|
| 1971 | 280 | 12 | 292 |
| 1972 | 284 | 13 | 297 |
| 1973 | 286 | 15 | 301 |
| 1974 | 289 | 16 | 305 |
| 1975 | 291 | 18 | 309 |
| 1976 | 295 | 19 | 314 |
| 1977 | 297 | 21 | 318 |
| 1978 | 300 | 23 | 323 |
| 1979 | 304 | 24 | 328 |
| 1984 | 320 | 35 | 355 |
| 1989 | 327 | 44 | 371 |

10:- जनपद में प्रति वर्ग किलोमीटर औसतन 32 व्यक्ति रहते हैं। यह विरलता यहां की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण है। जैसा कि आरम्भ में (अनुच्छेद-4) कहा जा चुका है कि जनसंख्या वृद्धि की गति इस जनपद में कम नहीं है और परिवार नियोजन की पूरी सम्भावनायें विद्यमान हैं परन्तु जनसंख्या के घनत्व की न्यूनता अवस्थापना एवं सामाजिक सुविधाओं के विकास में बाधक रही है और सम्भवतः आगे चल कर भी रहेगी।

11:- जनपद में छोटी आबादी वाली बस्तियों की अधिकता है जैसा कि 1971 की जनगणना के समय पायी गई निम्नलिखित स्थिति से स्पष्ट होता है।

| | |
|---|---|
| 1:- गैर आबाद ग्राम | 146 |
| 2:- 200 से कम जनसंख्या वाले ग्राम | 961 |
| 3:- 200 से 499 जनसंख्या वाले ग्राम | 437 |
| 4:- 500 से 999 जनसंख्या वाले ग्राम | 72 |
| 5:- 1000 से 1999 जनसंख्या वाले ग्राम | 7 |
| 6:- 2000 और उससे अधिक जनसंख्या वाले ग्राम | |

इसके अतिरिक्त जोशीमठ तहसील के 16 ग्राम हिमाच्छादित हैं। जहां ग्रीष्म काल में लोग ऊपर बस जाते हैं और जाड़ों में नीचे चले आते हैं।

- - - - - - - - - - -

## ३- प्राकृतिक संसाधन

जनपद के दोनों उप सम्भागों के प्राकृतिक साधनों में भूमि, जल, खनिज पदार्थ, वनस्पतियाँ और पशुधन मुख्य हैं। दोनों सम्भागों में हिमालय की निकटता तथा समुद्रतल से ऊँचाई आदि का वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है।

जनपद के दोनों उप सम्भागों की भूमि पथरीली और ढाल वाली है। कृषि कार्य के लिये बहुत कम भूमि उपलब्ध है जैसा कि भूमि उपयोगिता के निम्न आँकड़ों से स्पष्ट होता है :-

जनपद में भूमि उपयोगिता की स्थिति (१९७१-७२)

| मद | क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत |
|---|---|---|
| १- भौगोलिक क्षेत्रफल | ९,१२,८०० | - |
| २- वन | ४,९६,००० | ५४-४२ |
| ३- ऊसर और कृषि के अयोग्य भूमि | ३,०९,००० | ३३-८० |
| ४- कृषि के अतिरिक्त उपयोग में लाई गयी भूमि | ८,५०० | ०-९० |
| ५- कृषि योग्य बंजर | १३,९४३ | १-[illegible] |
| ६- चारागाह | २५,८०० | २-८० |
| ७- उद्यान के अन्तर्गत क्षेत्र | ३,७५७ | ०-४० |
| ८- बोया गया शुद्ध क्षेत्रफल | ५५,८०० | ६-१० |
| ९- एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल | २७,७०० | ३-२० |
| १०- सिंचित क्षेत्रफल | २,०३६ | ३-६० |

( कृष्ट क्षेत्र का प्रतिशत )

२- कृषि के अन्तर्गत भूमि को दोनों उप सम्भागों में दो भागों में विभाजित किया जा सकता है :

(अ) वह भूमि जो नदी के किनारे घाटियों में है जहाँ भूमि की गहराई (सायल डेप्थ) खेती के अनुकूल है और मिट्टी को कलवी से कलवी दोमट तक वर्गीकृत किया जा सकता है। ये स्थिति दोनों उपसम्भागों में न्यूनाधिक समान है।

~~(ख) वह भूमि जो ऊँचाई के क्षेत्रों की है। प्राय: बड़े-बड़े बोल्डर्स है और मिट्टी ढेलों (पोकेट्स)~~ में है। मिट्टी की रचना को बालू से बलुवी दोमट के रूप में रखा जा सकता है। ऊपरी भागों में कहीं-कहीं लाल भाग के मिट्टी के लाल ढेले मिलते हैं।

३- स्वामित्व के आधार पर जहाँ वितरण का प्रश्न है प्राय: पूरी की पूरी लगभग ५५,८०० हैक्टेयर कृषि भूमि छोटी-मोटी अनार्थिक जोतों में बिखरी हुई है। जोतों के आधार पर जोतों की संख्या निम्न प्रकार है।

| जोतों का आकार | प्रथम सम्भाग | द्वितीय सम्भाग | कुल योग | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| १- हैक्टेयर तक की जोते | ३०,३२६ | ३०,०९३ | ६०,४१९ | ८४-११ |
| १ हैक्टेयर से अधिक और ३ हैक्टर तक की जोते | ३,१८९ | ७,६१४ | १०,८०३ | १५-०५ |
| ३ हैक्टेयर से अधिक और ५ हैक्टेयर तक की जोते | २६३ | ३१६ | ५७९ | ०-८१ |
| ५ हैक्टेयर से अधिक की जोते | २४ | ४ | २८ | ०-०४ |
| योग- | ३३,८०२ | ३८,०२७ | ७१,८२९ | १००-०० |

जिले में कुल कृषि परिवारों की संख्या ५२,०४६ है। एक परिवार की एक ही ग्राम में एक से अधिक जोत होने के कारण एवं अन्य ग्रामों में भी जोत होने के कारण जोतों की संख्या परिवारों की संख्या से अधिक है।

४- जनपद के दोनों उप-सम्भागों में भूमि की उत्पादकता में अन्तर सिंचित और असिंचित दशाओं पर ही आधारित है। दोनों उप-सम्भागों में जहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, धान व गेहूँ की प्रति हैक्टर औसत उपज २० से २५ कुन्तल है ~~कककककक~~ है। यही मात्रा निचली घाटियों के असिंचित क्षेत्रों में १० से १२ कुन्तल प्रति हैक्टेयर है और ऊपरी क्षेत्रों में ७-८ कुन्तल प्रति हैक्टर तक आंकी गई है। वर्षा अधिक होने तथा भूमि ढालू होने के कारण जल द्वारा भूमि क्षरण अधिक होता है और लीचिंग के कारण दोनों उपसम्भागों में सोयल का ट्रेण्ड एसेडिक है।

५- जनपद में समतल भूमि का अभाव होने के कारण खेती को ढाल मात्र पर सीढ़ियों के रूप में बनाया जाता है। चट्टानों पर मिट्टी की तह पतली होती है। फलत: खेतों को मिट्टी से ढाकना आवश्यक हो जाता है। खेतों की निचली ओर पत्थरों की दीवार खड़ी करके ४-५ हाथ ऊपर से मिट्टी काट कर दीवार को जड़

से जमा किया जाता है। वर्षा काल में ये दीवारें भग्न हो जाती हैं और उनकी समय-समय पर मरम्मत करनी होती है।

६- प्राय: २००० मीटर तक अच्छे ढंग से खेती की जा सकती है। यों तो ३००० मीटर की ऊँचाई पर भी गेहूँ उगा लेते हैं। यदि खेत पर्वत के छायादार पार्श्व पर होता है और उसके पास वन भी रहता है तो अधिक नमी के कारण वहाँ मिट्टी की तह मोटी और उर्वरा होती है।

७- कृषि भूमि के मुख्यत: चार प्रकार हैं :

१- तलाउँ, २- उपराउँ, ३- इजरान तथा ४- कटील

स्थायी रूप से सिंचित क्षेत्र को तलाउँ कहते हैं। उपराउँ भूमि में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर शुष्क कृषि की जाती है। इजरान भूमि में तीसरे या चौथे वर्ष खेती होती है तथा कटील वह भूमि है जहाँ सीढ़ीदार खेत नहीं बनाये जाते हैं क्योंकि मृदा निम्नकोटि की होती है। कटीलों की प्रथा पुरानी थी जो अब प्राय: समाप्त हो गई है। भूमि के समतल न होने के कारण जल धरती के ऊपर और नीचे दोनों स्थानों पर बहुत जल्दी बह जाता है। वैसे जनपद में पानी की कमी नहीं है। खेत को एक बार जोत कर उसमें मण्डुवा, झंगोरा, कौणी जैसे अनाज बोये जाते हैं। गेहूँ और धान की फसल के लिये खेत को कई बार जोतने, उसके पत्थरों को चुनने और ढेलों को तोड़ने की आवश्यकता होती है।

८- खरीफ की फसल में मण्डुवा, झंगोरा, सँवा, कौणी, तिल, मक्का, चीना, उड़द, मिर्च, हल्दी एवं अदरख आदि बोने का रिवाज है। रबी में मुख्यत: गेहूँ और सरसों की खेती की जाती है।

९- जनपद में ६००० फीट की ऊँचाई जो मुख्यत: उपसम्भाग-१ में पड़ती है पर आलू का अच्छा उत्पादन होता है। इन स्थानों पर आलू का उत्पादन प्रति हैक्टर ८० क्विन्टल तक आँका गया है।

१०- २००० मीटर की ऊँचाई पर रबी की फसल मई से पूर्व नहीं पकती। इसी प्रकार २३०० मीटर पर जून, २६०० मीटर पर जुलाई तथा ३००० मीटर पर अगस्त में कटाई का समय होता है। इससे अधिक ऊँचाई पर जून के महीने में बर्फ पिघलने पर खेत जोते जाते हैं और सितम्बर में उनकी फसल काटी जाती है। ११३०० [illegible]

[illegible] हैं।

[illegible]

[illegible] १४,८०० [illegible]

मीटर से १६०० मीटर ऊँची घाटियों के निचले भागों में धान की खेती होती है। धान अप्रैल में बोकर सितम्बर में काटा जाता है और अक्टूबर में उसी खेत में गेहूँ बो देते हैं। तदुपरान्त अगली अप्रैल में धान न बोकर मण्डुवा बोते हैं जिसे काटने के बाद आगामी अप्रैल तक खेतों को खाली छोड़ देते हैं। मण्डुवा और धान भी-भी आधे खेत में बोने का भी रिवाज है। ५५,८०० हैक्टेयर भूमि अर्थात भौगोलिक क्षेत्रफल का ६ प्रतिशत में खेती की जाती है परन्तु खेती की प्रणाली परम्परागत ढंग से ही अनाज उगाने की रही है। प्रति कृषक परिवार जोत का औसत आकार १ हैक्टेयर आता है।

११- प्राय: गाँव वाले एक समय में अपने एक ओर के सारे खेत परती छोड़कर पशुओं को चरने की सुविधा प्रदान करते हैं। धान की कटाई ऊपर से नीचे की ओर जाती है परन्तु गेहूँ की नीचे से ऊपर को जाती है। अधिक ऊँचे स्थानों पर एक ही फसल हो पाती है।

## जल

जल संसाधनों की दृष्टि से हिमालय के समीप का यह क्षेत्र सम्पन्न कहा जा सकता है। सतत् प्रवाहिनी सदा नीराओं में अलकनन्दा, नन्दाकिनी, पिण्डर और मन्दाकिनी चार प्रमुख हैं और इनके अतिरिक्त भी अनेक छोटी-बड़ी स्थानीय नदियाँ हैं जिनमें पर्याप्त जल रहता है किन्तु न तो सिंचाई के लिये और न ही पेयजल के लिये इन स्रोत-साधनों का उपयोग किया गया है। भूमिगत जल का न तो अभी कोई सर्वेक्षण हुआ है और न उसकी कोई आवश्यकता ही है क्योंकि भूमि सतह पर ही इतना जल उपलब्ध है जिसका सम्भवतया आने वाले अनेक वर्षों में भी पूरा-पूरा उपयोग न हो पाये। जनपद के दोनों उपसम्भागों में अभी तक नदियों के जल का उपयोग सिंचाई के लिए नहीं किया जा सका है। कुछ स्थानों पर जहाँ नदियाँ चौड़ी घाटियाँ बनाती हैं, लिफ्ट इरिगेशन से सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराई जा सकती हैं। लगभग अधिकांश सिंचाई के साधन स्थानीय झरनों और गधेरों से ही गूल बनाकर उपलब्ध कराये गये हैं।

२- वर्तमान सिंचाई प्रणाली में पानी का ह्रास बहुत होता है। निजी क्षेत्र में भी जो गूलें हैं उनकी लम्बाई अधिक होने से जल का ह्रास स्वाभाविक है। पक्की नहरों की संख्या कम हैं और उनके रख-रखाव पर व्यय अधिक होता है। सृजित सिंचाई क्षमता का अभी पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुधा सभी कूलें

में जनपद के दोनों उपसम्भागों में वर्षा प्राप्त होती रहती है। सुरक्षित सिंचाई क्षमता के अनुकूल खेतों को समतल बनाने का कार्य कृषक की साधनहीनता के कारण देर में हो पाता है। मुख्यतया खरीफ में धान की पौध के लिये और रबी में लम्बी अवधि तक सूखा की स्थिति रहने पर ही सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है।

३- पेयजल की सुविधायें भी नहरों और विभिन्न जल स्रोतों से पाइप लाइन बिछा कर उपलब्ध कराई गई है। इन्हीं स्रोतों में उपलब्ध जल को दोनों उपसम्भागों में सेर दियार कर सिंचाई के छोटे-छोटे हौजों का निर्माण किया गया है। नदियों में बहने वाले जल को विद्युत शक्ति द्वारा ऊपर उठाकर सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्रफल में काफी वृद्धि की जा सकती है परन्तु ऐसी परियोजनाओं में जो लागत आती है, उसका उनके कार्यान्वयन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले राजस्व की धनराशि से कोई आर्थिक सम्बन्ध नहीं रहता। कदाचित यही कारण है कि इस ओर बड़े पैमाने पर कार्य नहीं किया जा सका है।

## खनिज पदार्थ

जनपद में तांबा, शीशा, लोहा आदि अनेक धातुयें उपलब्ध हैं किन्तु इनके विषय में ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है जिसके आधार पर कोई ठोस निष्कर्ष निकाला जा सके। मैग्नेसाइट और सेलखड़ी भी कई स्थानों पर उपलब्ध हैं। जनपद की खनिज सम्पत्ति का कुछ परिचय निम्न प्रकार है :-

१-तांबा:- गोरखा शासन में तांबे की खानों से सरकार को लगभग ५०,००० रु० प्रतिवर्ष की आय होती थी। यहां के धन मुख्यतः पाइराइट व कुक (बिट्यरा) तन्त्र के हैं। लाल आक्साइड तथा हरा कार्बोनेट भी कहीं-कहीं मिलता है। अतीत की प्रमुख खानों के नाम ये हैं :-

(अ) आगर-सेरा - लालगंगा के दाहिने तट पर लोहबा पट्टी में।

(ब) ताल-धुगला - ढंडा से १ मील उत्तर पूर्व।

(स) ढंडा - पोखरी से २-५ मील थाला स्थान से १५०० फीट ऊपर।

(द) तोता - पोखरी से २-५ मील उत्तर-पश्चिम।

(य) थाला - नैता से १ मील उत्तर पश्चिम (पोखरी)

२-तांबा :- यहाँ के अयस्क में लगभग ७० प्रतिशत शुद्ध लोहा होता है। पुनः काली, वंका बीटकीवान होती है। मुख्य खानें निम्न स्थानों पर स्थित हैं :-

(अ) धुश-नखण्डा कैथोली चाँदपुर के पास।

(ब) राजठंगा-सेती चाँदपुर के पास।

(स) गिलेथा- तल्ला काली फाट में।

(द) पोख- मल्ला दशोली में।

(य) चोर परगना- मल्ला दशोली में।

(र) जाखजोली - बिचला नागपुर में।

(व) लुखण्डा- बिचला नागपुर में।

(श) लोहबा-

(ष) हाट- मल्ला नागपुर में अलकनन्दा के तट पर।

(ह) तल्ला चाँदपुर।

३-शीशा :- भी लगभग उन्हीं स्थानों पर पाया जाता है जहाँ ताँबा उपलब्ध है। मैग्नेसाइट तथा सेलखड़ी पीपलकोटी व घुनी में उपलब्ध है।

४-एस्बेस्टस :- मन्दाकिनी घाटी में लगभग इसकी १५ मील लम्बी पट्टी का पता चला है। कण्डारा, जखई तथा माली ग्रामों के निकट इसकी अच्छी किस्म का पता चला है।

५-यूरेनियम, माइका आदि के विषय में जनपद के पोखरी विकास खण्ड में भूगर्भ शास्त्रियों का दल सर्वेक्षण कर रहा है। सर्वेक्षण की कोई ठोस उपलब्धि अभी प्रकाश में नहीं आई है। उसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है जिसके अभाव में खनिज पदार्थों के विषय में योजना में कोई निश्चित रूपरेखा प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है।

## वनस्पति

हिमालय क्षेत्र में जिसमें यह जनपद भी आता है, इसके प्रथम उप सम्भाग (जोशीमठ, थराली, उखीमठ एवं दशोली विकास खण्ड) में मुख्यतया शंकुधारी वन हैं जिसमें चीड़, कैल, देवदार, रई, मुरिण्डा तथा सुरई के जंगल हैं। इसी उप सम्भाग में बुग्याल भी हैं जो चारागाह के अच्छे क्षेत्र होते हैं। ऊँचाई के अनुसार जनपद में भिन्न-भिन्न वृक्षों के क्षेत्र निम्न प्रकार हैं :-

१- १००० मीटर तक :- साल की सीमा- हल्दु, तोण, साईं, थारी और खदिर की उपलब्धि।

२– १७०० मीटर तक :– चीड़ का बाहुल्य।

३– २००० मीटर से :– देवदार का आरम्भ। बाँज और बुराँस की उपलब्धि।

४– २३०० मीटर तक :– चीड़ का अन्त। बाँज, बुराँश, मेल (साइप्रस) का बाहुल्य।

५– २६०० मीटर तक :– बाँज का अन्त। तिलंज, पदम् और रैंपा की उपलब्धि।

६– ३००० मीटर तक :– तिलंज और शिसु की विद्यमानता।

७– ३३०० मीटर से :– उदम्बर, बुराँश, थांगर आदि। भोजपत्र व घास ढलान का आरम्भ।

८– ३६०० मीटर से :– घास ढलान अधिक। पदम रैंपा की उपलब्धि।

९– ४००० मीटर पर :– पदम्, थुनेर, सांसला और मुंज की विद्यमानता।

१०– ४३०० मीटर से :– वनस्पति का अभाव।

जनपद का ५४–४२ प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों के भू-भाग के ६६ प्रतिशत में वनों का होना आवश्यक है। अतएव कृषि एवं बागवानी के लिये वन क्षेत्रों के अतिक्रमण की कोई गुंजाइश नहीं है अपितु बेकार पड़ी भूमि के नियोजित वनीकरण की आवश्यकता है।

वनों में और उन्नतांशों पर स्थित क्षेत्रों में निम्न प्रकार की जड़ी-बूटियां मिलती हैं जिनका स्वामित्व वन विभाग का होता है किन्तु इनके संग्रह एवं विपणन का कार्य वन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि इन्हें ठेके पर उठा दिया जाता है या निर्धारित रायल्टी लेकर किसी को भी अधिकार दे दिया जाता है कि वह इन जड़ी-बूटियों का संग्रह करे। इस पद्धति की दो हानियां हैं। सबसे बड़ी आशंका कुछ विशेष किस्म की प्रजातियों को नष्ट होने की है क्योंकि संग्रह कार्य प्रायः अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और अधिक लाभ की दृष्टि से पूरा का पूरा पेड़ समूल ही उखाड़ लेते हैं। दूसरी हानि यह होती है कि ठेकेदार कम मजदूरी पर स्थानीय मजदूरों को रखता है और जड़ी-बूटियों से होने वाला लाभ स्थानीय श्रमिकों को नहीं मिल पाता है। इसके नियमन की आवश्यकता है।

## जड़ी-बूटियाँ

| हिन्दी नाम | स्थानीय नाम | बॉटेनिकल नाम |
|---|---|---|
| रत्ती | घुघची | Abrus Precatorius . Linn |
| लटजीरा अपामार्ग | सज्जी | Achyranthes- aspera. Linn |

१९

| | | |
|---|---|---|
| मीठा | वत्सनाभ | Acenitumtonic Supp. |
| अतीस | अतीस-पतीस | Aconitum Hetrophyllum Linn. |
| वच | ·वज | Acorus . Calamus. Linn. |
| हंस राज | हंसराज | Adiuntum- Venstum. Gen. |
| वासक | वेसिंग | Adbotoda-Vasaca-Ness. |
| नीलकण्ठी | रत पतिया | Ajuga- Bracteoser Wall |
| स्याह मुसली | काली मुसली | Aneilime. scapiflorum-Wight |
| मन्द्रादणा | चोरा | Angalic- glauca-Edgw |
| अफ सन तीन | छामरा | Artimissia- Supp. |
| सतावरी सतमुली | फिरणा फिरणाया | Asparagus- Supp. |
| ननुनीता | पुनरप | Beorhovia- deffusa linn |
| कदनार | ग्वेराल | Bsuhimia- tomentosa |
| दारुहहुति | किमगोड | Barbaris-aristats |
| ,, | ,, | Barbaris- Crustata |
| ,, | ,, | Barbaris- Vulguries |
| भोजपत्र | भोजपत्र | Betula-Bhejpatra-Val. |
| भंग | भांग | Canvis- Supp. |
| दालचीनी | दालचीनी | Cinnomorium Species |
| शंखपुष्पी | शंखी फूल | Canscora-decestata |
| चक्रवड | पर्दी | Cassia ~~Oxidenta~~ tora-Linn |
| कासमर्द | कनाड | Cassia Oxidentalis-Linn. |
| तुन | तुन | Cidrela- Toona |
| देवदारु | दयार | Cedrus- deodara |
| धतुरा | धतुरा | Datura Supp. |
| गृष्टिका जाति | गेठी जाति | Diescoria Supp- Linn. |
| निरविसी | निरविषा | Delphinium- denudatium |
| दरुनीज अकराकी | गुगुल | Doronicum- roylie |
| भृंगराज | भृंगराज | Eclipta-alba |

| | | |
|---|---|---|
| आँवला | आँला | Embelic- Officinatas |
| सोमजाति | सोमजाति | Ephedra Supp. |
| पित पौपड़ा जाति | केरावा जाति | Eumaria Supp. |
| कपूर कचरी | वन हल्दी | Hedyclium Spicatium |
| ब्राह्मी | ब्रमी | Herpastris- momiera |
| अखरोट | अखरोट | Juglans- Supp. |
| द्रोण पुष्पी | द्रोण पुष्पी | Loucas - cephalotes |
| पुदिना जाति | पुदीना जाति | Meutha Supp. |
| शहतूत जाति | किमु जाति | Acrus Supp. |
| बालछड़ | जटामासी, मासी | Nardo- stacliys Jatama |
| सालम पंजा | हस्त जड़ी | Orchis- latifolla. |
| सिलम मिश्री | गठा मिश्री | Orchis- masoular |
| छड़ीला | मुला | Pormelia amstchandates |
| कुटकी | कड़वी, केदार कड़वी | Picrorhiza Kurroria. |
| चीड़ जाति | सल्ला | Pinus- Supp. |
| वन ककड़ी | रिखलीकी | Podophyllum- emodi |
| बाँज | बाँज वान | Quarcus- incana |
| रेवन्द चीनी | डोलू आरचा | Rheum- emodi |
| काकड़ा शृंगी | काखड़ | Rhus- succedana |
| मजिष्टा | मजेस्टा | Rubia- cordifolia |
| रीठा | रीठ | Sapindus- detergens |
| कूट | कूट | Sausria- lappa |
| ब्रह्मकमल | ब्रह्मकमल | Sausria- obyallata |
| सेमल | सेमल | Salamatia- malabricum |
| अतिबला | मूड़या | Sida-cordifolia |
| चिरायता | चिरेत | Surtia- chirata |
| लोध | लोध | Symptocos- paniculats |
| तालीस पत्र | थुनेर | Taxus- baccata |
| ~~[illegible]~~ | ~~[illegible]~~ | ~~Terminalis—chebula~~ |
| [illegible] | [illegible] | |

| | | |
|---|---|---|
| हरड | हरड | Terminalis- chebula |
| ममीरी | ग्रीलि जड़ी | Thalictrum- foliolosum |
| गडेची | गुर्जे | Tinsphora- cordifoloia |
| नस्सा जाति | नाप्पा जाति | Valariana- Supp. / Veila- cerate |
| निर्गुण्डी | सिवाई | Vitex- nagundo |
| तेजबल जाति | तिमुर जाति | Zanthoxylun- spp. |

फलदार वृक्षों में नारंगी, खुबानी, आडू अखरोट, सेव, तिमली, काफल, किलमोड़, बेरीज, हिसालू तथा नींबू प्रजाति के पेड़ मिलते हैं। यद्यपि बागवानी अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकती है परन्तु अन्न की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति का अन्य साधन न होने के कारण लोग कृष्ट क्षेत्र में पेड़ लगाने को तैयार नहीं होते।

भांग के पौधे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। अतीत की गतिविधि के आधार पर इसके रेशे के प्रयोग की सम्भावनायें विद्यमान हैं। बांस से मिलता-जुलता रिंगाल मिलता है। ग्वालदम, तलवाड़ी, बैनीताल, सिलकोट में चाय की खेती ब्रिटिश काल में होती थी जो देखरेख के अभाव में क्षयन्धि स्थिति में है। व्यवस्था तंत्र के सुदृढ़ ढांचे के अभाव में यहां का औधानिक एवं औद्योगिक उत्पादन बढ़ नहीं पाया है।

## पशुपालन

जनपद के मुख्य-मुख्य पालतू पशुओं एवं पक्षियों की संख्या पशुगणना के आधार पर निम्न प्रकार थी :-

| | १९६६ | १९७१ |
|---|---|---|
| १- गोवंशीय | २,१६,४५० | २,४०,२१३ |
| २- महिष वंशीय | ५३,१०६ | ६५,९६० |
| ३- भेड़-बकरी | २,२१,९४९ | २,२६,४०७ |
| ४- मुर्गियां | ६,७०५ | १५,००० |
| ५- अन्य | २,०४० | २,६७४ |
| योग- | ५,००,२५० | २,५०,२५४ |

इस जनपद में एक लाख १,२७,००० भेड़ें हैं जो अधिकांश उप-सम्भाग १ में पायी जाती हैं। क्योंकि चारे की उपलब्धता के साथ-साथ जलवायु भी अनुकूल है और बुग्याल भी इसी उपसम्भाग में होता है जहाँ गर्मियों एवं बरसात (मई से सितम्बर तक) में चराई का कार्य होता है। चारे की समस्या भी भेड़ विकास में बाधक है क्योंकि जाड़े में नीती की भेड़ें देहरादून तक चरने जाती है। लगभग १५,००० भेड़ें प्रतिवर्ष माँस के लिये प्रयोग की जाती हैं जिससे लगभग ३,००० क्विन्टल माँस प्रतिवर्ष प्राप्त होता है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार अनुमानतः प्रतिवर्ष ७६२ क्विन्टल ऊन उत्पादन होता है। बकरियों के सम्बन्ध में जो आँकड़े उपलब्ध हैं उनसे जनपद के दोनों उप-सम्भागों में इनकी संख्या ९९ हजार है और इनका उपयोग बोझा ढोने तथा मुख्यतः माँस के लिये किया जाता है। जनपद में १ लाख गायें और ५० हजार भैंसे इस समय हैं जिसमें लगभग ४० हजार गायें व २० हजार भैंसे दूध देने वाली हैं। प्रति दिन लगभग ५२,००० लीटर दूध देने वाली हैं। प्रतिदिन लगभग ५२,००० लीटर दूध प्राप्त होता है। बैल मुख्यतः खेती के काम में लाये जाते हैं। गाय भैंसे अधिकांश रूप में उप-सम्भाग-२ में जिसमें घाटि का क्षेत्र अधिक है, पाली जाती हैं। ये सभी पशु स्थानीय प्रजाति के हैं। और इनकी उपयोगिता बढ़ाने के लिये इनके वंश सम्वर्द्धन की आवश्यकता है। खालों और हड्डियों के संग्रह का रिवाज नहीं है क्योंकि धार्मिक एवं रूढ़िवादी के होने के कारण वहाँ मरे जानवरों की खाले एवं हड्डियों को लोग नहीं उठाते हैं।

मुर्गियों की संख्या लगभग १५,००० आँकी गयी हैं जिसका अधिकांश भाग उप-सम्भाग-१ में है। इनसे औसतन १०,५०,००० अण्डे प्रतिवर्ष प्राप्त होते हैं। इनका उपयोग माँस के लिये भी होता है।

मत्स्य पालन के लिये अबतक कोई कार्यक्रम नहीं चलाया गया है। यद्यपि पिण्डर, मन्दाकिनी और नन्दाकिनी तथा रामगंगा नदियाँ जिले में मछलियों के लिए विख्यात है।

[illegible] और विकास खण्ड थराली में तलवाड़ी नामक स्थान पर एक हैचरी की स्थापना भी पहले की गयी थी किन्तु यह हैचरी भी लुप्तावस्था में है और कोई भी कार्य इसमें किया गया हो, ऐसा कोई भी लक्षण इसमें नहीं है। कितनी मछलियाँ विभिन्न नदियों से पकड़ी जाती है इसके कोई भी आँकड़े उपलब्ध नहीं है। स्थानीय लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये इन नदियों से मछलियाँ पकड़ते हैं।

जनपद में निम्न जाति की मछलियाँ पाई जाती है।

| LOCAL NAME | ZOOLOGICAL NAME |
|---|---|
| 1. Trout | Salmo-trutta froma fasio (Baraum Trout |
| 2. Mirror Carp | Cyprious Carpid var Specularis |
| 3. Asela | Orionus |
| 4. Tarrd | Barilees bandelesis |
| 5. Fucta | Barbus cholanoid |
| 6. Gadiyal | Nomachailus |
| 7. Cadara | Casa Cobrie |
| 8. Naved | Pseuddo cheuis |
| 9. Sumplu | Glyptesterum. |

जनपद में भेड़ों के प्रजनन के लिये जो सुविधायें इस समय उपलब्ध है वे केवल ३६,००० भेड़ों के लिये पर्याप्त है जबकि इनकी संख्या ५८,००० आंकी गयी है। गाय-भैंसों के प्रजनन के लिये भी जनपद में राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था की गयी है किन्तु सांडों की संख्या यहाँ के पशुधन के अनुरूप न होकर बहुत ही कम है।

पशुओं के चमड़े और हड्डी का वर्तमान समय में कोई उपयोग नहीं किया जाता है और न इनके संकलन की कोई व्यवस्था ही उपलब्ध है। जिले के अन्तराल में जो पशु आये दिन मरते रहते हैं उन्हें उनके मालिक अपनी सुविधानुसार बस्ती से दूर फेंक देते हैं और उनके चमड़े और हड्डियों का वे कुछ भी उपयोग नहीं करते हैं। ऐसी इकाइयों के जिले में स्थापना हो जाने पर मोटर मार्ग के पास के ग्रामों के मरने वाले पशुओं की हड्डियों और चमड़े का उपयोग किया जायेगा किन्तु अन्तराल के क्षेत्रों में इस सम्बन्ध में कुछ किया जायेगा, ये सम्भव नहीं दीखता। वर्तमान समय में परम्परा के अनुसार पशुओं के मरने के बाद कोई कीमत नहीं आंकी जाती है अत: चमड़े और हड्डी के उपयोग का मूल्यांकन करना भी सम्भव नहीं है।

## 4. पांचवीं योजना के उद्देश्य एवं रणनीति

पांचवीं योजना के NATIONAL APPOACH PAPER के अनुसार 'गरीबी हटाओ' उद्देश्य को राष्ट्रीय नीति के रूप में स्वीकार किया गया है। इसका तात्पर्य यह कि १५ वर्ष (सातवीं योजना के अन्त तक) की पूर्व निर्धारित अवधि में गरीबी का अन्त [illegible] एवं आर्थिक असमानता को समाप्त करना है।

गरीबी समस्या के दो पहलू हैं :-

(१) १९६९-७० के भावों पर कम से कम ६१ प्रतिशत जनसंख्या को ३६ रुपये का न्यूनतम उपभोग स्तर प्राप्त कराना।

(२) आर्थिक दृष्टि से प्रगति का स्तर उस सीमा तक बढ़ाना जिससे कि साधारण मनुष्य अपनी दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं को सुगमता एवं शीघ्रता से प्राप्त कर सके।

प्रथम उद्देश्य की प्राप्ति के लिये १९८३-८४ तक श्रम शक्ति (Labour-Force) में आने वालों को आर्थिक दृष्टि से लाभकारी रोजगार दिलाना ताकि वे कम से कम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। आय की असमानता को दूर करना आर्थिक व्यवस्था की सुदृढ़ता के लिये आवश्यक है।

इसी राष्ट्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये पांचवीं योजना के उद्देश्यों का निम्न प्रकार निर्धारण किया गया है :-

(१) बेरोजगार एवं अर्द्ध बेरोजगार व्यक्तियों को लाभकारी रोजगार दिलाना तथा छोटे कृषक एवं ग्रामीण कारीगरों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना ताकि वे उपभोग का एक न्यूनतम स्तर प्राप्त कर सकें।

(२) आधार भूत अवस्थापनाओं, जैसे (अ) विद्युत शक्ति, सिंचाई, साधन एवं सड़कों की उन्नति करना, (ब) कृषि उत्पादन को ६ प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ाना, और (स) औद्योगिक विकास को ८-१० प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ाकर आर्थिक विकास को तीव्र करना।

(३) जनपद स्तर न्यूनतम आवश्यकताओं की व्यवस्था करना।

(४) संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करना।

(५) जन दर को कम करना।

(६) मूल्यों में स्थिरता लाना।

(७) विकास केन्द्रों का उत्थान एवं नागरिक विकास को बढ़ाना।

(८) जन सहयोग प्राप्त करना।

सामान्यत: जनपद के लिये भी यही उद्देश्य कहे जासकते हैं। परन्तु प्रत्येक जनपद की अपनी कुछ विशेषतायें एवं समस्यायें होती ह। अत: जनपद के लिये उद्देश्य एवं रणनीति निर्धारित करते समय उनको ध्यान में रखना आवश्यक है। प्राकृतिक दृष्टि से चमोली जनपद राज्य के मध्य हिमालय श्रृंखला जिसमें उत्तरकाशी, टिहरी-गढ़वाल, गढ़वाल, अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ जनपद, नैनीताल जनपद की तहसील नैनीताल तथा जनपद देहरादून की चकराता तहसीलों के क्षेत्र आते हैं, का अविच्छिन्न अंग है। जनपद की भौगोलिक विभिन्नताओं को दृष्टि में रखते हुये इसे दो उपसंभागों में विभाजित किया गया है। प्रथम उपसम्भाग में विकास खण्ड केदारनाथ(ऊखीमठ) दशोली, फेरखण्डा(जोशीमठ) एवं थराली आते हैं, दूसरे उपसम्भाग में विकास खण्ड मन्दाकिनी(अगस्तमुनि), नागपुर(पोखरी), नारायणबाड़, कर्णप्रयाग एवं गैरसैण हैं।

प्रथम उपसम्भाग हिमालय पर्वत शिखरों के समीप है और समुद्र तल से २००० मीटर से अधिक ऊँचाई का भूभाग है। जनपद का ३१.३ भौगोलिक क्षेत्रफल इसी उपसम्भाग में आता है। इस उपसम्भाग में उद्यान विकास विशेषत: सेव के बागीचों की विशेष सम्भावनायें हैं और भेड़ पालन के लिये उपयुक्त है।

द्वितीय उपसम्भाग समुद्र तल से २००० मीटर से नीचे का क्षेत्र है। इस भूभाग में कृषि योग्य क्षेत्र अधिक है तथा सिट्रस फलों लिये भी उपयुक्त है।

जनपद में सतत् वाहिनी एवं मौसमी नदियों का बाहुल्य है और उन्हीं के किनारे जनपद के सिंचित क्षेत्र का अधिकांश भाग स्थित है। परन्तु अधिकांश क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। यह एक अभावग्रस्त क्षेत्र है और शुष्क कृषि होती है। औद्यानिकी कार्यक्रम जनपद के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पृष्ठभूमि में जनपद की पाँचवीं योजना के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं :

(६) कृषि उत्पादन में जनपद को आत्म निर्भर बनाना। इसके लिये सर्वोच्च प्राथमिकता सिंचन क्षमता को बढ़ाने की है। तथा कृषि विकास, उन्नत प्रकार की प्रजातियों का वितरण एवं रासायनिक उर्वरकों के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है। लगभग ८४ प्रतिशत जोतों का आकार १.०० हैक्टेयर से कम है। अतः जोतों का छोटा एवं छितरा होना भी कृषि के विकास में बाधक है। कृषि विकास कार्यक्रम द्वितीय उप सम्भाग में चलाने का प्रयास किया जायेगा।

जलवायु की दृष्टि से प्रथम उप सम्भाग में औद्यानिकी व आलू विकास योजनाओं पर बल दिया जायेगा।

खाद्यान्नों की कमी को पूरा करने के लिये यह आवश्यक है कि ऐसी फसलों के उत्पादन पर बल दिया जाय जिनका वाणिज्यिक दृष्टि से महत्व हो। प्रथम उप सम्भाग में फलों, आलू, रामदाना तथा राजमा के उत्पादन की सम्भावनायें अधिक हैं। इसके साथ-साथ सब्जी उत्पादन क्षेत्रों को भी बढ़ाने की सम्भावना है अतः फलों एवं सब्जी उत्पादन पर विशेष बल दिया जायेगा। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु नकदी फसलों के उत्पादन पर बल दिया जायेगा।

पंचवर्षीय योजना में वन सम्पदा पर आधारित उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया जायेगा। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्य क्रम चलाये जायेंगे एवं उद्योग पतियों को इस जनपद में नई इकाइयां स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। इस हेतु संस्थागत वित्त को भी इस जनपद की ओर आकर्षित करने का उद्देश्य है।

कुटीर उद्योगों एवं लघु उद्योगों की स्थापना एवं पैतृक पेशों के विकास के लिये औद्योगिक प्रशिक्षण एवं सहायता की सुविधा के प्रदान किये जाने पर बल दिया जायेगा। इनमें ऊन व लकड़ी के उद्योगों को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी क्योंकि तैयार माल के लिये अलग से बाजार खोजने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सामान की स्थानीय खपत है।

जनपद में रोजगार के अवसर बहुत कम हैं जिसके कारण लोग बाहर प्रवास कर जाते हैं। अतः नये रोजगार सृजन के अवसरों पर पंचवर्षीय योजना में कुछ बल दिया जायेगा। ये अवसर कृषि, औद्यानिकी, उद्योग, पर्यटन कार्यक्रम आदि में सृजित होंगे

सकते हैं। इस प्रकार रोजगार के अवसर बढ़ाना पांचवी योजना का मुख्य उद्देश्य होगा।

ग्रामों में पीने के पानी की मुख्य समस्या है। कहीं-कहीं तो एक मील से अधिक की दूरी से पानी लाया जाता है। अतः अभावग्रस्त क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था की जायेगी।

इस जनपद में अधिकांश ग्राम बिखरे हुये और 500 से कम आबादी वाले हैं। 500 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को मोटर मार्गों से जोड़ा जाना मात्र उत्पादन एवं आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक लाभ दायक नहीं होगा। अतः पांचवी योजना में जो नई सड़कें ली जा रही हैं उनका आधार औद्योगिकी तथा पर्यटन का विकास और अधिक उत्पादन वाले क्षेत्रों व पिछड़े क्षेत्रों को यातायात की सुविधा प्रदान करना है।

विद्युतीकरण के मामले में उच्च प्राथमिकता उन ग्रामों अथवा क्षेत्रों को दिये जाने का उद्देश्य है जहाँ पर स्थानीय उद्योगों की स्थापना के लिये कच्चा माल उपलब्ध है तथा औद्योगिकी के विकास की सम्भावना है। इस जिले में बिजली उत्पादन की वृहद क्षमतायें अतः मिनी हाईडिलैक्ट्रिक योजनायें भी प्रस्तावित हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में 6-11 वर्ष की आयु वाले समस्त बालक-बालिकाओं को आधारिक शिक्षा देने की व्यवस्था किये जाने का उद्देश्य है। यह भी व्यवस्था की जायेगी कि प्रत्येक 6 वर्ष आयु के बालक-बालिका को शिक्षा लेने की सुविधा समीप प्राप्त हो सके।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं सहायता प्रदान किये जाने की भी व्यवस्था की जायेगी।

जनस्वास्थ्य एवं चिकित्सा की सुविधा की दृष्टि से योजना में प्रत्येक 5 कि०मी० की दूरी पर प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा प्रदान किये जाने का उद्देश्य है। मातृशिशु कल्याण केन्द्र भी प्रत्येक 5 किलोमीटर के भीतर उपलब्ध कराये जाने का उद्देश्य है। अब तक यह सुविधा जनसंख्या के आधार पर दी जाती थी। किन्तु भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुये दुर्गम क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

पिछड़े हुये समुदाय (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) की आवास व्यवस्था पर विशेष बल दिया जायेगा और इस बात की व्यवस्था की जायेगी कि इन जातियों के परिवारों को योजना काल में अधिकाधिक आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाय।

जनपद में बहुत बड़ी मात्रा में विभिन्न खनिज पदार्थों के होने का अनुमान है। इसके विकास की ओर भी बल दिये जाने की आवश्यकता है किन्तु वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अभाव में कोई निश्चित योजना बनाना सम्भव नहीं है।

शासन के निर्देशानुसार बनाई गयी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों का विवरण जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक १०-७-७२ में समस्त सदस्यों को वितरित किया गया था और सदस्यों से विचार विमर्श के उपरान्त प्राथमिकतायें निर्धारित की गई थी। तत्पश्चात् सम्भाग-स्तर पर शासन से प्राप्त निर्देशों और वित्तीय परिव्यय के सीमाओं के अनुसार भौतिक लक्ष्यों में संशोधन करते हुए पाँचवीं योजना का यह प्रारूप प्रस्तुत है।

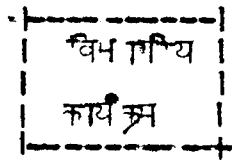

विभागीय

कार्यक्रम

चमोली जनपद में 9,12, [illegible] हैक्टेयर क्षेत्रफल में से केवल 55,8[illegible] हैक्टेयर क्षेत्रफल में ही खेती की जाती है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 6% है। कुल कृषि भूमि का [illegible]6% भाग लगभग 2,40 हैक्टेयर क्षेत्रफल ही सिंचित है। कृषि वर्षा पर ही निर्भर करती है। [illegible] में जनपद की लगभग 87% जनसंख्या लगी हुई है। जनपद में समतल भूमि का अभाव है। इसके कारण कृषि को [illegible] सीढ़ियों के रूप में बनाया जाता है। [illegible] पर मिट्टी [illegible] तह पतली होती है, फलतः खेतों पर [illegible] मिट्टी भी अधिक [illegible] हो जाता है। [illegible] मिट्टी और पत्थरों की दिवार [illegible] [illegible] ऊपर से मिट्टी को [illegible] [illegible] को [illegible] किया जाता है। [illegible] में [illegible] [illegible] और [illegible] [illegible] [illegible] है।

[illegible] क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि [illegible] है परन्तु पहाड़ों में ढलान वाले भूमि [illegible] द्वारा बहाव के कारण [illegible] रह जाती है। [illegible] जौ, गेहूँ, [illegible] [illegible] खाद्यान्नों की फसलें अच्छी होती हैं, परन्तु [illegible] [illegible] अधिक है, जिससे उपज अधिक [illegible] है।

भौगोलिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर जनपद को दो उप सम्भागों में [illegible] किया गया है। उप सम्भाग प्रथम में अलकनन्दा [illegible] क्षेत्र जोशीमठ, [illegible], उरगम [illegible] [illegible] आते हैं, जो कि [illegible] में [illegible] [illegible] तथा उप सम्भाग में [illegible] क्षेत्र में [illegible] [illegible], पाण्डुकेश्वर, [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] आदि [illegible] जाते [illegible] इन क्षेत्रों में ऊँचाई अधिक होने के कारण तापमान [illegible] रहने से फसलों के पकने में [illegible] [illegible] समय लगता है। उप सम्भाग द्वितीय के अन्तर्गत [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] व नारायणबगड़ आते हैं जो कि खाद्यान्नों की कृषि के लिये उपयुक्त है, [illegible] उप [illegible] उद्यानीकरण क्षेत्र में [illegible] [illegible] के [illegible]) के उत्पादन हेतु उपयुक्त है।

दोनों उप सम्भागों में फसलों का औसत उत्पादन निम्न प्रकार है:-

| फसलें | (प्रति हैक्टेयर [illegible]) | |
| --- | --- | --- |
| | [illegible] | [illegible] |
| [illegible]:- 1:- गेहूँ | 15 | 12 |
| 2:- जौ | — | 6 |
| [illegible]:- | | |
| 1:- [illegible] | 15 | 10 |
| 2:- [illegible]/मंडुवा | — | 6 |

[illegible] वर्ष 1973-74 में खाद्यान्नों का उत्पादन [illegible] 74 हजार मीट्रिक टन तथा खाद्यान्नों की [illegible] [illegible] आवश्यकता [illegible] [illegible]7 हजार मीट्रिक टन [illegible] है। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] और [illegible] [illegible] हजार मीट्रिक टन खाद्यान्नों की पूर्ति [illegible] [illegible] से की जाती है।

~~अधिक उपज देने वाली फसलों का कार्यक्रम इस जनपद में वर्ष 1968-69 से~~ से चलाया गया जो प्रायः सिंचित क्षेत्रफल में ही सिमटा हुआ है। लाखों रुपये व्यय करने के उपरान्त भी अभी तक केवल 3036 हजार हैक्टेयर क्षेत्रफल के लिये सिंचन क्षमता सृजित की जा सकी है। [illegible] के स्तर पर एक हार्डिंग स्फ्रीकर की योजना भी चल रही है।

रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग की गति भी अभी तक बिल्कुल मन्द रही है, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है अधिक उपज देने वाली फसलें केवल सिंचित क्षेत्र तक ही सीमित है और सम्भवतः उर्वरकों का प्रयोग भी इसी क्षेत्र में हो रहा है।

आलू एवं सोयाबीन की योजनायें चतुर्थ योजनाकाल में चलाई गई थी, संतोषपूर्ण ढंग से चली किन्तु विपणन की ठोस व्यवस्था के अभाव में कृषकों को कोई विशेष लाभ अभी तक नहीं पहुँचा। चतुर्थ योजनाकाल में चलाई गई कृषि विकास योजनाओं की कुछ वर्षों की प्रगति इस प्रकार रही है :-

| योजना का नाम | 69-70 | 70-71 | 71-72 | 73-74 | 74-75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:- रासायनिक उर्वरकों का वितरण (तत्वों के रूप में) | | | | | |
| 1:- नेत्रजनिक (मे0टन) | 45 | 61 | 52 | 36 | 37 |
| 2:- फास्फेटिक (,, ) | 27 | 44 | 38 | 78 | 47 |
| 3:- पोटैशिक (,, ) | 18 | 23 | 17 | 15 | 13 |
| 2:- सोयाबीन के सघन विकास की योजना:- | | | | | |
| 1:- क्षेत्रफल का आच्छादन (हैक्टर में) | - | 160 | 165 | 138 | 300 |
| 2:- सोयाबीन प्रदर्शन संख्या | - | 32 | 32 | 36 | 40 |

3:- अधिक उपज देने वाली जातियों की योजना:-

गत कुछ वर्षों में अधिक उपज देने वाले बीजों से आच्छादन की प्रगति निम्न प्रकार रही:-

| क्रम सं0 | फसल | 69-70 | 70-71 | 73-74 | 74-75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:- | गेहूँ | 398 | 323 | 2173 | 2464 |
| 2:- | धान | 459 | 959 | 1670 | 1557 |
| 3:- | मक्का | 138 | 59 | 63 | 129 |
| 4:- | किसानों का प्रशिक्षण संख्या | 500 | 500 | 720 | 750 |

4:- कृषि यंत्र वितरण :-

| यंत्र का नाम | 69-70 | 70-71 | 71-72 | 73-74 | 74-75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:- गार्डन रेक | 112 | 214 | 133 | 115 | 119 |
| 2:- हैण्ड हो | 32 | 94 | 41 | 43 | 9 |
| 3:- उन्नत हलों का वितरण | - | - | 26 | 3 | 12 |

5:- पौध संरक्षण :- चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल के तीन वर्षों एवं 1974-75 में पौध संरक्षण कार्य की प्रगति निम्न प्रकार है :-

| पौध संरक्षण कार्य | इकाई हैक्टेयर में | 70-71 | 71-72 | 73-74 | 74-75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:- बीजों का उपचार | ,, | 5-5 | 5-1 | 5-4 | 5-3 |
| 2:- चूहों का उन्मूलन | ,, | 12-8 | 14-3 | 16-1 | 7-6 |
| 3:- फसल के हानिकारक कीटों का उन्मूलन | | 2-4 | 2-0 | 2-7 | 1-9 |
| 4:- फसल कृषि व रक्षा कार्य | ,, | 2-4 | 2-0 | 5-7 | 3-6 |
| 5:- अकृषित भूमि में खरपतवार नियन्त्रण | | 0-6 | 0-3 | 0-2 | 0-4 |

वर्ष 1973-74 में खाद्यान्नों तथा फसलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन निम्न प्रकार से रहा :-

| फसल का नाम | क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर में | उत्पादन का औसत क्विंटल प्रति हेक्टेयर | कुल उत्पादन हजार मीट्रिक टन में |
|---|---|---|---|
| 1:- धान | 21-1 | 10 | 21-1 |
| 2:- मण्डुवा/कौदा | 25-6 | 6 | 15-4 |
| 3:- दालें | 2-3 | 5 | 1-15 |
| 4:- मक्का | 0-7 | 6 | 0-4 |
| 5:- गेहूँ | 25-6 | 12 | 30-7 |
| 6:- जौ | 7-3 | 6 | 4-38 |
| 7:- अन्य (सावाँ आदि) | 2-37 | 4 | 0-95 |
| 8:- तिलहन | 0-12 | 5 | 0-06 |
| जनपद का कुल खाद्यान्न उत्पादन | | | 74-19 |

पिछले पंचवर्षीय योजना के अन्तिम समय तक के लक्ष्यों की पूर्ण रूप से पूर्ति नहीं हो सकी। इसका मुख्य कारण निम्न प्रकार से है :-

1:- चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल के अन्तिम समय तक इस जनपद में तकनीकी कर्मचारियों की मांग के अनुसार पूर्ति नहीं हो सकी थी। तकनीकी अधिकारियों की कमी के कारण कृषि कार्यक्रम ठीक प्रकार से नहीं चलाये जा सके।

2:- यह जनपद रेलहेड से कम से कम 215 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खाद बीज निकटतम रेलहेड से प्राप्त किया जाता है। इस जनपद में कोई विपणन साधन उपलब्ध न होने के कारण समय से उर्वरकों एवं बीजों की पूर्ति नहीं की जा सकी जो कि कुछ हद तक योजना के सफल होने में बाधक सिद्ध हुई।

3:- जनपद में सभी [illegible] [illegible] कच्चे मकानों में स्थित है जिसके कारण ठीक प्रकार से उपयुक्त [illegible] के [illegible] का भण्डारण करने में कठिनाई रही ।

4:- इस मण्डल की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार परीक्षण हेतु कोई भी प्रदर्शन एवं संस्थान उपलब्ध नहीं है । जिससे कि इस जनपद हेतु उपयुक्त [illegible] के परीक्षण के अभाव में जलवायु के अनुसार [illegible] का चयन नहीं किया जा सकता है जिसके कारण योजना के कार्यान्वयन में कठिनाइयाँ रही हैं ।

5:- इस जनपद में कोई भी कृषि [illegible] प्रशिक्षण केन्द्र उपलब्ध नहीं है । [illegible] सुव्यवस्थित स्थित [illegible] प्रकार [illegible] केन्द्र [illegible] जनपद के दूरस्थ भागों में कृषि परीक्षण [illegible] [illegible] किया जाना सम्भव नहीं था क्योंकि जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत अधिक है जिसके कारण कठिनाई रही ।

6:- सिंचाई के साधन जनपद में बहुत ही सीमित है । जिसके कारण सिंचित क्षेत्र तक ही अधिक उपज वाले बीजों का [illegible] इन क्षेत्रों में ही सिमटा [illegible] ।

7:- इस जनपद के बीजों की पूर्ति प्रायः मैदानी भाग के बीजों से ही की जाती है जिसके कारण उत्तम बीज यहाँ की जलवायु के अनुकूल उपयुक्त नहीं हो पाते हैं । इसकी पूर्ति हेतु प्रत्येक तहसील में एक बीज [illegible] प्रक्षेत्र की स्थापना प्रस्तावित की गई है ।

*दीर्घकालीन योजना*

जनपद की जनसंख्या की वृद्धि दर यही रही तो इस योजना के अन्त तक (1974-79) 3-23 लाख तथा 1983-89 तक 3-71 लाख हो जाने का अनुमान है । इतनी [illegible] जनसंख्या की खाद्य पूर्ति हेतु लगभग 9.4 हजार मीट्रिक टन खाद्यान्नों की आवश्यकता पड़ेगी जो कि इस समय की पूर्ति से लगभग 20 हजार मीट्रिक टन अधिक है, इसकी पूर्ति हेतु क्षेत्रीय विकास योजना (एरिया डेवलपमेंट स्कीम) [illegible] व [illegible] घाटी के विकास के लिये [illegible] कार्यान्वित किया जाना होगा तथा खाद्यान्नों में आत्म निर्भरता के साथ साथ कृषकों के पास बचत भी हो सकेगी [illegible] जिसके [illegible] से कृषकों की आर्थिक दशा में सुधार हो सकेगा । आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु बहुधन्धी कार्यक्रम, क्षेत्रीय कार्यक्रम व कृषि व्यावसायिक उद्योग [illegible] [illegible] [illegible] प्रस्तावित की गई है।

*पंचम पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण और नीति*

जनसंख्या में वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार पंचम पंचवर्षीय योजना (74-79) तक जिले की आबादी लगभग 3-23 लाख हो जाने का अनुमान है [illegible] ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन खाद्यान्नों की आवश्यकता के अनुसार जिले की खाद्यान्नों की कुल आवश्यकता लगभग 32600 मीट्रिक टन होगी, इसमें 15% [illegible] भण्डारण [illegible] तथा बीज की आवश्यकता आदि को भी जोड़ा गया है । पंचम पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण जिले को खाद्यान्नों की आवश्यकता में आत्म निर्भरता प्राप्त करना है । अतः [illegible] वर्ष में खाद्यान्नों का उत्पादन 74 हजार मीट्रिक टन से बढ़ा कर 90 हजार मीट्रिक टन कर देने का लक्ष्य है ।

भोजन में प्रोटीन की [illegible] की कमी बनी हुई है। इस अभाव की पूर्ति के लिये जिले में दलहन विकास कार्यक्रम [illegible] दाल वाली फसलों का क्षेत्रफल बढ़ाया जायेगा इसके अतिरिक्त कृषकों में उन्नत [illegible] का आच्छादन एवं अन्य उन्नत कृषि [illegible] तथा अपनाई जाने का लक्ष्य रखा गया है। तिलहन वाली फसलों का क्षेत्रफल बढ़ा कर उन्नतिशील विधियां अपना कर तिलहन का उत्पादन बढ़ाया जायेगा।

जनपद में पंचम पंचवर्षीय [illegible] योजना काल में सोयाबीन की खेती करने का लक्ष्य 1500 हैक्टर रखा गया है। [illegible] फसलों के रूप में सूरजमुखी की खेती का कार्यक्रम भी प्रयोग में लाया जायेगा।

पंचम पंचवर्षीय योजनाकाल में कुछ विशिष्ट [illegible] कार्यक्रम जैसे [illegible] तम्बाकू शहद [illegible] उत्पादन का कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। पंचम पंचवर्षीय योजना काल में छोटे छोटे उन्नत कृषि यंत्र जैसे [illegible] [illegible] थ्रेशर कल्टीवेटर तथा बुआई के यंत्र वितरित किये जायेंगे जिससे [illegible] में वृद्धि होगी।

उप सम्भाग प्रथम में [illegible] खेती व्यापक कृषि के लिये आर्थिक दृष्टि से अधिक उपयोगी नहीं प्रतीत होती है इस कारण इन क्षेत्रों में उद्यानीकरण को बढ़ावा दिया जायेगा। अतः योजना की अवधि में लगभग 2 हजार हैक्टर क्षेत्रफल कृषि के लिये कम हो जायेगा।

अधिक उत्पादन देने वाली फसलें धान, मक्का, गेहूं के क्षेत्र में वृद्धि तथा मध्यम उपज वाली फसलें जौ, रामदाना के क्षेत्र को लगभग एक ही स्तर पर रखते हुये तथा कम उपज देने वाली फसलें जैसे मण्डुवा, झंगोरा के क्षेत्र में कमी कर खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना है। पंचम पंच वर्षीय योजना में निम्न लिखित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं:-

1:- **आलू उत्पादन :-** उप सम्भाग प्रथम में आलू की [illegible] बहुत अच्छी होती है और यह भी उस समय जब मैदानी भागों में आलू [illegible] हो जाती है, आलू [illegible] आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ मैदानी इलाकों में बीज [illegible] [illegible] पूर्ति कर उत्तम कीमत प्राप्त करने के उद्देश्य से इसके क्षेत्र में वृद्धि [illegible] है। [illegible] 1973-74 का उत्पादन जो लगभग 22500 मीट्रिक टन था को बढ़ा कर [illegible] मीट्रिक टन हो जाने का अनुमान है क्योंकि उन्नतिशील बीजों के प्रयोग से प्रति हैक्टर उत्पादन में भी वृद्धि होगी।

2:- **सोयाबीन विकास :-** जनपद के कृषकों को सोयाबीन की उन्नतिशील ढंग से खेती करने के तरीकों को समझाने और [illegible] [illegible] करने की दृष्टि से प्रत्येक गांव में सोयाबीन प्रदर्शन किया जायेगा। वर्ष 1974-75 में 40 प्रदर्शन किये गये हैं।

3:- **सूरजमुखी:-** यह एक तिलहन की [illegible] प्रमुख फसल है, जिसमें तेल की मात्रा लगभग 42-46 प्रतिशत तक होती है जो कि अन्य तिलहन फसलों से काफी अधिक है। इसका तेल पकवान बनाने आदि कार्यों में [illegible] प्रयोग आता है और [illegible] व दिल के रोगों के लिये एक औषधि का कार्य भी करता है। प्रसार हेतु इसके बीजों के मूल्य पर 75% अनुदान का प्राविधान किया गया है।

4:- चुकन्दर की खेती :- चुकन्दर के बीज के उत्पादन के लिये 5000 फीट की ऊँचाई वाले क्षेत्र बहुत ही उपयोगी सिध्द हुये है और आगे प्रदेश के मैदानी भागों में चुकन्दर की खेती बड़े पैमाने पर होने जा रही है । इसी बात को ध्यान में रखते हुये जिले में पंचम पंचवर्षीय योजना काल में चुकन्दर की खेती के विषय में किसानों का परिचित कराये जाने का प्रस्ताव है । इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष 90 प्रदर्शन आयोजित किये जायेंगे । अब तक इस जनपद में चुकन्दर की खेती नही के बराबर रही है और पांचवी योजना काल में लगभग 50 हैक्टियर और अतिरिक्त क्षेत्र में चुकन्दर की खेती किये जाने का प्रस्ताव है ।

5:- चाय की खेती :- ग्वालदम तलवाड़ी तथा गैरसैंण के कुछ क्षेत्रों में अब भी चाय के पुराने उजड़े हुये बाग झाड़ियों के रूप में देखे जा रहे हैं । चाय की घरेलू खपत दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है और भय है कि कहीं इसी चाय के निर्यात द्वारा अर्जित किये जाने वाली मुद्रा से वंचित न रहना पड़े । इसी को दृष्टि में रखते हुये जनपद में उजड़े पुराने चाय बागानों के जीर्णोध्दार तथा नये उपयुक्त क्षेत्रों को चाय के अन्तर्गत लाने की योजना बनाई गई है । पंचम पंच वर्षीय योजना काल में लगभग 500 है0 क्षेत्रफल में चाय की खेती करने का प्रस्ताव रखा गया है । चाय की खेती के लिये नया क्षेत्र वन पंचायत से प्राप्त किया जायेगा ।

6- तम्बाकू विकास योजना :- जिले में तम्बाकू का वर्तमान क्षेत्रफल 260 हैक्टियर है। इस क्षेत्रफल से तम्बाकू की अधिक उपज देने वाली प्रजातियों से आच्छादित किया जायेगा । यद्यपि तम्बाकू की खेती जिले में ज्यादा पैमाने पर नही की जाती रही परन्तु दोनों उप सम्भागों में तम्बाकू उत्पादन की प्रयाप्त क्षमता है । इस उद्देश्य से पांचवी योजना काल में तम्बाकू विकास कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा गया है ।

7-जड़ी बूटी उत्पादन कार्यक्रम :- औषधियों के उत्पादन की दृष्टि से हिमालय का यह खण्ड पहिले से ही प्रसिध्द रहा है । जड़ी बूटी उत्पादन कार्यक्रम को कृषकों के लिये आर्थिक एवं आकर्षित बनाने के लिये जड़ी बूटी उत्पादन की एक योजना बनाई गई है जिसमें कृषिकों को अपनी आय का एक श्रोत प्रदान किया जायेगा । इसमें प्रत्येक विकास क्षेत्र में दो से पांच एकड़ जड़ी बूटी उत्पादन के प्रक्षेत्र स्थापित कराये जाने का प्राविधान है । जहाँ विभिन्न जड़ी बूटियों के पेड़ पौधे पैदा किये जायेंगे और इन्हे किसानों में वितरित किया जायेगा ऐसी बहुत सी भूमि उन क्षेत्रों में उपलब्ध है जहाँ कोई फसल नही ली जाती इसका भी उपयोग इस योजना में जड़ी बूटी उत्पादन के साथ किया जायेगा । सहकारी समितियों द्वारा इन जड़ी बूटियों के संग्रहण एवं विपणन किये जाने का कार्यक्रम है । जिससे कि किसान के लिये उत्पादन के साथ विपणन और इस प्रकार की दूसरी कठिनाईयाँ बाधक न बने । ऐसा अनुमान है कि पंचम पंच वर्षीय योजना में लगभग 100 हैक्टियरनेक्षेत्र रूप से जड़ी बूटी [illegible]

8- मौन पालन योजना :- किसानों के अधिक विकास को ध्यान में रखते हुये ऐसे कार्यक्रमों को चलाये जाने का प्रस्ताव रखा गया है जिसमे किसानों को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके और ग्रामीण जन जीवन का स्तर ऊँचा हो सके । मधुमक्खी पाल कर शहद तैयार करने की योजना से न केवल औषधि/पौष्टिक तत्व भी उपलब्ध होगा अपितु उत्पादकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा । इसके अतिरिक्त ऐसा भी अनुमान है कि यदि शहद से मौन पालक को 1000 रुपये का लाभ होता है तो उस क्षेत्र की उन फसलों को जिसमे मौन पालन किया जाता है, से कृषक को 1000 रुपये पैदावार में बढ़ोतरी हो जाती है । प्रत्येक विकास क्षेत्र में पंचम पंचवर्षीय योजना काल के दौरान मधु मक्खी पालने की एक एक इकाईयाँ स्थापित की जायेगी जिसके अन्तर्गत ग्राम स्तर पर अन्य छोटी छोटी इकाईयाँ भी शहद उत्पादन के लिये स्थापित की जायेगी । मौन पालन योजना के अन्तर्गत पाँचवी योजना काल में अनुदान एवं अन्य सम्बन्धित परिव्यय के लिये 50000 रुपये का प्राविधान किया गया है ।

9- फल सर्वेक्षण योजना :- पर्वतीय क्षेत्रों में फलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल तथा उसके उत्पादन का अध्ययन एवं कृषि उत्पादन के अनुमान हेतु सर्वेक्षण की योजना पंचम पंचवर्षीय योजना के चलाये जाने का प्राविधान किया गया है । पर्वतीय क्षेत्रों का विकास कृषि के त्वरित विकास पर आधारित है । त्वरित विकास के विषय जानकारी सांख्यिकीय आँकड़ों से उपलब्ध हो सकती है परन्तु ये सांख्यिकीय आँकड़े अभी समुचित रूप से उपलब्ध नही है । अतएव योजना आयोग ने इस समस्या पर गम्भीर रूप से विचार किया और यह निश्चय किया कि प्रदेश के पहाड़ी भागों में जिन फसलों पर कृषि विभाग द्वारा क्राप कटिंग प्रयोग किये जा रहे है, उनके अतिरिक्त अन्य फसलों पर भी क्राप कटिंग प्रयोग किये जाये । साथ ही साथ पर्वतीय-क्षेत्रों में फलों की खेती के विस्तार का अध्ययन करने तथा उत्पादन का अनुमान लगाने हेतु सर्वेक्षण किये जाये । इस परियोजना के अन्तर्गत पंचम योजना काल में 3 लाख रुपये खर्च किये जाने का प्रस्ताव रखा गया है ।

10:- कृषि सांख्यिकीय सुधार की योजना :- प्रदेश की पर्वतीय जिलों में मैदानी भागों के विपरीत भूमि उपयोगिता तथा मुख्य फसलों के क्षेत्रफल के विभागीय आँकड़े अभी उपलब्ध नही है क्योंकि यहाँ पर नियमित पड़ताल की अब तक कोई व्यवस्था नहीं थी । अतः इन क्षेत्रों के लिये अनुमानित आँकड़े ही प्रयोग किये जा रहे है । पर्वतीय क्षेत्रों के समुचित विकास के लिये इन आँकड़ों की आवश्यकता निरन्तर महसूस किये जा रहे है । जमींदारी उन्मूलन के पश्चात इन क्षेत्रों में भी मैदानी भागों की तरह पड़ताल किया जाने का प्रयास किया गया परन्तु पर्वतीय क्षेत्रों की विशेष परिस्थिति में पड़ताल का कार्य सुचारु रूप से सम्पादित नही कराया जा सका । पड़ताल कार्य के महत्व एवं क्षेत्र, कार्य की कठिनाईयों को ध्यान में रखकर राजस्व परिषद ने निर्णय लिया है कि सन् 1973-74 से प्रत्येक गाँव में पड़ताल न करा कर प्रत्येक पटवारी हल्कों के रैण्डम विधि से चुने गये 1/5 गाँव में पड़ताल करा कराई जाय ताकि पाँचों वर्षों की अवधि में प्रत्येक हल्कों के सम्पूर्ण गाँवो में पड़ताल समाप्त हो जाय । यह पड़ताल प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी से 15 जून तक की अवधि में होगी जिसके

Institute of Educational Planning ... LIBRARY

अन्तर्गत रबी एवं जायद की फसलों की पड़ताल मौके पर वास्तविक रूप में की जावेगी प्रत्येक खरीफ-फसलों की किसानों से पूछ ताछ करके खरीफ तथा रबी की मुख्य फसलों के क्षेत्रफल के अग्रिम अनुमानों के लिये प्रति वर्ष के रोस्टर में से प्रत्येक पटवारी के एक गाँव की पड़ताल सबसे पहिले कराई जावेगी तथा इन गाँवों में वास्तविक पड़ताल खरीफ ऋतु में ही होगी। इस कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये सम्बन्धित प्रत्येक जिले में नैनीताल तथा देहरादून को छोड़कर एक सौ सांख्यकीय निरीक्षक जिला अधिकारियों के अधीन रह कर पड़ताल कार्य को निर्धारित समय पर सही कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे जिसके परिणाम मुख्यालय को समय समय पर उपलब्ध हो सके। सांख्यकीय निरीक्षकों के के कार्य को समन्वित करने के लिये एक सांख्यिकीय अधिकारी का भी इस योजना में प्राविधान किया गया है। इस कार्यक्रम के लिये पांचवी योजना में 50000 रुपये का परिव्यय निर्धारित है।

11:- कृषि उत्पादन के भण्डारण क्षय को कम करने की योजना :- यह जनपद कृषि के दृष्टिकोण से काफी पिछड़ा हुआ है और यहाँ जो पैदावार होती है उचित भण्डारण के अभाव में क्षतिग्रस्त होती रहती है। इस क्षय को रोकने के लिये जनपद में भण्डारण सम्बन्धी इकाई स्थापित करने की योजना प्रस्तावित की गई है जिसके अंतर्गत इस पंच वर्षीय योजना में 60 कृषकों को बखारी (स्टोरबिन्स) ऋण पर वितरित करने का प्रस्ताव है इसमें लगभग 12000 रुपये खर्च होने का अनुमान है।

12:- सिंचाई साधनों में वृद्धि करण :- पांचवी पंच वर्षीय योजना में राजकीय साधनों से 620 हेक्टियर तथा अन्य सिंचाई कार्यों से 847 हेक्टियर सिंचन क्षमता में वृद्धि की जावेगी। जिसका विस्तृत विवरण सिंचाई परिच्छेद में दिया गया है।

13:- अधिक उपज देने वाली प्रजातियों की बोआई :-

| क्र0 सं0 | फसल का नाम | | 75-76 का लक्ष्य | पांचवी योजना का लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1:- | संकुलित धान | (हजार हेक्टियर में) | 1-94 | 8-10 |
| 2:- | मैक्सिकन गेहूँ | ,, ,, | ~~3~~ 4-39 | 4-95 |
| 3:- | संकर एवं कम्पोजिट मक्का | ,, ,, | 0-25 | 0-30 |

उपरोक्त फसलों की अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियों की बोआई कर भरपूर सिंचाई, समुचित मात्रा में उर्वरक, कीट एवं व्याधि उपचार कृषि यंत्रों का उपयोग आदि समस्त सघन कृषि विधियाँ अपना कर उपज में वृद्धि करने का प्राविधान किया गया है।

14:- उन्नत बीज वितरण :- पंचम पंच वर्षीय योजनाकाल में धान और गेहूँ के पूरे क्षेत्र को उन्नति जाति के बीजों से आच्छादित किये जाने का लक्ष्य रक्खा गया है। जितनी भूमि में सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध होगी उतने सघन कृषि पद्धतियाँ अपनाये जाने का प्रस्ताव है। उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा रोग व्याधियों से बचाव हेतु कृषि रक्षा को अपनाया जावेगा उन्नत बीजों की समय से पूर्ति विभिन्न फार्मों के पंजीकृत बीजों से की जावेगी। उन्नत बीजों के अधिक मांग की पूर्ति के लिये बीज योजना तैयार की गई है और उसके अंतर्गत प्रत्येक विकास क्षेत्र में उन्नत एवं प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण की योजना

बनाई जावेगी । पंचम योजना काल के अन्त तक सम्पूर्ण क्षेत्र उन्नतशील एवं एक्जोटिक बीजों से आच्छादित करने का प्रस्ताव रखा गया है । पाँचवी योजना में वर्ष 75-76 में 202 क्वींटल ऐक्जोटिक किस्मों के बीज का वितरण किया जावेगा और योजना के अन्तिम वर्ष तक 700 क्वींटल करने का प्रस्ताव है ।

15:- रासायनिक उर्वरक वितरण :- जितनी भूमि में सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध होगी उनमें सघन कृषि पद्धति की पूरी विधियाँ जैसे रासायनिक उर्वरकों का समुचित प्रयोग, तथा रोग व्याधि से बचाव हेतु कृषि रक्षा उपाय अपनाये जावेंगे और असिंचित भूमि में रासायनिक उर्वरकों का आर्थिक उपयोग (इकोनोमिकल यूज आफ फर्टिलाईजर) किया जावेगा । चौथी पंच वर्षीय योजना काल में रासायनिक उर्वरकों के ढुलान पर बीज भण्डार से बिक्री केन्द्रो तक शत प्रतिशत राजकीय सहायता का प्राविधान किया गया था पाँचवी योजना में भी यह सहायता जारी रखने का प्राविधान है । उर्वरको के परिवहन व्यय पर राज सहायता हेतु पांचवी योजना में । लाख रुपया परिव्यय निर्धारित है ।

अभी तक उर्वरकों के संग्रहण की व्यवस्था किराये के भवनो में की गई है । यद्यपि ग्राम सेवक मुख्यालय तक ढुलान व्यय पर शत प्रतिशत राजकीय सहायता है किन्तु यहा पर उर्वरकों के संग्रहण की कोई व्यवस्था नही है । पंच वर्षीय योजना में ग्राम सेवक मुख्यालय पर या उनके क्षेत्रान्तर्गत बिक्री केन्द्र बनाये जाने का प्रस्ताव है ।

बफर गोदाम तथा जो बीज भण्डार किराये के भवनों पर स्थित है, प्रत्येक विकास क्षेत्र में इन भण्डारों पर भवन निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है, जहाँ उर्वरकों का संग्रहण किया जा सके, जिसका विवरण निम्न प्रकार सारणीबद्ध है :-

| विवरण | स्थान | क्षमता :- |
| --- | --- | --- |
| 1:- बफर गोदाम - 1 | गोचर | 100 मैट्रिक टन |
| 2:- बीज भण्डार- 9 | प्रत्येक विकास खण्ड मुख्यालय पर | 100 ,, ,, |
| 3:- बिक्री केन्द्र -90 | प्रत्येक ग्राम सेवक मुख्यालय पर | 10 मैट्रिक टन |

वार्षिक योजना वर्ष 1975-76 में 286 मैट्रिक टन नेत्रजन, 220 मैट्रिक टन फास्फेटिक तथा 140 मैट्रिक टन पोटेसिक उर्वरक वितरण का लक्ष्य है ।

ऐसे क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई के साधन नही है वहाँ शुष्क खेती का कार्यक्रम अपनाया जावेगा, जिसमें भूमि व्यवस्था एवं फसल व्यवस्था की विधियाँ अपनाई जावेगी ।

16:- द्विफसलीय कार्यक्रम :- खरीफ में जनपद की कुल बुवित भूमि में एक फसल ली जाती है । कृषि उप सम्भाग के अत्यधिक ऊँचे स्थानों पर खरीफ में रबी फसल के अनाज जैसे गेहूँ जौ आदि की खेती होती है और रबी में ये स्थान हिमाच्छादित रहते है । वर्ष 1973-74 व 1974-75 में क्रमशः 35-3 व 37-1 हजार हैक्टियर क्षेत्रफल द्विफसली कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया । वर्ष 75-76 में 39-3 और पाँचवी योजना में 44-1 हजार हैक्टियर क्षेत्रफल में एक बार से अधिक उत्पादन करने का लक्ष्य है ।

17-कृषि उपकरणः-कृषि यंत्र वितरण करने के लक्ष्य निम्न प्रकार से रखे गये हैः-

| यंत्र का नाम | 75-76का लक्ष्य | पाँचवी योजना का लक्ष्य |
|---|---|---|
| 1:- उन्नत हल | 25 | 150 |
| 2:- हैण्ड हो | 200 | 1000 |
| 3:- कल्टीवेटर | [illegible] | 50 |
| 4:-सीड ड्रिल | 5 | 40 |
| 5:- स्प्रेयर | 5 | 50 |

18:- पौध संरक्षण:- पंचम पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजना 75-76 के लिये पौ सुरक्षा का लक्ष्य 43 हजार हेक्टेयर निर्धारित किया गया है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये वर्तमान समय में कार्यरत कृषि रक्षा इकाई का सुदृढ़ीकरण किया जाना है जिसमें सभी विकास क्षेत्रों में कम से कम एक कनिष्ट कृषि रक्षा सहायक, दो कृषि रक्षा पर्यवेक्षक तथा 10-10 क्षेत्रप्रचारक रखे जाने हैं। कृषि रक्षा औषधियों के मिलने पर 50% अनुदान तथा महामारी निरोध पर 100% राजसहायता प्रस्तावित की गई है।

19:- कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना:- जिले की भौगोलिक परिस्थितयों एवं जलवायु के अनुसा विभिन्न फसलों में किस्मों के अनुरूप उवरकों की मांग बुआई का समय आदिनिर्धारित करने के लिये आधार भूत आँकड़े एकत्रित करने और नियमित संस्तुति देने की दृष्टि से एक अनुसंधान केन्द्र की स्था की जावेगी। इस केन्द्र पर प्रत्येक उप सम्भाग की मिट्टी का प्र परीक्षण कार्य भी किया जावेगा।

20:- जीवाणु एवं कम्पोस्ट खाद का कार्यक्रम :- क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों की कमी को देखते हुऐ भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद में जीवाणु एवं कम्पोस्ट खाद बनाने का प्राविधान किया गया है। वर्ष 1975-76 में [illegible] 587 हजार मैट्रिक टन कम्पोस्ट खाद बनाने का लक्ष्य है, जिसे पाँचवी योजना के अंत तक बढ़ा कर 621 हजार मैट्रिक टन तक पहुचाने का प्रयास किया जावेगा।

21:- बीज सम्वर्धन प्रक्षेत्रों की स्थापना:- इस जनपद की जलवायु मैदानी क्षेत्रों की जलवायु से भिन्न होने के कारण जो बीज मैदानी क्षेत्रों से आता है वह उत्पादन में पूर्ण योगदान नही दे पाता है। साथ ही साथ मैदानों से आने पर समय और धन का बहुत अपव्यय होता है। इसे दृष्टिगत करते हुये जनपद में 4 कृषि प्रक्षेत्रों की स्थापना इस पंचम पंचवर्षीय योजना काल में प्रस्तावित की गई है जिसके लिये 10 लाख रु० परिव्यय निर्धारित किया गया है।

22:- बीज विधायन संयंत्र लगाने की योजना :- जनपद में कृषकों को अच्छा बीज उपलब्ध कराने हेतु बीज विधायन संयंत्र लगाने की योजना प्रस्तावित की गई है। इसके लिये पाँचवी योजना में 1 लाख रुपया परिव्यय निर्धारित है।

23:-फलों की विपणन प्रणाली एवं उत्पादन लागत की आगामी परियोजना:-

इस परियोजना के लिये पाँचवी योजना में 1-50 लाख रुपया परिव्यय निर्धारित है।

24:- गोबर गैस प्लान्ट योजना :- पंचम पंच वर्षीय योजना काल में गोबर गैस के-क प्लान्ट को बढ़ावा देने हेतु कम्यूनिटी सैंटरों का चयन किया गया है। यह योजना जनपद के 5 विकास क्षेत्रों में चलाई जावेगी जो निम्न प्रकार प्रस्तावित की गई है।?

1:- विकास क्षेत्र दशोली:- घाट, पीपलकोटी एवं गाड़ी।

2:- विकास क्षेत्र गैरसैंण :- लाटूगैर, कालीमाटी एवं सेरा।

3:- विकास क्षेत्र नारायणबगड़ :- नारायणबगड़, कुलसारी एवं नौली।

4:- विकास क्षेत्र जोशीमठ:- पाखनी, टंगणी, लंगसी, गुलाबकोटी एवं हेलंग।

5:- विकास क्षेत्र उखीमठ:- देवर।

खाद्यान्नों का उत्पादन :- वर्ष 1974-75 में कृषि की दृष्टि से अच्छे मौसम को देखते हुये आशा की जाती है कि खाद्यान्न का उत्पादन लगभग 78 हजार मैट्रिक टन रहा है। वर्ष 1975-76 में 82 हजार मैट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य है जिसे पांचवी योजना के अंत तक 90 हजार मैट्रिक टन तक बढ़ाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना में प्रस्तावित कार्यक्रमों को सम्पन्न करने हेतु वर्ष 1975-76 में 283 हजार और पांचवी योजना में 3568 हजार रुपया राज्य आयोजनागत तथा जनपोषित योगदान से बहुत से कार्यक्रम चलाये जावेंगे इस हेतु वर्ष 75-76 में 70 हजार रुपया संस्थागत तथा 2622 हजार रुपया जनपोषित स्रोत से प्रस्तावित किया गया है। पांचवी योजना में यह परिव्यय क्रमशः 350 हजार और 2960 हजार रुपया प्रस्तावित है। वर्ष 1974-75 में राज्य आयोजनागत स्रोत से 35000 तथा जनपोषित स्रोत से 340 हजार रुपया व्यय किया गया है।

पांचवी योजना की सफलता के लिये जनपद में निम्न लिखित योजना का संचालन किया जाना नितान्त आवश्यक होगा, क्यों कि आजतक जनपद में इन योजनाओं का संचालन नही हो सका है। अतः राज्य सरकार के विचारणार्थ निम्न लिखित सुझाव प्रस्तुत किये जा रहे है :-

1:- जनपद के लिये कृषि अनुसंधान संस्थान का होना नितान्त आवश्यक है जिसमें मिट्टी परिक्षण का कार्य कर कृषि क्षेत्र में अग्रसर हो सके।

2:- जनपद में एक प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र का होना नितान्त आवश्यक है, जिसमें तकनीकी जानकारी, नवीन कृषि प्रणालियों की जानकारी, प्रसार कार्यकर्ताओं को कराई जा सके।

3:- जनपद के लिये क्षेत्रीय विकास योजना अविलम्ब कार्यान्वित होनी आवश्यक है। इससे अधिक उत्पादन देने वाली फसलों से सम्पूर्ण क्षेत्र को आच्छादित किया जावेगा, जिससे पांचवी पंच वर्षीय योजना काल के अंत तक जनपद खाद्यान्नों में कुछ आत्म निर्भर हो सके।

4:- जनपद के लिये उर्वरक, बीज, उपकरण आदि के ढुलान हेतु एक सरकारी गाड़ी का होना नितान्त आवश्यक है। आज तक विभाग के पास ढुलान व्यवस्था हेतु वाहन उपलब्ध नही है।

5:- अभी तक रासायनिक उर्वरकों के ढुलान पर बीज भण्डार से बिक्री केन्द्र (ग्राम सेवक मुख्यालय) तक शतप्रतिशत राज सहायता दी जा रही है। किन्तु जनपद में कितने ही गांव ऐसे है जो ग्राम सेवक मुख्यालय से 10 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर स्थित है। आवागमन के यांत्रिक साधन उपलब्ध न होने के कारण उर्वरकों के गांव तक ढुलान पर किसान को काफी धन लगाना पड़ता है जिससे वह उर्वरक के उपयोग से हिचकता है।

अतः यह आवश्यक है कि राज सहायता कृषक के गाँव तक के ढुलान पर मिलना चाहिये । इस प्रकार की सहायता फल पौधों, बीजों (विशेषकर आलू के बीज) आदि के ढुलान पर भी उपलब्ध कराई जानी चाहिये ।

— o —

## (2) सिंचाई

जनपद के उपसंभाग एक में केवल 3-9% भूमि तथा उपसंभाग दो में 8-1% भूमि में सिंचाई सुविधा प्राप्त है। इस प्रकार अब तक जनपद के 6-4% क्षेत्र को सिंचाई सुविधायें प्राप्त हो चुकी है। वर्तमान सिंचाई प्रणाली में पानी का ह्रास बहुत होता है क्योंकि वर्तमान नहरों के बहुत से भाग कच्चे हैं। वर्षा ऋतु में भूस्खलन एवं भूमि के कटाव के कारण नहरों को क्षति पहुँचती है और उनके रखरखाव पर व्यय भी अधिक होता है। सृजित सिंचाई क्षमता का अभी पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है। वर्ष 1973-74 में राजकीय सिंचाई नहरों द्वारा कुल सिंचाई 614 हेक्टर हुई है जो प्रस्तावित सिंचित क्षमता का 85% है। प्रस्तावित सिंचित क्षमता के पूर्ण उपयोग न होने के मुख्य कारण खेतों का समतल न होना तथा आवश्यकतानुसार फिल्ड गूलों की कमी है। गत वर्षों में कुछ फील्ड गुलियाँ बनाई गई जिनसे सिंचन क्षमता के उपयोग में वृद्धि हुई है। नहरों से सिंचित क्षेत्र में पानी इकट्ठा होने की कोई समस्या नहीं है।

मुख्यतः खरीफ में धान की पौध के लिये और रबी में लम्बी अवधि तक सूखे की स्थिति रहने पर ही सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जनपद के दोनों उपसंभागों में सिंचाई क्षमता की दृष्टि से अधिक उपज देने वाली फसलों का प्रसार होने की सम्भावनायें मुख्यतः घाटी के क्षेत्रों में हैं। नहरों के समादेश क्षेत्र में निजी सिंचाई कार्यों का निर्माण कार्य नहीं हो रहा है।

जनपद का समस्त क्षेत्र पर्वतीय है और भूमिगत जल स्रोत उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे कृषि क्षेत्रों में जिनके समीप वर्तमान नालों में जल उपलब्ध है और अभी तक वहाँ पर राजकीय सिंचाई साधन उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर पर्वतीय नहरें प्रस्तावित की गई है।

जनपद में अलकनन्दा, पिण्डर, रामगंगा एवं मन्दाकिनी नदियों के किनारे कुछ ऐसे भूमि खण्ड है जहाँ नहरों द्वारा सिंचाई करने की सम्भावनायें अब नहीं है तथा जहाँ पर नहरों के लायक जल स्रोत उपलब्ध नहीं हैं ऐसे स्थलों में पम्पींग सेट लगाने की योजना प्रस्तावित की जा सकती है। पंचम पंचवर्षीय योजनाओं में जनपद में दो डाल सिंचाई योजनायें (लिफ्ट सिंचाई योजनायें) बनाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1973-74 तक जनपद में निजी क्षेत्र में सात पम्पिंग सेट कार्यरत हैं। विकास अनुदेशणालय लखनऊ द्वारा गटोरा नामक स्थान पर एक हाईड्रम योजना कार्यान्वित की गई है जिससे 15 हेक्टर सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है जो इस ईकाई पर दो हाइड्रम मशीनों को समानान्तर रूप में जोड़कर एक साथ संचालित करके पानी उठाने तथा उसकी सिंचित क्षमता का अध्ययन करने हेतु पाँचवीं योजना में परीक्षण किये जाने का प्रस्ताव है।

जनपद में भूमिगत जल संसाधन नहीं हैं और न ही उनके संरक्षण का प्रश्न है। कुछ स्थानों में अवरोध बाँध बनाकर वर्षा के पानी को रोकने एवं उसे सिंचाई हेतु उपयोग करने की सम्भावनायें हैं।

जनपद में सिचाई के लिये वर्ष 1973-74 तक 98 किलोमीटर लम्बी 43 राजकीय नहरें बनाई गई हैं। इन नहरों तथा अन्य साधनों के माध्यम से केवल 2-04 हजार हेक्टियर शुद्ध क्षेत्रफल में सिचाई सम्भव हो सकी है । यह कृषि युक्त भूमि का 3-5 % है । जनपद में उपलब्ध जल के उपयोग के सम्बन्ध में पर्याप्त उपलब्धि नहीं हुई है । जबतक कृषि योग्य भूमि में अधिक से अधिक सिचाई की सुविधायें उपलब्ध नही हो जाती तब तक पैदावार में अधिक वृद्धि सम्भव नहीं हो पायेगी ।

विगत पंच वर्षीय योजनाओं में कार्यान्वित की गई राजकीय सिचाई परियोजनाओं का विवरण निम्नलिखित है :-

| क्र0 सं0 | पंचवर्षीय योजना | नहरों की लम्बाई (कि0मी0) | सी0सी0ए0 (हक्टर में) | सिचाई के लिये प्रस्तावित क्षेत्रफल ( हक्टियर में ) रबी | खरीफ | सिचाई के लिये कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे0में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- | प्रथम | 27-800 | 512 | 77 | 154 | 231 |
| 2- | द्वितीय | 50-535 | 734 | 110 | 221 | 331 |
| 3- | तृतीय | 13-[illegible]15 | 2[illegible]3 | 37 | 73 | 110 |
| 4- | चतुर्थ | 5-700 | 8[illegible] | 19 | 33 | 52 |
| | योग :- | 97-[illegible]50 | 1575 | 243 | 481 | 724 |

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक निजी सिचाई साधनों द्वारा जनपद में 745 होजों तथा 304 कि0मी0 लम्बी गूलों का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ जिससे जनपद के 1978 हे0 क्षेत्र को सिचाई सुविधायें प्राप्त हुई ।

इस क्षेत्र में वर्षा एवं बर्फ के कारण योजनाओं के कार्य को पूर्ण करने में काफी रुकावटें आती हैं । निर्माण सामग्री भूमि एवं अधिष्ठान की कमी के कारण योजनाओं को समय पर पूर्ण करने में व्यवधान होता है ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक जनपद के 1575 हैक्टर क्षेत्र को राजकीय सिचाई साधनों एवं 1978 हे0 क्षेत्र को अन्य निजी सिचाई साधनों द्वारा सिचाई सुविधायें प्राप्त हो चुकी हैं । इस प्रकार कुल 3553 हे0 [illegible] सिचाई सुविधाओं से लाभान्वित हो चुका है जो कि कृषि युक्त क्षेत्र का 6-4% है । वर्ष 197[illegible]-75 में राजकीय सिचाई साधनों द्वारा 80 हे0 सिचन क्षमता का सृजन 1-25 कि0मी0 लम्बी पर्वतीय नहर बनाकर किया गया । निजी साधनों से 38 हे0 सिचन क्षमता एक पम्पिंग सेट लगाकर और 6 कि0मी0 गूल तथा 43 होज बनाकर सृजित की गई । इस प्रकार 118 हे0 अतिरिक्त क्षेत्रफल को सिचाई सुविधायें प्रदान की गई सिचाई विभाग के अधिकारियों से विचार विमर्श के बाद राज्य स्तर पर यह अनुमान लगाया गया है कि उपलब्ध सिचन क्षमता में लगभग 5% ह्रास प्रति वर्ष हो

जाता है । इस दृष्टि से 1974-75 के अन्त में जनपद में 3-50 हजार है0 क्षेत्रफल के लिये सिंचाई सुविधायें उपलब्ध रह गई हैं ।

जनपद को अधिक सिंचाई सुविधायें प्रदान करने हेतु पंचम पंच वर्षीय योजना में राजकीय लघु सिंचाई कार्यक्रमों के अन्तर्गत 35-5 कि0मी0 लम्बी नहरें, दो डाल सिंचाई योजनायें तथा 29-6 कि0मी0 लम्बी वर्तमान नहरों का आधुनिकीकरण प्रस्तावित है जिससे 0-82 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचाई सुविधायें उपलब्ध हो सकेगी इसके अतिरिक्त अन्य लघु सिंचाई साधनों द्वारा 847 हे0 क्षेत्र को सिंचाई सुविधायें प्रदान की जायेगी जिसे निजी सिंचाई साधनों के अन्तर्गत जनपद में 30 पम्पिंग सेट लगाकर और 165 कि0मी0 गूल तथा 690 हौज बनाकर प्राप्त किया जायेगा ।

वर्ष 1975-76 में राजकीय सिंचाई योजना के अन्तर्गत 11-75 कि0मी0 पर्वतीय नहरें निर्मित करने का लक्ष्य है जिससे 60 हे0 सिंचन क्षमता सृजित की जा सकेगी । इसके अतिरिक्त निजी लघु सिंचाई साधनों द्वारा इस वर्ष 195 हे0 सिंचन क्षमता 8 पम्पिंग सेट लगाकर 25 कि0मी0 गूल और 160 हौज बनाकर सृजित करने का लक्ष्य है ।

पंचम पंचवर्षीय योजना के लिये प्रस्तावित राजकीय सिंचाई नहरों का विवरण निम्नलिखित है :-

| क्र0 सं0 | नहर का नाम | नहर की लम्बाई (कि0मी0) | सी0सी0ए0 (हे0 में) | सिंचाई के लिये प्रस्तावित क्षेत्र फल (हे0 में) रबी | खरीफ | सिंचाई के लिये प्रस्तावित कुल क्षेत्र (हे0) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1- | सेराकोट | 2-2 | 53-0 | 33-0 | 33-0 | 66-0 |
| 2- | अगथला | 1-6 | 42-0 | 24-0 | 24-0 | 48-0 |
| 3- | नाला | 7-0 | 130-0 | 64-0 | 64-0 | 128-0 |
| 4- | क्वैंजा | 2-4 | 30-0 | 20-0 | 20-0 | 40-0 |
| 5- | गिरसा | 6-0 | 73-0 | 45-0 | 45-0 | 90-0 |
| - | भीरी | 0-9 | 18-0 | 5-0 | 8-0 | 1[illegible]-0 |
| 7- | बड़ुवाबाण | 3-2 | 36-0 | 18-0 | 18-0 | 36-0 |
| 8- | धारगढ़ | 2-2 | 22-0 | 11-0 | 11-0 | 22-0 |
| 9- | हाट | 2-0 | 16-0 | 11-0 | 11-0 | 22-0 |
| 10- | सीमान | 2-1 | 27-0 | 12-0 | 12-0 | 24-0 |
| 11- | रासों | 6-0 | 40-0 | 24-0 | 24-0 | 49-0 |
| योग:- | | 35-6 | 517-00 | 2[illegible]7-6 | 270-6 | 538-0 |

सिचाई योजनायें :-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- | कोठगी | 1-1 | 43 | 21-5 | 21-5 | 43 |
| 2- | तिलवाड़ा | 1-6 | 36 | 18 | 1,8 | 36 |
| योग :- | | 2-7 | 79 | 39-5 | 39-5 | 79 |

वर्तमान नहरों का आधुनिकरण :-

| क्र0 सं0 | नहर का नाम | नहर की लम्बाई (कि0मी0) | वर्तमान सी0सी0ए0 (ह0में) | आधुनिकीकरण के पश्चात प्रस्तावित अतिरिक्त सिचाई (है0 में) | | आधुनिकीकरण पश्चात प्रस्तावित कुल अतिरिक्त सिचाई (है0 में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | रवी | खरीफ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1- | अगस्तमुनी | 4-6 | 53 | 3 | 2 | 5 |
| 2- | चौरासी | 1-6 | 13 | 2 | 2 | 4 |
| 3- | कोट | 3-2 | 32 | 1 | 1 | 2 |
| 4- | भटवाड़ीनागर | 3-4 | 43 | 4 | 4 | 8 |
| 5- | सिरली | 7-2 | 93 | 2 | 2 | 4 |
| 6- | लाल्टी | 4-2 | 100 | 2 | 4 | 6 |
| 7- | रौंग | 5-4 | 89 | 2 | 2 | 4 |
| योग:- | | ~~7क5~~ 29-6 | 423 | 16 | 17 | 33 |

~~नोट~~ उपरोक्त तालिका दर्शित योजनाओं में गूढ़ सर्वेक्षण के पश्चात यदि कोई योजना तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं पाई जाती है तव निम्नलिखित तालिका में दर्शित योजनाओं मे से प्राथमिकता के आधार पर उक्त योजना की पूर्ति की दी जायेगी।

| क्र0 सं0 | नहर का नाम | नहर की लम्बाई (कि0मी0) | सी0सी0ए0 (है0 में) | सिचाई के लिये प्रस्तावित क्षेत्र (है0 में) | | सिचाई के लिये प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | रवी | खरीफ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1- | [illegible] | 2-0 | 22 | 11 | 11 | 22 |
| 2- | डुंग्री | 1-9 | 33 | 12-0 | 12-0 | 24-0 |
| 3- | [illegible]लकोट | 1-5 | 13 | [illegible]-0 | 6-0 | 12 |
| 4- | क्यारा | 2-5 | 20 | 12 | 12 | 24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5- | धामदेव | 2-1 | 16 | 10-0 | 10-0 | 20-0 |
| 6- | पलासी | 2-0 | 10 | 6 | 6 | 12 |
| 7- | खरीदाई विस्तार | 1-2 | 40 | 20 | 20 | 40 |
| 8- | उक्कु | 4-0 | 50 | 18 | 18 | 36 |
| 9- | पलदवाडी | 8-0 | 110 | 41 | 41 | 82 |
| 10- | असेर | 4-5 | 60 | 30 | 30 | 60 |
| 11- | तैलोर | 5-0 | 80 | 40 | 40 | 80 |
| 12- | ढाक | 3-0 | 40 | 15 | 15 | 30 |
| 13- | फलदिया | 4-0 | 60 | 30 | 30 | [illegible] |
| 14- | त्रिकोट | 1-0 | 16 | 8-0 | 8-0 | 16-0 |
| 15- | नलगाँव | 1-5 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 1 - | राजबटी | 3-0 | 14 | 7 | 7 | 14 |
| 17- | रैठाना | 3-5 | 40 | 20 | 20 | 40 |
| 18- | मण्डल विस्तार | 4-0 | 50 | 25 | 25 | 50 |
| 19- | सोरंगवाड | 5-0 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 20- | धराली | 2-0 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 21- | काण्डई | 3-0 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 22- | वजकोट | 2-4 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 23- | ग्वाड | 3-0 | 30 | 15 | 15 | 30 |
| 24- | सौड | 3-0 | 24 | 12 | 12 | 24 |
| 25- | कंडारी ग्वाड | 2-6 | 32 | 16 | 16 | 32 |
| 26- | रसोली | 1-0 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| 27- | सलना | 1-0 | 14 | 6 | 7 | 14 |
| 28- | रडूवा | 1-2 | 40 | 20 | 20 | [illegible] |
| योग :- | | 78-9 | 926 | 437-0 | 437-0 | 874-0 |

हाल लिफ्ट सिंचाई योजनायें

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- | कुनाऊ | 1-5 | 31 | 15-5 | 15-5 | 31 |
| 2- | गौनला | 1-25 | 23 | 11-5 | 11-5 | 23 |
| 3- | सिकणी | 0-90 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 4- | रैठाना | 1-20 | 18 | 9 | 9 | 18 |
| 5- | रियाँडू | 1-20 | 17 | 8-5 | 8-5 | 17 |
| 6- | क्षिनका | 1-20 | 16 | 8-0 | 8-0 | 16 |
| 7- | हिम्वर बाँगड़ी | 1-0 | 15 | 7-5 | 7-5 | 15 |

8===

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8- | जिलाई | 1-0 | 14 | 7 | 7 | 14 |
| 9- | हररानी | 0-30 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| योग :- | | 9-55 | 166 | 83-0 | 83-0 | 166 |

वर्तमान नहरों का आधुनिकीकरण

| क्र0 सं0 | नहरों का नाम | नहरों की लम्बाई (कि0मी0) | वर्तमान सी0सी0ए0 (है0मे0) | आधुनिकीकरण के पश्चात वर्तमान के अतिरिक्त प्रस्तावित क्षे0 (है0मे0) | | आधुनिकीकरण के पश्चात प्रस्तावित कुल अतिरिक्त क्षे0 है0मे0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | रबी | खरीफ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1- | डमार | 4-2 | 42 | 6 | 5 | 11 |
| 2- | पनई | 1-8 | 81 | 4 | | 4 |
| 3- | खारी दाई | 4-6 | 22 | 4 | 2 | 6 |
| योगः- | | 10-6 | 145 | 14 | 7 | 21 |

पंचम पंचवर्षीय योजना के लिये प्रस्तावित प्राविधानों को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि यहाँ पर सिचाई विभाग का एक खण्ड निरन्तर कार्य करता रहेगा ।

योजनाये जिनका लाभ एवं लागत का अनुपात एक से अधिक हो जो क्षेत्र से पर्याप्त मात्रा में पानी मिलने की सम्भावना हो तथा कास्तकार सिचाई हेतु भी उत्सुक हों ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है ।

प्रस्तावित राजकीय लघु सिचाई योजनाओं के लिये आठवीं योजना में 112 लाख रुपये और वर्ष 1975-76 में 11-40 लाख रुपये परिव्यय निर्धारित है । वर्ष 1974-75 में 9-20 लाख रुपये परिव्यय के विपरीत 2-02 लाख रुपये व्यय किया गया है । निजी लघु सिचाई योजनाओं के लिये पंचम पंच वर्षीय योजना में 12-10 लाख रुपये और वर्ष 1975-76 में 2-0 लाख रुपये परिव्यय प्रस्तावित किया गया है । वर्ष 1974-75 में 3-90 लाख रुपये निर्धारित परिव्यय के विपरीत 3-41 लाख रुपये व्यय किया गया है । जिले के कृषकों की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण सिचाई साधनों का निर्माण राजकीय क्षेत्रों पर ही आधारित है। विकास अनवेशणालय लखनऊ द्वारा लगाये गये हाइड्रम के संचालन हेतु पाँचवीं योजना में 87 हजार रुपया और वर्ष 1975-76 में 17 हजार रुपया परिव्यय प्रस्तावित है ।

राजकीय सिंचाई योजनाओं का निर्माण सिंचाई विभाग के मानकों के अनुसार ठेकेदारों द्वारा कराया जायेगा । पांचवीं योजना में प्रस्तावित कार्यों को पूर्ण करने हेतु लगभग 6 हजार टन सीमेन्ट एवं 55 टन लोहे की आवश्यकता होगी ।

पंचम पंचवर्षीय योजना को पूर्ण करने हेतु 70 हजार व्यक्ति दिन कुशल एवं 3 लाख व्यक्ति दिन अन्य श्रमिकों की आवश्यकता होगी । इस प्रकार स्थानीय व्यक्तियों को जीविका कमाने का एक साधन उपलब्ध हो सकेगा ।

भवनों की कमी, आवागमन की कठिनाई, आवश्यक वस्तुओं का अभाव रेलमार्ग से दूरी तथा यहाँ की जलवायु के कारण, कार्य सम्पादन विशेषतः क्षेत्रीय कार्य में अत्यधिक कठिनाई होती है । जिसके कारण क्षेत्रीय कर्मचारी यहाँ आने से कतराते हैं । इस [illegible] में सहायक अभियन्ताओं को तथा अवर अभियन्ताओं की बहुत कमी है । कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिये भवनों का निर्माण तथा कर्मचारियों को प्रोत्साहन के लिये विशेष वेतन अथवा पुरस्कार देने का सुझाव है ।

==== 0000 =======

## * (3) भूमि संरक्षण *

देश को खाद्यान्न के मामले में आत्म निर्भर बनाने के लिये यह बहुत ही आवश्यक है कि खेती में उन्नति की जाय, खेती की दशा सुधारी जावे, पानी का प्रबन्ध हो तथा उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया जावे। मिट्टी के कटकर बह जाने से भूमि की उर्वरा शक्ति दिन प्रति दिन कम होती रहती है, इसलिये अधिक अन्न पैदा करने के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि भूमि की उर्वरा शक्ति का ह्रास बचाया जाय। इसी उद्देश्य से सरकार ने भूमि एवं जल संरक्षण योजना बनाई है जिसका मुख्य उद्देश्य भूमि के कटाव को रोकना, जल का संरक्षण करना एवं भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाये रखना है।

2 - इस जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 9,12,800 हैक्टर है जिसमें से 55,800 हैक्टयर क्षेत्र में कृषि की जाती है। जनपद की प्राकृति एवं भौगोलिक स्थिति अन्य पर्वतीय क्षेत्रों से भिन्न है। यहाँ पर छोटी बड़ी बहुत सी नदियाँ है जिनमें से मुख्य नदियाँ अलकनन्दा, मन्दाकिनी, पिण्डर, रामगंगा, नन्दाकिनी आदि है। इन नदियों के कारण यहाँ पर बहुत गहरी गहरी घाटियाँ बन गई हैं, जिससे पहाड़ों की श्रृंखला अधिक ढालू होने के कारण भूमि कटाव एवं भूमि का संरक्षण अधिक होता है। सीरा खेत बहुत ही कम हैं। इस क्षेत्र में पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है परन्तु उसका समुचित सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। जिसका मुख्य कारण यहाँ की भौगोलिक (टोपोग्राफी) स्थिति है। इस कारण यहाँ पर भूमि एवं जल संरक्षण की नितान्त आवश्यकता है।

3- जिले की कुल कृषि योग्य भूमि 55,800 हैक्टर में से मात्र 3,553 है० भूमि में सिंचाई के साधन उपलब्ध है। साधन सम्पन्न होने से यह क्षेत्र कृषकों द्वारा पहले से ही भलि भाँति सम्भाल कर रखे गये हैं जिसके कारण इस क्षेत्र पर भूमि संरक्षण प्रक्रिया अपनाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। इस जिले में भूमि सर्वेक्षण से कोई मान्यता प्राप्त आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं, फिलहाल अनुमानतः करीब 11,175 है० भूमि ऐसी है जिसमें भूमि संरक्षण विधियाँ अपनाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, या अपनाने में कोई विशेष लाभ नहीं है। ऐसी भूमि यातो बिलकुल समतल है या बीच-बीच में पत्थर के बड़े-बड़े चट्टान निकल आते हैं। इस प्रकार 14,728 है० भूमि को छोड़कर जिले में कुल 41,072 है० भूमि वर्तमान में भूमि संरक्षण कार्य के लिये उपलब्ध है जिसमें से चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भूमि संरक्षण विभाग की वर्तमान एक इकाई द्वारा 1,040 है० एवं उसके डेढ़ गुना क्षेत्र 1560 है० काश्तकारों द्वारा संरक्षित कर लिया गया है। इस प्रकार जिले में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कुल 2,600है० क्षेत्र उपचारित कर लिया गया है। अतः अगली पंचवर्षीय योजना में 38,472 है० क्षेत्र में भूमि संरक्षण सम्बन्धी कार्य सम्पादन की आवश्यकता होगी।

4- पंचम पंचवर्षीय योजना के पाँचों वर्षों में कृषि विभाग (भूमि संरक्षण अनुभाग) की एक इकाई द्वारा 1,500है० क्षेत्र संरक्षित किया जावेगा। तथा अनुमानतः इसके डेढ़ गुना क्षेत्र 2,250 है० में काश्तकारों द्वारा स्वयं भूमि संरक्षण का कार्य किया जावेगा। इस प्रकार पंचम पंचवर्षीय योजना में कुल 3,750है० क्षेत्र संरक्षित किया जावेगा।

पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्त में कुल 6,350 है0 क्षेत्र संरक्षित हो जायेगा ।

5- इस प्रकार पाँचों योजना के उपरान्त भी जनपद का लगभग 34,722 है0 क्षेत्र भूमि संरक्षण कार्य विधि अपनाने के लिये अवशेष रह जायेगा, जिसका संरक्षण अगली योजनाओं में कृषि विभाग तथा काश्तकारों के अपने प्रयास से किया जायेगा। इस प्रकार जिले की कृषि योग्य भूमि को भूमि संरक्षण कार्य विधियों से संरक्षित कर अधिक उपज देने योग्य बनाया जा सकेगा । एक भूमि एवं जल संरक्षण इकाई द्वारा 300 है0 भूमि में प्रतिवर्ष भूमि संरक्षण की विधियाँ अपनाई जाती है जिसके अन्तर्गत मुख्यरूप से निम्न कार्य कराये जाते हैं ।

(1) - पक्के पुश्तों का निर्माण ।

(2) - समतलीकरण ।

(3) - उद्यानीकरण ।

(4) - वनीकरण ।

(5) - चरागाह विकास ।

(6) - सिंचाई हेतु छोटी-छोटी नालियों का निर्माण ।

6- चतुर्थ पंचवर्षीय योजना :-

इस जिले में कार्यरत इकाई की स्थापना वर्ष 1968-69 में हुई थी और कार्य वर्ष 1969-70 में प्रारम्भ हुआ । स्टाफ कम होने के कारण प्रारम्भ में कार्य की प्रगति मन्द रही । चतुर्थ योजना काल की वर्ष वार प्रगति निम्नलिखित हैं :-

| मद | इकाई | वर्षवार भौतिक प्रगति का विवरण | | | | | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1969-70 | 1970-71 | 1971-72 | 1972-73 | 1973-74 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| संरक्षित क्षेत्र | हैक्टर | 42 | 121-63 | 217-71 | 313-27 | 346-14 | 1,040-75 |

उपरोक्त पाँचों वर्षों में वर्तमान इकाई के द्वारा 1,040 है0 क्षेत्र संरक्षित किया गया और अनुमानतः इसका डेढ़ गुना 1,560 है0 क्षेत्र काश्तकारों द्वारा संरक्षित कर लिया गया ।

चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में पाँचों वर्षों में हुये व्यय का विवरण (विभाग द्वारा)

व्यय लाख रुपयों में

| क्र० सं० | इकाई | वर्षवार व्यय का विवरण 1969-70 | 1970-71 | 1971-72 | 1972-73 | 1973-74 | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- | रुपया | 1-241 | 2-054 | 2-803 | 3-096 | 3-562 | 12-756 |

7- जनपद की क्षरणग्रस्त कृषियोग्य भूमि को देखते हुये जिले में हर विकास क्षेत्र स्तर पर एक भूमि संरक्षण इकाई को खोलने का विचार था लेकिन धनाभाव के कारण वर्तमान एक भूमि संरक्षण इकाई से ही पूरे पंच वर्षीय योजना काल में भूमि संरक्षण कार्य कराने का प्रस्ताव है । यह भी निश्चय किया गया है कि कार्य अलकनन्दा एवं मन्दाकिनी के जल समेट क्षेत्र में ही किया जावे । तथा अगली योजना में अन्य नदियों के जल समेट को लिया जायेगा ।

8- ~~[illegible]~~ पंचम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 1,500 हे० निर्धारित किया गया है । वर्ष 1974-75 के 300 हे० लक्ष्य के विपरीत उपलब्धि 304 हे० रही । वर्ष 1975-76 का भौतिक लक्ष्य 300 हैक्टर है । पांचवीं योजना का विभागीय स्रोतों से वित्तीय लक्ष्य 1,223 हजार रुपया निर्धारित किया गया है । वर्ष 1974-75 का परिव्यय 331 हजार रुपया था और व्यय 567 हजार रुपया रहा । वर्ष 1975-76 के लिये वित्तीय लक्ष्य 2-42 लाख रुपया ~~[illegible]~~ प्रस्तावित है । भूमि संरक्षण कार्य की औसत लागत 2,500 रुपया प्रति हैक्टर मानते हुये पाँचवीं पंच वर्षीय योजना में सम्पन्न किये जाने वाले कार्य की लागत मात्र 1,375 हजार तथा वर्ष 1975-76 में 375 हजार रुपया कृषकों को वहन करना होगा ।

9- जनपद के कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने से शासन ने अब तक भूमि संरक्षण के कार्यों पर विभिन्न वर्षों में विभिन्न दरों से कृषकों को अनुदान के तौर पर सहायता दिया है । वर्तमान में यह अनुदान कार्य की लागत का आधा या एक हजार रुपया (1,000 रुपया) प्रत्येक एकड़ जो कम हो की दर से देय है । वर्ष में कराये गये कार्य की लागत के अनुरूप शासन से धन उपलब्ध न हो पाने के कारण सम्पूर्ण कार्य पर अनुदान दे पाना सम्भव नहीं हो पाता है । भूमि संरक्षण कार्य कराने के लिये काश्तकारों को ~~[illegible]~~ तकनीकी ज्ञान देने के लिये विभागीय कार्यकर्ता जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं । जहाँ तक श्रम की बात है उसे क्षेत्रीय जन समूह द्वारा कर कृषकों द्वारा पूर्ण कराने का प्राविधान किया गया है ।

10- जिले की समस्या ग्रस्त क्षेत्रफल को देखते हुये कार्य रत ~~इकाई~~ एक इकाई जिसका वार्षिक लक्ष्य 300 हैक्टर है, के द्वारा भूमि संरक्षण कार्य कराने में लगभग 150 वर्ष लग जायेंगे । बिना तकनीकी देख रेख के क्या भूमि संरक्षण कार्य वांछित होगा तथा गुणकारी सिद्ध नहीं होगा ।

उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये [illegible] है कि जनपद में प्रत्येक विकास खण्ड में इस प्रकार [illegible] खोले [illegible] को बताते रहते हुये जिस पर शासन द्वारा अनुकूल विचार किये जाने की आशा की जाती है।

=======0 0 0=======

यह निर्विवाद सत्य है कि पर्वतीय क्षेत्र में कृषि की अपेक्षा फलोत्पादन कहीं अधिक उपयुक्त एवं लाभकारी है। यहाँ की भूमि व जलवायु विभिन्न प्रकार के फलों के उत्पादन हेतु उपयुक्त है। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में आम का उत्पादन होता है, दूसरी ओर हिमालय में 7000 फीट तक की ऊँचाई वाले स्थानों में सेब का उत्पादन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। घाटी के क्षेत्र में आम, 3000 से 5500 फीट तक की ऊँचाई के क्षेत्र में उपोष्णीय फलों व गुठलीवाले फलों के व 5500 से 7000 फीट ऊँचाई वाले क्षेत्र सेब उत्पादन हेतु उपयोगी हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यहाँ की जलवायु सभी प्रकार के फलों के उत्पादन हेतु सक्षम है। इसी प्रकार यह क्षेत्र न केवल शीतोष्ण सब्जियों के उत्पादन हेतु ही सक्षम है, अपितु यहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु में उगाई जाने वाली सब्जियों तथा आलू बीजों का उत्पादन भी सफलतापूर्वक किया जा सकता है। जिले के दोनों उपसंभाग सभी फलों के उत्पादन हेतु उपयुक्त हैं, किन्तु प्रथम उपसंभाग में समशीतोष्ण फलों के उत्पादन की अधिक सम्भावनायें हैं।

विदेशी शासनकाल में पर्वतीय क्षेत्र उपेक्षित रहा व यहाँ पर उस काल में मिशनरीज द्वारा इस दिशा में थोड़ा कार्य सीमित क्षेत्रों में प्रारम्भ किया गया। स्वतन्त्रता के उपरान्त भी यातायात की असुविधाओं के कारण इस क्षेत्र में कोई व्यापक कार्यक्रम नहीं अपनाये जा सके। जनपद के निर्माण के उपरान्त उद्यान एवं फल उपयोग कार्यक्रमों को विशेष बल दिया गया। फलस्वरूप पाँचवी योजना के अन्त तक जिले में लगभग 4500 है० भूमि में फलोत्पादन तथा 1250 है० भूमि में सब्जी उत्पादन का कार्यक्रम अपनाया गया है। जब जनपद में आरोपित उद्यानों में से पाँचवी योजना के अन्त तक फलत में आये उद्यानों से फल का उत्पादन लगभग 5000 मि०टन तथा वर्ष 1973-74 में सब्जी के आच्छादित क्षेत्र से 8500 मि०टन सब्जी उत्पादन का अनुमान है, जो पाँचवी योजना के अन्त तक क्रमशः 11500 व 9500 मी० टन हो जायेगा।

पर्वतीय क्षेत्रों विशेष रूप से होने तथा उत्पादित वस्तु के समुचित निकासी

उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए [illegible] इस प्रकार [illegible] विकास [illegible] में [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] को [illegible] रखते हुए, प्रेम पर आधारित [illegible] [illegible] आधार [illegible] [illegible] को [illegible] हो जाती है।

----0 0 0----

यह निर्विवाद सत्य है कि पर्वतीय क्षेत्र में कृषि की अपेक्षा फल उत्पादन कहीं अधिक लाभप्रद एवं लाभदायी है। यहाँ की भूमि व जलवायु विभिन्न प्रकार के फलों के उत्पादन हेतु उपयुक्त है। अधिक गर्म घाटियों में आम का उत्पादन होता है, दूसरी ओर हिमालय में ७००० फीट तक की ऊँचाई वाले स्थानों में सेब का उत्पादन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। घाटी के क्षेत्र में आम, ३००० से ४५०० फीट तक की ऊँचाई के क्षेत्र में नींबू प्रजातीय फलों व गुठलीवाले फलों के तथा ४५०० से ७००० फीट ऊँचाई वाले क्षेत्र सेब उत्पादन हेतु उपयोगी हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यहाँ की जलवायु सभी प्रकार के फलों के उत्पादन हेतु सक्षम है। इसी प्रकार यह क्षेत्र न केवल मौसमी सब्जियों के उत्पादन हेतु भी सक्षम है, अपितु यहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु में उगाई जाने वाली सब्जियों तथा सब्जी बीजों का उत्पादन भी सफलतापूर्वक किया जा सकता है। जिले के सभी विकासखण्ड सभी फलों के उत्पादन हेतु उपयुक्त हैं, किन्तु प्रथम दो खण्डों में समशीतोष्ण फलों के उत्पादन की अधिक सम्भावनाएँ हैं।

विदेशी शासनकाल में पर्वतीय क्षेत्र उपेक्षित रहा व यहाँ पर उस काल में मिशनरियों द्वारा इस दिशा में थोड़ा कार्य सीमित क्षेत्रों में आरम्भ किया गया। स्वतन्त्रता के उपरान्त भी यातायात की कठिनाइयों के कारण इस क्षेत्र में कोई व्यापक कार्यक्रम नहीं अपनाये जा सके। जनपद के निर्माण के उपरान्त उद्यान एवं फल उपयोग कार्यक्रमों को विशेष बल दिया गया। फलस्वरूप पाँचवी योजना के अन्त तक जिले में लगभग ४६०० हे० भूमि में फलोत्पादन तथा २२०० हे० भूमि में सब्जी उत्पादन का कार्यक्रम अपनाया गया है। गत वर्षों में जनपद स्थित उद्यानों में से चौथी योजना के अन्त तक जनपद में अभी उद्यानों से फल का उत्पादन लगभग ५००० मैट्रिक टन तथा वर्ष १९७३-७४ में सब्जी के आच्छादित क्षेत्र से ६६०० मैट्रिक टन सब्जी उत्पादन का अनुमान है, जो पाँचवी योजना के अन्त तक बढ़कर क्रमशः १३६०० व २५०० मै० टन हो जायेगा।

पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित खेती होने तथा उत्पादित वस्तु के समुचित निकासी

[illegible] के कारण उद्यान [illegible] में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यातायात के साधनों के अभाव के कारण भी कृषकों को उनके उत्पादन का पूरा लाभ नहीं पहुँच पाया। अतः आवश्यकता इस बात की है कि भूमि की उपयोगिता के आधार पर औद्यानीकरण किया जाय व सघन उत्पादन क्षेत्रों को यातायात सुलभ कराते हुये उत्पादित वस्तु के समुचित भण्डारण एवं विपणन की व्यवस्था की जाय, ताकि कृषकों को उनके उत्पादन का सही मूल्य मिल सके और व्यावसायिक कृषकों को औद्यानीकरण हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।

वर्ष १९८८-८९ के अन्त तक उद्यान का क्षेत्र बढ़कर १२००० हे० तक ले जाने का प्रस्ताव है। औद्यानीकरण मुख्यतः सघन क्षेत्रों में उन्हीं स्थानों पर लगाया जायेगा जो यातायात से वर्तमान समय में सम्बद्ध है तथा जहाँ यातायात सुविधा भी उपलब्ध किये जाने का प्रस्ताव है। चौथी योजना के अन्त में उद्यानों से प्रति व्यक्ति आय १५-२० के लगभग है जो पाँचवीं योजना में लगभग दुगनी हो जायेगी। वर्ष १९८८-८९ के अन्त तक उद्यान का क्षेत्र बढ़कर यह आशा की जाती है कि प्रति व्यक्ति उद्यानों से आय लगभग रु० ६०/- होगी। यह सब तभी सम्भव होगा जब [illegible] उद्यानों के रखरखाव, कीट एवं व्याधि नाशक दवाओं का समुचित उपयोग, फलों का श्रेणीकरण, पैकिंग तथा फलों के समुचित भण्डारण की सुविधाओं का विकास किया जाय। बढ़े हुए औद्यानिक क्षेत्र के समुचित रखरखाव [illegible] को काश्तकारों तक पहुँचाने, सघन क्षेत्रों में उद्यान विकास हेतु ऋण सुविधा सुलभ करना तथा व्यावसायिक उपयोगी फसलों का उत्पादन के उद्देश्य से पाँचवीं योजना में इन कार्यक्रमों को विशेष रूप से सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त योजना में भूमिहीन व पिछड़े लोगों के उन्नयन हेतु उन्हें भूमि आवंटन पर उनको उद्यान विकसित करने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

## पाँचवीं योजना के कार्यक्रम

**१- फल पट्टी तथा उद्यान उपनिवेशों की स्थापना :-** चौथी पंचवर्षीय योजना काल में [illegible] में ६ फल पट्टियों का चयन किया गया, कुल १७७४८.०० हे० भूमि उद्यान हेतु उपयुक्त पाई गई। अब तक केवल ४३४८-९८ हे० भूमि में उद्यान विकसित [illegible]

[illegible]

[illegible] गया है, किन्तु आवश्यक [illegible] की पूर्ति उपलब्ध न होने से लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। इस कमी को दूर करने के लिए जनपद में सघन पद्धति से औद्यानीकरण का कार्यक्रम अपनाया गया है। फलस्वरूप वर्ष १९७४-७५ ३६ है० में ४ औद्यानिक उद्यान का निर्माण किया गया। पाँचवीं योजना काल में २०० है० भूमि में उद्यानों की स्थापना का लक्ष्य है। उक्त कार्य हेतु तथा व्यक्तिगत उद्यानों की स्थापना हेतु पाँचवीं योजना काल में रु० २२-५०० लाख रुपये के उद्यान ऋण का प्राविधान रखा गया है। वर्ष १९७४-७५ में रु० १-१९० लाख तकावी ऋण के रूप में बाँटा गया। इस योजना के फलस्वरूप सघन क्षेत्रों में फलोत्पादन को बल मिलेगा व उत्पादन के निकासी में क्षेत्र के उद्यानपतियों को सहायता मिलेगी।

२- फल उत्पादकों तथा शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को उद्यान प्रशिक्षण :-

औद्यानिक कार्यक्रमों का व्यावहारिक ज्ञान सफल एवं उत्तम फलों के उत्पादन हेतु आवश्यक है, देखते हुए औद्यानिक क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण केन्द्र का होना आवश्यक है। ताकि उद्यानपतियों को आधुनिकतम खोजों से अवगत कराया जाय। इसके अतिरिक्त शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर सुलभ कराने के उद्देश्य से भी औद्यानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता समझी जाती है। प्रशिक्षण की अवधि में फल उत्पादकों को एवं शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव रखा गया है। योजना काल में जनपद में २५०० व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जायेगा। वर्ष १९७४-७५ में ४०२ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। इस परियोजना पर ५८-९ हजार रु० व्यय हुआ।

३- फल पौध, सब्जी बीज, सब्जी पौध तथा पौध रक्षा सामग्री एवं औद्यानिक औजारों के वितरण पर राज सहायता :-

फल पौध, सब्जी बीज, सब्जी पौध तथा आवश्यक सामान की उपलब्धता को उचित मूल्य में उत्पादक को सुलभ कराने हेतु उक्त योजना रखी गई है क्योंकि जनपद में यातायात की कठिनाई है व उत्पादक को उक्त कार्य हेतु व्यापार स्वयं ग्रहण करने में लाभांश के स्थान पर हानि होने की सम्भावना रहती है। उद्यान विकास के विस्तृत आधार को देखते हुए इस परियोजना का दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण स्थान होगा। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष १९७४-७५ में [illegible] लाख [illegible]

[illegible]
औजारों के निर्माण हेतु ४०२ [illegible] की जायेगी।
इसमें ३५.८८ हजार रु० व्यय हुए।

४- [illegible] उपकरणों की व्यवस्था :- [illegible] जनपद चमोली के अलग-अलग [illegible] विकेन्द्रण ) [illegible] की जाँच करने उपरान्त [illegible] किया जायेगा। वर्ष १९७४-७५ में [illegible] किया गया।

५- [illegible] :- [illegible] की सेवी महत्वपूर्ण है। [illegible] पर भी [illegible], तदुपरान्त इसकी [illegible]। वर्ष १९७४-७५ में [illegible] व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया।

६- उत्तर प्रदेश के [illegible] जिलों में [illegible] :

[illegible] पर [illegible] के [illegible] स्थानीय कार्य [illegible] के साथ [illegible] तकनीकी विशेषज्ञ की नियुक्ति की जायेगी। १९७४-७५ में [illegible] विशेषज्ञ की नियुक्ति की [illegible] व्यय हुआ है।

७- [illegible] :- [illegible] उपलब्ध [illegible] परिवारों के [illegible] का ज्ञान हो। [illegible] प्रस्तावित है।

८- [illegible] :- [illegible] वर्ष [illegible] उत्पादन एवं [illegible] स्थापित करने की योजना है [illegible] में ही उत्पादित [illegible] की पूर्ति की जायेगी।

९- [illegible] :- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पाँचवी योजना काल में २२०० है० अतिरिक्त क्षेत्र को उद्यान के अन्तर्गत लाया जायेगा। इसी तरह २०० है० सब्जी के अन्तर्गत तथा ५५०० है० पौध रक्षा कार्य के अन्तर्गत लाया जायेगा। वर्ष १९७४-७५ में २०४ है० क्षेत्रफल में उद्यान लगाये गये और ६० है० के अतिरिक्त क्षेत्र में सब्जी उगाया गया और ९०६ है० में पौध रक्षा कार्यक्रम अपनाया गया। वर्ष १९७५-७६ में ४५० है० में उद्यान लगाने ३५ है० अतिरिक्त क्षेत्रफल में सब्जी उत्पादन तथा १३०० है० उद्यानों में फसलों के संरक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बीमारियों से संरक्षण करने के उद्देश्य से [illegible], जोशीमठ एवं अल्मोड़ा में क्रमशः [illegible], [illegible] तथा [illegible] में एक एक [illegible] दल इकाई की स्थापना का प्रस्ताव है। वर्ष १९७४-७५ में देहरादून में इसकी स्थापना की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त ४ पर्वतीय जनपदों में एक एक अतिरिक्त [illegible] की सेवायें उपलब्ध करायी गयी हैं। योजना काल में ११ [illegible] नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव है। इस योजना पर वर्ष १९७४-७५ में २४ हजार रु० व्यय हुआ।

१०- पर्वतीय जिलों में उद्यान कृषि (तकनीकी) का संगठन :- उद्यान कृषि से सम्बन्धित सूचना [illegible] एवं उद्यान [illegible] की [illegible] योजना में सम्मिलित है।

११- फल संरक्षण, [illegible] एवं [illegible] तथा [illegible] का विस्तार :- पाँचवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में इस योजना के [illegible] का प्रस्ताव है, जिसमें कुल रु० [illegible] लाख रुपया व्यय का अनुमान है।

१२- विपणन [illegible] तथा [illegible] [illegible] कार्य :- उद्यानपतियों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाये जाने हेतु [illegible] [illegible] के [illegible] [illegible] हेतु यह योजना पाँचवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में प्रस्तावित है।

१३- पर्वतीय क्षेत्रों में [illegible] [illegible] को [illegible] [illegible] करने हेतु [illegible] का [illegible] :- [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] हेतु [illegible] की योजना है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में [illegible] [illegible] को लाभान्वित किया जायेगा। इस कार्य हेतु पाँचवीं योजना में रु० [illegible] हजार रु० का प्राविधान रखा गया है।

[illegible] उद्योगों से [illegible] विभिन्न [illegible] राष्ट्रीय [illegible] का [illegible] एवं [illegible] । इस योजना का मुख्य उद्देश्य [illegible] में [illegible] औद्योगिक [illegible] को [illegible] करना, प्रगति का [illegible] तथा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण [illegible] भविष्य में [illegible] जाने हेतु [illegible] प्रस्तुत करना है।

विदेशी मुद्रा की [illegible] का उपार्जन :- स्थानीय जलवायु [illegible] तथा विदेशों में [illegible] जलवायु व [illegible] में होने वाली [illegible] की [illegible] में [illegible] के उद्देश्य से यह [illegible] जलवायु के [illegible] से [illegible] प्रकार के [illegible] स्थानीय [illegible] उपलब्ध होगी व आर्थिक प्रगति में [illegible] यह योजना [illegible] । वर्ष [illegible] [illegible] में [illegible] किया गया है [illegible] किया गया है।

उपायों का [illegible] :- [illegible] में [illegible] विभिन्न [illegible] में [illegible] औद्योगिक [illegible] के साथ ही [illegible] [illegible] फल, [illegible] वस्त्र, [illegible] व [illegible] के [illegible] है [illegible] छोटी-छोटी [illegible] हेतु [illegible] ही [illegible] न [illegible] पड़े व [illegible] से [illegible] ।

प्रदर्शन [illegible] की स्थापना :- [illegible] जानकारी, औद्योगिक [illegible] की प्रगति सम्बन्धी [illegible] स्थानीय जनता को [illegible] [illegible] एक [illegible] विभागीय [illegible] में [illegible] और [illegible] ( प्रदर्शन [illegible] ) की स्थापना की [illegible] में [illegible] प्राप्त होगी। [illegible] यह योजना [illegible] योजना [illegible] में [illegible] है।

- [illegible] फलोत्पादन एवं [illegible] का [illegible] :- [illegible] पहाड़ी, [illegible] [illegible] आदि [illegible] के [illegible] की योजना [illegible] गई है। [illegible] के [illegible] में भी [illegible] प्रारम्भ [illegible] जायेगा। [illegible] व [illegible] आदि [illegible] किया जायेगा [illegible] हेतु [illegible] का प्रावधान [illegible] योजनाकाल में किया गया है।

१९- [illegible] जिला स्तर पर योजनागत कार्यक्रमों का समन्वय :- विकास क्षेत्र एवं जिला स्तर पर बढ़ते हुए उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए अब यह आवश्यकता अनुभव की जा रही है कि अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किये जायें ताकि जिला स्तर एवं विकास क्षेत्र स्तर से ग्राम स्तर तक व्यापक व सक्रिय ढंग से योजनायें क्रियान्वित की जा सकें। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु पाँचवीं योजना काल में उक्त योजना प्रस्तावित है।

२०- सघन उपज क्षेत्रों में बहुधन्धी इकाइयों की स्थापना :- सघन क्षेत्रों में कृषकों की सहायता की पूर्ति एवं उत्पादित वस्तु के समुचित विपणन एवं कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से नई इकाइयाँ स्थापित की जायेंगी।

२१- पर्वतीय क्षेत्र में उत्पादित फलों के संग्रह हेतु शीत गृहों का निर्माण :- गत योजनाओं में आरोपित उद्यानों के फलत में आने के कारण फलों के संग्रह की समस्या उद्यानपतियों के सम्मुख आने लगी है। अतः शीतगृहों का निर्माण व फलों के संग्रह की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्य-मुख्य फल उत्पादन वाले क्षेत्र में शीतगृहों के निर्माण की योजना रखी गई है ताकि उद्यानपति अच्छे ढंग से संग्रह कर उसका मूल्य प्राप्त हो सके। इस हेतु आवश्यक धनराशि का प्राविधान पाँचवीं योजना काल में रखा गया है।

२२- भारतीय कृषि शोध परिषद के सहयोग से चलने वाली परियोजनाओं के व्यय का २५ प्रतिशत व्यय :- भारतीय कृषि शोध परिषद, सेब आलू तथा नाशपाती की फलों के व्यापक उत्पादन एवं संरक्षण हेतु इच्छुक है व उन योजनाओं को सफल बनाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करता है। कुल व्यय का ७५ प्रतिशत स्वयं वहन कर शेष २५ प्रतिशत व्यय राज्य सरकार से अपेक्षित होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यक धनराशि का प्राविधान पाँचवीं योजना काल में रखा गया है।

संसाधनों का अनुमान :- पाँचवीं योजना में [illegible] लाख रु० का प्रस्तावित परिव्यय विभागीय संसाधनों से उपलब्ध होगा। वाणिज्यिक तथा कार्यालयीय कार्यक्रमों के लिए वर्ष १९७४-७५ में ३३१ हजार रु० राज्य आयोजनागत तथा ५३-३ हजार रु० केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित [illegible] के अन्तर्गत निर्धारित परिव्यय के

विभाग द्वारा १९७२-७३ एवं १९७३-७४ में [illegible] रु० व्यय किया गया। वर्ष १९७५-७६ के लिए इनकी योजनाओं के अन्तर्गत क्रमशः ८७५-०० और ५७-०० हजार रु० का परिव्यय निर्धारित है। उद्यान विभाग की योजनाओं के अन्तर्गत कई कार्य ऐसे हैं जो जनता के सहयोग से सम्पन्न किये जाते हैं। इन कार्यों पर कुछ सीमा तक राजसहायता भी दी जाती है। कुछ प्रमुख कार्य फल पौध, सब्जी बीज तथा [illegible] वितरण, खाद व उर्वरक [illegible] सेटों का वितरण, [illegible] विकास योजना तथा बागवानी योजना आदि हैं। अतः पांचवीं योजना में २४-८२ लाख तथा वर्ष १९७५-७६ में ५-७५ लाख रु० का परिव्यय जनपोषित स्रोत से प्रस्तावित किया गया है। वर्ष १९७४-७५ में सम्भावित व्यय में जनपोषित योगदान ५-२१ लाख रु० का रहा है।

पांचवीं योजनाकाल में योजनाओं का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन होने के कारण एक व्यापक मात्रा में प्रशिक्षित व्यक्तियों को नियमित रूप से रोजगार मिलेगा तथा अंशकालिक रूप से अप्रशिक्षित व्यक्तियों को भी इन योजनाओं से रोजगार मिलेगा।

शासन के विचारणीय सुझाव :- चौथी योजनाकाल में फलदार पौध, सब्जी बीज व पौध के [illegible] पर राजसहायता देकर इन्हें विभाग [illegible] राजकीय [illegible] कराया जा रहा है। इसमें कठिनाइयाँ महसूस की गई हैं। [illegible] विभाग [illegible] मुख्यालय से फलदार पौधों, सब्जी बीज व [illegible] के पार्सल [illegible] तक भेजा जाता है। ऐसा करने में ये समय से नहीं पहुंच पाते हैं और [illegible] का भय भी बना रहता है। इसलिए विभाग द्वारा फल पौधों, सब्जी बीजों को [illegible] के मुख्यालय तक राजसहायता के आधार पर [illegible] का सुझाव है।

ऐसा अनुमान व्यक्त किया जाता है कि पांचवीं योजनाकाल के अन्त तक १३५००० मी० टन फल उत्पादन तथा २५०० मी० टन सब्जी का उत्पादन होने लगेगा। इसलिए फलों के प्रोसेसिंग एवं भण्डारण केन्द्रों की व्यवस्था तथा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित फलों के संग्रह हेतु वेयर हाउस तथा [illegible] के निर्माण [illegible] देने का सुझाव है। फलोत्पादन में वृद्धि होने के साथ-साथ विपणन की समस्या भी जटिल होती जाती है। इसके निदान हेतु उत्तर प्रदेश [illegible] डेवलपमेंट कारपोरेशन ने [illegible] कार्यक्रम [illegible] के निर्माण हेतु एक [illegible] प्रस्तावित किया है जिसमें वर्ष १९७५-७६ में [illegible] तथा पांचवीं योजना में [illegible] लाख रुपये [illegible] अनुमान है।

## 5) पशुपालन एवं दुग्ध सम्पूर्ति

जनपद चमोली हिमालय के समीपवर्ती क्षेत्र में है और अधिकांश क्षेत्र विकट पर्वतों एवं घाटियों से भरा हुआ है। जनपद में प्राकृतिक वन सम्पदा की अधिकता है, जिसका क्षेत्रफल 4,96,000 हैक्टेयर है तथा पानी के पर्याप्त भण्डार उपलब्ध हैं। ऊँचे पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक चारागाह उपलब्ध हैं जिनका क्षेत्र अनुमानतः 25,800 हैक्टेयर है। भौगोलिक स्थिति को देखते हुये जनपद में पशुपालन कार्यक्रमों का महत्व अधिक है, जिसमें भेड़, बकरी, कुक्कुट एवं दुधारू पशु उल्लेखनीय हैं।

जनपद के पशुधन सम्बन्धी आधारभूत आँकड़े निम्नलिखित हैं:-

| वर्ष | गोवंशीय कुल | गोवंशीय प्रजननयोग्य | महिषवंशीय कुल | महिषवंशीय प्रजननयोग्य | भेड़ | बकरी | कुक्कुट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 1,78,000 | 58,000 | 43,000 | 15000 | 87,000 | 74,000 | 4,5[illegible] |
| 1966 | 2,16,000 | 80,000 | 53,000 | 40,000 | 1,25,000 | 96,000 | 6,0[illegible] |
| 1971 | 2,40,000 | 1,00,000 | 65,000 | 50,000 | 1,27,000 | 98,000 | 15,0[illegible] |

2- चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जनपद में निम्नलिखित संस्थायें कार्यरत रही हैं:-

1:- कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र 37
2:- भेड़ प्रक्षेत्र 2
3:- भेड़ा केन्द्र 15
4:- बकरी प्रक्षेत्र 1
5:- कुक्कुट प्रसार केन्द्र 8
6:- कुक्कुट विकास इकाई 1
7:- चारा [illegible] 9
8:- पशु चिकित्सालय 9
9:- सचल पशु चिकित्सालय 1
10:- पशु सेवा केन्द्र 37
11:- रोग निरोधक केन्द्र 3

3:- उक्त संस्थाओं के कार्यरत होते हुये भी वर्तमान समय में जनपद में निम्न कमियाँ बनी हुई हैं:-

अ- पशु प्रजनन क्षेत्र में सांडों का अभाव, जिससे उत्कृष्ट प्रजननशील पशुओं के प्रजनन की सुविधा अपर्याप्त है।

ब- कृत्रिम गर्भाधान द्वारा प्रजनन सुविधा का अभाव है।

स- कुक्कुट क्षेत्र में चूजों को आपूर्ति करने के लिये जनपद में कोई बड़ा प्रक्षेत्र नहीं है।

द- पौष्टिक एवं उन्नत किस्म के चारे का अभाव है।

य- कुक्कुट पालकों के विकास की ओर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

चूँ कि पशु उन्नति के निमित एवं बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुये जो सुविधायें जनपद में उपलब्ध है, पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। अतः कार्यरत संस्थाओं के जनपद में चलाये रखने की आवश्यकता है।

अब तक के प्रयासों के बावजूद भी जनपद में पशुधन के लिये पर्याप्त प्रजनन सुविधायें उपलब्ध नहीं है तथा वर्तमान जनसंख्या को देखते हुये मांस, अण्डा एवं दुग्ध उत्पादन प्रति व्यक्ति न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त नहीं है।। जिले की औद्योगिक आवश्यकता को देखते हुये ऊन का उत्पादन भी कम है, क्यों कि प्रति वर्ष अन्य जिलों से ऊन का आयात करना पड़ता है। कारणों को देखते हुये उपरोक्त संस्थानों में वृद्धि का होना नितान्त आवश्यक है।

4:- दीर्घकालीन योजनायें

जनपद में जनसंख्या की वृद्धि दर को देखते हुये 1978-79 में 3-28 तथा 1988-89 में 3-71 लाख जनसंख्या हो जाने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार से पर्यटकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती रहेगी, अतएव जिले में मांस, अण्डा तथा दूध की मांग भी साथ साथ बढ़ती जायेगी। स्थानीय जनता की आर्थिक उन्नति के लिये ऊन पर आधारित औद्योगिक इकाई खुलेगी। इसके लिये कच्चे माल की स्थानीय पूर्ति किया जाना नितान्त आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में दीर्घकालीन पशुपालन कार्यकलापों की रूपरेखा संक्षेप में निम्न प्रकार है:-

अ- दुग्ध पालन तथा पशु प्रजनन के क्षेत्र में दो विदेशी उन्नत नस्ल के पशु प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित किये जावेंगे जिन पर 164-369 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है। प्रति प्रक्षेत्र पर 400 गायें तथा 6 सांड रखे जावेंगे, जिससे प्रजनन हेतु उन्नत नस्ल के सांड एवं दुग्ध की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध की जा सकेगी।

ब- जनपद के पशुपालकों में उन्नत नस्ल के कुक्कुट पशुपालन हेतु 3-00 लाख रुपये का ऋण वितरित किया जावेगा।

स- जनपद में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र तथा 8 उप केन्द्र स्थापित किये जावेंगे, जिससे प्रजननात्मक कार्य में सुविधा हो सके। कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र अगस्तमुनि में स्थापित किया जावेगा, जिस पर 0-318 लाख का व्यय अनुमानित है। उप केन्द्र ऊखीमठ, घाटा, रामपुर, गुप्तकाशी, चन्द्रापुरी, भीरी, संही एवं तिलवाड़ा में स्थापित किये जावेंगे, जिन पर अनुमानित: 0-360 लाख रुपया व्यय होगा।

द- दो भेड़ प्रक्षेत्र सिरसी(फाटा) ) एवं उर्गम नामक स्थानों पर स्थापित किये जावेंगे, जिन पर 60-00 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है।

य- उपरोक्त भेड़ प्रक्षेत्रों की स्थापना हो जाने पर उन्नत नस्ल के भेड़े उपलब्ध होंगे, जिनसे प्रसार कार्य को सुचारु रूप में कार्यान्वित करने हेतु 9 भेड़ा केन्द्रों की स्थापना की जावेगी भेड़ा केन्द्रों की स्थापना हेतु 3-60 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है।

स- बकरियों में प्रजनन सुविधा बढ़ाने हेतु 20 बकरों को अंशदान पर वितरित किया जायेगा, जिन पर 0-030 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है।

ल- कुक्कुट पालन व्यवसाय में आत्मनिर्भरता लाने हेतु 2 बड़े कुक्कुट प्रक्षेत्र स्थापित किये जायेंगे, जिन पर 7-932 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है। उक्त प्रक्षेत्रों की स्थापना हो जाने पर स्थानीय तौर से चूजों का उत्पादन, अण्डों का उत्पादन एवं बढ़ाने के उद्देश्य हेतु कार्यरत इकाइयों में वृद्धि होगी। उक्त प्रक्षेत्र स्थान पिपलकोटी एवं नन्दप्रयाग में स्थापित किये जायेंगे।

व- पशु चिकित्सा एवं उपचार की दृष्टि से जनपद में एक सचल पशु-चिकित्सालय, एक पशु चिकित्सालय तथा 15 पशु सेवा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे, जिन पर क्रमशः 0-260, 2-595 तथा 1-680 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है। सचल पशु चिकित्सालय, गोपेश्वर में, पशु चिकित्सालय, पोखरी में तथा पशु सेवा केन्द्र निम्न स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे।-

पाबौ, छिनका, लंगासू, नौटी, मैठाणा, घुरा, सिमतोली, स्यूंसाल, ......, रायपुर, कोटया, देहा, रुद्रप्रयाग, बमोथ, ।

श- शूकर विकास की दृष्टि से वर्तमान समय में जनपद में कोई भी योजना कार्यान्वित नहीं है। अतः 50 शूकरों के वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिससे पिछड़े वर्गों के लोग शूकर पालन व्यवसाय में उन्नति कर आत्मनिर्भर हो सकें। इस योजना पर 0-200 लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है।

## 5- उद्देश्य एवं रणनीति

अधिक अच्छे पोषण सम्बन्धी मूल्यों की प्राप्ति के लिये खाद्यों की उपलब्धि करना।

अ- खेती के कार्य के लिये उन्नत बैल उपलब्ध करना तथा लदुवा व भारवाहक बैलों को उपलब्ध करना।

ब- व्यापारिक उत्पादन जैसे ऊन, चमड़ा तथा अण्डे इत्यादि के लिये अधिक प्रयास करना।

स- कृषकों के लिये सहायक व्यवसाय और पूरक आय की व्यवस्था करना।

द- प्रजनन, रोग नियन्त्रण और जनपद में उत्पादन क्षमता में सुधार लाना।

## 6. पंचम पंचवर्षीय योजनायें

पंचम योजना काल में उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये निम्न योजनायें विभाग द्वारा अनुमोदित की गई हैं और आशा की जाती है कि इनसे पशु जनित पदार्थों के उत्पादन, पशुपालकों की आय, स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार में वृद्धि और ग्रामीण जनता के रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा।

### 1- पशु प्रजनन एवं दुग्ध उत्पादन

1966 की पशु गणना के अनुसार इस जनपद में 80,000 गायें एवं 40,000 भैंसें प्रजननात्मक रूप से विद्यमान हैं, जिनमें गर्भाधान की पूर्ण सुविधा उपलब्ध नहीं है। वर्तमान समय में 37 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र जनपद में हैं। प्रजननात्मक सुविधा हेतु पंचम योजना में यह प्रयास है कि जनपद में प्रजनन योग्य मादाओं के 40% भाग को गर्भित किया जाये। इसके लिये निम्न

योजनायें निम्नवत् द्वारा अनुमोदित है:-

(अ) नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों की स्थापना:- पंचम योजनाकाल में एक 1-991 लाख रुपये के व्यय से तीन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। उक्त केन्द्र मदकोटी, देवाल एवं नलपूरा स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे। वर्ष 1974-75 में एक केन्द्र मदकोटी में स्थापित किया जा चुका है।

(ब) कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की स्थापना:- पंचम पंचवर्षीय योजना में एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र तथा 6 उप केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। वर्ष 1974-75 में एक केन्द्र स्थान कर्णप्रयाग में तथा 4 उप केन्द्र स्थान आदिबद्री, सिमली, गौचर तथा नगरासू में स्थापित किये गये हैं। शेष दो उप केन्द्र लंगासू व नौटी में स्थापित किये जायेंगे।

(स) पशु प्रजनन प्रक्षेत्र:- अनुमानतः जनपद में प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन 520किग्रा है, जो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 170-00 ग्राम उपलब्ध होता है एवं पौष्टिक मानक दृष्टि से न्यून है। पंचम योजनाकाल में लक्ष्य रखा गया है कि प्रति व्यक्ति को 210 ग्राम दूध प्रति दिन प्राप्त हो। इस हेतु एक जर्सी फार्म की स्थापना का प्राविधान किया गया है, जो कि दुग्ध के साथ साथ उन्नत नस्ल के बछड़े भी अभिजनन कार्य हेतु देगा। इस प्रक्षेत्र पर 300 गायें एवं 6 सांड रखे जायेंगे जिस पर 67-85 लाख रुपया व्यय होगा। फार्म स्थापित करने हेतु प्रारम्भिक कार्य वर्ष 1974-75 में शुरू हो गया है और 1 लाख रुपया व्यय हो चुका है।

2:- भेड़ एवं ऊन विकास

जनपद में इस समय 1,27,000 भेड़े तथा 98,000 बकरियाँ है। जनपद में तेरह भेड़ा केन्द्र उपलब्ध है, जिन पर 356 भेड़े कार्यरत है। स्थानीय भेड़ों की ऊन तथा मांस की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिये प्रजनन हेतु विदेशी भेड़ें, विदेशी क्रासब्रीड भेड़े तथा रामपुर बुशायर भेड़ों का प्रयोग किया जा रहा है। जनपद में भेड़ बकरी विकास हेतु 3 भेड़ प्रक्षेत्र तथा एक बकरी प्रक्षेत्र कार्यरत है। इसके द्वारा प्रतिवर्ष 1050 भेड़े एवं मेढ़े उपलब्ध होते है। इस समय अनुमानतः प्रति भेड़ 600ग्राम ऊन वार्षिक प्राप्त होती है। पंचम योजना में प्रयास किया जा रहा है कि ऊन की मात्रा प्रति भेड़ 1-00 किलो वार्षिक प्राप्त हो तथा मांस के उत्पादन में वृद्धि हो। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये निम्न योजनायें अनुमोदित है:-

(अ) भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों का विस्तार एवं नये केन्द्रों की स्थापना:- 4-665 लाख रुपये की लागत से वर्तमान भेड़ा केन्द्रों को भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों में परिवर्तित किया जायेगा। वर्ष 1974-75 में एक पिनबाड़े का निर्माण, दो पिनबाड़ों पर पानी की व्यवस्था की गई तथा 40 विदेशी भेड़े जनपद में उपलब्ध कराये गये।

(ब) मास ड्रेंचिंग:- भेड़ पालन में मास ड्रेंचिंग का विशेष महत्व है। पंचम योजना काल में भेड़ों में मास ड्रेंचिंग हेतु 0-595 लाख रुपये का प्राविधान रखा गया है। वर्ष 1974-75 में 42,000भेड़ों में मास ड्रेंचिंग करने हेतु 0-119 लाख रुपये का प्राविधान किया गया था जिसे शतप्रतिशत उपयोग कर लिया गया।

(स) अनुदान पर बकरा सांडों का वितरण:- पंचम योजना काल में बकरियों में अभिजनन हेतु बकरी पालकों के बीच अनुदान पर वितरित किये जायेंगे, जिस पर0-120 लाख

रुपया व्यय होगा । वर्ष 1974-75 में 28 बकरे बांटे गये, जिस पर 0-037 लाख रुपया व्यय हुआ ।

द-छः- सघन भेड़ विकास योजना :- जनपद में भेड़ पालन व्यवसाय को उन्नत एवं प्रचुर करने हेतु एक सघन भेड़ फार्म की स्थापना म.कु.(ऊखीमठ)में प्रस्तावित है जिस पर 33-212 लाख रुपया व्यय होगा । इस योजना पर वर्ष 1974-75 में 20 हजार रुपया व्यय करके भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है ।

यः- भेड़ परिवेक्षक इकाई:- भेड़ एवं ऊन विकास योजना को सुचारु रुप से कार्यान्वयन करने हेतु एक भेड़ पर्यवेक्षण इकाई की स्थापना की जावेगी, जिस पर 1-369 लाख रुपया व्यय होगा ।

रः- भेड़ों की ऊन कतरने की योजना:- भेड़ों की ऊन कतरने हेतु 4 केन्द्र स्थापित किये जायेंगे, जिस पर 1-631 लाखरुपया व्यय होगा ।

लः- भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र:- 66-228 लाख रुपये की लागत से जनपद में 9 भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र स्थापित किये जायेंगे ।

वः- जीप की व्यवस्था:- उक्त योजनाओं की भली भांति पर्यवेक्षण हेतु जीप की व्यवस्था का प्राविधान है, जिस पर 0-665 लाख रुपया व्यय होगा ।

शः- विदेशी भेड़ों की खरीद:- भेड़ फार्मों पर उन्नत नस्ल के भेड़ों की आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु योजना काल में विदेशों से भेड़े खरीदी जावेगी, जिस पर 2-575 लाख रुपया व्यय होगा ।

## 3- कुक्कुट विकास :-

कुक्कुट पालन कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने तथा समाज के निर्बल वर्ग के लोगो की आर्थिक दशा सुधारने हेतु अब तक जनपद में 5 कुक्कुट प्रसार केन्द्र तथा एक कुक्कुट प्रदर्शन इकाई उपलब्ध है । कुक्कुट पालकों को प्रोत्साहन देने हेतु प्रशिक्षण तथा अनुदानित दर पर कुक्कुट व आहार उपलब्ध कराया गया तथा हरिजनों को चूजे क्रय करने एवं इनके लिये चुजा बनाने हेतु आवास ग्रह व्यवस्था की गई । इस पर अनुमानित: 10-5 लाख अंडो का वार्षिक उत्पादन है और कुक्कुट पक्षियों की संख्या 15000 है । पंचम योजना काल में अण्डा उत्पादन का लक्ष्य 136-00लाख रखा गया है जिससे प्रति दिन प्रति व्यक्ति एक अण्डा उपलब्ध हो सके । इस हेतु पंचम योजना काल में कुक्कुट पक्षियों की संख्या 1,80,000 प्राप्त करने का लक्ष्य है । उक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिये विभाग द्वारा निम्न योजनायें अनुमोदित है:-

अः- कुक्कुट प्रक्षेत्रों का पुनर्गठन एवं नये प्रक्षेत्रों का स्थापना:- योजना काल में कार्यरत 5 कुक्कुट प्रसार केन्द्रों [illegible] कुक्कुट प्रक्षेत्रों में पुनर्गठित किया जायेगा तथा स्थान गोपेश्वर में उक्त कुक्कुट प्रक्षेत्र स्थापित किया जायेगा जिस पर कुल 8-000 लाख रुपया व्यय किया जावेगा । इस योजना को सफल करने हेतु 700 पक्षियों को क्रय किया जावेगा तथा 70,470 चूजों के उत्पादन का लक्ष्य है ।

वर्ष 1974-75 में इस परियोजना के अन्तर्गत 2-62 लाख रुपये सार्वजनिक निर्माण विभाग को गोपेश्वर में कुक्कुट प्रक्षेत्र के निर्माण हेतु प्रादेष्टित किया गया है ।

ब:- पुष्टाहार कार्यक्रम:- योजना काल में 0-198 लाख रुपया पुष्टाहार कार्यक्रम पर व्यय किये जायेंगे। इसके लिये जनपद में 9 विकास क्षेत्र लिये जावेंगे । वर्ष 1974-75 में यह कार्यक्रम थराली विकास खण्ड में प्रारम्भ किया जा चुका है । योजना के अन्तर्गत 180 व्यक्तियों को कुक्कुट प्रशिक्षण दिया जावेगा और 3600 चूजे वितरित किये जावेंगे । वर्ष 1974-75 में 20 व्यक्ति प्रशिक्षित किये गये और 400 चूजों का वितरण किया गया ।

स:- कुक्कुट आहार परिवहन व्यय पर अनुदान :- योजना काल में 4700 क्वींटल कुक्कुट आहार वितरित किया जावेगा, जिससे 11,280 व्यक्ति लाभान्वित होंगे । योजना पर 1-06 लाख रुपया व्यय किया जावेगा । वर्ष 1974-75 में इस कार्यक्रम पर 0-15 रुपया व्यय करके 123 क्वींटल आहार वितरित किया गया ।

## * 4 - चारा विकास *

जिले में लगभग 25800 हैक्टियर भूमि में स्थाई चारागाह उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 13943 हैक्टियर भूमि कृषि योग्य बंजर के अन्तर्गत है । चारा विकास के दृष्टिकोण से कृषि योग्य बंजर भूमि इस काम में लाई जा सकती है, जिसपर उन्नतिशील घासें चारे का बीज बोकर पशुधन के लिये उन्नतशील चारा उपलब्ध कराया जा सकता है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद में चारा बीज वितरण, मिले क्रापिंग के प्रदर्शन तथा चारा प्रदर्शनों द्वारा चारा उत्पादन बढ़ाने के लिये निम्न प्रस्ताव योजना में सम्मिलित किये गये हैं :-

अ:- चारा बीजों का वितरण :- जनपद में 282 हैक्टियर भूमि पर चारा उत्पादन हेतु 0-338 लाख रुपये की लागत से चारा बीजों का वितरण किया जावेगा । वर्ष 1974-75 में 50 हैक्टियर भूमि में यह कार्यक्रम चलाया गया जिस पर 0-060 लाख रुपया व्यय हुआ । वर्ष 1975-76 के लिये 58 हैक्टियर का लक्ष्य निर्धारित है ।

ब:- चारा प्रदर्शन :- योजना काल में 50 चारा प्रदर्शन किये जावेंगे जिससे पशुपालक लाभान्वित होंगे । प्रदर्शन हेतु कुल 0-010 लाख रुपया व्यय होगा । वर्ष 1974-75 में 10 प्रदर्शन किये गये जिस पर 0-002 लाख रुपया व्यय हुआ ।

1974-75 में 10 प्रदर्शन किये गये जिस पर 0.006 लाख रुपया व्यय हुआ ।

### 5:- रोग नियंत्रण एवं पशु चिकित्सा कार्य:-

विभाग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य रोग नियंत्रण एवं पशु चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करने का है । निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार सभी विकास खण्डों मे पशु चिकित्सालय उपलब्ध हैं । परन्तु फिर भी कुछ स्थानों में पशु चिकित्सालय एवं पशु सेवा केन्द्रों की की स्थापना विषयक मांग बराबर आ रही है । सम्बन्धित रोगों एवं स्थानों की स्थिति को देखते हुये निम्न प्रस्ताव योजना में सम्मिलित है:-

अः-पशु चिकित्सालय का प्रान्तीय करण:- कर्णप्रयाग में पशु चिकित्सालय जिला परिषद द्वारा संचालित है, जिसके प्रान्तीय करण हेतु योजना में 0-879 लाख रुपया व्यय किये जाने का प्राविधान है ।

बः- सचल इकाई की स्थापना :-जनपद के बेहड़ क्षेत्रों जहां से पशु चिकित्सालय की सुविधा का लाभ नही उठाया जा सकता है रोग नियंत्रण हेतु 1-445 लाख रुपये के व्यय से एक सचल पशु चिकित्सालय की स्थापना की जावेगी। इस इकाई का मुख्यालय स्थान देवाल में होगा ।

सः-अतिरिक्त दवाई तथा औजारों की व्यवस्था:- जनपद के 3 पशु चिकित्सालयों पर अतिरिक्त दवाई तथा औजारों की व्यवस्था का प्राविधान है । इस हेतु 0-300 लाख रुपया व्यय किया जावेगा । यह योजना पशु चिकित्सालय चमोली, अगस्तमुनी एवं थराली में कार्यान्वित की जावेगी ।

दः- पशु चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण:- 2-444 लाख रुपये के व्यय से पशु चिकित्सालय थराली के भवन का निर्माण किया जावेगा ।

यः-पशु चिकित्सालय के कर्मचारियों के आवासीय भवनों का निर्माण - 0.056 लाख रुपये के व्यय से पशु चिकित्सालय अगस्त मुनी के कर्मचारियों ~~किया जावेगा । रि...~~ के आवासीय भवनों का निर्माण किया जावेगा

### 6:- छोटे तथा भूमिहीन कृषकों को सहायता:-

जनपद के 295 छोटे एवं 295 भूमिहीन कृषकों को क्रासब्रेड बच्चों बछियों को पालने हेतु आवश्यक सहायता प्रदान की जावेगी जिस पर क्रमशः 3-960 व 3-960 लाख रुपया व्यय होगा ।

7:- प्रदर्शनियां एवं प्रचार :-

जनता में पशुपालन के प्रति जागरूकता लाने के लिये प्रदर्शनों का आयोजन किया जावेगा ।

अ:- तहसील स्तर पर योजना काल में 5 पशु एवं कुक्कुट प्रदर्शनियां आयोजित की आयोजित की जावेगी, जिस पर 0-015 लाख रुपया व्यय होगा ।

ब:- इसी प्रकार जिला स्तर पर एक भेड़ एवं ऊन प्रतियोग्यता आयोजित की जावेगी । कुल 5 प्रतियोग्यतायें ~~0-05-~~ 0-015 लाख रुपया व्यय से आयोजित होंगे ।

8:- लेखव्ययकीय प्रशिक्षण एवं प्रशासन :-

विभागीय कार्यकलापों के कार्यान्वयन, उपलब्धि एवं प्रगति विवरण के रख रखाव रख रखाव हेतु निम्न लिखित योजनायें प्रस्तावित की गई हैं :-

अ- लेखा अनुभाग का सुदृढ़ीकरण :- जनपद में चल रहे पशुपालन कार्यकलापों पर होने वाले व्यय के लेखों के समुचित रख रखाव हेतु एक इकाई की स्थापना की जावेगी । जिस पर 0-068 लाख रुपया व्यय होगा ।

ब- नियोजन कक्ष की स्थापना :- पशुपालन कार्यक्रम के प्रगति विवरण के रख रखाव हेतु एक इकाई की स्थापना की जावेगी, जिस पर 0-142 लाख रुपया व्यय किये जाने का प्रस्ताव है । उक्त कार्यकलापों के संचालन हेतु पांचवी योजना का परिव्यय 212-24 लाख रुपया तथा वर्ष 1975-1975-76 का परिव्यय 17-47 लाख रुपया राज्य आयोजनागत श्रोत से निर्धारित किया गया है । वर्ष 1974-75 में 6-17 लाख रुपये का परिव्यय रखा गया था जिसके विपरीत 2-27 लाख रुपया व्यय हुआ ।

सहकारिता तथा निजी क्षेत्र में पशुपालन योजनाओं का सम्पादन किया जाना :-

उपरोक्त पंच वर्षीय योजना में वर्णित लक्ष्यों की पूर्ति पशुपालन विभाग द्वार द्वारा की जानी है । कुक्कुट [illegible] योजनाएं जिनका विवरण निम्न लिखित है, निजी एवं सहकारिता के आधार पर [illegible] चलाने का प्रयास किया जावेगा ।

अ:- कुक्कुट इकाईयों की स्थापना :- निजी क्षेत्र में 6 कुक्कुट इकाईयों को स्थापित किया जावेगा, जिस पर [illegible] रुपया व्यय होगा ।

ब:- ऊन क्रय केन्द्र :- जनपद में 4 ऊन क्रय केन्द्र सहकारिता के आधार पर स्थापित करने का प्रयास किया जावेगा ।

स:- जनपद के 50 भेड़ पालकों को योजना काल में 2.000 लाख रुपये का ऋण संस्थागत वित्त के माध्यम से वितरित किया जावेगा, जिससे भेड़ एवं ऊन विकास कार्यक्रम में अधिक प्रगति होगी।

द:- जनपद के 250 पशु पालकों को उन्नत नस्ल के पशु खरीद कर ऋण के रूप में वितरित किये जायेंगे। इस हेतु 3.00 लाख रुपये के ऋण का प्राविधान व्यवसायिक बैंकों के माध्यम से प्रस्तावित है। इस प्रकार व्यवसायिक बैंकों के माध्यम से 5.30 लाख रुपया ऋण की व्यवस्था की जावेगी जिससे निजी क्षेत्र में इन कार्यक्रमों को संचालित किया जावेगा।

## 9:- कर्मचारियों की व्यवस्था :-

उपरोक्त योजनाओं के कार्यान्वियन होने पर कार्यालय के कार्य में वृद्धि होगी तथा अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी एवं प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों द्वारा ही योजनाये सफल हो सकेंगी। अतः निम्न लिखित कर्मचारियों का प्राविधान किया जाना आवश्यक है :-

| | | |
|---|---|---|
| तकनीकी :- | 1:- प्रभारी अधिकारी | 3 |
| | 2:- भेड़ विशेषज्ञ | 1 |
| | 3:- कुक्कुट निरीक्षक | 1 |
| | 4:- चारा निरीक्षक | 1 |
| | 5:- पशु चिकित्सक | 2 |
| | 6:- पशुपाल | 8 |
| | 7:- अन्य चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी | 30 |
| प्राविधिक:- | 8:- प्रधान लिपिक | 1 |
| | 9:- सहायक लेखाकार | 1 |
| | 10:- ज्येष्ठ लिपिक | 2 |
| | 11:- कनिष्ठ लिपिक | 1 |
| | 12:- चपरासी | 1 |
| | 13:- चौकीदार | 1 |
| | 14:- जमादार | 1 |
| | 15:- जीप चालक | [illegible] |
| | 16:- ट्रक चालक | 1 |

## 10:- योजना को सफल बनाने हेतु संसाधनों की आवश्यकता, उनका जुटाया जाना तथा [illegible] :-

पशुधन संख्या की निरन्तर वृद्धि होने से चरागाहों की कमी होती जा रही है, जिससे पशुपालक, भेड़ पालक पर्याप्त चरागाह न मिलने के कारण पशुधन को बढ़ावा देने में असमर्थ प्रतीत होते हैं। इसलिये जनपद में सघन चारा विकास योजना

निम्नस्तरीय प्राकृतिक चरागाह –चरागाह का सुदृढ़ीकरण करना अनिवार्य है। इस हेतु उसमें उर्वरक एवं घेरबाड़ की व्यवस्था की जावे।

ब:– जनपद में संतुलित आहार के निर्माण का उद्योग न होने से पशुधन के लिये पौष्टिक आहार की कुछ व्यवस्था नहीं है अत: जनपद में पौष्टिक पशुधन आहार के निर्माण हेतु एक कारखाने की स्थापना की जावे।

स:– विभागीय कार्यों को सुचारु रूप से कार्यान्वित करने हेतु तकनीकी तथा प्राविधिक कर्मचारी की कमी है। कुछ निरीक्षण एवं संचालन के लिये विभाग, विषय विशेषज्ञ की नियुक्तियां होनी आवश्यक हैं तथा विषयानुसार उनका नियंत्रण भी उनके द्वारा होना आवश्यक है।

द:– विभागीय कार्यों के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु जीप की कमी लगातार बनी रही है। दैनिक भ्रमण एवं निरीक्षण कार्यों के लिये जिला पशुधन अधिकारी के लिये जीप की व्यवस्था होनी आवश्यक है।

य:– राजकीय पशुधन को एक स्थान से अन्य स्थानों पर पहुंचाने हेतु विभाग के पास ट्रक की व्यवस्था नहीं है, जिस हेतु एक टन क्षमता के ट्रक के क्रय किया जाना आवश्यक है।

जनपद में उक्त कठिनाइयां निरंतर बनी हुई हैं जो कि समाधान हेतु राज्य सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत हैं।

कुक्कुट सम्पूर्ति

जनपद में कुक्कुट सम्पूर्ति कार्यक्रम के लिये पांचवीं योजना में 80 हजार रुपया परिव्यय निर्धारित है।

## (6) मत्स्य

जनपद में मत्स्य पालन के लिये अभी तक कोई कार्य क्रम नहीं चलाया गया है, यद्यपि इस जिले में पिण्डर, मन्दाकिनी, अलकनन्दा तथा रामगंगा नदियाँ मछलियों के लिए विख्यात हैं। स्थानीय निवासी अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये इन नदियों से स्वतन्त्र ढंग से मछलियाँ पकड़ते रहते हैं। जनपद में कितनी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं इसके कोई आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

2- पाँचवीं योजना की अवधि में मत्स्य पालन कार्यक्रम को सुनियोजित ढंग से चलाने हेतु 118 हजार रुपये का विनियोग लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 1974-75 में 15 हजार रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया था किन्तु उसके विपरीत व्यय कुछ नहीं किया गया। वर्ष 1975-76 के लिये 20 हजार रुपये का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में उपयुक्त जलधाराओं में मिरर कार्प, ब्राउन ट्राउट तथा महाशीर जाति की मछलियों के पालने का कार्य क्रम प्रस्तावित है। वर्ष 1975-76 में मत्स्य पालन की प्रारम्भिक तैयारियाँ की जायेंगी।

====== 0 0 0 ======

## (7)- वन

जनपद का लगभग 54 प्रतिशत ~~क्षेत्रफल वनाच्छादित है। राष्ट्रीय वन नीति के~~ अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों के भूभाग के 66 प्रतिशत में वनों का होना आवश्यक है। किन्तु कृषि एवं बागवानी के लिये वन क्षेत्रों के अतिक्रमण की कोई गुंजायश नहीं है अपितु बेकार पड़ी हुई भूमि के नियोजित वनीकरण की आवश्यकता है।

इस जिले में वन विभाग के तीन वन प्रभागों का कार्य क्षेत्र है जिनके अधीन वनों का क्षेत्रफल 3-27 लाख हैक्टर है।

पश्चिमी अल्मोड़ा वन प्रभाग के क्षेत्र में भूमि संरक्षण वन प्रभाग का कार्य क्षेत्र भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त जनपद में सिविल एवं पंचायती वनों का क्षेत्रफल निम्न प्रकार है:-

1- सिविल वन - 1-13 लाख हैक्टर
2- पंचायती वन - 0-56 लाख हैक्टर

---

योग :- 1-69 लाख हैक्टर

---

वन विभाग के एक संकलन के अनुसार विभागीय वनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल 3-70 लाख हैक्टर आंका गया है किन्तु जब तक जिले का सम्पूर्ण भूमि उपयोगिता सर्वेक्षण नहीं होता है तब तक उन आंकड़ों में सुधार करना सम्भव नहीं है।

उप सम्भाग एक में बांज, बुरांस, तिलंज, फल्याट, पागर, बुर्ज, चैल, देवदार आदि वृक्ष पाये जाते हैं। उप सम्भाग -2 में चीड़, तुन, हल्दू, सेमल आदि वृक्ष मिलते हैं। यहाँ के वनों से भारी मात्रा में इमारती लकड़ी का निर्यात होता है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 68-69 में 13-55 हजार तथा वर्ष 1973-74 में 12-98 हजार घन मीटर इमारती लकड़ी उपलब्ध हुई। इसके अतिरिक्त उक्त वर्षों में क्रमशः 533 एवं 5082 घन मीटर ईंधन की लकड़ी उपलब्ध हुई। वर्ष 1973-74 में 15628 कुन्टल लीसा का भी उत्पादन किया गया।

इसके अतिरिक्त कई बहुमूल्य जड़ी-बूटियाँ भी वनों से प्राप्त होती हैं जिनके ठोस आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अनुमानतया दोनों उप सम्भागों से काफी मात्रा में जड़ी-बूटियाँ निकाली जाती हैं। मुख्य जड़ी-बूटियाँ कूट, कुटकी, गांठा, अतीस, हथजड़ी, वन ककड़ी, बालछड़ आदि हैं। शिलाजीत भी यहाँ काफी मात्रा में पाया जाता है। बाहरी ठेकेदार वन विभाग से ठेका लेकर इन जड़ी-बूटियों के संग्रह तथा निष्पण का कार्य करते हैं। इस पद्धति की दो हानियाँ हैं। प्रथम तो उपयोगी जड़ी-बूटियों का अन्धाधुन्ध दोहन तथा द्वितीय स्थानीय छोटे व्यापारियों की उपेक्षा।

शासन की वर्तमान वन नीति के अनुसार सिविल एवं पंचायती वनों का भी वन विभाग द्वारा अधिग्रहण किया जायेगा। इस परियोजना के अन्तर्गत जनपद के सम्पूर्ण अलकनन्दा जलागम क्षेत्र में भूमि संरक्षण एवं बाढ़ नियंत्रण योजना के अन्तर्गत वनीकरण तथा चरागाह विकसित किया जायेगा। यह कार्य स्थानीय निवासियों की सहमति तथा परामर्श

से किया जायेगा । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चारा तथा ईंधन प्रजाति के वृक्ष जैसे भ[illegible] बड़ोक , शहतूत , रीठनियाँ आदि तथा सिविल भागों पर रोपित की जायेगी जिससे [illegible] स्थानीय निवासियों की चारा तथा ईंधन सम्बन्धी समस्या का समाधान सम्भव हो सके ।

जनपद में वनों के विकास हेतु पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में कतिपय परियो[illegible] वन विभाग द्वारा चालू की गई तथा यह प्रयास किया गया कि इस जनपद में वनों के विकास के लिये जो कार्य बहुत ही आवश्यक थे उन्हें वन विभाग द्वारा चालू किया जाय । पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में किये गये कार्यों की 1973-74 तक की स्थिति निम्न प्रकार है :-

| | | |
|---|---|---|
| 1- आर्थिक एवं औद्योगिक महत्व की प्रजातियों का वृक्षारोपण | — | 65 हजार हे[illegible] |
| 2- यातायात वन संचार योजना सड़क एवं पुलों का निर्माण — | | |
| (अ) - मोटर मार्ग निर्माण | - | 95-00 कि0मी0 |
| (ब)- पैदल मार्ग निर्माण | - | 289-00 कि0मी0 |
| (स)- मार्ग सुधार | - | 301-00 कि0मी0 |
| (द)- टेलीफोन लाइन का निर्माण | - | 261-00 कि0मी0 |
| 3- भवन निर्माण योजना | - | 129 भवन |
| 4- तेल लोसा विदोहन | - | 15,628 क्विंटल |
| 5- मत्स्यपालन योजना | | गोपेश्वर में एक फार्म की अधिक निर्माण एवं 1500 मछली तालाबों । |

पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में स्टाफ की कमी महसूस की गई जिससे कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वयन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा फिर भी शासन से बजट की उपलब्धि के अनुसार सभी योजनायें सफलता पूर्वक पूर्ण कर ली गई ।

वनों के विकास तथा वन-सम्पदा के समुचित उपयोग को ध्यान में रखते हुये दीर्घ-कालीन परिप्रेक्ष्य में निम्न लिखित योजनाओं को पूर्ण करने की आवश्यकता है :-

| परियोजना का नाम | इकाई | भौतिक आवश्यकता | कुल कीमत अनुमानित आवश्यकता लाख रुपयों में |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1- औद्योगिक महत्व की प्रजातियों का वृक्षारोपण | हजार हेक्टेयर | 5-00 | 3240 |
| 2- वन संचार योजना सड़क एवं पुलों का निर्माण - | | | |
| अ- मोटर मार्ग निर्माण - | कि0मी0 | 99-00 | 7440 |
| ब- मार्ग चौड़ीकरण | " " | 90-00 | |
| 3- भवन निर्माण | संख्या | 99 | 31.25 |
| 4- शीघ्र उगने वाली प्रजातियों का वृक्षारोपण | हेक्टेयर | 480 | 450 |
| 5- वन सर्वेक्षण | - | [illegible] | 9.54 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 6- अलकनन्दा घाटी एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजना :- | | | |
| (1)- जलागम क्षेत्र का सर्वेक्षण | लाख हैक्टर | 1-5 | 22500 |
| (2)- चरागाह विकास एवं वनीकरण दोवाल तथा मिट्टी का [illegible] | हैक्टर | 0-21 | |
| (3)- कृषि भूमि का समतलीकरण | ,, | 500 | |
| (4)- फलदार पौधे लगाना | ,, | 600 | |
| (5)- चकडाम | संख्या | 2040 | |
| (6)- [illegible] | ,, | 60 | |
| (7)- [illegible] | ,, | 60 | |
| 7- प्र काष्ठ से उन्नत लट्ठे बनाना | हजार घनमीटर | 91-5 | 16446 |
| 8- अग्नि परिरक्षण योजना | इकाई | 6 (वाच टावर) | 8500 |
| 9- वन जीव जन्तु का परिरक्षण [illegible] की स्थापना तथा सर्वेक्षण | संख्या | 3 फार्म | 1800 |
| 10- सिविल वन एवं सोयम वनों के वनीकरण की योजना | | | |
| 1- सर्वेक्षण एवं [illegible] | हजार हैक्टर | 45 | 15600 |
| 2- चरागाह विकास | ,, ,, | 3-0 | |
| 3- वनीकरण | ,, ,, | 1-0 | |
| 4- [illegible] का निर्माण | ,, ,, | 0-195 | |

पंचम पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित कार्यों को कार्यान्वित करने के लिये वांछित [illegible] व्यवस्था का होना और आवश्यक है। प्रत्येक योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये धन प्राप्त होने पर [illegible] के [illegible] ठेकेदारों से टेण्डर आमंत्रित कर [illegible] में किये जायेंगे। [illegible] उत्तराखण्ड जनपद के वनों का [illegible] विकास एवं उनसे उपलब्ध [illegible] को जनता के हितार्थ उपलब्ध करना है।

पाँचवीं योजना के अन्तर्गत वर्ष 1974-75 में वन विभाग द्वारा 110 हैक्टर क्षेत्रफल में आर्थिक महत्व के वृक्ष लगाये गये और 3 [illegible] को निर्माण किया गया। वन विभाग का सम्पूर्ण [illegible] 0-27 लाख हैक्टर वर्ष प्लान के अन्तर्गत लिया जा चुका है। आर्थिक महत्व के वृक्षारोपण का लक्ष्य पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में [illegible] हजार हैक्टर तथा वर्ष 1975-76 में 150 हैक्टर निर्धारित किया गया है। पाँचवीं योजना में वनों के अन्तर्गत [illegible] कि०मी० मोटर मार्ग का निर्माण भी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त पथ वृक्षारोपण तथा केदारनाथ [illegible] विहार परियोजनायें भी कार्यान्वित की जायेगी।

इस पथ वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत मोटर मार्गों के किनारे फल तथा छायादार वृक्ष लगाये जावेंगे जो आकर्षण के साथ-साथ पथिकों के लिये छायाप्रद भी होंगे । प्रारम्भ में इस शहर के अन्दर या उसके निकट पड़ने वाले मोटर मार्गों पर यह कार्य प्रारम्भ किया गया है और जैकरेन्डा, अमलतास, कचनार, यूकेलिप्टस, पापलर, रोठा तथा बकैन आदि के पौधे लगाये जा रहे हैं । जनपद में लगभग 96,000 हैक्टर क्षेत्र में कस्तूरा मृग के संरक्षण करने के लिये एक मृग विहार स्थापित है । पाँचवी योजना में इस मृग विहार का सघनीकरण किया जावेगा जिसके अन्तर्गत वन्य पशुओं के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिये अधिक कर्मचारी कार्यरत होंगे साथ ही मृग विहार में आवागमन की सुविधा हेतु दुर्गम स्थानों में पैदल मार्ग प्रमुख स्थानों पर वाच टावर तथा लौग कैबिन बनाने का भी प्रस्ताव है । साथ ही कस्तूरा मृग के प्रजनन के लिये एक प्रजनन फार्म की भी योजना है ।

वन विभाग के उपरोक्त कार्यों के लिये वर्ष 1974-75 में 881 हजार रुपया निर्धारित परिव्यय के विपरीत 385 हजार रुपया व्यय किये गये और पाँचवी पंचवर्षीय योजना तथा वर्ष 1975-76 में क्रमशः 17,713 हजार तथा 545 हजार रुपया परिव्यय निर्धारित। यह समस्त धनराशि राज्य आयोजनागत मद से वहन की जावेगी ।

## भूमि संरक्षण

जनपद में वन विभाग द्वारा भूमि संरक्षण कार्य अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन प्रभाग गोपेश्वर तथा भूमि संरक्षण वन प्रभाग लानोबैत द्वारा सम्पन्न किया जा रहा है । अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन प्रभाग का सृजन 1974-75 में हुआ है इसका मुख्य उद्देश्य जनपद में अलकनन्दा एवं उसकी सहायक नदियों के जलागम क्षेत्र में विविध प्रकार के भूमि संरक्षण कार्य करना है । भूमि संरक्षण वन प्रभाग लानोबैत द्वारा रामगंगा घाटी में कार्य किया जा रहा है । वर्ष 1973-74 में 1890 हैक्टर क्षेत्रफल में भूमि संरक्षण कार्य किया गया और वर्ष 1974-75 में इसकी उपलब्धि 230 हैक्टर रही । भूमि संरक्षण कार्य का पाँचवी योजना का लक्ष्य 7,400 हैक्टर तथा वर्ष 1975-76 का लक्ष्य 560 हैक्टर निर्धारित है ।

जनपद में अलकनन्दा भूमि संरक्षण वन प्रभाग द्वारा सम्पन्न कराये जाने वाले कार्यों की वर्ष 1974-75 की भौतिक उपलब्धि पाँचवी योजना एवं वर्ष 19 75-76 के लक्ष्य का विस्तृत विवरण इस प्रकार है :-

| परियोजना | इकाई | वर्ष 1974-75 की उपलब्धि | पाँचवी योजना का लक्ष्य | वर्ष 19[illegible] का लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1- सर्वेक्षण | हजार हैक्टर में | 5 | 60 | 10 |
| 2- वो पालवन्दी | हैक्टर | 100 | 3600 | 500 |
| 3- चरागाह विकास एवं वनीकरण | हैक्टर | -- | 2600 | 140 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 4- चैक डैम निर्माण | संख्या | - | 400 | 50 |
| 5- स्पर निर्माण | ,, | - | 40 | 10 |
| 6- ढलान का उपचार | ,, | - | 20 | 5 |
| 7- फलदार वृक्षों का रोपड़ | ,, | - | 20,000 | 4,000 |
| 8- ऊबड़ भूमि का समतलीकरण | हैक्टर | - | 50 | - |

समस्त कार्य [illegible] परियोजना [illegible] द्वारा पुरोनिधानित वित्तीय श्रोत से और अवशेष भूमि संरक्षण कार्य [illegible] श्रोत से सम्पन्न किया जा रहा है। भूमि संरक्षण कार्य हेतु वर्ष 1974-75 में निर्धारित 675 हजार रुपया परिव्यय के विपरीत 696 हजार रुपया व्यय किया गया। पांचवीं योजना तथा वर्ष 1975-76 के लिये क्रमशः 8430 हजार एवं 1800 हजार रुपया परिव्यय निर्धारित है।

वन विभाग को उक्त परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में ग्रामीण श्रमिकों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार प्राप्त हो [illegible] कार्यों के सम्पादन हेतु विभागीय तकनीकी योग्यता प्राप्त कर्मचारियों [illegible] में ग्रामीण श्रम शक्ति का उपयोग किया जायेगा।

=====00 xxx===

## (9) कृषीय ऋण

जिले के निवासियों का मुख्य धन्धा कृषि है किन्तु लगभग 95 प्रतिशत जोतें एक हेक्टे
उससे कम की हैं। इस कारण कृषि से इतनी आय नहीं हो पाती है कि भूमि सुधार, सिंचा
खाद बीज सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति इन छोटी जोतों की आय से कर पाने में कृषक स
सकें। अतएव ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये इसे ऋण की आवश्यकता होती है। अभी त
ऋण की आवश्यकता की पूर्ति सहकारी बैंकों द्वारा अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण प्रदा
तथा कृषि विभाग द्वारा तकावी की सुविधा प्रदान करके की गई है। चतुर्थ पंचवर्षीय
काल में कृषि विभाग द्वारा 3.21 लाख रुपये की तकावी तथा सहकारी बैंकों द्वारा 20
रुपये का ऋण वस्तु के रूप में (अंश 'ख') वितरित किया गया। पंचम पंचवर्षीय योजना में
विभाग द्वारा तकावी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है क्योंकि उद्देश्य यह है कि सरकारी ऋ
अपेक्षा कृषक अपनी आवश्यकता की पूर्ति सहकारी तथा व्यावसायिक बैंकों के ऋण से करें।

पंचवर्षीय योजना की अवधि में कृषकों को खाद बीज तथा अन्य छोटी मोटी आ
की पूर्ति के लिये करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण तथा भूमि सुधार, छोटे मोटे कृषि
सिंचाई योजनाओं की स्थापना के लिये 0-48 करोड़ रुपये का मध्यकालीन ऋण वितरित किये जाने
प्राविधान है। वर्ष 74-75 में उक्त ऋण क्रमशः 24-37 एवं 12-14 लाख रुपये वितरित
भूमि विकास बैंकों के होने की वजह से दीर्घकालीन ऋण का प्राविधान
है। वर्ष 1975-76 में सहकारी समितियों द्वारा 20 लाख रुपये अल्पकालीन और 3-0
रुपये मध्यकालीन ऋण वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त कृषि की आव
आवश्यकताओं के लिये व्यावसायिक बैंकों द्वारा भी ऋण उपलब्ध कराये जाने की दिशा में
किये जा रहे हैं। व्यावसायिक बैंकों का योगदान 1975-76 से प्रारम्भ हुआ है।

==========================

## (3.) सहकारिता

1- जिले में सहकारिता का आरम्भ सर्व प्रथम ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 1340-41 में जीवन सुधार समितियों के रूप में हुआ बाहरी अन्य जिलों से सम्पर्क कम होने के कारण जनता अपनी उन्नति के प्रति प्रायः उदासीन रही है। अतस्त हर कार्य को प्रारम्भ तथा संचालित करने की अपेक्षा अभी भी शासन से करती है। इस पृष्ठ भूमि में जनता के विकास में सहकारिता का विशेष स्थान है।

2- वर्तमान में जनपद में मुख्य रूप से सहकारिता के अन्तर्गत 4 कार्यक्रम हैः - (1) ऋण तथा अधिकोषण (2) क्रय विक्रय (3) उपभोक्ता कार्यक्रम एवं (4) विपणन विकास। ये सभी कार्यक्रम जिले के लिये आवश्यक हैं। पंचम पंचवर्षीय योजना में भी उपरोक्त चारों कार्यक्रमों का अधिक विस्तार किया जायेगा।

जनपद में सहकारी संस्थाओं की स्थिति निम्न प्रकार हैः -

| क्र0सं0 | विवरण | 1368-69 | 1371-72 | 1373-74 | 1379-73 अनुमानित |
|---|---|---|---|---|---|
| 1- | जिला सहकारी बैंक | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2- | क्रय विक्रय उपभोक्ता संघ | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3- | प्राथमिक ऋण समितियाँ | 140 | 138 | 135 | 102 |
| 4- | सहकारी विकास संघ | 18 | 19 | 18 | 18 |
| 5- | उपभोक्ता भण्डार | 9 | 8 | 12 | 12 |
| 6- | यातायात सहकारी समिति | - | 1 | 1 | 1 |
| 7- | श्रम संविदा समिति | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 9- | जनजाति सहकारी समिति | - | 1 | 2 | 2 |

जनपद के सभी ग्राम सहकारी समितियों से आच्छादित हो चुके हैं। वर्ष 1373-74 के अन्त तक लगभग 10 हजार व्यक्ति प्रारम्भिक समितियों के सदस्य बन चुके हैं जो जनपद के कुल परिवारों का 76% है। वर्ष 1373-74 के अन्त तक औसतन प्रति सदस्य 31 रुपया अंशधन एवं 5 रुपया अमानत [illegible] की पूंजी है। तदनुसार 1040 हजार रुपये अंशधन और 212 हजार रुपये अमानतों की [illegible] की पूंजी है। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण वितरण औसत रूप से प्रति सदस्य क्रमशः 49 व 11 रुपये था। वर्ष 1373-74 में कृषि ऋण समितियों द्वारा अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण के रूप में क्रमशः 1306 तथा 450 हजार रुपये वितरित किया गया। उपरोक्त प्रकार से प्रगति का मूल्यांकन करते हुये पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक कार्यक्रम को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिये तदनुकूल लक्ष्य प्रस्तावित किये गये हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के प्रति जनता की रुचि बढ़ती जा रही है और विकास कार्यों के संचालन में जनता के अधिकाधिक योगदान से तीव्रता आवेगी तथा उपलब्धियाँ भी बढ़ती जायेंगी।

3-(अ) सहकारी ऋण तथा अधिकोषण इस योजना के अन्तर्गत जिला सहकारी बैंक का काफी महत्व है। वर्तमान में जिला सहकारी बैंक की तीन शाखायें- रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग तथा जोशीमठ में [illegible]

संस्थापित है और छठी तथा सातवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त तक जनपद में सभी विकास खण्डों में बैंक की कम से कम एक -एक शाखा स्थापित हो जायेगी । सहकारी ऋण व्यवस्था इन शाखाओं के माध्यम से अधिक से अधिक सुविधा सुलभ की जायेगी । ग्रामीण क्षेत्रों में अर्धिक कमजोरों के लिये के कार्य क्रम के अन्तर्गत कायाणी समितियों के द्वारा भी ऋण व्यवस्था सुलभ की जायेगी ।

(ब)- क्रय विक्रय एवं उपभोक्ता कार्य क्रम के अन्तर्गत जनपद में एक क्रय विक्रय उपभोक्ता संघ संगठित है तथा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में संगठित कायाणी समितियों द्वारा भी उपभोक्ता क्रय विक्रय के कार्य को व्यापक रूप से किये जाने की योजना प्रस्तावित है। वर्तमान में कुल 58 सहकारी संस्थाओं द्वारा इस कार्य को किया जा रहा है । पंचम पंचवर्षीय योजना में इस कार्य क्रम के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण एवं बिक्री केन्द्रों का खोला जाना तथा क्रय-विक्रय समिति के ग्रामीण गोदाम घरों के निर्माण का भी लक्ष्य प्रस्तावित है ताकि भण्डारण व आयात एवं निर्यात के कार्य को सुव्यवस्थित किया जा सकें । इस कार्य क्रम का इस जनपद के लिये विशेष महत्व है ।

(स) - यह जनपद वन सम्पदा में धनी है इस कार्य क्रम के अन्तर्गत जड़ी-बूटी संग्रहण, प्रशिक्षण तथा कृषि के कार्यों को पूर्ववत चालू रखा जायेगा और अधिक विस्तार किया जाना भी प्रस्तावित है । इस कार्य क्रम के अन्तर्गत जनपद के 3 विकास खण्डों में अधिकाधिक विकास व प्रसार की योजना प्रस्तावित की गई है ताकि जनता भाग के इस प्राकृतिक स्रोत से विशेष लाभ ग्रहण कर सकेगी ।

4- पाँचवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य क्रमों को तत् पश्चात दीर्घावधि के प्रक्षेप में छठी तथा सातवीं पंचम पंचवर्षीय योजनाओं में भी रखे जाने की संस्तुति की जाती है । इन कार्य क्रमों की सफलता तथा अधिक व्यापकता छठी अथवा सातवीं योजना में की जायेगी क्यों ये सभी कार्य क्रम इस जनपद के लिये महत्वपूर्ण और नितान्त आवश्यक हैं । पाँचवी योजना के पश्चात आने के दस अथवा पन्द्रह वर्षों के उपरान्त सहकारिता के अन्तर्गत चालू विकास के कतिपय मदों में स्थिति का प्रक्षेपण अर्थात उसकी सम्भावित स्थिति का अनुमान निम्नानुसार है :-

( रुपये हजार में )

| विवरण | 1973-74 की स्थिति | पंचवर्षीय योजनायें | | |
|---|---|---|---|---|
| | | पाँचवी योजना | छठी योजना | सातवीं योजना |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1- सदस्यता हजार में | 40 | 48 | 49 | 52 |
| 2- अंशपूँजी | 1240 | 1360 | 1420 | 1500 |
| 3- अमानतें | 212 | 912 | 1000 | 1200 |
| 4- अल्पकालीन ऋण | 1303 | 2200 | 2400 | 2600 |
| 5- मध्यकालीन ऋण | 450 | 1130 | 1200 | 1250 |
| 6- दीर्घकालीन ऋण | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 7- उपभोक्ता वाणिज्य कार्य | 323 | 9200 | 9500 | 3000 |
| 8- वनौषधि के अन्तर्गत क्षेत्र (हैक्टर में) | 25-5 | 95 | 30 | 35 |
| 9- कुल जड़ी-बूटी का संग्रहण (विक्रय मूल्य) | 116 | 720 | 725 | 730 |

पंचम योजना के उपरान्त कुछ विशिष्ट कार्य क्रमों को जनपद में सहकारी विभाग के अन्तर्गत चालू किया जाना प्रस्तावित किया गया है। जनपद में फल एवं आलू विकास की सम्भावित प्रगतियों को आँकते हुये उनके भण्डारण हेतु जनपद में सातवीं तथा आठवीं योजनाओं में एक-एक शीत भण्डार का निर्माण प्रस्तावित किया जाता है। फलों के उपज के साथ ही छठी योजना में एक फल प्रकृयात्मक इकाई तथा एक भेषज प्रक्रियात्मक इकाई की स्थापना करना भी प्रस्तावित है। छठी योजना के अन्तर्गत एक लीसा समिति, एक गृह निर्माण समिति के संगठन का भी लक्ष्य प्रस्तावित है। लीसा प्रक्रियात्मक इकाई की स्थापना सातवीं योजना में प्रस्तावित की गई है। जनपद में दुधारू पशुओं के विकास होने के फलस्वरूप जनपद के मुख्यालय पर एक दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना सम्भव हो सकेगी। अतः उसके संगठन का लक्ष्य छठी योजना में प्रस्तावित है। जनपद में पहले अच्छी मात्रा में चाय बागान थे उनका पुनरुद्धार करने हेतु सातवीं एवं आठवीं योजनाओं में एक-एक चाय कृषि समिति संगठित करने का लक्ष्य प्रस्तावित है। यातायात के वर्तमान सहकारी संस्था के सुदृढ़ीकरण के उपरान्त सातवीं योजना में जनपद में एक यातायात सहकारी संस्था संगठित करने की भी सम्भावना है। इन सम्भावनाओं की परिकल्पना पूर्व स्थिति एवं जनपद में विकास कार्य क्रमों की गति को ध्यान में रखकर की गई है।

5- पाँचवीं योजना के अन्तर्गत भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण, वर्तमान की वास्तविकताओं एवं विकास कार्य क्रमों की सम्भावित पूर्ति और उनकी पूर्तताओं को दृष्टिगत रखते हुये किया गया है। लक्ष्यों की क्रमिक वृद्धि तथा औसत प्रति सदस्य अंशपूंजी, अमानतें तथा अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण वितरण भी तदनुसार प्रस्तावित किया गया है। भौतिक लक्ष्यों की वार्षिक वृद्धि और जनता अथवा संस्था के परिवारों की माँग अथवा निजी सम्साधनों की उपलब्धता पर भी योजना के सभी मदों का निश्चितिकरण और भविष्य के कार्य क्रमों का समन्वय किया गया है।

6- पाँचवीं पचवर्षीय योजना में सहकारी ऋण तथा अधिकोषण कार्य क्रम को सुदृढ़ करने के लिये प्रारम्भिक सहकारी समितियों को स्वाश्रयी बनाया जायेगा। इन प्राथमिक स्वाश्रयी इकाईयों में 6,000 नये सदस्यों की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इन स्वाश्रयी समितियों में पुराने एवं नये दोनों प्रकार के सदस्यों से रु 120 हजार रुपया अंशपूंजी का भी लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। प्रारम्भिक ऋण समितियों द्वारा अपने सदस्यों को पाँचवीं पंच वर्षीय योजना काल में 2200 हजार रुपये अल्पकालीन तथा 1130 हजार रुपये मध्यकालीन ऋण वितरण का लक्ष्य भी प्रस्तावित है। निर्बल वर्ग के समुदाय को सहकारी समितियों के सदस्य बनने हेतु मध्यकालीन ऋण भी अंशपूंजी क्रय हेतु दिया जाना प्रस्तावित है जो कि पाँचवीं योजना काल के लिये 120 हजार

रुपये हैं। जिला सहकारी बैंक में सहकारी समितियों के सदस्यों द्वारा 41 हजार रु अंशपूंजी विनियोजित एवं 6 लाख रुपया निक्षेप संचय का भी लक्ष्य प्रस्तावित किया गया। वर्ष 1974-75 में प्रारम्भिक ऋण समितियों द्वारा 2612 हजार रुपया अल्पकालीन तथा 1214 हजार रुपया मध्यकालीन ऋण वितरण किया गया। इन समितियों की सदस्यता 2 हजार की वृद्धि के साथ सदस्य संख्या 42 हजार हो गयी है। इस वर्ष अंशपूंजी 162 हजार की वृद्धि हुई जो पांचवीं योजना के लिये निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक है।

प्रारम्भिक ऋण समितियों की जमा धन में वृद्धि 102 हजार रुपया हुई इसके समितियों की जमा धनराशि 314 हजार रुपया हो गई है।

वर्ष 1975-76 में सदस्यता, अंशपूंजी तथा जमा धनराशि में वृद्धि का लक्ष्य 2-5 हजार, 50 तथा 300 हजार रुपये निर्धारित है। इस वर्ष जिला सहकारी बैंक एक शाखा भी खोली जानी प्रस्तावित है। ऋण समितियों द्वारा इस वर्ष क्रमशः 2000 930 हजार रुपया अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण वितरण करने का लक्ष्य है।

उपभोक्ता कार्यक्रम के अन्तर्गत पांचवीं योजना में नये भण्डार संगठित नहीं होंगे केवल दो उपभोक्ता भण्डारों के सुदृढ़ीकरण तथा एक फुटकर बिक्री केन्द्र के खोले जाने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। क्रय विक्रय कार्यक्रम में वर्तमान की संगठित क्रय विक्रय समिति का कार्य व्यापक किया जायेगा एवं जनपद के 9 विकास खण्डों में उपभोक्ता वस्तु खादानों व नियन्त्रित तथा अनियन्त्रित वस्तु का भण्डार की सुव्यवस्था बनाये रखने हेतु 22 ग्रामीण गोदाम ... निर्माण का प्रस्ताव है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जनपद 2 श्रम संविदा सहकारी समिति और संगठित की जानी प्रस्तावित की गई है। इसमें सहकारी समितियों को अधिक सुदृढ़ ... कार्यशील बनाया जायेगा। इस हेतु उनमें राज्य साझेदारी एवं कार्यशील पूंजी हेतु ऋण तथा अनुदान की भी सुविधाओं को दिया जाना प्रस्तावित किया गया है।

वर्ष 1974-75 में एक श्रम संविदा समिति की जा चुकी है। इस वर्ष क्रय विक्रय तथा उपभोक्ता सहकारी समितियों के द्वारा 885 ... 1134 हजार रुपये के मूल्य की वस्तुओं का क्रय विक्रय किया।

भेषज विकास योजना के अन्तर्गत पांचवीं योजनाकाल में 85 हेक्टर भूमि पर भेषज कृषिकरण का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। जनपद के नौ विकास खण्डों में इस कार्य को अधिक व्यापक व सघन बनाने हेतु 9 छोटी इकाईयां तथा एक भेषज विकास संघ संगठित किया जायेगा। इस संघ द्वारा एक गोदाम पर निर्माण का भी लक्ष्य प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 80 हजार रुपये मूल्य की जड़ी-बूटी के उत्पादन और 640 हजार रुपया के मूल्य की भेषजों का वनों से संग्रहण ... करने का लक्ष्य पांचवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार पांचवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत पूर्व से चले आ रहे उक्त कार्यों को पूर्ववत चालू किए रखा जायेगा।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में उक्त कार्यों के संचालन हेतु ऋण तथा अधिकोषण योजना के अन्तर्गत 580 हजार रुपये, उपभोक्ता कार्यक्रमों हेतु 750 हजार रुपये, क्रय विक्रय कार्य के लिये 188-7 हजार रुपये, श्रम संविदा योजनान्तर्गत 3-8 हजार रुपये एवं भेषज

विकास योजना के लिये 363-4 हजार रुपये का राज्य आयोजनागत श्रोत से परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त औषधकोषण योजना के अन्तर्गत 3330 हजार रुपये संस्थागत और 720 हजार रुपये जनपोषित श्रोत से, क्रय विक्रय योजना के अन्तर्गत 205-9 हजार रुपये केन्द्रीय सेक्टर से तथा भेषज विकास योजनाओं के लिये 720 हजार रुपये जनपोषित श्रोत से वित्त पोषण किये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रकार सभी श्रोतों से पाँचवीं योजना का कुल परिव्यय 6146 हजार रुपये निर्धारित है।

वर्ष 1974-75 में 181-6 हजार रुपये राज्य आयोजनागत, 2550 हजार रुपये संस्थागत तथा 345 हजार रुपये जनपोषित श्रोत से निर्धारित परिव्यय के विपरीत 5348 हजार रुपया संस्थागत तथा 489 हजार रुपये जनपोषित श्रोत से व्यय किया गया। राज्य आयोजनागत श्रोत से इस वर्ष व्यय शून्य रहा।

वर्ष 1975-76 में राज्य आयोजनागत, संस्थागत तथा जनपोषित श्रोत से क्रमशः 61, 2930 और 485 हजार रुपये का वित्त पोषण किये जाने का प्रस्ताव है। इस वर्ष का कुल परिव्यय 3476 हजार रुपये निर्धारित है।

योजना में विकास कार्यक्रमों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है। प्राथमिकता के आधार पर ही प्रथम रुपेण ऋण तथा औषधकोषण योजना पुनः स्च क्रय विक्रय एवं उपभोक्ता और श्रम संविदा तथा वनौषधि विकास कार्यक्रमों को रखा गया है। जहाँ तक परिव्यय का प्रश्न है, शासन से धन की कम अपेक्षा की गई है केवल उन्हीं वित्तीय तथा तकनीकी सहायताओं की माँग की गई है जो नितान्त आवश्यक है। संस्थागत परिव्यय अधिक है एवं तत्पश्चात जनपोषित परिव्यय का प्रस्ताव सम्मिलित किया गया है। जनसाधारण कमजोर और पिछड़े वर्ग के समुदाय की प्रगति व उनकी सुविधायें जुटाने का भी समुचित ध्यान रखा गया है।

7- पाँचवीं पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न संगठित सहकारी संस्थाओं के विस्तार तथा नव संगठनों के लिये विभिन्न प्रकार के कार्मिकों तथा तकनीकी कर्मचारियों की विभिन्न स्तर पर आवश्यकता होगी। क्रय विक्रय समिति एवं स्वाश्रयी सहकारी समितियों, उपभोक्ता भण्डारों, श्रम संविदाओं तथा वनौषधि विकास योजना के अन्तर्गत नव संगठित भेषज विकास संघ और भेषज इकाईयों आदि के लिये सचिवों, लेखा लिपिकों, शाखा व्यवस्थापकों और भेषज इकाईयों में तकनीकी सहायकों की आवश्यकता की अनुभूति हुई है। इस प्रकार मानव शक्ति के कुशल और अकुशल श्रम की उपयोगिता को योजना के सफल कार्यान्वयन में संयोजित किया गया है, ऐसे कर्मचारियों की प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रदेश स्तर पर विभाग द्वारा पूर्ण की जायेगी। सहकारी विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यक्रमों में इस योजना में लगभग 400 व्यक्तियों को पूर्ण कालिक आय का व्यवसाय तथा श्रम संविदाओं एवं भेषज संग्रहण आदि के द्वारा लगभग 8[illegible] हजार व्यक्तियों को अंशकालिक आय का व्यवसाय मिलने की संभावना है।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न सहकारी संस्थाओं द्वारा निजी भवन, गोदाम-घर आदि के निर्माण भी किये जायेंगे। इस प्रकार इन सभी प्रकार के भवनों

के निर्माण में निम्नानुसार सामग्री की आवश्यकता का अनुमान है :-

1- सीमेन्ट 21-888 मै०टन

2- लोहे की चादर 14-4 मै०टन

3- लोहा (सरियों हेतु) 14-4 मै०टन

8- जनपद में भोटिया जाति के समुदाय के विकास तथा सुविधाओं के लिये सहकारिता के क्षेत्र में संगठित हो सहकारी समितियों के माध्यम से ~~व्यक्तिक~~ व्यवसायिक ऋण तथा अन्य आर्थिक सुविधाओं का प्रश्न राज्य स्तर से विचारणीय है। जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में जनजाति तथा हरिजनों के लिये उनके पूर्व प्रचलित शिल्पकला व तत् सम्बन्धी उपकरणों के लिये भी राज्य स्तर से सहकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट सुविधाओं को भी उपलब्ध कराया जाना श्रेयस्कर होगा क्योंकि हरिजन तथा जनजाति के लोग जो कि सहकारी ऋण समितियों के सदस्य हैं और कृषक भी हैं को राज्य स्तर पर सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि कार्यों हेतु फसली अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण की सुविधायें उपलब्ध है किन्तु सहकारी समितियों द्वारा उन हरिजनों तथा जनजाति के लोगों के लिये जो कृषि करने के साथ साथ अन्य व्यवसाय यथा लोहार गिरी व बढ़ई गिरी, राज गिरी आदि अन्य सहायक व्यवसाय भी करते आ रहे हैं, हेतु नानएग्रीकल्चरल लोन की भी सुविधा उनके इन्हीं सहकारी संगठनों के माध्यम से उपलब्ध हो जायें तो इन कृषकों के लिये जो शिल्पकार भी हैं, आवश्यक एवं अधिक सुविधाप्रद हो सकेगा। यह प्रश्न भी शासन से विचारणीय है।

इस प्रकार कम भूमि वाले सदस्यों जैसे भोटिया आदि जनजाति वालों का प्रश्न भी इस वर्तमान असुविधाओं से जुड़ा है। क्योंकि इन्हें पहले फसली कार्यों के लिये सहकारी समितियों द्वारा ऋण उनकी चल अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति के आधार पर दिया जाता था, पर अब आर०बी०आई० के नीति निर्धारण अनुसार उन्हें भूमि कम अथवा नहीं होने से ~~ऋण सुवि~~ यह सुविधा अति न्यून और अपर्याप्त नहीं मिल पाती है। अतः पर्वतीय क्षेत्रों में पूर्ववत पूर्ण सम्पत्ति के आधार पर ही ऋण दिया जाना वांछनीय है। उनके तिब्बत से व्यापार बन्द हो जाने से वे व्यवसाय हीन से हो गये हैं ये लोग भेड़, बकरी, घोड़े आदि पालकर अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। अतः ऐसे सहकारी संस्थाओं के सदस्यों को भी यदि उनके व्यवसायिक उद्देश्यों के लिये भी ऋण राज्य द्वारा उनकी सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ही मिल जाय तो उनकी जन शक्ति का राष्ट्र के हित में अच्छा उपयोग सिद्ध होगा।

अतः ऐसे समस्त ऋण जो शासन द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिये विभिन्न विभागों से अथवा लीड बैंक एवं कारपोरेशन आदि संस्थाओं से जनता में वितरित किये जा रहे हैं वे सभी उनकी सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ही वितरित किये जाँय जिससे ऋण वितरण एवं वसूली होने में सुविधा रहेगी और ऋण मिलने का एक ही स्रोत हो जाने से जनता को विभिन्न स्रोतों तक दौड़ने में जो जन शक्ति नष्ट करनी पड़ती है वह भी राष्ट्र के अन्य उपयोगी कार्यों में व्यय होगी।

(-) वर्तमान में जनपद में कृषकों को बागवानी, फलउपयोग, उद्यान, पशुक्रय आदि हेतु विकास के विभिन्न प्रशासकीय विभागों द्वारा भी शासन से अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण लिये जा रहे हैं और उन्हे कृषकों को सहकारी बैंक द्वारा भी समान उद्देश्य के लिये अल्पकालीन अथवा मध्य कालीन ऋण भी वितरित किया जा रहा है। यदि ये समस्त ऋण सहकारिता द्वारा ही दिया जाय तो अधिक सुविधाप्रद एवं श्रेयकर होगा, क्यों कि इससे एक ही स्तर पर समुचित जांच की जा सकेगी और किसी भी कृषक की वास्तविक भूमि और प्रतिदान क्षमता के अन्तर्गत ही ऋण स्वीकृत की जा सकेगी और कृषक भी अनावश्यक भार से नही दबने पायेंगे एवं ऋण का भी सदुपयोग हो सकेगा। यह अधिक व्यवहारिक भी रहेगा। अतः इस हेतु समस्त ऋणों को सहकारी संस्थाओं के माध्यम से वितरित किया जाना वांछनीय है। इस प्रकार राज्यस्तर से ही कार्यवाही की सकती है।

---

## (10) पंचायत राज

जनपद में इस समय 508 ग्राम सभायें और 54 न्याय पंचायतें गठित है। 1971 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या 280365 है। जिले में 1639 ग्राम है। इनमें से 146 ग्राम गैर आबाद है। जनपद में पंचायतों की औसत वार्षिक आय 805100 रु० के बीच है जिसमें वे अपनी प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती है राज्य सरकार द्वारा आय के स्त्रोत जैसे भूमि चारागाह मेले हाट आदि भी उपलब्ध नहीं है। ग्राम सभाओं को ग्राम स्तर पर विशेष रूप से विकास सम्बन्धी कार्य सौंपे गये हैं। जो विकास खण्डों के माध्यम से सम्पादित किये जाते है :

2- चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल तक 8 ग्राम सभाओं को 24,100 रु० उत्पादक परिसम्पद के विकास हेतु ऋण वितरित किया जा चुका है। 13 पंचायत सेवकों को प्रशिक्षण जिस पर 2500 रु० व्यय हुआ है, दिया गया है 19-20 लाख रुपये की लागत से 30 कीलोमीटर जन सम्पर्क मार्गों का निर्माण किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 108 प्रौढ़ पाठशालायें चालू की गई जिन पर 6 माह तक पाठशालायें चलाकर 5400 रु०व्यय हुआ है और 3000 प्रौढ़ों को साक्षर किया गया है।

3- 10 ग्राम सभाओं को उनके द्वारा अच्छे कार्य करने पर शासन द्वारा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 5700 रु० पुरस्कार स्वरुप दिया गया है। 3 ग्राम सभाओं को 2 पंचायत घरों के निर्माण हेतु शासन द्वारा 10,000 रु० अनुदान दिया गया एवं गांव सभाओं ने स्वयं अपने साधन से तथा दान आदि से पंचायत घर निर्माण किये है वर्तमान समय में जनपद में 174 पंचायत घर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध है।

4- पंचायतों के सुदृढ़ विकास के लिये जो भी आवश्यकतायें है सीमित साधनों को देखते हुए उनकी पूर्ति पांचवीं योजना काल में नहीं की जा सकती है अतः पांचवी योजना के उपरान्त दीर्घकालीन योजना के अन्तर्गत 34 पंचायत सेवकों को प्रशिक्षण जिस पर 50 हजार रु० व्यय का अनुमान है प्रस्तावित किया गया है 10 न्याय पंचायतों केन्द्रों पर पंचायत घरों का निर्माण किया जायेगा जिस पर 50 हजार रु० व्यय होने का अनुमान है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु 10 पुस्तकालय एवं वाचनालय स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है जिस पर 20 हजार रु० व्यय का अनुमान है। पंचायतों उद्योगों के सफल संचालन हेतु जिला स्तर पर स्टाफ एवं तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति किये जाने हेतु 50,000 रु० व्यय का अनुमान है अच्छा कार्य करने वाली ग्राम सभाओं को शासन द्वारा पुरस्कार दिये जाने की भी परियोजना प्रस्तावित है जिस पर लगभग 50,000 रु० व्यय का अनुमान है! पंचायत पदाधिकारियों में रुचि पैदा करने का एवं कार्य में स्फूर्ति लाने के निमित्त प्रशिक्षण योजना भी रखी गई है। इस प्रशिक्षण योजना पर 41 हजार रुपये व्यय का अनुमान है! पंचायतों के पुरस्कार स्थान तक पहुंचाने एवं उनके कार्यों का सिंहावलोकन करने एवं पदाधिकारियों के मिलन हेतु खण्ड स्तर, जिला स्तर एवं मण्डल स्तर पर सम्मेलनों के आयोजन किये जाने की योजना है! इन सम्मेलनों पर 9 हजार रु० व्यय का अनुमान है।

5- पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास पंचायतों के आय के साधन बढ़ाने पंचायतों के पदाधिकारियों में सहयोग की भावना जाग्रत करने, विकास कार्यों के सम्पादन में अभिरुचि पैदा करने हेतु पंचायत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण की योजना पंचायत उद्योगों के संचालन हेतु तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति, पंच सम्मेलनों का आयोजन, पंचायत घरों का निर्माण पुस्तकालय एवं वाचनालयों की स्थापना आदि परियोजनायें प्रस्तावित की गई हैं ।

6- पंचम पंचवर्षीय योजनाकाल में उपरोक्त परियोजनाओं पर 1,53,400 रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया है। वर्ष 74-75 में 4900 के परिव्यय के विपरीत 4400 रु० पुरस्कार योजना के अन्तर्गत अच्छे कार्य करने वाली गाँव सभाओं को पुरस्कार वितरण किया गया है वर्ष 75-76 में 19,600 रु० का परिव्यय निर्धारित है । जिसमें जिला स्तर पर निम्न परियोजनायें कार्यान्वित की जावेगी:-

1- पंचायत सेवकों का प्रशिक्षण:- इस वर्ष एक पंचायत सेवक को प्रशिक्षित किया जावेगा। इस परियोजना का कार्यान्वयन सामुदायिक विकास विभाग के प्रशिक्षण केन्द्रों के द्वारा किया जावेगा । 1 जुलाई 75 से प्रारम्भ हो चुका है।

2- पंचायत संस्थाओं को प्रोत्साहन:- वर्ष 75-76 में पंचायत संस्थाओं को प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत सर्वश्रेष्ठ 3 गाँव सभाओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार वितरित किया जावेगा ।

3- पंचायत पदाधिकारियों को प्रशिक्षण:- पंचायत पदाधिकारियों के प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत वर्ष 75-76 में इस जनपद के 33 सरपंचों एवं 33 सहायक सरपंचों को तहसील स्तर पर 6 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जावेगा ।

7- जैसे जैसे साधन सुलभ होंगे पाँचवी योजना काल में निम्न परियोजनायें कार्यान्वित की जावेंगी:-

1- पंचायत सेवकों का प्रशिक्षण:- जिले के 5 अप्रशिक्षित पंचायत सेवकों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। प्रशिक्षण में उन्हें पंचायतों के सम्बन्ध में व्यवहारिक ज्ञान कराया जावेगा ।

2- पंचायत संस्थाओं को प्रोत्साहन:- जनपद में अच्छा कार्य करने वाली सर्वश्रेष्ठ गाँव सभाओं को पुरस्कार वितरित किया जावेगा ।

3- पंचायत उद्योग प्रशिक्षण:- पंचायत उद्योगों के सफल संचालन हेतु उद्योगों के प्रबन्धकों को प्रशिक्षण दिया जावेगा ।

4- पंचायत सेवकों का अभिनवीकरण प्रशिक्षण:- सेवारत पंचायत सेवकों की क्षमता स्तर को समुन्नत करने तथा उन्हें उनके कर्तव्यों तथा दायित्वों का ज्ञान कराने के उद्देश्य से उन्हें संस्थागत अभिनवीकरण प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है ।

5- पर्यावरण स्वच्छता:- गाँवों की सर्वांगीण स्वच्छता तथा गन्दी बस्तियों के सुधार के लिये पर्यावरण स्वच्छता एक महत्वपूर्ण कदम है । प्रस्तावित परियोजना के अधीन गन्दे पानी के गढ्ढों को पाटने खड़न्जे लगाने पुलियों और नाले बनवाने का कार्य किया जावेगा । खाद के गढ्ढों के साथ तरकारी फूल पौधे, घास, ईंधन लकड़ी

तथा फल के वृक्षोंं का रोपण किया जावेगा ।

6- पंचायत कार्यालय भवन:- न्याय पंचायत स्तर पर । पंचायतघर निर्माण की नितान्त आवश्यकता है इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु पंचायत घरों के निर्माण की परियोजना रखी गई है ।

7- पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र:- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक तथा आर्थिक असमानताओं, बेकारी व अशिक्षा की समस्याओं को प्रभावी ढंग से सुलझाने के लिये आवश्यक है कि ग्रामीण जनसमुदाय को साक्षर व सुशिक्षित बनाया जाय और उनका बौद्धिक स्तर उठाया जावे । इस उद्देश्य की पूर्ति ग्रामीणों को शैक्षिक तथा पठनीय सामग्री गावों में ही सुलभ करा कर की जा सकती है । अतएव इस परियोजना के अधीन गांव सभाओं में पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की स्थापना करने का प्रस्ताव है ।

8- पंचायत पदाधिकारियों का प्रशिक्षण:- न्याय पंचायतों के सरपंचों एवं सहायक सरपंचों गांव सभाओं के प्रधानों एवं उप प्रधानों को प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है ! इस हेतु प्रशिक्षण की योजना रखी गई है !

9- पर्यावरण संरक्षण तथा वृक्षारोपण के लिये गांव पंचायतों को सांकेतिक अनुदान:- ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति, भूमि के कटाव को रोकने, पशुओं को चारा उपलब्ध कराने तथा ईंधन आदि के उपलब्ध कराने के लिये यह परियोजना तैयार की गई है ।

10- पंच सम्मेलन:- विभागीय कार्यों की गतिविधि ज्ञात करने पंचायतों के सुझाव शासन तक पहुंचाने हेतु खण्ड स्तर जिलास्तर एवं मण्डल स्तर पर पंच सम्मेलनों के आयोजन की परियोजना रखी गई है ।

11- पंचायत उद्योग तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति:- पंचायत उद्योग के संचालन एवं शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के निमित्त यह योजना रखी गई है ।

12- पशु शव उपयोग की अग्रगामी योजना:- पशु शव के उपयोग एवं समाज के कमजोर वर्ग के सदस्यों को रोजगार देने हेतु यह योजना रखी गई है

13- पंचायत उद्योगों के सफल संचालन हेतु जिला स्तर पर बैठक:-
अब तक जिला स्तर पर उद्योगों के संचालन हेतु स्टाफ नियुक्त नहीं था इस परियोजना के अन्तर्गत । पंचायत निरीक्षक उद्योग । सहयोगी की नियुक्ति की योजना रखी गई है ।

पंचायतों के कार्यों के देख रेख के लिये ग्राम स्तर पर पंचायत सेवक खण्ड स्तर पर स०वि०अ०(पं०) नियुक्त है इस पर्वतीय जनपद में पंचायत सेवकों का कार्य क्षेत्र विस्तृत है । न्याय पंचायतों में 10 से 15 तक गांव सभायें सम्मिलित हैं । कहीं कहीं पर एक गांव से दूसरे गांव की दूरी 10 से 15 कीलोमीटर तक पैदल से है । जिससे क्षेत्र में भ्रमण करने की भी असुविधा है । जिले में 90 ग्राम सेवक के न ई कार्य की सुविधा के अनुसार यह उचित होगा कि पंचायत सेवक एवं ग्राम सेवकों का क्षेत्र एक हो तो इससे जनसाधारण को भी योजनाओं की जानकारी होगी ।

पंचायत पदाधिकारियों के बैठक में सम्मिलित होने की सुविधा होगी कर्मचारी वर्ग भी क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में भ्रमण कर सकेंगे ।

अतः न्याय पंचायतों की संख्या 54 से बढ़कर 90 की जाने की शासन से मांग की जाती है ।

================

## (11) सामुदायिक विकास प्रयोजना

सामुदायिक विकास विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों को सम्बन्धित विभिन्न विकास विभागों के निकटतम सहयोग से सम्पादित किया जाता है । सामान्यतः ऐसे कार्यक्रम जिनमें जन सहयोग अपेक्षित है । सामुदायिक विकास विभाग द्वारा चलाये जाते है । पंचम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास प्रयोजना के अन्तर्गत जनपद में जो कार्य कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये है उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है :-

(1- कृषि प्रसारः- विकास खण्ड के प्रसार स्तर द्वारा कृषकों को उन्नतशील खेती के तरीकों जैसे उत्तम बीज, रसायनिक उरवर्क तथा पौध सुरक्षा हेतु रसायनिक दवाओं के उपयोग से अवगत कराया जाता है । इसके लिये प्रदर्शक कार्य क्रम के द्वारा लाभ दायक भूमिका अदा की जाती है । सामूहिक सिंचाइ के लिये पक्की नालियों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाता है ।

(2- सामाजिक शिक्षाः- ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय तथा सूचना केन्द्र सामाजिक तथा आर्थिक विकास के सम्बन्ध में जानकारी देकर आर्थक एवं सामाजिक उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है । इस मद के अन्तर्गत पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्रों को बल देने के लिये धन का प्राविधान किया जाता है ।

(3- सेल्फ हेल्प स्कीमः- विकास खण्डों में श्रमदान द्वारा छोटे मोटे निर्माण कार्य कराने तथा भविष्य के गाँवों की प्रतियोगिता में पुरस्कार देने के लिये कुछ धनराशि का प्राविधान क्षेत्र समितियों के निस्तारण पर किया जाता है गया है ।

2- जिले में राज्य आयोजनागत स्रोत से पांचवी पंच वर्षीय योजना तथा वार्षिक योजना 1974-75 तथा 1975-76 का कार्यक्रमवार परिव्यय एवं 74-75 के व्यय का विवरण निम्नलिखित हैः-

हजार रुपये में

| कार्यक्रम | पांचवी योजना परिव्यय | वार्षिक योजना 1974-75 | | 1975-76 |
|---|---|---|---|---|
| | | परिव्यय | व्यय | परिव्यय |
| 1- कृषि प्रसार | 19·5 | 2·8 | 2·6 | 7·7 |
| 2- सामाजिक शिक्षा | 22·5 | 2·8 | 2·4 | 6·0 |
| 3- सेल्फ हैल्प स्कीम | 45·[illegible] | 3·8 | 3·8 | 18·9 |
| योग | 87·[illegible] | 9·4 | 8·8 | 32·6 |

## (III) प्रादेशिक विकास दल –

अक्टूबर 1971 में शासन ने प्रान्तीय रक्षक दल का नाम बदल कर प्रादेशिक विकास दल कर दिया है। इस निर्णय के फलस्वरूप प्रादेशिक विकास दल के ग्रामों की सर्वांगीण उन्नति के लिये सामुदायिक विकास कार्य में लगाया गया है। दल के गठन के उद्देश्य निम्न प्रकार है :-

1- ग्रामीण स्तर पर प्रादेशिक दल (स्वयं सेवक दल) का गठन जो सामुदायिक विकास कार्यों के सम्पादन हेतु अग्रगामी दल के रूप में कार्य करेंगे।

2- ग्रामीण युवकों की शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं आर्थिक उन्नति तथा सामुदायिक कार्यक्रम में युवकों के योगदान हेतु ग्रामीण स्तर पर युवक मंगल दलों एवं बाल मंगल दलों का गठन।

3- युवकों में काम करते हुए सीखना और सीखते हुए कमाना के आधारित सिद्धान्त के अनुसार विभिन्न आर्थिक योजनाओं एवं कार्यकलापों द्वारा उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विकास कार्यक्रमों की नवीनतम प्राविधिक जानकारी तथा व्यवहारिक दक्षता का विकास।

4- ग्रामीण स्तर पर भारतीय व्यायामशाला क्रीड़ा केन्द्र, खेलकूद प्रतियोगितायें एवं अन्य शारीरिक सम्वर्द्धन तथा प्रशिक्षण द्वारा युवकों की शारीरिक उन्नति।

5- पंचायत राज एक्ट के अन्तर्गत ग्रामीण सुरक्षा का कार्य।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक निम्न प्रगति रही :-

| | | |
|---|---|---|
| 1- | युवक मंगल दलों की स्थापना- | 105 |
| 2- | युवक मंगल दल के सदस्यों की संख्या | 1050 |
| 3- | ब्लाक कमाण्डर | 9 |
| 4- | हल्का सरदार | 54 |
| 5- | दलपति | 508 |
| 6- | टोली नायक | 1568 |
| 7- | रक्षक | 15680 |

वर्ष 1973-74 में 8 श्रमदान शिविर आयोजित किये गये, जिसमें 350 अवैतनिक सदस्यों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त 210 व्यक्तियों ने श्रमदान करके योगदान दिया। उपरोक्त कार्यों के सम्पादन करने में विभाग को जन श्रम शक्ति के अतिरिक्त तकनीकी कार्यों के सम्पादन हेतु विकास क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सहयोग लेना पड़ा गत वर्षों में प्रादेशिक विकास दल के कार्यक्रमों के संचालन में निम्नलिखित कठिनाइयाँ अनुभव की गई :-

1- प्रादेशिक विकास दल के अवैतनिक सदस्यों को मान देय, वर्दी आदि सुविधायें न मिलने के कारण जनशक्ति एकत्र करने में कठिनाई रही।

2- जिले में क्रीड़ा के मैदानों एवं उसके साज सज्जा व स्टाफ का अभाव बना रहा।

3- युवक मंगल दलों को आर्थिक सहायता न मिलने के कारण दलों का गठन करने में कठिनाई रही युवकों के कल्याण के लिये कुछ आर्थिक सहायता दिया जाना नितान्त आवश्यक है।

4- जिला स्तर पर स्टेडियम की व्यवस्था न होने से खेलकूद के आयोजन में बड़ी कठिनाई होती है। इसी प्रकार व्यायामशालाओं का और उनकी साज सज्जा का भी प्राविधान जिले के युवा वर्ग के स्वास्थ्यवर्धन के लिये किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः अगली योजना में इसकी पूर्ति प्राथमिकता के आधार पर किया जाना आवश्यक होगा। जिले में खेल के मैदानों की बहुत कमी है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण खेल के मैदान सुगमता से नहीं तैयार किये जा सकते हैं। अतः शासन को प्रत्येक प्राईमरी और जूनियर हाई स्कूल के साथ साथ खेल कूद के मैदान की व्यवस्था करने पर विचार करना होगा।

पांचवी योजना में आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कार्यक्रम सम्मिलित किये गये हैं:-

1- स्वयं सेवक संगठनः- प्रत्येक विकास खण्ड में एक ब्लाक कमाण्डर, प्रत्येक न्याय पंचायत क्षेत्र में एक हल्का सरदार, प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर एक दलपति एवं प्रत्येक ग्राम सभा में 500 की जनसंख्या पर एक टोली नायक तथा छः सेवकों की एक टोली तथा अधिक की ग्राम सभाओं में अधिक से अधिक 3 टोलियों का गठन किया गया है। वर्ष 1974-75 में इन स्वयं सेवकों को 9 सेट वर्दी वितरित की गई। वर्ष 1975-76 में 7 तथा पांचवी योजना में 153 सेट वर्दी वितरित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2- समाज सेवा कार्य- ग्रामीण स्तर पर स्वच्छता अभियान ग्रामों में रसोई वाटिका अस्पृश्यता निवारण, ग्रामीण सड़कों व रास्तों, नालेबन्दी की मरम्मत एवं समाज सेवा और सामुदायिक विकास के अन्य कार्यक्रम जो भी आवश्यक समझे जावेंगे किया जावेगा। इसके अतिरिक्त मेला ड्यूटी एवं यात्रा लाइन ड्यूटी की योजना रखी गई है।

3- <u>युवक मंगल दलों को प्रोत्साहन एवं सहायताः-</u> इस योजना के अन्तर्गत युवक मंगल दलों के लिये रसोई, वाटिका, कुक्कुट पालन, बछड़ा पालन, फसलों पर दवा छिड़कना एवं ग्रामीण लघु उद्योग धन्धे जैसे टोकरी बुनना (रिंगाल का कार्य), मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन आदि का कार्य रखा गया है।

4- युवक सेमिनारः- पांचवी योजना में जनपद स्तर पर 5 सेमिनार आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है।

5- विकास खण्ड स्तर पर खेलकूद प्रतियोगितायें:- युवकों के शारीरिक सम्वर्द्धन, अनुशासन बनाये रखने और नागरिक के रूप में देश की सेवा और सामुदायिक विकास कार्यों की ओर प्रोत्साहन देने के ध्येय से विकास खण्ड स्तर पर खेल कूद प्रतियोगितायें आयोजित करने का प्राविधान है। वर्ष 1974-75 में 9 प्रतियोगितायें आयोजित की गईं जिसमें 450 प्रतियोगियों ने भाग लिया। प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर एक अर्थात कुल 9 क्रीड़ा केन्द्र स्थापित किये गये। वर्ष 1975-76 में 9 प्रतियोगितायें आयोजित करके ९०० प्रतियोगियों को सम्मिलित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पांचवी योजना में 45 प्रतियोगितायें आयोजित की जावेंगी जिनमें 2250 प्रतियोगियों को सम्मिलित करने का लक्ष्य है।

6- अन्य जनपोषित कार्यः- वर्ष 1974-75 में स्वयं सेवकों द्वारा वृक्षारोपण हेतु 1132 गड्ढे खोदे गये और 590 वृक्ष लगाये गये। वर्ष 1975-76 में नौ कीलोमीटर ग्रामीण

ई-रेक-

संयोजक मार्गों की मरम्मत, पांच कीलोमीटर पुल का निर्माण, 9 कीलोमीटर पुल की मरम्मत तथा 4 500 गड्ढे खोदकर 4500 वृक्ष लगाने का लक्ष्य है । प्रादेशिक विकास दल के विभिन्न कार्य क्रमों के लिये पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना वर्ष 1975-76 में क्रमशः 38 और 3 हजार रु० रुपया आयोजनागत स्रोत से परिव्यय प्रस्तावित किया गया है । वर्ष 1974-75 में निर्धारित 2 हजार रुपया परिव्यय के विपरीत 2 हजार रु० व्यय किया गया था । प्रादेशिक विकास दल के कई कार्य क्रम जनसेवकों द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं । जिनका मूल्यांकन करते हुये वर्ष 1974-75 में लगभग 2 रु० प्रति गड्ढा और 200 कीयारी मेड़ एक रुपये की दर से 8 हजार रुपया जनपोषित स्रोत से व्यय किया गया । वर्ष 1975-76 में प्रस्तावित लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लगभग 10 हजार रु० प्रति कीलोमीटर की दर से लिंक मार्ग निर्माण, एक हजार रु० प्रति कीलोमीटर की दर से पुल निर्माण तथा 500 रु० प्रति कीलोमीटर की दर से पुल मरम्मत आदि कार्य करने के लिये 2108 हजार रुपया जन पोषित स्रोत से परिव्यय प्रस्तावित किया गया है । इसी प्रकार के जन पोषित कार्य क्रमों के आगामी वर्षों में भी चलते रहने की प्रत्याशा में पंचम पंच वर्षीय योजना में पांच लाख रु० परिव्यय प्रस्तावित किया गया है ।

शासन के विचारणीय सुझाव:-

1 - प्रादेशिक विकास दल के शिविरों के माध्यम से निर्माण कार्य कराने में प्रायः प्राविधिक सहायता की भी आवश्यकता होती है । इसके लिये कम से कम जिला स्तर पर दो सहायक विकास अधिकारी, प्रादेशिक अभियन्ता जो कि अवर अभियंता की शैक्षिक एवं प्राविधिक योग्यता रखते हों, कि नियुक्ति की जानी चाहिये ।

2- श्रम विभाग के पास आवागमन के साधन की व्यवस्था न होने के कारण श्रम शक्ति का उपयोग करने में कठिनाई होती है । यदि विभाग के पास एक ट्रक की व्यवस्था हो जाय तो श्रमदान करने के लिये तत्पर व्यक्तियों को ट्रक में बैठाकर आवास आदि से दूर कार्य स्थल पर छोड़ कर अधिक समय तक श्रम शक्ति का उपयोग किया जा सकता है ।

3- जनपद के 433 स्वयं सेवकों को वर्ष 1975-76 में सुरक्षा सेवा हेतु विभिन्न स्थानों पर पुलिस के अधीन तैनात किया गया । इन्हें केवल 6 रु० प्रतिदिन दैनिक भत्ता दिया गया । इसके अतिरिक्त ड्यूटी स्थल पर आने जाने का कोई किराया नहीं दिया गया । इससे स्वयं सेवकों में असंतोष व्याप्त होता है । भविष्य में इस प्रकार की सेवायें ली जाने पर ड्यूटी स्थल तक आने जाने का किराया देय होना चाहिये ।

4- अब चूंकि जिला संगठन कर्ता प्रा०वि०द० को जन शक्ति का संयोजक नियुक्त किया गया है । अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक विकास खण्ड मुख्यालय पर कुछ औजार जैसे गैंती, फावड़ा, तसला, टोकरा आदि उपलब्ध कराये जायें ?

xxxxxxxxxxxxxx

(11) बाढ़ नियंत्रण योजनायें ।

इस जनपद का समस्त क्षेत्र पर्वतीय है । नदी व नालों में अत्यधिक ढाल होने के कारण उनके किनारों पर बसी हुई आबादी तथा कृषि योग्य भूमि का कहीं न कहीं कटाव हो जाता है । अतः इस क्षेत्र में नदी तथा नालों से गांवों के कटाव को रोकने की समस्या मुख्य है । इस जनपद में जलोत्सारण की समस्या नहीं है केवल जोशीमठ, कर्णप्रयाग एवं थराली में आबादी के बीच से बहने वाले नालों का छिन्नक (क्रास सेक्शन) ठीक न होने के कारण आस पास के मकानों में पानी भर जाता है ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंत तक केदारनाथ, बद्रीनाथ, कुलसारी, चन्द्रापुरी एवं गौरखी बाढ़ सुरक्षा योजनाओं का कार्य सम्पादित किया जा चुका है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1974-75 में बाढ़ सुरक्षा कार्यों पर 52 हजार रुपया निर्धारित परिव्यय के विपरित 90 हजार रु० व्यय किया गया है . अन्य वर्षों में फिलहाल कोई कार्य-क्रम प्रस्तावित नहीं किया गया है ।

===============

## ( 12 ) विद्युत शक्ति

इस जिले में विद्युतीकरण का कार्य सन् 1962 में आरम्भ किया गया। , जब शासन ने यहाँ एक उप खण्ड की स्थापना की और जोशीमठ में एक डीजल शक्ति गृह लगाकर इस बस्ती का विद्युतीकरण किया गया। जैसे-जैसे गति विधियाँ तेज हुई चमोली और अन्य स्थानों में डीजल शक्ति गृहों की स्थापना करके अन्य स्थानों का भी विद्युतीकरण किया गया। डीजल शक्ति गृहों के बाद लघु शक्ति गृहों का निर्माण करके ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण का प्रसार किया गया। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस जिले में विद्युत उत्पादन क्षमता एवं विद्युतीकरण की स्थिति निम्न प्रकार है :-

(अ)- विद्युत उत्पादन क्षमता :-

| | |
|---|---|
| 1- जल विद्युत गृह चमोली - 3 | 200-600 कि0वाट , |
| 2- -"- तद् -तिलवाड़ा-2 | 100-200 कि0वाट , |
| 3- -तदैव- गुप्तकाशी - 2 | 100-200 कि0वाट , |
| 4- -तद्- बद्रीनाथ - 1 | 30-30 कि0वाट , |
| 5- -तद्- रुद्रप्रयाग - 1 | 30-30 कि0वाट , |
| कुल :- | 1060 कि0 वाट |

इसके अतिरिक्त चमोली, जोशीमठ तथा बद्रीनाथ में क्रमशः 200, 96, तथा 81 कि0वाट डीजल शक्ति गृह लगे हैं, जिनका उपयोग लाइन तथा जल शक्ति गृहों की खराबी आदि से हुई कमी की पूर्ति हेतु किया जाता है।

(ब)- विद्युतीकरण की स्थिति :-

| | |
|---|---|
| 1- विद्युतीकृत नगरों की संख्या :- | - 3 |
| 2- विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या | - 119 |
| 3- विद्युतीकृत हरिजन बस्तियाँ संख्या - | 39 |
| 4- घरेलू प्रकाश के कनेक्शन :- | 52 |
| 5- प्रकाश एवं पंखों के कनेक्शन :- | 2584 |
| 6- मिश्रित लोड :: | 3 (केवल सेना तथा सीमान्त पुलिस ) |
| 7- औद्योगिक लघु शक्ति कनेक्शन संख्या | 38 |
| 8- कृषि हेतु पम्प सेट संख्या | 1 |
| 9- स्ट्रीट लाइट/गली प्रकाश संख्या | 28 |

इस जिले में इस समय क्रमशः निम्न दो योजनाओं पर कार्य चल रहा है :-

1:- 750 कि0 वाट लघु जल विद्युत गृह पाण्डुकेश्वर :-

इस योजना की कुल लागत 34,90 लाख है। शक्ति गृह का निर्माण कार्य काफी हद तक पूरा हो गया है। 250 कि0वाट क्षमता के दो संयन्त्र कार्य स्थल में पहुंच गये

हैं । वर्ष 1974-75 में 250 कि0वाट क्षमता का एक संयंत्र चालू हो गया है । सिविल कार्य के ठेकेदारों की कमी के कारण इस कार्य में बहुत विलम्ब हुआ । इस परियोजना के अन्तर्गत श्रीनगर पाण्डुकेश्वर लाइन का निर्माण पूर्ण हो चुका है लेकिन बर्फीले क्षेत्र के लिये उपयुक्त लाइन सामग्री की कमी के कारण पाण्डुकेश्वर, बद्रीनाथ लाइन का निर्माण अभी तक नहीं किया जा सका अतएव उपलब्ध निर्माण सामग्री द्वारा ही लाइन बनाने पर विचार किया जा रहा है । इस शक्ति गृह के हेतु 250 कि0वाट के तीसरे संयंत्र की व्यवस्था अभी नहीं हो पायी है । परन्तु इसकी एक भारतीय फर्म जिसने अन्य दो संयंत्र उपलब्ध किये हैं से मंगवाने में देरी नहीं होगी और पंचम पंचवर्षीय योजना काल में ही शक्ति गृह पूर्ण क्षमता के अनुसार कार्य करने लग जायेगें ।

2:- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना

इसके अन्तर्गत 207 ग्रामों का विद्युतीकरण होना है । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में इस योजना के अन्तर्गत 59 ग्रामों का विद्युतीकरण ~~होना था जो है कि योजना के अनुसार पूरे 207~~ किया जा चुका है । इस प्रकार वर्तमान योजना काल में 148 ग्रामों का विद्युतीकरण होना बाकी है । इस योजना के अनुसार पूरे 207 ग्रामों का विद्युतीकरण 3 वर्षों के भीतर पूर्ण होना चाहिये था परन्तु, लोहा सीमेन्ट एवं अन्य आवश्यक निर्माण सामग्री की अत्यन्त कमी के कारण कार्य आवश्यक गति से नहीं चल पा रहा है ।

इस जिले में अलकनन्दा एवं इसकी सहायक नदियों में विशाल जल विद्युत क्षमता विद्यमान है इसके अनुसंधान हेतु यहाँ सिंचाई विभाग का अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड कार्यरत है । इसने जिले में विष्णु प्रयाग, तपोवन, ग्वालदम, नन्दप्रयाग आदि अनेक विशाल जल विद्युत योजनाओं का अनुसंधान किया है । इन योजनाओं के कार्यान्वित होने पर इस जिले में विशाल मात्रा में विद्युत उत्पादन हो सकेगा जिसका उपयोग न केवल इस जिले में वरन् प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में भी हो सकेगा । परन्तु इन योजनाओं को कार्यान्वित होने में बहुत समय लगने की आशंका है ।

यह जिला अभी तक राज्य की मुख्य ग्रिड से सम्बद्ध नहीं हो सका है । अतएव पंचम पंचवर्षीय योजना काल में ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, नजीबाबाद के बीच में ~~एक~~ एक 132 कि0वाट लाइन बनाने का प्रस्ताव है । कर्णप्रयाग में एक ग्रिड उप स्थान बना कर जिले को राज्य की मुख्य ग्रिड से विद्युत शक्ति उपलब्ध करायी जायेगी । जिले में बड़ी-बड़ी उपरोक्त जल विद्युत योजनायें बन जाने के बाद इस 132 कि0वाट लाइन का उपयोग यहाँ की विद्युत शक्ति अन्य पर्वतीय जिलों में पहुंचाने हेतु किया जायेगा ।

विद्युतीकरण का उपयोग निम्न कार्यों के हेतु किया जाता है :-

1- घरेलू कार्यों हेतु ~~अर्थात्~~ अर्थात् प्रकाश व पंखों की सुविधा हेतु ।

2- पर्यटन उद्योग के विकास हेतु ।

3- कुटीर उद्योग हेतु ।

4- वनसम्पदा के उद्योग हेतु ।

5- पेयजल योजनाओं हेतु ।

6- सिंचाई कार्यों हेतु ।

6- सिंचाई कार्य हेतु ।
7- कृषि [illegible] के यांत्रिकीकरण हेतु ।
8- नवीन धातु रज्जु मार्गों की स्थापना हेतु ।

उपरोक्त कार्यों एवं प्राथमिकता के अनुसार है । [illegible] के 5 [illegible] के लिये कोई अधिक विद्युत शक्ति की आवश्यकता नहीं है । मौजूदा नवीन गृहों तथा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] निर्माणाधीन [illegible] [illegible] है जा रहा है । [illegible] के लिये निर्माणाधीन [illegible] एवं [illegible] विद्युतीकरण [illegible] की योजना के अन्तर्गत बनने वाली [illegible] लाइनों से काम चलता रहेगा । व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के द्वारा लगाये जाने वाले सिंचाई पम्प सेटों को भी कनैक्शन देना सम्भव हो सकेगा । मगर शासन द्वारा लगाई जाने वाली बड़ी सिंचाई योजनाओं, खनिज सम्पत्ति विदोहन एवं रज्जु मार्गों के लिये कहीं बड़ी मात्रा में विद्युत शक्ति [illegible] उच्च दबाव वाले [illegible] तन्त्र की आवश्यकता होगी । इस हेतु इस जिले को 132 कि0वोल्ट लाइन द्वारा राज्य की मुख्य ग्रिड से सम्बन्ध करने के विषय में ऊपर प्रकाश डाला जा चुका है । इस समय राज्य की मुख्य ग्रिड में विद्युत शक्ति की बहुत कमी अनुभव की जा रही है । अतएव यदि शासन द्वारा प्रस्तावित बड़े शक्ति गृह [illegible] को नहीं बन जाते हैं तो इस ग्रिड [illegible] से इस जिले को कोई विशेष लाभ की सम्भावना नहीं है ।

[illegible] लघु जल विद्युत गृहों के आरम्भिक [illegible] का कार्य हो चुका है । इसके अनुसार [illegible] में 250 कि0वाट तथा [illegible] में 200 कि0वाट के शक्ति गृहों का निर्माण करने सम्भव है । जहाँ तक जिले के [illegible] को विद्युत सुविधा उपलब्ध करने का प्रश्न है [illegible] का लक्ष्य है कि न्यूनतम आवश्यकता [illegible] के अनुरूप हर ब्लाक को कम से कम 40% जनसंख्या को पंचम पंचवर्षीय योजना की अवधि में यह सुविधा उपलब्ध हो जावे ।

[illegible] ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अनुसार जिले के नौ ब्लाकों में से 8 ब्लाकों में विद्युतीकरण हो रहा है, केवल [illegible] ब्लाक इस योजना में शामिल नहीं है । इस ब्लाक के लिये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अनुसार एक योजना तैयार की जा रही है ।

सिंचाई विभाग द्वारा पंचम पंचवर्षीय योजना काल में 50 कि0वाट में केवल दो पम्पिंग नहरें बनाने का विचार है । इनके लिये विद्युत शक्ति की पूर्ति वर्तमान शक्ति गृहों से ही हो जायेगी । लाइनों को [illegible] अथवा बढ़ाने [illegible] [illegible] जो व्यय होगा उसका भुगतान सिंचाई विभाग द्वारा करना होगा । इतना अवश्य है कि यह पम्पिंग नहरें सायंकाल 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक नहीं चलाई जा सकेंगी क्योंकि इन चार घण्टों में प्रकाश एवं पंखों पर बहुत लोड होता है ।

प्राप्त [illegible] के अनुसार पंचम पंचवर्षीय योजना काल में जिले में कोई बड़े उद्योग नहीं लगाये जा सकेंगे । 50 कि0वाट तक वाले केवल पाँच या सात उद्योगों की ही स्थापना हो पायेगी । शाम काल में चार घण्टों को छोड़कर बाकी समय में इन उद्योगों को शक्ति की पूर्ति मौजूदा तथा प्रस्तावित लघु जल विद्युत गृहों से हो पायेगी ।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1974-75 में 43 ग्रामों तथा 20 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया है। इस वर्ष 6 औद्योगिक कनेक्शन दिये गये हैं और 28 कि0मी0 लम्बी 11 के0वी0 लाइन एवं 51 कि0मी0 लैंकापन लाइन का निर्माण किया गया है। वर्ष 1975-76 में 23 ग्रामों का विद्युतीकरण, 20 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण तथा 40 कि0मी0 लम्बी 11 के0वी0 लाइन के निर्माण का लक्ष्य है। राज्य विद्युत परिषद् से पाँचवीं योजना के पूर्ण लक्ष्य अभी प्राप्त नहीं हुये हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु 1974-75 में निर्धारित 629 हजार रुपये परिव्यय के विपरीत 1191 हजार रुपये व्यय किया गया है। वर्ष 1975-76 में 1911 हजार रुपये परिव्यय निर्धारित है। पाँचवीं योजना के लिये निर्धारित परिव्यय की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हो पायी है। माइक्रो हाइडिल स्कीम पाण्डुकेश्वर 250 कि0वाट के निर्माण पर वर्ष 1974-75 में 592 हजार रुपया व्यय किया गया और वर्ष 1975-76 में 250 कि0वाट माइक्रो हाइडिल परियोजना पाण्डुकेश्वर हेतु 500 हजार रुपये परिव्यय निर्धारित है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा ही स्वीकृत किया जाता है। निगम के निर्देशानुसार यह कार्यक्रम केवल उन पिछड़े क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जावे जहाँ निगम द्वारा स्वीकृत अन्य साधारण योजना चालू नहीं है। इसके अन्तर्गत जिले का लक्ष्य 70 ग्रामों का है परन्तु अन्य 6 ब्लाकों में निगम की साधारण योजना चालू है, यहीं देखना होगा कि क्या जोशीमठ ब्लाक में ही 70 ग्रामों का विद्युतीकरण इस योजना के अन्तर्गत हो सकेगा? जोशीमठ के बहुत से ग्रामों में केवल ग्रीष्म कालीन माह में ही आबादी होती है। शीत ऋतु में यहाँ से निवासी निचली घाटियों में चले जाते हैं इस कारण जनगणना पुस्तिका में इन ग्रामों की आबादी शून्य भी नहीं दर्शायी गई है। अतएव यह सम्भव है कि इस योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण किये जाने वाले ग्रामों के लक्ष्य में कुछ कमी करनी पड़े।

जिले में अनुरक्षण एवं निर्माण कार्यों को करने हेतु इस समय यहाँ एक विद्युत खण्ड कार्यरत है। परन्तु इसमें अभी सभी कर्मचारी स्वीकृत अथवा तैनात नहीं हो पाते हैं। योजना का कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिये इनकी पूर्ति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इस खण्ड के अन्तर्गत जोशीमठ में एक और उपखण्ड की स्थापना भी आवश्यक होगी। इसके लिये कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति विद्युत परिषद् द्वारा करनी सम्भव होगी। साधारण मजदूर व स्थानीय ठेकेदारों की पूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों से सम्भव हो सकेगी।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना तथा वर्ष 1975-76 में पूर्ण किये जाने वाले कार्यों के लिये सामग्री की अनुमानित माँग का विवरण इस प्रकार है :-

पंचम पंचवर्षीय योजना काल में सामान की आवश्यकता के अनुमान

| सामान का नाम | इकाई | 1975-76 | पंचम पंचवर्षीय योजना |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1- 11 के0वी0 सपोर्ट | संख्या | 720 | 4800 |
| 2- 11 के0वी0 डिस्क इन्सुलेटर | ,, | 1450 | 9600 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 3- 11 कै0वो0 डिस्क फिटिंग | संख्या | 1450 | 9600 |
| 4- 11 कै0वो0 पिन इन्सुलेटर | संख्या | 1450 | 9600 |
| 5- 11 कै0वो0 पिन उपर्युक्त के लिये | ,, | 1450 | 9600 |
| 6- एम0एस0 चैनल | मी0टन | 5-50 | 35-00 |
| 7- एम0एस0 एंगिल आइरन | ,, | 5-20 | 35-00 |
| 8- बोल्ट्स एण्ड नट | ,, | 2-10 | 14-00 |
| 9- 11 कै0वो0 टी0पी0एम0ओ0 | संख्या | 60 | 398 |
| 10- फ्यूज सेट एक्सपलोड | संख्या | 60 | 398 |
| 11- ट्रांसफार्मर | | | |
| 11/0-416 कै0वो0, 25 कै0वो0ए0 | संख्या | 30 | 185 |
| --- -do- --- 15 कै0वो0ए0 | ,, | 15 | 140 |
| --- -do- --- 5 कै0वो0ए0 | ,, | 15 | 73 |
| 12- एल0टी0 पोर्ट | संख्या | 1800 | 12000 |
| 13- एल0टी0 इन्सुलेटर | ,, | 7200 | 48000 |
| 14- डी0 उपरोक्त के लिये | ,, | 10800 | 72000 |
| 15- स्टे रौड | ,, | 3000 | 20000 |
| 16- अर्थ वायर | मी0टन | 30-00 | 200-00 |
| 17- स्टे वायर | ,, | 34-00 | 224-00 |
| 18- ए0सी0एस0आर0 कन्डक्टर, 11 कै0वो0 के लिये | कि0मी0 | 200 | 1375 |
| 19- आल एल्युमिनियम कन्डक्टर एल0टी0 के लिये | कि0मी0 | 300 | 2100 |
| 20- सीमेन्ट | मी0टन0 | 74-00 | 488-00 |

विद्युतीकरण की उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप अकुशल मजदूरों को भी रोजगार प्राप्त होगा। वर्ष 1975-76 में लगभग 30,000 और 78-79 में 50 हजार मानव दिवस का रोजगार प्राप्त होने का अनुमान है।

======= 0 0 0 =======

## 13-ग्रामीण एवं लघु उद्योग:-

1:-औद्योगिक दृष्टिकोण से यह जिला बहुत पिछड़ा हुआ है। इस जिले में कतिपय आरा मशीन तथा आटा चक्कियों के अतिरिक्त उद्योग नहीं नगण्य हैं। इस औद्योगिक पिछड़ेपन के लिये यहाँ की भौगोलिक स्थिति मुख्य रूप से बाधक है। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर यातायात की सुविधायें पर्याप्त नहीं हैं और जिले के निकटतम रेलवे स्टेशन कोटद्वार तथा ऋषिकेश यहाँ से 200 कीलोमीटर की दूरी से अधिक हैं। यहाँ के निवासियों की जीविका का मुख्य साधन खेती है परन्तु पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ खेती के लिये उपजाऊ भूमि बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है और इस प्रकार यहाँ के निवासी कठिन परिश्रम करने के पश्चात भी वर्ष में केवल तीन या चार माह की आवश्यकता के लिये ही अन्न का उत्पादन कर सकते हैं। जिले में 54% क्षेत्रफल पर विभिन्न प्रकार के वन हैं जिनमें अनेक प्रकार की औद्योगिक उपयोग की लकड़ी उपलब्ध है लेकिन अभी तक इस सम्पदा का पूर्ण उपयोग जिले के औद्योगीकरण के लिये नहीं हो पाया है। प्रति वर्ष हजारों मन लीसा तथा हजारों घन फुट लकड़ी इस जिले से मैदानी क्षेत्रों के कारखानों में कच्चे माल के रूप में बाहर भेजी जाती है। लेकिन इस कच्चे माल का उपयोग यहाँ के औद्योगीकरण के लिये नहीं हो पा रहा है।

यह जिला वर्ष 1960 में बना। प्रदेश का उद्योग विभाग जिले के सृजन से यहाँ पर औद्योगीकरण के लिये प्रयास करता रहा और वर्तमान समय में यहाँ पर 12 प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इन केन्द्रों पर विभिन्न कलाओं में प्रशिक्षण दिया जाता रहा है जिससे कि जनपद में औद्योगिक वातावरण तैयार किया जा सके। निजी उद्योग स्थापित करने के लिये ऋण तथा अनुदान की व्यवस्था भी विभाग द्वारा की जाती थी और फलस्वरूप वर्ष 1973-74 तक 85 और 1974-75 में 15 कुल औद्योगिक इकाईयों की स्थापना सम्भव हो पाई है। वर्ष 1975-76 में 15 इकाईयां स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित है। जिनमें से दिसम्बर 1975 तक 6 इकाईयों की स्थापना हो चुकी है। इन 106 इकाईयों में से 37 इकाईयां उद्योग निदेशालय के कच्चा माल अनुभाग द्वारा पंजीकृत हैं।

2:- चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक निम्नांकित योजनायें जिले में कार्यरत रहीं थीं।

1:- आयोजनेत्तर योजनायें:-

1:- कार्डिंग प्लान्ट मय चरखा योजना जिसके अन्तर्गत ऊन विकास योजना भी संचालित है:-

इस योजना के अन्तर्गत एक कार्डिंग प्लान्ट तथा 6 जलचरखे जिले के विभिन्न स्थानों पर चालू हैं। कार्डिंग प्लान्ट पर विभागीय ऊन परिष्कृत करने के अतिरिक्त स्थानीय कारीगरों की ऊन भी परिष्कृत की जाती है और जलचरखों पर पानी की शक्ति का उपयोग कर इस पर स्पीनिंग फ्रेम चला कर तागा उत्पादन किया जाता है।

यह योजना स्थानीय कारीगरों के लिये बहुत लाभप्रद है और इससे उन्नी वस्त्रों की उत्पादन क्षमता व किस्म में पर्याप्त सुधार हुआ है।

2:- ऊन उपयोगी केन्द्र :-

इस योजना का एकमात्र केन्द्र नन्दप्रयाग में स्थापित है। इसका उद्देश्य स्थानीय कारीगरों को ऊन बिनाई तथा रंगाई आदि की सार्वजनिक सुविधा प्रदान करना तथा नई विधियों का प्रसार करना है।

3:- फिनिशिंग एवं सचल रंगाई केन्द्र :- जिले में 2 फिनिशिंग एवं सचल रंगाई केन्द्र स्थापित हैं। ऊन उपयोगी केन्द्र की भांति इस केन्द्र द्वारा स्थानीय कारीगरों को रंगाई आदि में सुविधायें प्रदान की जाती हैं और रंगाई की नई विधियों का प्रसार किया जाता है।

4:- व्यापार संगठन योजना :-

इस योजना के अन्तर्गत जिले में 3, बी केन्द्र कार्य कर रहे हैं जिनमें विभागीय केन्द्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। ये केन्द्र जिले के प्रमुख स्थानों में स्थित हैं जैसे जोशीमठ/ भिमतल्ला, चमोली - बद्रीनाथ।

5:- कढ़ाई बुनाई एवं साल गलीचा बुनाई योजना :- इस योजना के अन्तर्गत साल, गलीचा तथा कढ़ाई बुनाई के 3 केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इन केन्द्रों पर विभागीय कार्य के साथ साथ उक्त कलाओं में वर्ष 1973-74 तक प्रशिक्षण भी दिया जाता था।

6:- जीजरी एवं कल्- दर्जीगिरी योजना :- इस योजना के अन्तर्गत दो उत्पादन केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

7:- नमदा निर्माण केन्द्र :- इस केन्द्र के अन्तर्गत नमदा निर्माण शिल्प में वर्ष 1973-74 1973-74 तक प्रशिक्षण के साथ साथ उत्पादन कार्य भी किया जाता है। वर्तमान समय में इसमें केवल उत्पादन हो रहा है।

8:- बढ़ईगिरी एवं पापड़ी वस्तु निर्माण योजना :- इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षार्थियों को कार्पेन्टरी एवं पापड़ी की कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में वर्ष 73-74 तक प्रशिक्षण दिया जाता था तथा वर्तमान समय में केवल उत्पादन कार्य किया जाता है।

9:- कृषि उपकरण व धातुकला केन्द्र :- इस योजना में लोहे की वस्तुओं के निर्माण का प्रशिक्षण वर्ष 1973-74 तक दिया जाता था तथा वर्तमान समय में कृषि उत्पादन का कार्य किया जाता है।

10:- चर्म उद्योग :- इस केन्द्र पर चर्म शोधन एवं जूता निर्माण प्रशिक्षण दिया जाता था तथा अब उत्पादन किया जाता है।

11:- रिंगाल उपयोगी केन्द्र :- इस केन्द्र पर रिंगाल की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और वर्ष 1973-74 तक प्रशिक्षण भी दिया जाता था।

12:- कच्चा माल सज्जा क्रय विक्रय केन्द्र:- इस केन्द्र के द्वारा स्थानीय जनता को उद्योगों से सम्बन्धित कच्चे माल का विक्रय किया जाता है साथ ही विभागीय उत्पादित वस्तुओं की बिक्री भी की जाती है ।

## 2:- आयोजनागत योजनायें :-

चतुर्थ पंच वर्षीय योजना काल तक निम्नलिखित आयोजनागत योजनाये कार्यरत थी ।

1:- औद्योगिक करण हेतु ऋण:- वर्ष 1973-74 तक जिले में निजी उद्योग कर्ताओं तथा सहकारी समितियों को उद्योग लगाने हेतु जिला उद्योग अधिकारी की संस्तुति पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 10,000 रुपया तक का ऋण स्वीकृत किया जाता था ।

2:- औद्योगीकरण हेतु प्रोत्साहन योजना:- इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1973-74 तक कार्यशाला निर्माण तथा मशीन औजार आदि पर 25% तक अनुदान स्वीकृत किया जाता था । जिसकी अधिकतम सीमा व्यक्तिगत इकाईयों को 2000 /- तथा सहकारी समितियों को 4000 /- रुपया थी ।

3:- प्राविधिक प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति योजना :- इस योजना के अन्तर्गत जिले के विभिन्न उत्पादन व प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती थी ।

चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ एवं अन्त में विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति की स्थिति तथा वर्ष 1974-75 में उपलब्धि निम्न लिखित तालिका में अंकित है:-

| क्र0सं0 | योजना का नाम | इकाई | 1968-69 तक | 1973-74 तक | 1974-75 में |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:- | ऋण वितरण | लाख रुपया | 4.95 | 11-30 | 0-90 |
| 2:- | अनुदान वितरण | ,, ,, | - | 0-90 | - |
| 3:- | प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्रों की संख्या | संख्या में | 12 | 12 | 12 |
| 4:- | प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या | ,, ,, | 492 | 853 | - |
| 5:- | निजी उद्योगों की स्थापना | ,, ,, | 16 | 85 | 15 |
| 6:- | राजकीय संस्थाओं में रोजगार में लगे व्यक्तियों की संख्या | ,, ,, | 53 | 62 | 62 |
| 7:- | निजी इकाईयों में रोजगार में लगे व्यक्तियों की संख्या | ,, ,, | 50 | 275 | 60 |
| 8:- | प्रशिक्षणार्थी जिन्हें सम्बन्धित कलाओं में रोजगार में लगाया गया | ,, ,, | 72 | 100 | 120 |
| 9:- | उत्पादन:- | | | | |
| | (अ) सरकारी संस्थाओं द्वारा | लाख रुपयों में | 4-69 | 11-45 | 2-46 |
| | (ब) निजी संस्थाओं द्वारा | ,, | 3-00 | 7-45 | 3-0 |
| | बिक्री :- | | | | |
| | राजकीय संस्थाओं द्वारा | ,, ,, | 2-40 | 11-40 | 1-42 |

चतुर्थ योजना के पूर्व वर्ष 1968 - 69 तथा योजना के अन्तिम वर्ष 73-74 में कार्यरत 12 उत्पादन केन्द्रों के उत्पादन लक्ष्य व पूर्ति का तुलनात्मक विवरण तथा वर्ष 74-75 की उपलब्धि निम्न प्रकार है:-

| | 1968-69 | | 1973-74 | | 1974-75 |
|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | पूर्ति | लक्ष्य | पूर्ति | पूर्ति |
| 1:- कार्डिंग प्लान्ट जू लम्बरला योजना व ऊन विकास योजना-कोतमाट में | 5000 | 5338 | 6950 | 6470 | 760 |
| 2:- काष्ठकला ऐव पादुको योजना रु0 | 13000 | 11762 | 20000 | 56630 | 4887 |
| 3:- कढ़ाई बिनाई शाल गलीचा रु0 | 14000 | 13741 | 20000 | 19179 | 15726 |
| 4:- कृषि उपकरण व धातुकला रु0 | 15000 | 15380 | 50000 | 28146 | 14568 |
| 5:- सचल रंगाई योजना रु0 | 1000 | 3812 | 12000 | 13687 | 11134 |
| 6:- ऊन उत्पादों की योजना रु0 | 600 | 272 | 5500 | 2592 | 1455 |
| 7:- नमदा निर्माण योजना रु0 | 2000 | 3096 | 2600 | 2635 | 3300 |
| 8:- कच्चा माल संग्रह क्रय विक्रय डिपो | 20000 | 35963 | 25000 | 17300 | 18670 |
| 9:- व्यापार संगठन योजना रु0 | 35000 | 39863 | 45000 | 83873 | 90528 |
| 10:- रिंगाल उपयोगी योजना रु0 | 1500 | 1554 | 500 | 676 | 1285 |
| 11:- चर्मशोधन व जूता निर्माण रु0 | 5000 | 5230 | 5000 | 2375 | 1606 |
| 12:- दस्तकारी व होजरी योजना रु0 | 6000 | 6136 | 8000 | 7000 | 6924 |

उपरोक्त योजनाओं की लक्ष्य पूर्ति के अनुसार काष्ठकला परियोजना, कृषि उपकरण व धातु कला परियोजना, कार्डिंग प्लान्ट, ऊन विकास योजना, व्यापार संगठन योजनाओं की उपलब्धि विशेष रूप से उत्साह वर्द्धक रही। इनके अतिरिक्त अन्य केन्द्रों की उपलब्धि भी सन्तोषजनक रही। कृषि उपकरण व धातु कला योजना के उत्पादन के लक्ष्य पूर्ति, टिन सीट न मिलने के कारण न हो सके।

जनपद में औद्योगिक विकास का पर्याप्त क्षेत्र होते हुये भी अवस्थापना सम्बन्धि सुविधाओं की उपलब्धि का पर्याप्त न होने के कारण निम्न उद्योग पाँचवी योजना में नहीं प्रस्तावित किये जा सकते हैं। अतः पाँचवी योजना की अवधि में यातायात विद्युतीकरण आदि के विकास के उपरान्त छठी व सातवीं योजना में निजी क्षेत्रों में ऐसे वृहत उद्योग धन्धे चलाये जा सकेंगे:-

(1) स्टोन क्रेशिंग इकाई (2) आयुर्वैदिक औषधालय निर्माण (3) ऑटोमोबाइल कार्यशाला (4) मार्बल उद्योग (5) स्टीलफर्नीचर (6) ऑरेन्ज मील आयल (7) फर्नीचर व कृषि उपकरण।

प्रदेशीय वित्त निगम के माध्यम से स्वीकृत 6-10 लाख रुपये की धनराशि से इन उद्योगों को स्थापित करने व कार्य विस्तार के लिये ऋण व अनुदान का वितरण कर सहायता मिलेगी। ये उद्योग आगामी योजनाओं तक अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करने में सक्षम हो सकेंगे। वर्तमान समय में जिले के अन्तर्गत औद्योगिक वातावरण पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया है जिसके कारण स्थानीय उद्योगपति व बड़े उद्योगों में पूंजी लगाने के जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। अतः लघु व कुटीर उद्योग इकाइयों को लगाने का भी प्रस्ताव योजनाकाल में किया गया है।

आगामी योजनाओं में कागज की लुग्दी बनाने के कारखाने, कागज गत्ता निर्माण इकाइयाँ, फ्लाइवुड निर्माण, इसके अतिरिक्त हार्ड बोर्ड निर्माण इकाई और नींबू नारंगी के छिलके से तेल तैयार करने की इकाइयाँ लगाई जा सकती हैं। ये इकाइयाँ वृहद उद्योग इकाई के रूप में लगाई जा सकेंगी तथा इन उद्योगों के लिये कच्चा माल जिले के अन्तर्गत ही प्राप्त हो सकेगा। इन सम्भावनाओं को साकार करने के लिये विद्युत उत्पादन के लिये पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होगी। आशा है कि पंचम पंच वर्षीय योजना के अन्त तक विद्युत, यातायात आदि की जिले के अन्तर्गत पर्याप्त सुविधा प्राप्त हो सकेगी और इन उद्योगों के संचालन में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होगी।

<u>पांचवीं पंच वर्षीय योजना के कार्यक्रमः</u> - पंचम पंच वर्षीय योजनाकाल में निम्न लिखित परियोजनायें कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव हैः-

1ः- विभागीय योजनाः-

लघु कुटीर उद्योग

(क) अतिरिक्त कर्मचारी वर्गः- योजनाकाल में विभाग का कार्य क्षेत्र व उत्तर दायित्व बढ़ जायेगा। इसके लिये जिला उद्योग कार्यालय के लिये अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग की आवश्यकता होगी। जिले के अन्तर्गत योजना की क्रियान्वयन के निमित्त निम्न लिखित अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग की आवश्यकता होगीः-

1ः- औद्योगिक निरीक्षक

2ः- अधीक्षक ऋण अनुदान

3ः- प्रधान लिपिक

4ः- कैशियर

5ः- अवर लिपिक

प्रथम दो कर्मचारी विभागीय वैयक्तिक ऋण अनुदान की वसूली तथा निजी क्षेत्र में निजी उद्योग पतियों को सम्बन्धित सहायता को मार्ग दर्शित करेंगे। अन्य तीन कर्मचारी कार्यालय के कार्य संचालन में सहायक होंगे। इन कर्मचारियों को वर्ष 75-76 से नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव है और उक्त वर्ष में कुल 40 हजार रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

2ः- अ- विद्युत राज सहायता-

इस योजना के अन्तर्गत निजी उद्योग पतियों को विद्युत की खपत -

पर सहायता प्रदान की जायेगी जिसके लिये योजना काल में 1-00 लाख रु० का प्राविधान रखा गया है। तथा वर्ष 75-76 में 10 हजार रु० विदुयुत सहायता हेतु परिव्यय निर्धारित है।

(द) जनेरिअटिंग सेट लगाने हेतु सब्सिडी:-

जो निजी उद्योगपति अपनी इकाइयों के संचालन के लिये जनरेटिंग सेट लगा कर विदुयुत उत्पादन करेंगे उनको सहायता के रूप में सब्सिडी वितरित की जायेगी। योजनाकाल में इस कार्य के लिये 5-00 लाख तथा योजना के वर्ष 75-76 में 10 हजार रु० निर्धारित किये गये है।

3- औद्योगिक सहकारिता अवस्थापना:-

चतुर्थ योजना काल में जिले के अन्तर्गत सहकारी समितियों का गठन सम्बन्धित कर्मचारियों के अभाव में न ही हो पाया है। वर्तमान योजना में सहकारी समितियों के गठन हेतु निम्न कर्मचारियों की आवश्यकता होगी जो कि समितियों के पुनर्गठन उनके लेखों की जांच आदि करेंगे। योजना में इनके लिये 1-00 लाख रु० का प्राविधान है। तथा योजना के दि्तीय वर्ष 75-76 में 15 हजार रु० का प्राविधान इस कार्य के लिये किया गया है।

1- लिपिक सहायक (2) सहकारिता निरीक्षक (3) चपरासी (4) चौकीदार।

4- प्रदर्शनी व मेले:-

जनपद में औद्योगिक वातावरण तैयार करने के लिये प्रचार सामग्री की आवश्यकता होगी जिसके लिये योजना के दि्तीय वर्ष 75-76 के लिये 10 हजार रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

5- गुणचिन्हांकन योजना (क्वालिटी मार्किंग स्कीम):-

जनपद में वनों का बाहुल्य होने के कारण यहाँ पर काष्ठकला उदयोग का कच्चा माल प्रचुर मात्रा में सुलभ है। इस उदयोग के विस्तार की प्रचुर सम्भावना को दृष्टिगत करके जिले में एक गुण चिन्हांकन योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है जिससे काष्ठकला निर्मित वस्तुओं के गुणों में सुधार किया जा सके।

6- उदयमियों दुवारा अध्ययन दौरा:-

इस जनपद के उदयमियों को अन्य जनपदों व उदयोग बहुल प्रान्तों/जनपदों में भेजने का पंचवर्षीय योजना में प्रस्ताव है। जिले के उदयमी अन्य जिलों में जाकर द उदयोग के विषय में नई जानकारी प्राप्त करेंगे और उनको आने जाने में वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है।

7:- लघु उदयोग पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने हेतु अनुदान:-

निजी उद्योगपति अपने उदयोग के सम्बन्ध में देश के सम्बन्धित उदयोग में विशेषज्ञ व्यक्तियों से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवायेंगे। इस मद में जो वित्तीय व्यय होगा उदयोगपतियों को अनुदान के रूप में धनराशि भुगतान की जा येगी।

8- राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद कानपुर द्वारा उत्पादकता परामर्श योजना-

जिले के उद्योग पतियों को अपने उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाने के लिये परामर्श आदि लेने हेतु जो व्यय होगा उसके लिये विभाग कुछ प्रतिशत अनुदान के रूप में उद्योगियों को दे सकेगा-

9- अनावर्तक औद्योगिक आस्थान-

(अ) इलैक्ट्रीफिकेशन - कोटद्वार आस्थान के विद्युतीकरण हेतु 3 लाख रु० व्यय करने का प्रस्ताव है।

10- औद्योगिक विकास के लिये ऋण- पंचवर्षीय योजना काल में उद्योगपतियों के उद्योगों की स्थापना व उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिये 5 लाख रु० के ऋण वितरण का प्रस्ताव है। जिसमें 75-76 में 14 हजार रु० व्यय करने का प्रस्ताव है।

11- लौह कारखाना सुधार में सुधार-

जिले में उद्योगों को संगठित रूप से चलाने में वर्तमान समय में शिथिलता है। उसको दूर करने व उद्योगों को संगठित रूप से चलाने पर कुछ कर्मचारियों व अन्य सुविधाओं की आवश्यकता होगी। योजना काल में इस कार्य के लिये 1 लाख रु० व्यय का प्रस्ताव है।

12- आवासीय / कार्यालय भवन निर्माण-

जिले में अभी तक जिला उद्योग कार्यालय तथा कर्मचारियों की आवासीय भवन निर्मित नहीं है। इसके लिये योजना काल में 3 लाख रु० का प्रस्ताव है।

3:- हस्त शिल्प:-

1- हस्त शिल्प सहकारी समितियों का गठन तथा वित्तीय सहायता-

जिले में वर्तमान समय में हस्त शिल्प सहकारी समितियों का गठन नगण्य है। इसके विकास व इनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये योजना में प्रस्ताव है।

2- अखिल भारतीय हस्त शिल्प सप्ताह।

प्रदेश एवं देश में समय समय पर हस्त शिल्प की वस्तुओं के प्रचार हेतु साप्ताहिक कार्यक्रम रखे जाते हैं। इन हस्त शिल्प सप्ताहों में भाग लेने के लिये हस्त शिल्पियों एवं विभागीय कर्मचारियों को अपनी उत्पादित वस्तुओं सहित निर्धारित स्थानों पर जाना पड़ता है। इस कार्य के लिये जो धनराशि खर्च होगी उसके पूर्ति किये जाने का प्रस्ताव है।

रिंगाल लकड़ी की विभिन्न प्रकार की वस्तुयें बनाने हेतु चमोली जिले में प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र की स्थापना।

जनपद चमोली में रिंगाल काफी मात्रा में उपलब्ध है इसके उपयोग के लिये योजना काल में एक प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव है। योजनावधि में इस केन्द्र की स्थापना हेतु रु० 5 लाख का परिव्यय निर्धारित किया गया है। वर्ष 1975-76 में 65 हजार रु० व्यय करने का प्रस्ताव है।

हस्तशिल्प इकाइयों तथा कारीगरों का सर्वेक्षण -

हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिये जनपद के पुस्तैनी हस्तशिल्पियों का सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक है इस कार्यक्रम को योजना में प्रस्तावित किया गया है। उक्त विभागीय कार्यक्रमों के लिए पांचवी योजना में 24.05 लाख, वर्ष 1974-75 में 1563 तथा वर्ष 1975-76 में 1.18 लाख रुपया का विभागीय परिव्यय निर्धारित किया गया है।

संस्थागत योजनायें :-

(अ) उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा किराया क्रय पद्धति पर मशीन उपलब्ध कराये जाने पर ब्याज का अन्तर,

जनपद के उद्योगपतियों को किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत लघु उद्योग निगम द्वारा ऋण वितरण किया जायेगा। इस ऋण पर जो ब्याज उद्यमी को वहन करना पड़ेगा उस पर विभाग द्वारा सहायता की जायेगी जिसके लिये योजना काल में 10 हजार रु० का प्रस्ताव है। वर्ष 1975-76 के लिये एक हजार रुपये का परिव्यय निर्धारित है।

(ब) किराया क्रय पद्धति पर मशीनें -

किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत उद्योगपतियों को मशीन क्रय करके पूर्ति की जायेगी जिसके मूल्य की अदायगी किश्तों में करना होगा। इस परियोजना केलिये वर्ष 1975-76 में 8 हजार रु० का परिव्यय निर्धारित है।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा सहभागी विनियोजना -

इस योजना के अन्तर्गत निगम उद्यमियों के उद्योग में अपनी अंश पूंजी सह-भेदारी में लगायेगा और उद्योग में होने वाले लाभ का भाग भी लेगा। इस कार्य के लिये योजनाकाल में 1 लाख रु० का प्रस्ताव किया गया है।

(स) उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा ऋण -

उद्योगपतियों को वित्तीय सहायता के लिये निगम ऋण वितरित करेगा इस हेतु पांचवी योजना काल में 5 लाख तथा वर्ष 1975-76 में 25 हजार रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इन संस्थागत योजनाओं के लिये पांचवीं योजना काल में 6.10 लाख, 1974-75 में 0.70 लाख तथा 1975-76 में 0.355 लाख रु० का परिव्यय निर्धारित है। जनपद में औद्योगिक विकास हेतु उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले ऋण तथा विभागीय ऋण के अतिरिक्त उद्योगपति को भी अपने साधनों से कुछ पूंजी लगानी होगी जो अनुमानतः 40 प्रतिशत होगी। इस प्रकार पांचवी योजना में 4 लाख तथा वर्ष 1975-76 में 16 हजार रु० जनपोषित स्रोत से व्यय करने का प्रस्ताव है।

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड - जिले में औद्योगीकरण हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सहायता प्रदान करने के लिये पांचवी पंचवर्षीय योजना में 1197 हजार तथा वर्ष 1975-76 में 175 हजार रु० परिव्यय निर्धारित किया गया है; वर्ष 1974-75

में 224 हजार रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया था ।

परियोजनावार परिव्यय का विवरण इस प्रकार है:-

| परियोजना | 1975-76 का परिव्यय (हजार रु० ) | पाचवी योजना का परिव्यय ( हजार रु० में ) |
|---|---|---|
| 1- काष्ठ कला | 15 | 82 |
| 2 कुटीर दियासलाई | - | 18 |
| 3 कुम्हारी उद्योग | - | 82 |
| 4- मौन पालन | 2 | 8 |
| 5- रेशा उद्योग | - | 17 |
| 6- चूना उद्योग | - | 32 |
| 7- वनौषधि उद्योग | 3 | 49 |
| 8- बांस, बेंत उद्योग | - | 8 |
| 9- पर्वतीय ऊन योजना | 155 | 768 |
| 10 साबुन उद्योग | - | 43 |
| योग | 175 | 1107 |

यू०पी० स्टेट ऐग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा योगदान:-

कारपोरेशन ने जिले में स्थान कर्णप्रयाग में पैकिंग केसेज बनाने हेतु एक कारखाने की स्थापना की है । इस बार वर्ष 1974-75 में 278 हजार रु० व्यय किया जा चुका है और आशा है कि वर्ष 1975-76 में उत्पादन प्रारम्भ हो जावेगा इस कारखाने के संचालन हेतु कारपोरेशन ने पाँचवी पंचवर्षीय योजना में 1040 हजार तथा वर्ष 1975-76 में 410 हजार रु० परिव्यय निर्धारित किया है । पाँचवी पंचवर्षीय योजना काल में 12.60 लाख तथा और वर्ष 1975-76 में 0.60 लाख रु० मूल्य के पैकिंग केसेज के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है ।

हथकरघा- रेशम एवं टसर योजनायें

जनपद चमोली की उपयुक्त जलवायु, निवासियों की आर्थिक स्थिति एवं अन्य कुटीर उद्योगों की अन्दर त कमी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1966-67 में रेशम उद्योग का कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया । प्रारम्भ में विभाग द्वारा रेशम कीट पालन एवं शहतूत वृक्षारोपण सम्बन्धी कार्य किये गये, जैसे कीट पालन हेतु जलवायु का उपयुक्त होना, वर्ष के कौन कौन से माह व ऋतुयें कीट पालन हेतु अनुकूल है, प्रत्येक फसल में कौन कौन सी उन्नत जातियों के कीट व्यावसायिक रूप में सफलता से पाले जा सकते है । एवं उन्नत जाति के शहतूत वृक्षों की वृद्धि हेतु अनुकूल क्षेत्रों का चुनाव इत्यादि ।

1969-70 तक प्रयोगात्मक कार्यक्रम पूर्ण सफलता से सम्पन्न किये गये एवं यह सिद्ध हुआ कि जनपद में रेशम योजना के द्वारा ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है तथा प्रदेश में रेशम उत्पादन में वृद्धि हो सकती है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाकाल में जनपद के अनेक भागों में योजना के प्रसार एवं विस्तार हेतु शहतूत फार्म स्थापित किये गये जिनके द्वारा प्रारम्भिक अवस्था में जापानी जाति के उन्नत प्रकार के कीटों को पाल कर स्थानीय कीटपालकों को बांटे जाते हैं जिनका आगामी कीटपालन तकनीकी विधि अनुसार कर रेशम कोया तैयार किया जाता है। ग्रामों में वृक्षारोपण हेतु ग्राम वासियों को निःशुल्क उन्नत जाति के शहतूत वृक्ष दिये जाते हैं। ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देने की योजना भी लागू की गई है। इन समस्त कार्यों के फलस्वरूप चतुर्थ पंच वर्षीय योजना तक जो उपलब्धियां हुईं उनका विवरण निम्न प्रकार है।-

| मद | इकाई | उपलब्धि |
|---|---|---|
| भूमि क्रय | हैक्टेयर | 59-65 |
| शहतूत पौधा वितरण ग्रामीण क्षेत्रों में | संख्या | 106254 |
| कोया उत्पादन | कि0ग्रा0 में | 2814 |
| प्रशिक्षण | संख्या | 49 |

वर्ष 1974-75 में 1270 कीलोग्राम कोया उत्पादन किया गया और 5हजार शहतूत के वृक्ष लगाये गये।

कीट पालकों द्वारा उत्पादित कोयों का क्रय विक्रय विभाग के माध्यम से कराया जाता है।

इन सब कार्यों के द्वारा योजना का प्रसार इस जनपद में तीव्र गति से हुआ है, किन्तु कोया उत्पादन के लिये सबसे बड़ी कठिनाई शहतूत वृक्षों की कमी अनुभव की गई है क्यों कि इस जनपद में पुराने समय के लगाये गये कोई शहतूत के वृक्ष नहीं है। अब विशेष प्रयास इस ओर किया जा रहा है क्यों कि योजना का विस्तार केवल शहतूत वृक्षों की उपलब्धि पर ही निर्भर है। इस बात को ध्यान में रखते हुये पंचम पंच वर्षीय योजना में शहतूत वृक्षारोपण हेतु विशेष कार्यक्रम तैयार किये गये है। इस योजना में एक बड़ा शहतूत पौधशाला स्थापित करने का कार्यक्रम रखा गया है।

जैसे जैसे जनपद के क्षेत्रों में अधिक मात्रा में शहतूत वृक्ष तैयार होंगे एवं ग्रामीण व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे उसी अनुसार कोया उत्पादन में भी वृद्धि होगी तथा कीटपालकों की आय में भी वृद्धि होगी। यह निश्चित है कि आगामी 10-20वर्षों में यह जनपद रेशम कोया उत्पादन के लिये उत्तर प्रदेश में अपनी तरह का एक क्षेत्र बन जायेगा जिसके निवासी इस उद्योग से बहुत लाभ उठा सकेंगे तथा उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो जायेगा।

जैसे जैसे वृक्षारोपण होगा उसी पर आधारित कीटपालन केन्द्र तथा फार्म भी स्थापित किये जायेंगे जिनके द्वारा उन्नत प्रकार के कीट ग्रामों में वितरित किये जायेंगे।

तथा विभागीय कर्मचारियों की देखरेख में तकनीकी विधि-अनुसार द्वारा कीटपालन करा कर कोया उत्पादन कराया जायेगा। पंचवर्षीय-योजनाकाल में 6 हजार किलो ग्राम तथा वर्ष 1975-76 में एक हजार किलोग्राम कोया उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ग्रामीण कीटपालकों को प्रशिक्षण देने का भी कार्यक्रम रखा गया है ताकि आने वाले वर्षों में वे तकनीकी विधि अनुसार कीटपालन कर सकें।

जिले में रेशम योजना को कार्यान्वित करने के लिये पंचम पंच वर्षीय योजनाकाल में 1-95 लाख और वर्ष 1975-76 में 63-9 हजार रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। वर्ष 1974-75 में 83-9 हजार रुपये परिव्यय के विपरीत 54-8 हजार रुपये का व्यय किया गया।

## टसर विकास योजना

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय पहाड़ी जिलों में 5 हजार से 7 हजार फीट की ऊंचाई तक बांज के जंगल काफी मात्रा में पाये जाते हैं। चमोली जनपद में भी बांज के पर्याप्त वन उपलब्ध हैं। इस समय बांज का उपयोग मुख्य रूप से घास के लिये अथवा जलाने की लकड़ी के लिये किया जाता है। चीन ने बांज पर टसर के कीड़े पालकर अपने निर्यात को बहुत अधिक बढ़ाया है और इस प्रकार के टसर की मांग विदेशों में बहुत अधिक है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुये वर्ष 1969-70 से टसर कीट पालन का कार्य भारत में भी प्रारम्भ किया गया और इसमें हमें आशातीत सफलता मिली है। परीक्षणों से निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि चमोली जनपद की जलवायु व यहां क्षेत्र में पायी जाने वाली बांज की पत्तियां टसर पालन के लिये उपयुक्त हैं। चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अंत तक 27957 कोयों का उत्पादन किया गया और 50 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 1974-75 में 5919 कोया उत्पादित किये गये। पांचवी योजना तथा वर्ष 1975-76 में क्रमशः 1-50 तथा 0-225 लाख कोया उत्पादन का लक्ष्य है। टसर योजना के लिये पंचम पंचवर्षीय योजना में 3-29 लाख रुपया का प्राविधान किया गया है और वर्ष 1975-76 के लिये 17-8 हजार रुपया परिव्यय निर्धारित है। वर्ष 1974-75 में 50-2 हजार रुपया परिव्यय के विपरीत 8-3 हजार रुपया व्यय किया गया।

उपरोक्त सब प्रयत्नों से पंचम पंचवर्षीय योजना अवधि में लगभग 500 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा और लगभग इतने ही व्यक्तियों को अल्पकालिक काम भी मिल सकेगा। इन प्रयत्नों से जिले की ग्रामीण जनता की आय में वृद्धि होने के अवसर प्राप्त होंगे।

- - - - - - - - - - - - - - - -

## (14) - खनिज विभाग

जनपद में विभिन्न खनिज पदार्थ पाये जाते हैं किन्तु उनकी मात्रा के बारे में कोई निश्चित धारणा अभी तक नहीं बन पायी है । खनिज पदार्थों के विषय में निः उचित जानकारी भूगर्भ शास्त्रियों के द्वारा सर्वेक्षण किये जाने के बाद ही हो सकेगी । पंचम पंचवर्षीय योजना में भूगर्भ शास्त्रियों द्वारा जनपद में मैग्नेसाइट , सोपस्टोन और तथा धातुओं के अन्वेषण का कार्य क्रम बनाया गया है इस हेतु पंचम पंचवर्षीय योजना में 5 लाख और वार्षिक योजना 1975-76 में 10 हजार रुपया परिव्यय निर्धारित है । वर्ष 1974-75 में उक्त अन्वेषण हेतु 25 हजार रुपया परिव्यय निर्धारित किया गया था जिसके विपरीत 10 हजार रुपया व्यय किया गया ।

# (15) - संचार व्यवस्था

जनपद चमोली आर्थिक दृष्टि से राज्य का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, किन्तु भौगोलिक एवं रक्षात्मक दृष्टि से इसका एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है। शासन भी इस बात को स्वीकार करता है कि पिछड़े पहाड़ी क्षेत्रों में रेल संचार न होने के कारण मोटर मार्ग निर्माण को प्रोत्साहन एवं प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

2- इस जिले का प्रदेश के अन्य भागों से केवल मोटर मार्गों से सम्पर्क है। यहाँ इस समय 641 कि०मी० मोटर मार्ग उपलब्ध हैं। जनपद में कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। जिले के प्रमुख मोटर मार्ग निम्न लिखित हैं।

(1) - हरिद्वार - बदरीनाथ मोटर मार्ग जिसके द्वारा टेहरी गढ़वाल, पौड़ी और देहरादून जनपदों से सम्पर्क होता है।

(2)- कर्णप्रयाग - रानीखेत व

(3) - कर्णप्रयाग - ग्वालदम (अल्मोड़ा) मोटर मार्ग जो जनपद को अल्मोड़ा व नैनीताल और पिथौरागढ़ से मिलाते हैं। जनपद के दोनों उप स्थान इन्हीं मुख्य मार्गों से मैदानी एवं रेल मार्गों से जो कि ऋषिकेश, देहरादून, रामनगर, कोटद्वार और काठगोदाम में स्थित है, जुड़े हैं। इन्हीं मार्गों के द्वारा प्रदेश की राजधानी लखनऊ का सम्पर्क भी जनपद से स्थापित होता है।

(4)- रुद्रप्रयाग- ऊखीमठ -चमोली मोटर मार्ग उक्त मार्गों से जिले के समस्त तहसील मुख्यालय एवं अति विकास खण्ड मुख्यालय जुड़े हुये हैं।

3- जिले के क्षेत्रफल के आधार पर सड़कों का घनत्व मैदानी भागों की तुलना में तो कम हैं ही, उत्तराखण्ड के अन्य जिलों की तुलना में भी बहुत कम है, जैसा कि निम्न तालिका से विदित होता है:-

| जनपद | मोटर मार्ग प्रति हजार जनसंख्या (कि०मी०) | मोटर मार्ग प्रति 100 वर्ग कि०मी० (कि०मी०) |
|---|---|---|
| 1- चमोली | 2-10 | 7-02 |
| 2- उत्तरकाशी | 5-29 | 10-57 |
| 3- पिथौरागढ़ | ~~2-49~~ 2-89 | 13-21 |

शासन की नीति क्षेत्रीय असमानता को दूर करने की है। इस दृष्टि से भी आवश्यक है कि तीनों सीमान्त जिलों के आपस में असमानता दूर करने के लिये चमोली जिले में सड़क निर्माण को अपेक्षाकृत अधिक प्रोत्साहन दिया जावें।

4- प्रति हजार जनसंख्या और प्रति सैकड़ा वर्ग कि०मी० पर 1968 में क्रमशः 2-17 तथा 6-13 कि०मी० मोटर मार्ग उपलब्ध थे जिसकी चौथी योजना के अन्त में स्थिति क्रमशः 2-10 तथा 7-02 कि०मी० हो गई। जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के आधारपर मोटर मार्ग के घनत्व को ऊंचो

लाभ है ।

इस समय तक निर्मित मोटर मार्गों से जनपद की केवल 135 ग्राम सभायें ही जोड़ी जा सकी है, शेष 373 ग्राम सभाओं को भी यह सुविधा प्रदान की जानी है । जनपद में 537=का=अहे 500 से अधिक आबादी वाले कुल ग्रामों की संख्या 79 है । इस समय तक 36 ऐसे ग्रामों को मोटर मार्गों से सम्बद्ध किया गया है ।

जिले का क्षेत्रफल बहुत अधिक है । और गाँव छिटपुट से बसे हैं इस कारण सभी गाँवों को मोटर मार्गों से सम्बद्ध कर पाना तो कदाचित कभी भी सम्भव नहीं हो सकेगा तथापि 500 तक की आबादी वाले ग्रामों को मोटर मार्ग से जोड़ना नितान्त आवश्यक है । जिससे सभी औद्योगिक एवं विपणन केन्द्र तथा उद्यानक्षेत्र मोटर मार्ग से सम्बद्ध हो जायें । अभी भी बहुत से ऐसे ग्राम हैं जहाँ पहुँचने के लिये 25 किलोमीटर तक पैदल चलना सका पड़ता है ।

किसी भी क्षेत्र के विकास के लिये संचार व्यवस्था का विकसित होना परम आवश्यक है क्योंकि यातायात के साधनों के उपलब्ध होने से किसी भी क्षेत्र के उत्पादन एवं औद्योगिक निर्मित वस्तुयें अच्छे बाजार तक पहुँचाना सम्भव हो सकता है । जिले की पाँचवीं पंचवर्षीय योजना इसी उद्देश्य से बनाई गई है कि आवागमन तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधायें मनोवांछित रूप से उपलब्ध हो सकें, पर्यटन की दृष्टि से जिले का महत्व बढ़े और अधिक से अधिक फल प्रक्षेत्र सड़क से जोड़े जा सकें जिससे फलों को विपणन सस्ती दरों पर सम्भव हो सके ।

5- पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 132 कि०मी० नये मोटर मार्ग का निर्माण प्रस्तावित किया गया है । प्राथमिकता के आधार पर क्रमांक देते हुये निम्नलिखित मार्गों की सूची बनाई गई थी । सभी मार्ग शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों व जिला परामर्श दात्री समिति द्वारा स्वीकृत प्राथमिकता के आधार पर लिये गये थे और इन मार्गों के प्रस्ताव पर अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण निर्माण विभाग 38वें वृत्त की भी सहमति प्राप्त कर ली गई थी । इस योजना में जिन मार्गों को स्वीकृति नहीं मिल पायेगी उन्हें आगे की योजना में शामिल किया जायेगा :-

1- कुन्दोली - वाँग - 25 कि०मी०
2- गोपेश्वर - उर्गम - 60 कि०मी०
3- पैलचौरी - बैकुण्ठार्णि - 23 कि०मी०
4- घाट - रामणी - 30 कि०मी०
5- सलोपैण - गैरसैण 40 कि०मी०
(चमोली जनपद का मार्ग)
6- कर्णप्रयाग - नौटी सूर्याल 35 कि०मी०
7- गोविन्दघाट - घाँघरिया 25 कि०मी०
8- गुप्तकाशी - कालीमठ-बोडार- 30 कि०मी०

क्र० संख्या 7 व 8 पर अंकित मार्ग पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्गों की सम्पुष्ट

स्वीकृति के विपरीत प्रस्तावित किये गये हों ।

6- जनपद में सड़कों के निर्माण हेतु पंचम पंचवर्षीय योजना में 92,587 हजार तथा वर्ष 1975-76 में 8,390 हजार रुपया परिव्यय प्रस्तावित किया गया है । वर्ष 1974-75 में 10,605 हजार रुपया परिव्यय के विपरीत 11,286 हजार रुपया व्यय किया गया ।

7- चतुर्थ योजना का शेष कार्य :- गत योजना में स्वीकृत कार्य जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाये थे उन्हें पांचवीं योजना में पूर्ण करने का संकल्प है ।

8- निर्माण सामग्री :- पंचम पंचवर्षीय योजना तथा 1975-76 में निर्माण कार्यों को सम्पन्न करने हेतु अनुमानतः निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होगी :-

पंचम पंचवर्षीय योजना के लिये महत्वपूर्ण सामग्री की अनुमानित मांग

| क्र0 सं0 | मद | कुल मांग मी0टन | वर्ष 1975-76 |
|---|---|---|---|
| 1- | सीमेन्ट | 23,000 | 3400 |
| 2- | लोहा | 1,670 | 250 |
| 3- | [illegible] | 129 | 18 |
| 4- | [illegible] | 500 | 75 |

9- रोजगार :- प्रस्तावित योजना से श्रम का अनुमान निकाला गया है तदनुसार तकनीकी योग्यता प्राप्त 105 अभियन्ता व अवर अभियन्ता, 100 लिपिक वर्ग व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा 1,000 दक्ष कुशलियों एवं श्रमिकों को औसत आधार पर निरन्तर रोजगार उपलब्ध होगा । यदि श्रमिकों की पूर्ति जिले से न हो पायी तो कार्य सम्पादन के लिये उन्हें जनपद बाहर से बुलाना होगा ।

10- जनपद में टोल :- वर्ष 1975-76 में टोल समाप्त कर दिया गया है । अलकनन्दा में पुल पार वालों से रुद्रप्रयाग पर टोल लिया जाता था । सड़कों पर परिवहन का भार निरन्तर बढ़ रहा है । यद्यपि चलने वाली गाड़ियों की संख्या के सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तथा मोटर मार्ग पर आने वाले भार की गणना अवश्य की गई है, जो 5 वर्ष पहले औसतन 40 टन प्रति दिन था आज बढ़कर 56 टन हो गया है और आने वाले पाँच वर्षों में 200 टन प्रति दिन हो जाने का अनुमान है ।

11- जनपद में वर्ष 1973-74 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की चार बसें तथा 381 निजी बसें चल रही थीं । वर्ष 1974-75 में इनकी संख्या क्रमशः चार और 452 थी । यह बसें पौड़ी, उत्तर काशी तथा टेहरी जिलों में भी चलती हैं । अतः इनके मार्गों का जिलावार विभाजन सम्भव नहीं है । जिले में निजी बसों तथा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के लिये मार्ग विभाजित नहीं हैं ।

===== 000 =====

## प्रक्षेप

उत्तराखण्ड के जिला चमोली में मोटर मार्गों की विभिन्न समय पर सम्भावित स्थिति प्रति एक हजार जनसंख्या के आधार पर :-

| क्रमांक | वर्ष | सम्भावित जनसंख्या 1971 के आधार पर ( 1,000) | मोटर मार्ग किलोमी० | मोटर मार्ग किलोमी० प्रति हजार जनसंख्या | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1- | 1968 | 2, 58 | 560 | 2-17 | |
| 2- | 1972 | 2, 97 | 641 | 2-16 | |
| 3- | 1973 | 3, 01 | 641 | 2-13 | |
| 4- | 1974 | 3, 05 | 641 | 2-10 | |
| 5- | 1979 | 3, 28 | 773 | 2-36 | |

चतुर्थ योजना के अन्त पर तीनों सीमान्त जनपदों की स्थिति लगभग निम्न प्रकार हो है :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| चमोली | 3, 05 | 641 | 2-10 |
| उत्तरकाशी | 1, 56 | 826 | 5-29 |
| पिथौरागढ़ | 3, 31 | 957 | 2-89 |

इस प्रकार प्रति हजार जनसंख्या पर उपलब्ध मोटर मार्ग को देखते हुये भी चमोली जिला सबसे पिछड़ा हुआ है।

## प्रक्षेप

उत्तराखण्ड के जिला चमोली में मोटर मार्गों की विभिन्न समय पर सम्भावित स्थिति क्षेत्रफल के अनुपात में :

| क्र० सं० | वर्ष | मोटर मार्ग किलोमी० | जनपद का क्षेत्रफल | मोटर मार्ग किलोमी० प्रति 100 वर्ग किलोमी० | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1- | 1968 | 560 | | 6-13 | |
| 2- | 1972 | 641 | | 7-02 | |
| 3- | 1973 | 642 | | 7-02 | |
| 4- | 1974 | 641 | 9128 वर्ग किलोमी० | 7-02 | |
| 5- | 1979 | 773 | | 8-45 | |

सीमान्त जनपदों की चतुर्थ योजना के अन्त तक तुलनात्मक विवरण :-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | चमोली | 641 | 9128 | 7-02 | |
| | उत्तरकाशी | 826 | 7316 | 10-57 | |
| | पिथौरागढ़ | 957 | 7243 | 13-21 | |

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सड़कों के घनत्व अर्थात प्रति 100 किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़क की उपलब्धता को देखते हुये भी जनपद चमोली उत्तराखण्ड के अन्य जिलों के मुकाबले में पिछड़ा हुआ है और उसकी उन्नति के लिये सड़क निर्माण को प्राथमिकता दिया जाना अनिवार्य होगा।

## दरों का लगभग विश्लेषण

### अ- मोटर मार्ग के नव निर्माण के लिये दरों का विश्लेषण

| | | |
|---|---|---|
| 1- भूमि की अद्ध्याप्ति तथा प्रतिकर | रु0 | 10,000 प्रति किलोमीटर |
| 2- पहाड़ों की तरफ कटाई<br>1/2 ×1000×6.0×10.0=30,000 घ0मी0<br>दर रुपया 400/=% घ0मी0 | रु0 | 1,20,000 प्रति किलोमीटर |
| 3- दिवाल, कलवर्ट, रपटे व नालों का निर्माण | रु0 | 30,000 प्रति ,, |
| 4- 15 सेन्टीमीटर मोटा सोलिंग कच्चे हिस्सों में लगभग<br>1/3 किलोमीटर प्रति किलोमीटर दर 30,000/= प्रति किलोमीटर | | 10,000 ,, ,, |
| 5- पैरापेट दो0 0 मीटर पत्थर इत्यादि | रु0 | 17,000 ,, ,, |
| 6- लघु सेतुओं का निर्माण | रु0 | 30,000 ,, ,, |
| 7- मार्ग निर्माण के समय में सड़क का रखरखाव व स्लिप सफाई | रु0 | 15,000 ,, ,, |
| 8- मार्ग स्थल पर आवास एवं भण्डारों का निर्माण | रु0 | 5,000 ,, ,, |
| 9- मशीनरी व टी0एण्ड पी0 लगभग 5% | रु0 | 13,000 ,, ,, |
| योग :- | रु0 | 2,50,000 प्रति किलोमीटर |

======= 0 0 0 =======

## (१६) पर्यटन

जनपद की धार्मिक, सुरम्य प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक दर्शनीय स्थलों की दृष्टि से अद्वितीय महत्ता है। यहाँ बद्रीनाथ-केदारनाथ जैसे धार्मिक महत्व के स्थान हैं जहाँ प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में तीर्थयात्री आते रहते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ फूलों की घाटी, कुण्ड आदि सुरम्य प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल भी विद्यमान हैं। श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ के सुपरिचित धामों के अतिरिक्त जनपद के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थलों का विवरण इस प्रकार है :-

१) गोविन्दघाट:- जोशीमठ से लगभग ७ मील की दूरी पर बद्रीनाथ मोटरमार्ग से लक्ष्मण नदी की घाटी की ओर पैदल मार्ग पर स्थित है। यहाँ पर सिक्खों का गुरुद्वारा है और यहाँ से होकर फूलों की घाटी होते हुये हेमकुण्ड साहब को जाते हैं। हेमकुण्ड साहब सिक्खों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कहा जाता है कि वहाँ गुरु गोविन्दसिंह जी महाराज ने तपस्या की थी। इस स्थल की ऊँचाई समुद्रतल से ४,००० मीटर है।

२) फूलों की घाटी:- गोविन्द घाट से लगभग १० मील की दूरी पर स्थित है जहाँ शरद ऋतु में नाना प्रकार के असंख्य पुष्प खिल जाते हैं। सम्पूर्ण घाटी फूलों से ढक जाती है। समुद्रतल से ऊँचाई ३३५० मीटर है।

३) वसुधारा:- यह एक जल प्रपात है जो बद्रीनाथ से माणा घाटी की ओर ३ मील की दूरी पर है। पानी के काफी ऊँचाई से गिरने के कारण स्थान दर्शनीय बन गया है। समुद्रतल से ऊँचाई ४००० मीटर है।

४-भविष्य बद्री:- यह जोशीमठ से लगभग १५ मील की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर बद्रीनाथ जी की लघुआकार वाली मूर्ति है। ४ मील पैदल मार्ग है।

५)-अनुसूया देवी :- यह जिले के मुख्यालय गोपेश्वर से ६ मील दूर है। केवल पैदल ३ मील चलना पड़ता है, शेष मोटर मार्ग है। धार्मिक दृष्टि से यह मन्दिर बड़े महत्व का है। यहाँ पर अनुसूया देवी की मूर्ति है। किंवदन्ति है कि देवी के दर्शन करने पर मनोकामनायें पूर्ण होती हैं। अधिकतर जिन स्त्रियों के बच्चे नहीं होते हैं वे वर माँगने के लिये मन्दिर में उपवास करती है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ मेला लगता है।

६) रुद्रनाथ:- जिले के मुख्यालय से १४ मील की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर भगवान रुद्रनाथ की अनोखी ढंग की मूर्ति विराजमान है। मार्ग चढ़ाई एवं पगडण्डी का है। समुद्रतल से इस स्थान की ऊँचाई ५,००० मीटर है।

७) तुंगनाथ:- जिले के मुख्यालय से ११ मील की दूरी पर भगवान शिव का मन्दिर है जो अपने ढंग का महत्वपूर्ण है। पैदलमार्ग केवल ३ कि०मी० है। समुद्रतल से ऊँचाई ४,१४६ मीटर है।

८) चाँदपुर गढ़ी:- यह स्थान कर्णप्रयाग से रानीखेत मोटरमार्ग पर १० मील दूरी पर है जो सड़क से करीब १ फर्लांग की चढ़ाई पर एक खण्डहर (किले) के रूप में स्थित है कहा जाता है कि यहाँ पर एक राजा राज्य करता था।

९) बेनीताल:- यह कर्णप्रयाग, आदिबद्री मोटरमार्ग से लगभग ३ मील की चढ़ाई लेकर स्थित है। ताल की लम्बाई-चौड़ाई लगभग आधा मील है और आस-पास मैदानी भूमि और जंगल हैं और दर्शनीय है।

१०) कोटी:- यह कर्णप्रयाग से थराली मोटर मार्ग पर स्थान कौथली गधेरे से लगभग ३ मील की चढ़ाई लेकर स्थित है। वहाँ पर नन्दादेवी का एक विशाल मन्दिर है। कहा जाता है कि जब जब वर्षा का अभाव होता है तब-तब लोग इस मन्दिर में पानी के लिये नन्दा जी की आराधना करते हैं और पानी बरसने लगता है।

११) चोपता चौरी:- यह स्थान थराली मोटरमार्ग के स्थान नारायणबगड़ से लगभग ५ मील चढ़ाई लेकर पैदल मार्ग पर स्थित है। यहाँ पर भगवती राजराजेश्वरी का एक प्राचीन मन्दिर है। देवी की मूर्ति के साथ-साथ उनके अन्य गणों की भी मूर्ति विराजमान है जो कि अपने ढंग की अनोखी है। समुद्रतल से ऊँचाई १५०० मीटर है।

१२) तलवाड़ी:- थराली से लगभग ६ मील दूरी पर एक रमणीय स्थल है। समुद्रतल से इस स्थल की ऊँचाई २००० मीटर है।

१३) वेदनी बुग्याल:- यह स्थान थराली से लगभग २४ मील पैदल मार्ग पर है और बड़ा रमणीक तथा दर्शनीय है। समुद्रतल से ऊँचाई ३००० मीटर है।

१४) रूपकुण्ड:- वेदनी बुग्याल से आगे लगभग १६-१७ मील की चढ़ाई पर है जहाँ नन्दा-देवी की जात लगती है जिसमें जिले के निवासी बड़ी संख्या में जात के समय भाग लेते हैं और वहाँ जाते हैं। जात के समय स्थान कांसुवा में पहले एक चार सींगों वाला

मेढ़ा (बकरा) उत्पन्न होता है जो कि नन्दा देवी की भेंट में रूपकुण्ड तक छोड़ा जाता है। जात का मेला हर बारह वर्ष बाद भाद्र मास में लगता है। समुद्रतल से ऊँचाई ६००० मीटर है।

१५) मध्यमेश्वर :- स्थान गुप्तकाशी से १८ मील उत्तर में चौखम्बा शिखर (७००६ मी०) की दूरी पर पैदल मार्ग के नीचे स्थित है जहाँ पर भगवान शिव का प्राचीन मन्दिर है व पहाड़ी की दर्शनीय चोटी पर है। यह पाँच केदारों में आता है।

१६) कालीमठ :- स्थान गुप्तकाशी से ३ मील की दूरी पर स्थित एक विशाल काली देवी का मन्दिर है। नवरात्रि के अवसर पर कालरात्रि के पर्व पर काफी संख्या में जन समुदाय दर्शन एवं काली माई की पूजा के लिये आते हैं तथा मूर्ति बहुत भयंकर है।

१७) वासुकीताल :- केदारनाथ जी के मन्दिर से लगभग ढाई मील की चढ़ाई लेकर है और कि लगभग दो मील की परिधि पर है व दर्शनीय है। वहाँ पर केवल ग्रीष्म ऋतु में ही जाया जाता है।

१८) कोटेश्वर महादेव :- यह स्थान रुद्रप्रयाग से २ मील पैदल मार्ग पर स्थित है वहाँ पर कोई मन्दिर नहीं है बल्कि एक चट्टान के अन्दर गुफा है जहाँ पर शिवजी की साक्षात मूर्ति अपने आप उत्पन्न है। अलकनन्दा नदी इस स्थान से कुछ ही गज दूरी पर बहती है। वहाँ पर हर शिवरात्रि को बहुत बड़ा मेला लगता है। स्थान दर्शनीय है तथा शिवलिंग के ऊपर जलधारा स्वयं बहती है।

पर्यटन विकास के लिये तीन प्रमुख आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। प्रथम आवास की व्यवस्था, दूसरे सुगम एवं सस्ते यातायात की व्यवस्था तीसरे स्वच्छ और रुचि के अनुकूल भोजन की व्यवस्था। इसके अतिरिक्त पेयजल पूर्ति, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधायें आमोद-प्रमोद के साधन आदि भी पर्यटकों को आकर्षित करने में सहायक सिद्ध होंगे। योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स ने पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन की सम्भावनाओं पर गहन अध्ययन करने उपरान्त उक्त सुविधाओं को अधिकाधिक उपलब्ध कराये जाने की संस्तुति की है।

जिले में तीर्थयात्रियों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है जिसका अनुमान निम्न तालिका से लगाया जा सकता है :-

| स्थान | पर्यटकों, तीर्थ यात्रियों की संख्या (०००) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | १९६८ | १९६९ | १९७० | १९७१ | १९७२ | १९७३ |
| १- बद्रीनाथ | १४८ | १५१ | ९६ | १६० | २०० | २५० |
| २- केदारनाथ | ५१ | ७० | ५७ | ७१ | ८० | १०० |

यात्रा मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान जोशीमठ में इस समय लगभग २१२ व्यक्तियों के लिये आवास की सुविधा उपलब्ध है। ऋषिकेश से प्रातः प्रस्थान करने वाली प्रायः सभी गाड़ियाँ जोशीमठ में रात में ठहरती हैं। यहाँ से यात्री बद्रीनाथ फूलों की घाटी, वसुधारा तथा हेमकुण्ड साहिब को प्रस्थान करते हैं। अतएव जोशीमठ में ३०० बेड्स के अतिरिक्त आवास की सुविधा का सृजन किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार सोनप्रयाग जहाँ से केदारनाथ की यात्रा के लिये पैदल प्रस्थान करना पड़ता है, में चट्टियों में बहुत ही निम्नस्तर की आवासीय सुविधा उपलब्ध है। अतः इस स्थान पर न्यूनतम २०० व्यक्तियों के ठहरने के लिये अस्थायी निर्माण तुरन्त कराये जाने की आवश्यकता है क्योंकि सोनप्रयाग-गौरीकुण्ड मोटर मार्ग बन जाने के बाद इस स्थान का महत्व नहीं रह जायेगा। इसके अतिरिक्त बद्रीनाथ-केदारनाथ में भी यात्रियों के ठहरने के लिये पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। बद्रीनाथ-केदारनाथ यात्रा पर आने वाले व्यक्तियों में से लगभग ६० प्रतिशत यात्री मई-जून में आते हैं और अनुमानतः ३,००० यात्री प्रतिदिन बद्रीनाथ धाम में पहुँचते हैं। यह मानते हुये कुछ यात्री तीन रात और कुछ दो रात ठहरते हैं लगभग ७५०० यात्रियों के लिये प्रतिदिन आवास की आवश्यकता है। योजना आयोग द्वारा गठित टास्कफोर्स ने यात्रियों में ८% प्रतिवर्ष वृद्धि को मानकर वर्ष १९७८-७९ तक यात्रियों की यह संख्या लगभग १२००० हो जाने का अनुमान लगाया है इस प्रकार अभी काफी समय तक इन स्थानों पर आवास की समस्या बनी रहेगी जिसे सीमित साधनों को देखते हुये शीघ्र दूर किया जाना सम्भव नहीं है।

यातायात के लिये वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम तथा निजी चालकों जैसे टिहरी गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन, गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन

कुमायूँ मोटर ओनर्स यूनियन द्वारा चलाई जाने वाली बसें एवं निजी चालकों की टैक्सी उपलब्ध है। निजी चालकों की बसें काफी पुरानी एवं असुविधाजनक तथा इनकी सं० भी आवश्यकता को देखते हुये कम हैं। पर्यटन विकास के लिये अधिक संख्या में साधारण और डीलक्स बसों तथा टैक्सी आदि की आवश्यकता है।

पर्यटन उद्योग की सम्भावनाओं के विकास हेतु विभिन्न स्तर के पर्यटकों की सुविधा के लिये होटल विकास के साथ-साथ होटल कर्मचारियों के प्रशिक्षण का भी प्राविधान किया जाना है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि स्थानीय व्यक्तियों में इस कार्यक्रम को अपनाने की योग्यता एवं क्षमता नहीं है। अतएव आरम्भ में होटल व्यवस्था हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ किया जाना चाहिये और बाद में इसका अनुपालन स्थानीय स्तर पर हो सकेगा।

पाँचवीं योजना के कार्यक्रम:- पाँचवीं योजना में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जनपद में १२०.६४ हजार रु० और वर्ष १९७५-७६ में २२.७ हजार रु० व्यय किये किये जाने का अनुमान है। इसमें आवासीय सुविधायें प्रदान करने के साथ-साथ प्रचार प्रसार हेतु पोस्टर प्रकाशित कराये जाने और स्वागत केन्द्र स्थापित किये जाने का प्राविधान है। फूलों की घाटी और हेमकुण्ड लोकपाल के ऊपर एक फिल्म तैयार कराने हेतु ०.८० लाख रु० का प्राविधान किया गया है। यह फिल्म भारत और विदेशों में दिखायी जायेगी। वर्ष १९७४-७५ में जनपद में ६.३८ हजार रु० पर्यटन विकास के लिए व्यय किया गया है।

इसके अतिरिक्त रुद्रप्रयाग में यात्री विश्राम गृह का निर्माण हो रहा है इसका चमोली जिले के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि श्री केदारनाथ व बद्रीनाथ धामों के लिए मार्ग यहीं से अलग होते हैं और आते-जाते यात्रियों को रुद्रप्रयाग में विश्राम की आवश्यकता पड़ती है।

सड़क परिवहन, संचार साधन, आवास की सुविधायें तथा अन्य अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि के साथ-साथ पर्यटकों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि की सम्भावनायें हैं जिससे जिले के स्थानीय उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन मिलेगा और क्षेत्रीय असमानतायें दूर होंगी। पर्यटन विकास से स्थानीय जनता को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार भी उपलब्ध हो सकेगा।

इस जनपद में पर्यटन विकास के लिये सबसे बड़ी बाधा किसी पेट्रोल पम्प का न होना है। वर्ष १९७५-७६ में एक पेट्रोल पम्प जिला मुख्यालय, गोपेश्वर में स्थापित होगया है।

इस जनपद के लिये पर्यटन विभाग द्वारा जो योजना बनाई गई है उसमें मुख्यत: बद्रीनाथ-केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को आवासीय सुविधा देने का ही लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त थोड़ी सी महत्ता फूलों की घाटी व लोकपाल-हेमकुण्ड को दी गई है। इस जनपद में रूपकुण्ड व मद महेश्वर में प्रतिवर्ष काफी संख्या में पर्यटक आते हैं जिनका उद्देश्य ट्रेकिंग होता है। उपरोक्त स्थानों के रास्तों में लाग हट्स बनाई जानी चाहिये। रूपकुण्ड जाने हेतु निम्न स्थानों में लाग हट्स की आवश्यकता होगी।

१- देवाल
२- मुन्दोली
३- वैदनी
४- वेदनी-बग्याल
५- वज्जु वासे।

मद्महेश्वर हेतु निम्न स्थानों में लाग हट्स की सुविधा चाहिये :-

१- कालीमठ
२- गौडार
३- मद्महेश्वर।

इस जनपद में निम्न सुन्दर-प्राकृतिक ताल( Lakes ) हैं जहाँ लाग हट्स की आवश्यकता है :-

१- भेकल ताल ( विकास खण्ड, थराली )
२- देवरिया ताल ( विकास खण्ड, ऊखीमठ )
३- ब्रह्म ताल ( विकास खण्ड, थराली )
४- मनताल ( विकास खण्ड, दशोली )

इस वर्ष से जनपद का एक बड़ा भाग विदेशी पर्यटकों के लिये खोल दिया गया है। यह आशा है कि विदेशी पर्यटक पर्वतारोहण एवं ट्रेकिंग हेतु आयेंगे, अत: यह अत्यन्त आवश्यक है कि विभिन्न मार्गों में लाग हट्स व आवास, होटल्स एवं रेस्टोरेण्ट की सुविधा प्रदान की जाय। इस हेतु एक सर्वेक्षण तुरन्त करना आवश्यक होगा। यहाँ पर यह बतलाना उपयुक्त होगा कि

कालीमठ का मन्दिर धार्मिक एवं पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मध्यमेश्वर पंचकेदारों में से है। साथ ही कुछ वर्षों में गुप्तकाशी-कालीमठ-रांसी-गौंडार मोटर मार्ग बनने की सम्भावना है जिससे यह आशा है कि पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। इस क्षेत्र में सुन्दर वन तथा फूलों से आच्छादित घाटियां भी हैं।

रुद्रनाथ- गोपेश्वर से १४ मील की दूरी पर स्थित है जहां सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा यात्रियों के लिये पैदल रास्ता बनाया जा रहा है। रुद्रनाथ इस समय भी यात्री आते हैं और यह अत्यन्त सुरम्य स्थल है। यहां पर भी लाज हट्स की आवश्यकता है। इसी प्रकार तुंगनाथ में भी एक लाज हट्स की आवश्यकता है।

इस जनपद में बहुत प्राकृतिक सम्पदा है तथा वन्य जीवन में यह जनपद धनी है। वन्य जन्तु व पक्षी दर्शन, मछली पकड़ना, ट्रैकिंग आदि की सुविधा हेतु इस योजना में कोई भी प्राविधान नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि पर्यटन विभाग द्वारा एक पूरक योजना बनाई जाये।

ब्रिटिश काल में औली-बुग्याल में अंग्रेज आइस-स्पोर्टस के लिये आते थे। औली बुग्याल व औली (जोशीमठ) स्केटिंग व आइस-स्पोर्टस के लिये उपयुक्त है।

गोपेश्वर-चमोली के बीच तथा उर्गम व हेलंग के बीच रोपवे (रज्जुमार्ग) होना चाहिये।

----

## (17) सामान्य शिक्षा

जिला चमोली उत्तराखण्ड का एक क्षेत्र है । भौगोलिक दृष्टिकोण से यह जिला पूर्णतः पर्वतीय है जिसकारण शिक्षा हेतु इसकी विशेष समस्यायें हैं । इसका क्षेत्रफल 9,123 वर्ग किलोमीटर तथा 1971 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 2,92,571 है । यहाँ की जनसंख्या का घनत्व 32 प्रति वर्ग किलोमीटर है । 60 प्रतिशत बस्तियाँ 200 से कम आबादी वाली तथा बिखरी हैं । यातायात की असुविधा आवागमन असुविधा तथा पिछड़ेपन व निर्धनता से व्यक्तिगत विद्यालयों को चलाने में जनता की असमर्थता के कारण यहाँ की शैक्षिक प्रगति शिथिल रही है । इस पर भी यह जनपद साक्षरता की दृष्टि से राज्य में ऊँचा स्थान रखता है । 1971 में यहाँ पुरुषों में 48-9 प्रतिशत एवं महिलाओं में 9-6 % साक्षर थे । राज्य के लिये यह प्रतिशत क्रमशः 31-5 व 10-5 प्रतिशत था । नवीन विद्यालयों को खोलने में अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण में निर्धारित मानदण्ड इस विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले पर्वतीय जिले के लिये पूर्णतः व्यावहारिक नहीं है । अतः [illegible] जनता की माँगों एवं भौगोलिक परिस्थितियों का प्राइमरी स्कूल, मिडिल, हायर सेकेन्ड्री विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं ।

### वर्तमान शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन

सन् 1960 में जनपद के निर्माण के समय से वर्तमान समय तक 1974-75 तक विभिन्न स्तर की शिक्षा में जो प्रगति हुई है व निम्न तालिका से स्पष्ट है :-

| क्र० सं० | विद्यालय का प्रकार | 1960-61 | 1971-72 | 1973-74 | 1974-75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1- | आधारिक विद्यालय | 400 | 528 | 542 | 567 |
| 2- | पूर्व माध्यमिक विद्यालय | 22 | 63 | 67 | 72 |
| 3- | उच्चतर माध्यमिक विद्यालय | 7 | 24 | 35 | 38 |
| 4- | डिग्री कालेज | - | 1 | 1 | 2 |
| 5- | प्रशिक्षण विद्यालय ( इकाई सहित) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 6- | प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र | - | 14 | 16 | - |

विद्यालयों के खुलने के साथ-साथ छात्र संख्या में भी वृद्धि हुई है जो निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाती है :-

| क्र० सं० | विद्यालय का प्रकार | 1960-61 | 1971-72 | 1973-74 | 1974-75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1- | आधारिक विद्यालय | 18,219 | 32,325 | 36,120 | 39,704 |
| 2- | पूर्व माध्यमिक विद्यालय | 1,556 | 6,267 | 7,525 | 8,435 |
| 3- | उच्चतर माध्यमिक विद्यालय | 1,453 | 3,667 | 4,118 | 4,185 |

छात्र संख्या में वृद्धि के साथ-साथ अध्यापकों की संख्या में भी आशातीत वृद्धि हुई है जो निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाती है :-

| क्र0सं0 | विद्यालय का प्रकार | 1960-61 | 1971-72 | 1973-74 | 1974-75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1- | आधारिक विद्यालय | 690 | 979 | 1172 | 1290 |
| 2- | पूर्व माध्यमिक विद्यालय | 110 | 292 | 291 | 394 |
| 3- | उच्चतर माध्यमिक विद्यालय | 104 | 408 | 556 | 600 |

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जनपद में अधिकांश शिक्षित वर्ग को रोजगार मिलने में जो सुविधा रही है । जहाँ तक विद्यालय भवनों का प्रश्न है वर्ष 1973-74 तक 542 प्राइमरी स्कूलों में से 520 के भवन हैं । 67 जूनियर हाई स्कूलों में 31 के भवन हैं । अधिकांश भवन खराब हालत में हैं जिनका सुधार किया जाना अपेक्षित है । भवनों का विवरण निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है :-

उप शाखा - 1

| क्र0 सं0 | विकास क्षेत्र का नाम | प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या: भवन सहित | प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या: भवन रहित | जूनियर हाई: भवन सहित | जूनियर हाई: भवन रहित | उच्चतर माध्यमिक: भवन सहित | उच्चतर माध्यमिक: भवन रहित | डिग्री: भवन सहित | डिग्री: भवन रहित |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- | जोशीमठ | 60 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | - | - |
| 2- | दशोली | 74 | 9 | 2 | 5 | 5 | - | 1 | - |
| 3- | थराली | 61 | - | 3 | 1 | 3 | - | - | - |
| 4- | ऊखीमठ | 48 | 1 | 5 | 3 | 5 | - | - | - |
| | योग :- | 243 | 12 | 13 | 14 | 15 | - | 1 | - |

उप-शाखा - 2

| क्र0 सं0 | विकास क्षेत्र का नाम | प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या: भवन सहित | प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या: भवन रहित | जूनियर हाई: भवन सहित | जूनियर हाई: भवन रहित | उच्चतर माध्यमिक: भवन सहित | उच्चतर माध्यमिक: भवन रहित | डिग्री: भवन सहित | डिग्री: भवन रहित |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- | कर्णप्रयाग | 46 | 2 | 2 | 6 | 5 | - | - | - |
| 2- | नारायणबगड़ | 52 | 2 | 2 | 5 | 2 | - | - | - |
| 3- | गैरसैंण | 48 | 4 | 1 | 5 | 2 | - | - | - |
| 4- | पोखरी | 63 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | - |
| 5- | अगस्त्यमुनी | 68 | - | 5 | 2 | 6 | - | - | - |
| | योग :- | 277 | 10 | 13 | 22 | 20 | - | - | - |
| | महायोग :- | 520 | 22 | 31 | 36 | 35 | - | 1 | - |

इस प्रकार 22 प्राइमरी विद्यालयों में भवन नहीं हैं किन्तु ग्राम सभा में प्राइमरी स्कूल चलाने की व्यवस्था है । जूनियर हाई स्कूलों में 36 विद्यालयों में भवन नहीं है । उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भवनों की व्यवस्था है परन्तु अधिकांश अस्थाई टिन शेडों अथवा कच्ची झोपड़ियों में चल रहे हैं । परिषद् ने प्राइमरी विद्यालयों के भवन हेतु शासन से

अनुदान मिला है और कार्य चल रहा है । राजकीय विद्यालय भवनों भवन निर्माण में ग्राम पंचायतें 50% श्रमदान देती हैं जो राजकीय अनुदान में सहायक हैं तथापि यह श्रमदान भी नगण्य है । पिछले तीन वर्षों में कुछ भवन ग्राम निवासियों के श्रमदान आदि से बने हैं जो सर्वथा अनुपयुक्त हैं । जनता द्वारा स्कूलों में उपकरण, पुस्तकालय सज्जा, दोपहर के भोजन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क छात्र वर्दियों के लिये कोई व्यवस्था अथवा प्रयास नहीं किया गया है । इस प्रकार विद्यालय शासकीय अनुदान पर ही निर्भर हैं ।

जनपद को विकास के दृष्टिकोण से दो उप संस्थाओं में बाँटा गया है । प्रथम संस्था में चार विकास क्षेत्र और द्वितीय संस्था में 5 विकास क्षेत्र सम्मिलित किये गये हैं । पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण दोनों उप संस्थाओं में प्रत्येक प्रकार की शैक्षिक सुविधायें समान रूप से उपलब्ध हैं ।

प्रारम्भिक शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु जनपद में एक राजकीय दीक्षा विद्यालय गोचर में है तथा महिलाओं के लिये एक प्रशिक्षण यूनिट बालिका इण्टर कालेज गोपेश्वर के साथ सम्बद्ध है । बालिका यूनिट गोपेश्वर को यदि पूर्ण प्रशिक्षण विद्यालय बना दिया जावे तो शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण के लिये उक्त दोनों संस्थायें पर्याप्त हो जायेंगी ।

जिले के कुछ ऐसे भी भू-भाग हैं जिनमें विद्यालयों में स्थान निर्धारण के सम्बन्ध में समस्यायें आती हैं तथा उनका निराकरण प्राइमरी स्तर पर शाखा पाठशाला देने से तथा जूनियर स्तर पर शासन द्वारा नवीन जूनियर हाई स्कूल खोलने पर किया जाता है । कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ छोटी सड़कों के खोलने से विद्यालयों के निर्माण में की समस्या का समाधान किया जा सकता है । भारत सरकार द्वारा जो द्वितीय शैक्षिक सर्वेक्षण किया गया था उसमें नवीन विद्यालयों को खोलने के सम्बन्ध में निर्धारित मानक इस जनपद की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के कारण तथा छोटे आबादी वाले ग्रामों के कारण पूर्णतः व्यावहारिक नहीं है । क्यों कि यदि सबसे 30 की जनसंख्या वाली है और वह समीपस्थ ग्रामों से 3 मील की दूर है जो वहाँ विद्यालय दिया जाना वांछित है जब कि सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ विद्यालय नहीं दिया जा सकता है । इस कारण जनपद में 100 से अधिक शाखा विद्यालय चल रहे हैं । जनता की माँग पर शाखा पाठशालाओं की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है । बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में जनपद पिछड़ा है जो बालिकाओं के विद्यालयों से ही स्पष्ट हैं । इस जनपद में 38 कन्या प्राइमरी पाठशालायें 6 कन्या जूनियर हाई स्कूल हैं । आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के कारण अधिकाँश अभिभावक बालिकाओं को पढ़ाना पसन्द नहीं करते हैं । जनपद में प्रशिक्षित महिला अध्यापिकायें अपर्याप्त हैं । अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के बालक बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है । ऐसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्तियाँ, ~~पुस्तकीय~~ पुस्तकीय सहायता देने की व्यवस्था है किन्तु अत्यधिक गरीबी के कारण अनुसूचित जाति के अधिकाँश अभिभावक अपने बालक बालिकाओं को विद्यालय भेजने में रुचि नहीं लेते हैं । इस वर्ग के छात्र छात्राओं को/शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य सरकार द्वारा स्थान गोपीनाथ में एक आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित किया गया है जो कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा देता है । इसके अतिरिक्त गोपेश्वर में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये

एक आश्रमपद्धति विद्यालय और जिला मुख्यालय गोपेश्वर में जनजाति छात्रावास की स्थापना की गई है।

जनपद में वर्ष 1973-74 तक 35 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सहायता प्राप्त, असहायता प्राप्त एवं राजकीय व्यवस्था में संचालित हैं। 25 विद्यालयों में विज्ञान से शिक्षा दी जाती है परन्तु विज्ञान सामग्री एवं विज्ञान कक्ष की कमी है जिससे छात्रों को प्रयोगात्मक कार्य में कठिनाई होती है। अब "यूनिसेफ" की ओर से विज्ञान किट उपलब्ध कराये जाने से शिक्षकों को नये पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे विज्ञान उपकरणों की कमी की समस्या कुछ हद तक हल हो सकेगी। उप सम्भागों के विकास क्षेत्रों का अगस्त्यमुनि में स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सलकोटी में एक मात्र हाई स्कूल स्तर तक विज्ञान के साथ साथ कृषि की शिक्षा दी जाती है।

विभिन्न प्रकार की शैक्षिक संस्थायें तथा प्रशिक्षण विद्यालय बच्चों को केवल पुस्तकीय शिक्षा दे रहे हैं और ये बच्चे सामान्यतया प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल स्तर पर अध्यापक, लिपिक तथा सेना में भी भर्ती होते हैं। न्यूनतम संख्या में प्राविधिक शिक्षा हेतु मैदानों में जाते हैं। पाँचवी पंचवर्षीय योजना में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना प्रस्तावित है जिससे जिले के बच्चों को प्राविधिक शिक्षा का लाभ मिल सकेगा।

## दीर्घकालीन कार्यक्रम

जनपद की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों एवं जनता की माँग के अनुसार बढ़ती हुई छात्र संख्या को पूर्ण रूपेण शैक्षिक सुविधायें पाँचवीं योजना के अन्त तक भी नहीं उपलब्ध हो पायेंगी। प्राथमिक स्तर पर 100 प्रतिशत जूनियर हाई स्कूल स्तर पर 50% एवं इसी प्रकार हायर सेकण्ड्री स्तर पर 35% शिक्षा स्तर को प्राप्त करने हेतु छठी पंच वर्षीय योजना में लगभग 80 प्राथमिक विद्यालय, 30 जूनियर हाई स्कूल एवं 25 हायर सेकण्ड्री स्कूल खोलने होंगे। सामान्य शिक्षा में वृद्धि के साथ साथ शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जावेगी। अतः यह आवश्यक है कि जनपद में व्यावसायिक शिक्षा की अधिक से अधिक व्यवस्था की जावे। आम जनता की बौद्धिक विकास हेतु प्रत्येक तहसील में एक एक पुस्तकालय स्थापित करने होंगे। जनपद में विद्यालयों के पास खेल के मैदानों की नितान्त कमी है ! खेल के स्तर को ऊँचा उठाने के लिये जिला मुख्यालय एवं तहसील स्तर पर स्टेडियमों की व्यवस्था भी आवश्यक होगी।

## पंचम पंचवर्षीय योजना की परिरेखा

शैक्षिक आँकड़ों से स्पष्ट है कि 1973-74 तक प्राइमरी स्तर पर 68%, मिडिल स्तर पर 28% एवं हायर सेकण्ड्री स्तर पर 15% छात्र छात्रा अध्ययन कर रहे हैं। पंचम योजनाकाल में वर्ष 1974-75 में 25 आधारिक विद्यालय, 5 मिडिल स्कूल तथा 3 हायर सेकण्ड्री स्कूलों की स्थापना की गई है। पाँचवी योजना में 13 आधारिक विद्यालय, 14 मिडिल स्कूल और 10 हायर सेकण्ड्री स्कूल खोले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वर्ष 1975-76 में 10 आधारिक विद्यालय, 6 मिडिल स्कूल और 9 हायर सेकण्ड्री स्कूल स्थापित किये जाने-थे- का प्रस्ताव है। इस प्रकार पाँचवी योजना के अन्त तक आधारिक विद्यालयों में 85%, मिडिल स्तर पर 49% तक

तथा हायर सेकण्ड्री स्तर पर 33% बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो जाने का अनुमान है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा से वंचित रहे बालक/बालिकाओं एवं युवकों को भी जो आर्थिक विपन्नता के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, शैक्षिक सुविधा प्रदान करने हेतु 15 अंशकालीन साक्षरता केन्द्र वर्ष 1975-76 में खोले जायेंगे। प्रायमरी तक शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु लड़कों एवं जनजाति अंचल में छात्रों को आकृष्ट करने के उद्देश्य से वर्ष 1975-76 में 15 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र की स्वीकृति प्राप्त हुई है। निर्धन छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु पंचम योजना में बुक बैंकों को स्थापित करने का प्रस्ताव है। बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में जनपद काफी पिछड़ा हुआ है। बालिकाओं की शिक्षा हेतु जूनियर हाई स्कूल स्तर तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है।

पंचवी योजना के अंत में उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक राजकीय डिग्री कालेज विकास क्षेत्र अगस्तमुनि में वर्ष 1974-75 में स्थापित किया गया है। हाई स्कूल एवं इण्टर स्तर पर पुराने विद्यालय भवनों की मरम्मत, विज्ञान शिक्षा के सुदृढ़ीकरण एवं विद्यालयों में स्थापित राजकीय पुस्तकालयों के सुधार की भी आवश्यकता है।

सामान्य शिक्षा कार्यक्रमों के लिये वर्ष 1974-75 में निर्धारित 118 हजार रुपया परिव्यय के विपरीत 137 हजार रुपया व्यय किया गया। पंचवी योजना की अवधि और वर्ष 1974-76 के लिये क्रमशः 2233 और 301 हजार रुपया का परिव्यय राज्य आयोजनागत अंश से निर्धारित है।

संसाधनों का जुटाना:- पिछड़ेपन एवं निर्धनता के कारण शिक्षा संस्थाओं की स्थापना के लिये व्यक्तिगत क्षेत्र में कोई अभिरुचि नहीं है। वर्ष 1971-72 में इस जनपद में 16 जूनियर हाई स्कूल व्यक्तिगत क्षेत्र में संचालित थे जिनकी संख्या घटकर वर्ष 1973-74 में केवल 5 रह गई है और इन विद्यालयों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त खराब है। व्यक्तिगत विद्यालयों को पूर्ण-पूर्णतः राजकीय अनुदान पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अतः प्रस्तावित प्रत्येक स्तर के विद्यालयों का व्यय भार शासन को ही वहन करना होगा।

शासन के विचारणीय प्रश्न:- जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है कि जनपद की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जनपद में 100 से अधिक शाखा आधारिक विद्यालय चलाये जा रहे हैं। लगभग 60 शाखाओं में जनता ने भवन निर्माण का कार्य भी पूरा कर दिया है और अब सम्बन्धित जनता उन विद्यालयों को पूर्ण विद्यालय का दर्जा देने के लिये पत्रव्यवहार कर रही है। शासन शाखाओं की स्वीकृति विशेष परिस्थितियों में इस जनपद के लिये प्रति वर्ष कम संख्या में प्राथमिक विद्यालयों की स्वीकृति मिलने पर जनहित में दी गई है। अतः ऐसे शाखा विद्यालय जिनके पास भूमि भवन उपलब्ध है, पूर्ण विद्यालय बनाये जाय ताकि जनता के योगदान के लाभ के साथ साथ शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाया जा सके।

## (1.8) स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

जनपद चमोली का पूरा क्षेत्र पहाड़ी है । यहाँ का कोई भाग किसी विशेष प्रकार की बीमारी से प्रभावित नहीं है । वर्ष 1973-74 में जनपद की 3-95 लाख जनसंख्या को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं को प्रदान करने हेतु विभिन्न पद्धतियों के चिकित्सालयों की संख्या निम्न प्रकार थी :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1- | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | 9 | प्रत्येक विकास खण्ड में एक प्रा० स्वा० केन्द्र है । |
| 2- | एलोपैथिक चिकित्सालय | 22 | लगभग 4290 जनसंख्या पर एक |
| 3- | आयुर्वेदिक चिकित्सालय | 39 | चिकित्सालय की सुविधा प्राप्त है जबकि वर्ष 1971-72 में प्रदेश में औसत 39000 जनसंख्या पर 1 चिकित्सालय था । |
| 4- | होम्योपैथिक चिकित्सालय | 1 | इसी प्रकार 1000 वर्ग कि० मी० पर 8 चिकित्सालय उपलब्ध है । इन अस्पतालों के अतिरिक्त विशेष प्रकार के रोगियों की चिकित्सा के लिये एक टी० बी० क्लीनिक, एक वी० डी० क्लीनिक, तथा एक आई डी० ब्लाक भी स्थापित है । |
| 5- | नेत्र चिकित्सालय (अनुदान पर) | 1 | |
| 6- | मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र | 36 | लगभग [illegible] जनसंख्या की देख रेख के लिये एक [illegible] की सेवायें उपलब्ध है । लगभग 3400 जनसंख्या पर प्रसव एवं परिवार नियोजन हेतु 1 केन्द्र की सुविधा उपलब्ध है । |
| 7- | ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्र | 9 | |
| 8- | नगरीय परिवार नियोजन केन्द्र | 1 | |
| 9- | परिवार नियोजन उप केन्द्र | 45 | |

### जिले में कार्यरत डाक्टरों की संख्या

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1- | एलोपैथिक चिकित्सालय | 48 | लगभग 4849 जनसंख्या की देख रेख के लिये एक डाक्टर की सेवायें उपलब्ध है । 63 स्वीकृत पदों के अनुसार डाक्टर उपलब्ध हो जाने पर चिकित्सा सुविधा में सुधार सम्भव हो सकेगा । |
| 2- | आयुर्वेदिक चिकित्सालय | 13 | |
| 3- | होम्योपैथिक चिकित्सालय | 1 | |
| 4- | नेत्र चिकित्सालय | 1 | |

चिकित्सालयों में शैय्याओं की संख्या इस प्रकार है :-

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1- | नगरीय एलोपैथिक चिकित्सालय | 116 | 471 | लगभग 647 जनसंख्या पर एक शैय्या उपलब्ध है । |
| 2- | ग्रामीण एलोपैथिक चिकित्सालय | 75 | | |
| 3- | आयुर्वेदिक चिकित्सालय | 156 | | |
| 4- | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र | 80 | | |
| 5- | नेत्र चिकित्सालय | 40 | | |
| 6- | होम्योपैथिक चिकित्सालय | 4 | | |

जनपद का मुख्यालय गोपेश्वर विकासोन्मुख नगर है । यहाँ चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता प्रतीत होती है । जिला अस्पताल में शैय्याओं की वृद्धि, पृथक महिला अस्पताल की स्थापना, चिकित्सा सम्बन्धी विशेषज्ञों की सेवाओं को उपलब्ध कराया जाना तथा चिकित्सालय को विभिन्न साज सज्जा तथा उपकरणों से सुसज्जित कराना आवश्यक है ।

पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण जनपद की जलवायु स्वास्थ्य प्रद है । सुदूर क्षेत्रों में यहाँ के किसी भी उप सम्भाग में किसी संक्रामक रोग की घटनायें होनी नहीं देखी गई है ।

नगरीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सम्बन्धी सेवायें अधिक उपलब्ध है सुदूर क्षेत्रों में यातायात के अभाव में औषधि आदि के पहुंचने में कठिनाई होती है । निजी चिकित्सालयों की उपलब्धि नगण्य सी है । औषधि आदि के ले जाने में यही कठिनाई निजी औषधि भण्डारों की भी है ।

जनपद के निवासी आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं के लिये पूर्णतः प्रशासनिक प्रयत्नों पर ही निर्भर है । और निकट भविष्य में भी रहेंगे ।

अनेक चिकित्सालयों ( एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक) में चिकित्सा अधिकारी नहीं रहते हैं । जिनके न रहने के मुख्य कारण है- (1) चिकित्सकों की आमतौर पर कमी, (2) देहाती और पर्वतीय क्षेत्र में चिकित्सकों की अरुचि, (3) आवास सुविधा का अभाव, (4) सुख सुविधा आदि मौलिक का अभाव । कम्पाउन्डर पदों के अतिरिक्त यातायात की व्यवस्था का न होना एवं निजी चिकित्सा व्यवस्था की सुविधा का न होना । कालान्तर में सेवा एवं यातायात की सुविधायें उपलब्ध हो जाने पर भी यह आवश्यक होगा कि इन स्थानों पर आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाय और असुविधा जनक स्थानों पर कार्य करने के निमित्त विशेष भत्ता दिया जाना।

पाँचवी योजना के अन्तर्गत वर्ष 1974-75 में जनपद में एक ग्रामीण एलोपैथिक तथा एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना की गई है। इनमें 8 शैय्याओं का प्राविधान किया गया है। वर्ष 1975-76 में नगरीय अस्पताल में 10 शैय्याओं की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित है। पाँचवी योजनाकाल में जनपद में एक ग्रामीण एलोपैथिक दो आयुर्वेदिक तथा एक होम्योपैथिक चिकित्सालय स्थापित करने का लक्ष्य है।

वर्ष 1984 तथा 1989 में जिले की जनसंख्या क्रमशः 3-55 तथा 3-7 लाख हो जाने का अनुमान है। यह जिला क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से काफी बड़ा है और गाँव छुटफुट बसे हुये है। यातायात की सुविधायें भी इतनी अच्छी नहीं है कि सरलता से जिला केन्द्र तक पहुँचा जा सके। इसलिये प्रत्येक विकास खण्ड में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता होगी। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सम्बन्धित चिकित्सालय बनाने की भी आवश्यकता होगी कि प्रत्येक 25 शैय्यायुक्त होने चाहिये तथा प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक्स-रे प्लान्ट, डायथर्मी, इनक्यूबेटर, अल्ट्रावायलेट, रेडियालाजी, पैथोलाजी आदि सुविधायें उपलब्ध हों। वर्तमान समय में जिला अस्पताल में एक एम्बुलेंस उपलब्ध है। जिला मुख्यालय की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुये एक अतिरिक्त एम्बुलेंस कार का प्राविधान किया जाना है।

चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं हेतु वर्ष 1974-75 में निर्धारित 1400 हजार रुपया परिव्यय के विपरीत 855 हजार रुपया व्यय किया गया। वर्ष 75-76 में 1311 हजार तथा पाँचवी योजना में 9527 हजार रुपया परिव्यय निर्धारित है। इन में से क्रमशः 426 और 883 हजार तथा 2570 और 6957 हजार रुपया राज्य आयोजनागत और केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित श्रोतों से वहन किया जायेगा।

<u>शासन के विचारार्थ प्रश्नः</u>- इस जनपद में अधिकतर चिकित्सालय/औषधालय तथा मातृ शिशु केन्द्र एवं परिवार नियोजन केन्द्र /उप केन्द्र किराये के भवनों पर चल रहे हैं जिनमें पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं होता। साथ ही इस जनपद में महिला चिकित्सकों की बहुत कमी है। अतः प्रत्येक चिकित्सालय/औषधालय तथा केन्द्रों एवं उप केन्द्रों हेतु भवन निर्माण आवश्यक है तथा प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक एक महिला चिकित्सक की आवश्यकता है।

## परिवार नियोजन

वर्तमान समय में जनपद में परिवार नियोजन सुविधा हेतु 9 ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्र, एक नगरीय केन्द्र, 45 उप केन्द्र तथा 36 मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र कार्यरत हैं। वर्ष 1973-74 तक जनपद में 7416 पुरुषों तथा 15 महिलाओं का बन्ध्याकरण आपरेशन्स तथा 935 महिलाओं को लूप निवेशन किया गया। वर्ष 1974-75 में 387 पुरुष और 6 महिलाओं का आपरेशन किया गया और 387 महिलाओं को लूप लगाये गये। पाँचवी योजनाकाल में बन्ध्याकरण एवं लूप निवेशन का लक्ष्य क्रमशः 6066 तथा 5197 और वर्ष 1975-76 में 985 एवं 1641 निर्धारित है।

जनपद में जनसंख्या का घनत्व कम है। यह प्रदेश में 300 व्यक्ति प्रति वर्ग कीलो मीटर के मुकाबले में जनपद में 32 है। जिले में जनसंख्या की वृद्धि दर भी प्रदेश के औसत के मुकाबले में कम रही है। इसका कारण यहाँ के वयस्क पुरुषों का अधिकतर सेना और अन्य व्यवसायों में जिले से बाहर रहना है। दूर दूर छितरी बस्तियों में इस कार्यक्रम का प्रसार उस सीमा तक नहीं हुआ है कि लोग स्वतः इस कार्य हेतु उन्मुख हों। उनमें ऐसा वातावरण भी नहीं मिल पाता कि वे परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों को समझ सकें। इसके अतिरिक्त यहाँ हलानों से लूप निवेशन में कठिनाई भी अधिक है। एक तो महिला चिकित्सकों की कमी है, दूसरे महिलाओं को बोझ उठाने का कार्य करने के कारण लूप असफल हो जाता है।

जिले में गैर सरकारी चिकित्सकों की बहुत कमी है इस कारण उनके द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम में योगदान नगण्य है।

=================== =======

(19) पुष्टाहार

जनता को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराये जाने की समस्या प्रदेश व्यापी है किन्तु क पहाड़ी क्षेत्र जहाँ का आर्थिक स्तर काफी पिछड़ा हुआ है में यह समस्या और भी गम्भीर है न्यून पोषण को दूर करने के लिये गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं तथा पिछड़े समुदाय के प्राइमरी स्कूल के छात्रों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराये जाने की परम आवश्यकता है। शासन ने इस जनपद में वर्ष 1972-73 से दो प्रकार की योजनाये लागू किया :-

1- आधारिक विद्यालयों में बालाहार योजना।

2- सामुदायिक विकास विभाग में विशेष पौष्टिक आहार योजना।

बालाहार योजना वर्ष 1972-73 में 124 आधारिक विद्यालयों में चलाई गई जिसके अन्तर्गत छात्र छात्राओं के लिये मध्यान्ह आहार की प्राविधान है। वर्ष 1973-74 में यह योजना 124 आधारिक विद्यालयों से बढ़ा कर 140 में लागू की गई। दोनो वर्षों में क्रमशः 5962 तथा 6730 छात्र छात्राओं को लाभ हुआ है। चतुर्थ वर्ष योजना में बालाहार योजना के अन्तर्गत लगभग 3.41 लाख पौण्ड सोया 45 बलगर प्राप्त हुआ और 1.89 लाख रुपये व्यय हुये। इस योजना के अन्तर्गत छात्र छात्राओं को लिये मध्यान्ह आहार तैयार करने वाले रसोइये को 15 रु० और लेखा रखने वाले प्रधानाध्यापक को 10 रु० मासिक मान देय दिया जाता है।

सामुदायिक विकास विभाग में विशेष पौष्टिक आहार योजना पूर्व पाठशाला के बच्चों (0-6 वर्ष) गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने एवं ग्रामीण जनता को पौष्टिक आहार का ज्ञान कराने के उद्देश्य से इस जनपद में विकास खण्ड दशोली में कार्यान्वित की गई। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विकास खण्ड में नियुक्त कर्मचारियों के अतिरिक्त एक सहायक विकास अधिकारी (महिला) पाँच ग्राम सेविका तथा एक जीप चालक की स्वीकृति है। इसके अलावा विकास खण्ड के अन्तर्गत अन्य विभागों के कर्मचारी जैसे प्रा०स्वा० केन्द्र के चिकित्सक, पशु चिकित्सक, प्रसार अध्यापक, स्वास्थ्य निरीक्षक एवं निरीक्षिका, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, एवं कुछ आधारिक विद्यालय की सेवायें भी ली जा ती है।

इस योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड दशोली में पाँच ग्राम सेविका केन्द्र क्रमशः गडोरा लेरागना, गेाण, गण्डाटु एवं भेट स्थापित किये गये है। प्रथम वर्ष 1972-73 में 20 ग्राम व द्वितीय वर्ष में अन्य 30 ग्राम छाँटे गये एवं तृतीय वर्ष में विकास खण्ड के समस्त ग्रामों में योजना कार्यान्वित करने का प्राविधान है।

चतुर्थ योजना काल के अन्तिम दो वर्षों में वित्तीय स्वीकृति एवं सम्पादित कार्य कार्य इस प्रकार रहे है:-

| क्र सं० | मद | वित्तीय स्वीकृति | वित्तीय उपयोग |
|---|---|---|---|
| 1- | स्कूल वाटिका ओं की स्थापना रु० | 37,000 | 37,000 |
| 2- | कुक्कुट विकास कार्यक्रम ,, | 12,000 | 12,000 |
| 3- | महिला ी संस्थाओं के साज सज्जा रु० | 7,000 | 7,000 |
| 4- | छात्र वेतन (गैरसरकारी एवं सरकारी व्यक्तियों का प्रशिक्षण व्यय) | 20,100 | 7,407 |

उपरोक्त मदों में से छात्र वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि का उपयोग महिला कार्यकत्रियों के अभाव में महिला मण्डलों का गठन और उनका प्रशिक्षण न होने के कारण नहीं हो सका। वर्ष 1973-74 में अंत में केवल दो ग्राम सेविकाओं की ही नियुक्ति हो पाई थी। इसके साथ अधिकांश अधिकारी एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण न लेने के कारण इस मद में स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया।

इन दो वर्षों में उक्त धनराशि के उपयोग के फलस्वरूप निम्न प्रकार भौतिक उपलब्धियां हुई:-

| क्र0सं0 मद | इकाई | दो वर्षों का लक्ष्य (1972-74) | दो वर्षों की उपलब्धियां (1972-74) | विशेष |
|---|---|---|---|---|
| 1- योजना के लिये छांटे गये ग्राम | सं0 | 50 | 50 | |
| 2- स्कूल वाटिकाओं की स्थापना | ,, | 11 | 11. | |
| 3- स्कूल वाटिकाओं का क्षेत्रफल | है0 | 2-20 | 2-62 292 | |
| 4- ग्रह वाटिकाओं की स्थापना | सं0 | 400 | 712 | |
| 5- ग्रह वाटिकाओं का क्षेत्रफल | है0 | 6-00 | 19-67 | |
| 6- सब्जी बीजों का वितरण | | | | |
| 1- यूनीसेफ द्वारा दिये गये पैकिट | सं0 | - | 278 | |
| 2- उत्पादन केन्द्रों द्वारा | कि0ग्रा0 | - | 76-10 | |
| 7- दो दाल वाली फसलों की बुवाई क्षे0 | है0 | - | 5-75 | |
| 8- स्कूल वाटिकाओं की संख्या जिन्हें रख रखाव हेतु सहायता दी गई | सं0 | 4 | 4 | |
| 9- कुक्कुट इकाइयों की स्थापना | | | | |
| 1 प्रायोगिक इकाई | सं0 | 3 | 2 | |
| 2 व्यक्तिगत इकाई | ,, | 110 | 129 | |
| 3. चूजियों का वितरण | ,, | 775 | 299 | चूजियां नहीं प्राप्त हो पाई |
| 4. कुक्कुट संतुलित आहार का | [illegible] | - | 3-90 | |
| 10- महिला मण्डलों/सहयोगी संस्थाओं की संख्या जिन्हें साज सज्जा अनुदान दिये गये | सं0 | - | - | साज सज्जा क्रय की गई किन्तु महिला मंडलों के गठन न होने से वितरण नहीं हो सका। |
| 11- व्यक्तियों की सं0 जिन्हें पौष्टिक आहार प्रशिक्षण दिया गया | सं0 | 360 | 246 | |

पांचवी योजना के कार्यक्रम:-

पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि में भी उक्त दोनों योजनायें जनपद में कार्यरत रखी जायेंगी। व्यावहारिक पोषाहार योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष 25 अतिरिक्त आधारिक विद्यालयों को सम्मीलित करते हुए लगभग 13,000 छात्र छात्राओं को लाभान्वित किये जाने का प्रस्ताव है।

सामुदायिक विकास विभाग की व्यवहारिक पौष्टिक आहार योजना विकास खण्ड द दशौली में पाँचवी योजना के प्रथम तीन वर्ष अर्थात वर्ष 1976-77 तक कार्य रत रहेगी। इसके अतिरिक्त विकास खण्ड थराली में यह कार्यक्रम वर्ष 1974-75 में प्रारम्भ किया गया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्यतः तीन सौ कैलोरीज तथा 12 ग्राम प्रोटीन युक्त पूरक आहार 20 पैसे की दर से प्रति शिशु/ महिला प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत व्यवहारिक व पुष्टाहार कार्यक्रम की वर्ष 1974-75 की प्रगति तथा वर्ष 1975-76 और पाँचवी योजना काल के प्रस्तावित लक्ष्य का विवरण निम्न प्रकार है :-

| क्र० सं० | मद | ईकाई | पाचवी योजना का लक्ष्य | वर्ष 74-75 की उपलब्धियाँ | वर्ष 75-76 का लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1- | स्कूल वाटिकाओं की स्थापना तथा रख रखाव | सं० | 42 | 4 | 12 |
| 2- | सहयोगी संगठनों द्वारा चलाये जाने वाली :- | | | | |
| | (क) संस्थागत कुक्कुट ईकाई | सं० | 14 | 2 | 4 |
| | (ख) व्यक्तिगत सदस्यों की कुक्कुट ई० | सं० | 602 | 43 | 172 |
| 3- | सहयोगी संगठनों जिनको साज सज्जा देना है - | सं० | 35 | 5 | 10 |
| 4- | मत्स्य पालन के तालाबों का सुधार | हेक्टेयर | - | - | - |
| 5- | सरकारी तथा गैर सरकारी व्यक्तियों की पुष्टिकतर में प्रशिक्षण | संख्या | 700 | 29 | 200 |

सामुदायिक विकास विभाग की व्यवहारिक पौष्टिक आहार योजना के कार्यान्वयन में पाँचवें पंच वर्षीय योजना की अवधि में लगभग 10-46 लाख तथा वर्ष 1975-76 में 0-66 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। वर्ष 1974-75 में इस कार्य क्रम के अन्तर्गत 0-73 लाख रुपया परिव्यय निर्धारित था जो शत प्रतिशत उपयोग कर लिया गया था। पौष्टिक आहार योजना हेतु वित्तीय संसाधन राज्य आयोजनागत, संस्थागत( यूनिसेफ) , केन्द्र द्वारा प्रोनियोजित एवं केन्द्रीय सेक्टर स्रोतों द्वारा जुटाये जायेंगे जिसका विस्तृत उल्लेख रूप पत्र एक में किया गया है।

जनपद चमोली आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है और सामान्य जनता को पौष्टिक आहार उपलब्ध नहीं हो पाता है। यही कारण है कि अनुमानतः दश प्रतिशत व्यक्ति क्षय रोग के शिकार हो रहे है यह बात शासन की जानकारी में भी लायी जा चुकी है। उक्त दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि पौष्टिक आहार योजना जिले के प्रत्येक विकास खण्ड में लागू की जाये और शिक्षा विभाग के माध्यम से जिले के प्रत्येक आधारिक विद्यालय को इस योजना से लाभान्वित किया जायेगा

## (20) - जल सम्पूर्ति

जनपद चमोली में 1639 ग्राम हैं। जिनमें से केवल 1493 ग्राम आबादी वाले है। 1971 की जनगणना के अनुसार उपरोक्त ग्रामों की जनसंख्या 2,80,365 है। इसके अतिरिक्त जनपद के अन्तर्गत 3 नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या 12,206 है। इस प्रकार चमोली जनपद की कुल जनसंख्या 2,92,571 है। जनपद में स्वच्छ पेयजल का अभाव है और पूरे जिले में समस्या लगभग समान है। किन्तु कुछ ग्राम ऐसे है जहाँ एक किलोमीटर से भी अधिक दूर से पीने का पानी लाना पड़ता है। ऐसे ग्रामों को प्राथमिकता के आधार पर पेयजल सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से योजना बनाई गई हैं। इस जिले की पेयजल समस्या को दूर करने के लिये निम्नलिखित विभागों द्वारा कार्य किया गया है :-

अ- स्वायत शासन अभियंत्रण विभाग :- चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक स्वायत शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा कुल 191 ग्रामों जिनकी जनसंख्या 48,694 है, को पेयजल की सुविधा प्रदान की गई है। जिनकी विकास खण्डवार सूची संलग्न है 2 इसके ~~अमि~~ अतिरिक्त जनपद के नगरीय क्षेत्रों जिनकी कुल जनसंख्या 12,206 है, को भी पेयजल की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। इस प्रकार लगभग 17.4 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या पेयजल सुविधा से लाभान्वित की जा चुकी है।

ब- सिंचाई विभाग :- सिंचाई विभाग द्वारा जनपद चमोली में 50 ग्रामों में पेयजल योजना का निर्माण किया गया था। शासन के आदेशानुसार यह समस्त योजनायें स्वायत शासन अभियंत्रण विभाग को रख रखाव हेतु हस्तान्तरित की गई है। इन समस्त योजनाओं की मरम्मत ~~पुनरू~~ पूर्व पुनर्गठन तथा विस्तार ~~कर~~ करना आवश्यक है।

स- विकास खण्ड :- विकास खण्डों द्वारा इस जिले में 460 ग्रामों में पेयजल व्यवस्था का प्रबन्ध किया गया है। इन योजनाओं की वस्तुस्थिति का मूल्यांकन कराया गया था तथा यह पाया गया कि इनमें अधिकांश ग्रामों की योजनायें कार्य नहीं कर रही हैं तथा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। इसके अतिरिक्त शेष योजनायें ऐसी हैं जिनमें पूर्ण ग्राम की जनता लाभान्वित नहीं हो पा रही है तथा जनता को आवश्यकता का आधा पानी भी नहीं मिल पा रहा है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हैं कि अभी तक पेयजल योजनाओं के कार्य में आंशिक रूप से ही प्रगति हो पाई है।

पाँचवीं योजना में पेयजल सम्पूर्ति का कार्य स्वायत शासन अभियंत्रण विभाग को सौंपा गया है। वर्ष 1974-75 में इस विभाग द्वारा 64 ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई गई जिससे 18 हजार जनसंख्या लाभान्वित हुई है। इस प्रकार लगभग 25.6 % जनसंख्या को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है।

इस जिले में पेयजल के लिये अधिकतर नदी, गदेरे एवं [illegible] श्रोत उपलब्ध हैं। प्रायः इन सभी श्रोतों का जल बैक्टीरियोलॉजिकली असुरक्षित है। पेयजल के श्रोत कच्चे एवं गधेरे होने के कारण योजनायें बनाने से पूर्व ग्रीष्म ऋतु में जल मापक कार्य कराने आवश्यक होता है। जहाँ पर श्रोतों में जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, वहाँ पर योजना 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से बनायी जायेगी। तथा जिन श्रोतों में पानी की

मात्रा पर्याप्त नहीं है, वहाँ की योजना 50 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर में बनाई जायेगी ।

पंचम पंचवर्षीय योजना काल में 125 ग्रामों में पेयजल सुविधा प्रदान करके 81 हजार जनसंख्या को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है । वर्ष 1975-76 में 35 ग्रामों की 21 हजार जनसंख्या को पेयजल सुविधा से लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । हरिजनों को पेयजल सुविधा प्रदान करने हेतु हरिजन बस्तियों में अतिरिक्त जल स्रोत दिये जाने का प्राविधान है ।

योजनाओं का रख रखाव स्थानीय शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा किये जाने का प्रस्ताव है । समुचित रखरखाव हेतु छोटी-छोटी योजनाओं में एक अंशकालीन फीटर तथा बड़ी योजनाओं एवं उन योजनाओं के लिये जिनके द्वारा ग्राम समूह को पेयजल सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है, में एक पूर्णकालीन फीटर रखा जायेगा तथा पानी को शुद्ध करने हेतु उसमें आवश्यकतानुसार ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जायेगा ।

जनपद में जल सम्पूर्ति कार्य क्रम के अन्तर्गत वर्ष 1974-75 में निर्धारित 3,509 हजार रुपया परिव्यय के विपरीत 5,121 हजार रुपया राज्य आयोजनागत स्रोत से व्यय किया गया । पाँचवीं पंचवर्षीय योजना तथा वर्ष 1975-76 के लिये क्रमशः 58,174 हजार और 6,813 हजार रुपया परिव्यय निर्धारित है जिसका स्रोत वार विभाजन इस प्रकार है :-

| स्रोत | पाँचवीं पंचवर्षीय योजना | वार्षिक योजना 1975-76 |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1- राज्य आयोजनागत | 47,049 | 3750 |
| 2 - हरिजनगत | 11,125 | 3063 |
| योग :- | 58,174 | 6,813 |

वर्ष 1973-74 में समाज कल्याण विभाग द्वारा 20 हजार रुपये का प्राविधान पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु किया गया था जिसके उपयोग से 2 हरिजन बस्तियों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई । वर्ष 1975-76 में भी इस कार्य क्रम के अन्तर्गत 30 हजार रुपया परिव्यय निर्धारित किया गया है ।

पंचम पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजना 1975-76 में आवश्यक सामग्री का विवरण इस प्रकार है :-

| सामग्री | पाँचवीं योजना | वार्षिक योजना 1975-76 |
|---|---|---|
| 1- सीमेन्ट (मीट्रिक टन) | 8,658 | 1,710 |
| 2 - स्टील ( ,, ) | 385 | 76 |
| 3- पाइप ( ,, ) | 8,658 | 1,710 |
| 4- [illegible] ( ,, ) | 435 | 85 |
| 5- [illegible] ( ,, ) | 216 | 42 |
| 6- क्लोरीनेटर (संख्या) | 750 | 150 |
| 7- वाटर मीटर (संख्या) | 2,175 | 230 |

===== 0 0 0 =====

चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा पेयजल सुविधा प्रदान किये गये ग्रामों की विकास खण्डवार सूची ।

| क्र०सं० | विकास खण्ड | ग्राम | क्र० सं० | विकास खण्ड | ग्राम |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) |
| 1- | ऊखीमठ | 1- ऊखीमठ | | | 30- जौला |
| | | 2- मल्लीटो | | | 31- कालिन |
| | | 3- चुनो | | | 32- जाँसू |
| | | 4- धटवाड़ो | 2- | जोशीमठ | 1- पाण्डुकेश्वर |
| | | 5- कोटरे | | | 2 - तपोवन |
| | | 6- ब घलारा | | | 3- टंगणी |
| | | 7- परकण्डो | | | 4- टंगणीमल्ली |
| | | 8- डेरसो | | | 5- लासी |
| | | 9- नाला | | | 6- ढाक |
| | | 10- रुद्रपुर | | | 7- कुण्डो |
| | | 11- लोडाणा | | | 8- लामबगड़ |
| | | 12- गजन | | | 9- पगना |
| | | 13- न्यालसू | | | 10- बाम्पा |
| | | 14- सोनप्रयाग | | | 11- पाखी |
| | | 15- बाल मल्ला | | | 12- सेलंग |
| | | 16- कुण्ड | | | 13- जलगवाड़ |
| | | 17- गुप्तकाशी | | | 14- माणा |
| | | 18- रामपुर | | | 15- सलारो |
| | | 19- फाटा | 3 | दशोली | 1- गंडासू |
| | | 20- त्रियुगीनारायण | | | 2- छिनका |
| | | 21- गौरी कुण्ड | | | 3- सिलालो |
| | | 22- रामबाड़ा | | | 4- बौला |
| | | 23- केदारनाथ | | | 5- किजार |
| | | 24- कोटमा | | | 6- विजराकोट |
| | | 25- मलकुण्डा | | | 7- मेहरगाँव |
| | | 26- घण्डियाना | | | 8- बुटौला |
| | | 27- कालीमठ | | | 9- पिलंग |
| | | 28- तन | | | 10- मठ |
| | | 29- रान | | | 11- बाला |

| (1) | (2) | (3) | (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 12- डुग्रो | | | 19- देवराड़ा |
| | | 13- सेरा | | | 20- कुलेश्वर |
| | | 14- नारो | | | 21- ..पाटा |
| | | 15- नाला | | | 22- खाल |
| | | 16-..ण्ड | 5-नागनाथ पोखरी- | | 1- देवस्थान |
| | | 17- हर..नो | | | 2- खाल |
| | | 18- लस्वारो | | | 3- गढ़ोला |
| | | 19- कुहातगाँव | | | 4- राना |
| | | 20- गालि.. | | | 5- छोड़ो |
| | | 21- बालखिला | | | 6- तोलो |
| | | 22- भि..तला | | | 7- रोठली |
| | | 23-हाट | | | 8- डांगचार |
| | | 24- दिपोलो | | | 9- पोखरी |
| | | 25- ल्वाड | | | 10- ध्यानो |
| | | 26- नन्दप्रयाग | | | 11- गुनिगाला |
| | | 27-गोपलकोटो | | | 12- ..लगो |
| 4- ..रालो | - | 1- सेवाड़ | 6- कर्णप्रयाग | | 1- कर्णप्रयाग |
| | | 2- हाट | | | 2- एण्ड |
| | | 3- ..लाणी | | | 3- ..मरा |
| | | 4- ला.. | | | 4- डिम्मार |
| | | 5- मेरुड़ | | | 5- ..धारा |
| | | 6- ..तारा..कुण्ड्री | | | 6- हिण्डोली |
| | | 7- कुंगरी | | | 7- गौलो ..ल्लो |
| | | 8- सेरा | | | 8- तोलो |
| | | 9- विजयपुर | | | 9- गौरो नागला |
| | | 10- तलवाड़ी | | | 10- गौलो |
| | | 11-कुरा..गति | | | 11- ग्वाड़ |
| | | 12- कुरखाल | | | 12- देवलो बगड़ |
| | | 13-कुनाऊ | 7- अगस्तमुनो - | | 1-नागकोट |
| | | 14- ..ड़लगा | | | 2-..कोटो |
| | | 15- कुन्डोली | | | 3- ..पुरो |
| | | 16- कोट | | | 4- ..रागाँव |
| | | 17- ताला | | | 5- बोरा |
| | | 18- सिलकोटो | | | 6- घनेसा |

| (1) | (2) | (3) |
| --- | --- | --- |
| | | 7- तैलगाँव |
| | | 8- [illegible] |
| | | 9- [illegible] |
| | | 10- पौखिरो |
| | | 11- [illegible]लवाड़ा |
| | | 12- नाकोट |
| | | 13- [illegible] |
| | | 14- [illegible]साल |
| | | 15- [illegible]धार |
| | | 16- रामपुर |
| | | 17- बोरा |
| | | 18- तान्ला |
| | | 19- सावना |
| | | 20- डागो |
| | | 21- [illegible]ंडो |
| | | 22- [illegible]ण्डा |
| | | 23- [illegible]ौल |
| | | 24- जावेनो |
| | | 25- नैलना |
| | | 26- नारो |
| | | 27- डोभा |
| | | 28- कान्दर |
| | | 29- [illegible] |
| | | 30- [illegible]बगड़ |
| | | 31- जहनौर |
| | | 32- लार |
| | | 33- श्रीसाल |
| | | 34- [illegible]रा |
| | | 35- कुनोधार |
| | | 36- [illegible]णसोलो |
| | | 37- जखोठ |
| | | 38- थानपुर |
| | 8- नारायणबगड़ - | 1- बेरा |
| | | 2- भटियाला |
| | | 3- सिरो |
| | | 4- [illegible]लो |
| | | 5- जालपुर |
| | | 6- [illegible] |
| | | 7- [illegible]ारा |
| | 9- गैरसैंण - | 1- [illegible]हलचौरो |
| | | 2- [illegible]ाला |
| | | 3- गैर |
| | | 4- [illegible]ना |
| | | 5- पजियाना |
| | | 6- [illegible]र |
| | | 7- [illegible]गड़ |
| | | 8- नगालो |
| | | 9- हरगाँव |
| | | 10- [illegible]ण्डवालो |
| | | 11- [illegible] |
| | | 12- [illegible]पलो |
| | | 13- सेलकोट |
| | | 14- नालसो |
| | | 15- धारगड़ |
| | | 16- [illegible]वाड़ |
| | | 17- हरगड़ |
| | | 18- धारापानो |
| | | 19- [illegible]लो |
| | | 20- गैरसैंण |
| | | 21- डाडामज्याड़ो |
| | | 22- [illegible]लपुर |
| | | 23- आलो |
| | | 24- [illegible]ज्याड़ो |
| | | 25- बजियाँरो |
| | | 26- [illegible]ड़ा |

कुल गाँव की संख्या - 191

## (21) - आवास एवं नगरीय विकास

बढ़ती हुई जनसंख्या तथा औद्योगिकरण एवं रोजगार की संभावनाओं के कारण गाँवों से शहरों में आव्रजन ने नगर क्षेत्रों की आवास समस्या को अधिक विकट बना दिया है। जनपद के दो नगर चमोली-गोपेश्वर तथा जोशीमठ में से प्रथम में आवास की समस्या अधिक जटिल है। इसका कारण जिला मुख्यालय तथा सभी कार्यालयों का मुख्यालय इसी नगर में स्थापित होना है। इस समस्या को कुछ हद तक शासकीय आवास गृह बनाकर दूर करने का प्रयास किया गया है। किन्तु अभी भी अधिकांश जनसंख्या को स्वच्छ आवास वातावरण की प्रारम्भिक सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं। नोटिफाइड एरिया की आय नाम मात्र है इसलिये अभी तक आवास गृह निर्माण की ओर न कोई कदम उठाया गया है और न निकट भविष्य के लिये इसकी कोई योजना ही बनाई गई है। निजी क्षेत्र में भी कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम नहीं बनाया गया है और अब तक जो भी मकान बने हैं वे केवल मूलतः आवश्यकताओं को ध्यान में रखे हुये मालिकों की अपनी इच्छानुसार ही बनाये गये हैं। चमोली गोपेश्वर नगर की बढ़ती हुई जनसंख्या के मुकाबले में आवास गृहों की कमी को देखते हुये यह आवश्यक है कि यहाँ आधुनिक सुविधा युक्त भवनों के निर्माण के साथ-साथ ऐसी ही बस्तियाँ विकसित की जायें जिनमें आधुनिक आवास सुविधायें जैसे पेयजल, जलोत्सारण, नालियाँ, सड़क, बिजली आदि की सुविधा उपलब्ध हो। कुछ सीमा तक इस कमी को पूरा करने के उद्देश्य से पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में उत्तर-प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा चमोली गोपेश्वर नगर में रु० 5-1.75 लाख रुपये की लागत से 5 एकड़ भूमि अधिग्रहित करके 4 एकड़ भूमि का विकास एवं 23 भवनों का निर्माण कराया जायेगा। इनमें से [illegible] भवन मध्यम आय वर्ग, 3 अल्प आय वर्ग और 13 दुर्बल वर्ग के लिये निर्मित किये जायेंगे। जनपद में यह कार्यक्रम वर्ष 1975-76 के बाद प्रारम्भ किया जा सकेगा। परिषद् के इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उन लोगों के लिये जो अपना भवन स्वयं बनाना चाहेंगे, विकसित भूखण्डों का प्राविधान किया जायेगा और आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग की आवास समस्या को हल करने के लिये सस्ते मूल्यों पर भवन बनाकर उन्हें आसान किश्तों पर उपलब्ध कराया जायेगा।

## * (22) पिछड़े समुदाय का कल्याण *

पिछड़े हुये समुदाय में प्रायः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति को ही लिया जाता है । देश के अन्य भागों की भाँति अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लोगों का आर्थिक जीवन पिछड़ा हुआ है । कहीं कहीं यह स्थिति अधिक दैयनीय है । पर्वतीय प्रदेश की नारी भी उपेक्षित रही है । अतः उसे भी पिछड़े समुदाय में सम्मिलित करना न्याय संगत है ।

सन् 1971 की जनगणना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं महिला समाज के सदस्यों की संख्या क्रमशः 49 हजार, 8 हजार तथा 1-51 लाख पाई गई है जो जनपद की कुल जनसंख्या का क्रमशः 16-0, 2-98 एवं 51-5 % होती है । गत दशक में जहाँ जनपद की सामान्य जनसंख्या वृद्धि दर 15-6 % रही है वहाँ अनुसूचित जातियों एवं महिलाओं में इस वृद्धि का प्रतिशत क्रमशः 13-9 तथा 15-7 पाया गया है अनुसूचित जन जाति की स्थिति के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी देना सम्भव नहीं है क्यों । 91 की जन गणना के समय इनकी पृथक से गणना नहीं हुई थी । अनुसूचित जाति की जनसंख्या की इस वृद्धि दर और पूर्ण जनसंख्या में अनुसूचित जन जातियों के प्रतिशत को देखते हुये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की जन संख्या का कुछ वर्षों का प्रक्षेपण इस प्रकार है :-

-: अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या का प्रक्षेपण :-

अनुसूचित जाति

| वर्ष | जनसंख्या(000) | कुल परिवार संख्या (अनुमानित) |
|---|---|---|
| 1971 | 49-0 | 9790 |
| 1973 | 51-0 | 10200 |
| 1979 | 54-4 | 10860 |
| 1981 | 55-8 | 11150 |
| 1989 | 62-0 | 12400 |

-: अनुसूचित जन जाति :-

| वर्ष | | |
|---|---|---|
| 1971 | 8-2 | 1630 |
| 1973 | 8-5 | 1710 |
| 1979 | 9-2 | 1840 |
| 1984 | 9-9 | 1990 |
| 1889 | 10-4 | 2080 |

पाँचवी पँच वर्षी योजना के अन्तर्गत यों तो पूरी जनसंख्या के लिये पेय जल शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराई जानी है किन्तु पिछड़े हुये इन 57990 लोगों के लिये उक्त के अलावा आवासीय सुविधा भी प्राथमिकता के आधार पर जुटाई जानी है। ये ज्यादातर भूमिहीन हैं तथा इनके पास जीविकोपार्जन के कोई विशेष साधन नहीं हैं। अतः इनकी सामाजिक एवं आर्थिक एवं आर्थिक जीवनस्तर को तीव्रगति से उठाना है तभी जनपद व प्रदेश का चौमुखी विकास सम्भव है।

अ- अनुसूचित जाति का कल्याण :-

चौथी पँचवर्षीय योजना में संचालित परियोजनायें एवं अनुभव की गई कठिनाईयाँ :-

चौथी पँच वर्षीय योजना के अन्त तक अनुसूचित जाति के लोगों को मुख्यतया शिक्षा, आवास एवं पैत्रिक पेशों के विकासार्थ हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता प्रदान की गई है। इसमें मुख्य कठिनायी यह रही है कि अनुदान की धनराशि कम व दरें काफी पुरानी है। आज की मँहगाई में इन दरों पर स्थिर रह कर अनुदान ग्रहिताओं को समुचित लाभ नहीं दिया जा सकता। उदाहरण के तौर पर भवन निर्माण हेतु एक परिवार को 1500 रुपया तक अनुदान दिया जाता है जब कि पर्वतीय क्षेत्रों की विषम परिस्थितियों में 27 फीट लम्बे, 21 फीट चौड़े तथा 10 फीट ऊँचे मकान के निर्माण में कम से कम कम 5000 रुपये की लागत आती है। इसलिये जो परिवार आवास की दीनहीन स्थिति में है तथा जो वास्तव में अनुदान पाने के पात्र हैं वे इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं।

दूसरे अनुदान की धनराशि कम प्राप्त होती है जिससे सामान्य स्थिति के अलावा दैवी प्रकोपों से प्रभावित परिवारों को तुरन्त लाभ नहीं दिया जा सकता। पहाड़ी क्षेत्र का शिल्पकार अपेक्षाकृत अधिक गरीब है तथा वर्षा ऋतु में भूस्खलन एवं टूटफूट होती रहती है जिससे इनके कच्चे आवास स्थलों तथा पैतृक कारोबार को हानि पहुँचती है। इसलिये पहाड़ी प्रदेश क प्रदेश के विषम परिस्थितयों को ध्यान में रखते हुये अनुदान की वर्तमान दरों में वृद्धि करनी हो होगी तथा मैदानी क्षेत्रों की प अपेक्षा प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक परियोजना में अधिक धनराशि का प्राविधान करना होगा तभी विकास तीव्र गति पर लाया जा सकता है।

गत योजनाओं में संचालित परियोजनाओं की प्रगति समीक्षा तथा दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में संस्तुति :-

अब तक संचालित परियोजनाओं के अतिरिक्त पाँचवी पँच वर्षीय योजना में कृषि विकास अनुदान और एक राजकीय औद्योगिक आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है। सभी संचालित की जाने वाली योजनाओं की रूप रेखा निम्न प्रकार है-

1:- पूर्वदशम् कक्षाओं की छात्रवृति एवं अनावर्तीय सहायता :-

चौथी पँच वर्षीय योजना के अन्त तक इस मद में 5-28 लाख रुपये व्यय किये गये जिससे 11300 छात्र लाभान्वित हुये वर्ष 1974-75 में 79 हजार रुपये की छात्रवृति बाँटी गई जिससे 507 छात्र लाभान्वित हुये वर्ष 1975-76 मे 63 छात्रों को छात्रवृति से

लाभान्वित करने हेतु 10-00 हजार रुपया का परिव्यय निर्धारित किया गया है ।

2:- अनावासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 7 से 10 के छात्रों के शुल्क की क्षति पूर्ति :-

इस मद में चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 43-00 हजार रुपये व्यय हुये जिससे 584 छात्र लाभान्वित हुये । इसमें कक्षा 7 से 10 तक के छात्र सम्मिलित हैं । वर्ष 1974-75 में 8-6 हजार रुपये के व्यय से 121 छात्रों को लाभान्वित किया गया । वर्ष 1975-76 में 32 छात्रों की शुल्क की क्षतिपूर्ति हेतु 3-00 हजार रुपये का परिव्यय निर्धारित है ।

3:- दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति :-

चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस परियोजना में 76-70 हजार रुपये व्यय हुये जिससे अनुसूचित जाति के 222 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई वर्ष 1974-75 में 52 छात्रों को 26-8 हजार रुपये की छात्रवृत्ति दी गई है और 1975-76 में 60 छात्रों तथा पाँचवी योजना में 322 छात्रों को लाभान्वित किये जाने का प्रस्ताव है ।

चूँकि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का शैक्षिक स्तर अभी काफी गिरा हुआ है और उनकी आर्थिक स्थिति अभी सुदृढ़ नहीं है अतः इनकी शिक्षा को सामान्य वर्ग के शैक्षिक स्तर पर लाने के लिये उक्त तीनों परियोजनाओं में आगामी क्रमशः छठी व सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी चालू रखना होगा ।

4:- मेडिकल, इंजिनियरिंग तथा तकनीकी छात्रों को अनावर्तीय सहायता :-

इस जनपद की उक्त प्रकार की कोई भी अभी संस्था नहीं है इसलिये इस परियोजना में अभी तक कोई भी व्यय नहीं हुआ है चालू योजना काल में आई0टी0आई0 की स्थापना का प्रस्ताव है । इसकी स्थापना के बाद ही तकनीकी छात्रों को सुविधा प्रदान किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

5:- विभागीय सहायता प्राप्त संस्थाओं, छात्रावासों, पुस्तकालयों का विस्तार :-

वर्तमान समय में उक्त प्रकार की किसी भी संस्था को विभागीय सहायता प्रदान नहीं की जा रही है । वर्ष 1975-76 में दो संस्थाओं को सहायता प्रदान करने हेतु 1-30 हजार रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है ।

6:- कृषि विकास अनुदान :-

वर्ष 1965-66 तक इस परियोजना में 3-80 हजार रुपये व्यय किये गये जिससे 36 व्यक्ति लाभान्वित हुये हैं । हरिजनों में लगभग 20 % कृषि कार्य करते हैं । इनकी 13-9 प्रतिशत वृद्धि दर को देखते हुये आगामी 15 वर्ष में इनकी जनसंख्या लगभग 62 हजार हो जाने का अनुमान है जिस पर 12400 परिवार होंगे । इन कुल परिवारों में से 2480 कृषक परिवार होने का अनुमान है । सन् 1965-66 तक जो कृषि अनुदान दिया गया है वह औसतन 100 रुपया प्रति परिवार मिला है जिसका कोई विशेष महत्व नहीं था । अतः सभी 2480 परिवारों को लाभान्वित किया जाना होगा । वर्ष 1974-75 में 5 हजार रुपये का अनुदान वितरित करके 5 परिवारों को लाभान्वित किया गया और वर्ष 1975-76

के लिये 6000 रुपया प्रस्तावित है जिससे 12 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है ।।

7:- कुटीर उद्योग सहायता :-

चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक इस परियोजना के अन्तर्गत 2.17 लाख रु रुपये व्यय किये गये जिससे 770 परिवार लाभान्वित हुये । हरिजनों में 70 % परिवार अपने पैतृक पेशे से अपनी आजीविका चलाते है । ऐसे परिवारों की कुल संख्या आगामी 15 वर्ष में 8680 होगी । वर्ष 1973-74 तक 770 परिवारों को लाभान्वित किये जाने के उपरान्त 7910 परिवारों को आगामी वर्षों मे यह सहायता दी जानी है । पांचवीं योजना के वर्ष 1974-75 मे एक औद्योगिक सहकारी समिति का गठन स्थान मण्डलमें करके 5 हजार रुपया अनुदान के रूप में प्रदान किये गये । इस समिति में लगभग 20 परिवार सदस्य के रूप में शामिल हुये है ।

8:- गृह निर्माण योजना :-

अनुसूचित जाति के 80 % परिवार उपर्युक्त आवास रहित है, यह 80 % परिवार घास फूस की कच्ची झोपड़ियों में सर्दी गर्मी व बसंत का मौसम दीन हालत में बिताते है । अतः इन्हे प्राथमिकता के आधार पर आवास सुविधा उत्त उपलब्ध कराई जानी है। चौथी पंचवर्षीय योजना तक 337 परिवारों को भवन अनुदान दिया गया है जिस पर 4 लाख रुपया व्यय हुये हैं । इन 337 परिवारों जिन्हे आवास सुविधा दी जा चुकी है को घटा कर 9583 परिवारों को आगामी 15 वर्षों के अन्तर्गत यह सुविधा दी जानी है । पांचवीं योजना काल वर्ष 1974-75 में 12 हजार रुपये की सहायता से 12 परिवारों को गृह निर्माण सहायता प्रदान की गई है । वर्ष 1975-76 में 13 परिवारों के लिये 13 हजार रुपये की सहायता प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है ।

9:- आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना :-

इस जनपद के अनुसूचित जाति के लोगो की विगत 4 वर्षों से यह मांग रही है कि स्थान पिरपाक में एक औद्योगिक प्रकार का आश्रम पद्धति विद्यालय शासन द्वारा स्थापित किया जाय जिसमें शिक्षा के अलावा औद्योगिक कारबार प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हो। इन लोगो की दयनीय स्थिति को देखते हुये यह मांग न्याय संगत हुई है । इस प्रकार के विद्यालय में कक्षा 6 से 10 तक की शिक्षा के साथ ही साथ भिन्न प्रकार का औद्योगिक प्रशिक्षण, तथा भोजन वस्त्र एवं आवास की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाय, इसकी क्षमता कम से कम 200 छात्रों की होनी चाहिये । इस मांग पर विचार करते हुये शासन ने वर्ष 1974-75 में स्थान पिरपाक में फिलहाल एक आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना कर दी है । जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को साधारण शिक्षा, आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा आदि निःशुल्क प्रदान किये जाने की व्यवस्था है । वर्ष 1974-75 में इस विद्यालय पर 1.23 लाख रुपया व्यय हुये है और वर्ष 1975-76 के लिये 0.15

लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है ।

ख- अनुसूचित जन जाति कल्याण :-

इस जनपद में मार्छा एवं तोलछा नाम की जन जाति निवास करती है जिसे सामूहिक रूप में भोटिया की संज्ञा दी गई है । 1971 की जनगणना के अनुसार इनकी कुल जनसंख्या 8-9 हजार आंकी गई है जो जनपद की कुल जनसंख्या का 2-8% है, 1961 की जनगणना के अनुसार चूंकि भोटियों की गणना अलग से नहीं की गई थी, इसलिये इनकी संख्या की वृद्धि दर क्या रही इस पर टिप्पणी देना सम्भव नहीं है । इसलिये इनकी जनसंख्या 2-8 % के आधार पर, आंकी गई है ।

भोटिया लोगों का कारोबार मुख्यतया भेड़ बकरी पालन तिब्बत से व्यापार एवं आंशिक रूप से कृषि रहा है । 1960 के बाद चीन भारत के आपसी सम्बन्ध बिगड़ने के कारण तिब्बत व्यापार बन्द हो गया तथा इनकी आजीविका को गहरी ठेस पहुँची । भेड़ बकरियों के चारागाह भी अब कम हो गये हैं जिससे उनके पालन पोषण में भी असुविधा हो रही है उनकी आवास व्यवस्था भी पहिले से ही ठीक नहीं रही है । वर्ष 1967 में भोटिया जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया तथा इनके [illegible] विकास के लिये आवश्यक सहायता का प्राविधान किया गया ।

चौथी पंच वर्षीय योजना काल में संचालित परियोजनायें एवं अनुभव की गई कठिनाईयाँ :-

चौथी पंच वर्षीय योजना के अंत तक मुख्यतया शिक्षा, आवास, कुटीर उद्योग, कृषि विकास, पेयजल सुविधा एवं सहकारी समितियों के गठन हेतु सुविधायें दी गई हैं । इसमें मुख्य कठिनाई अनुभव की गई कि अनुदान की दर काफी पुरानी है जिससे आज की मंहगाई को देखते हुये अनुदान ग्रहिता को उचित लाभ नहीं मिल सकता है । दूसरे जन जाति के लोगों की आवश्यकता को ~~देख कर~~ देखते हुये जितनी मांग रही उतनी धनराशि भी जनपद में प्राप्त नहीं हुई, तीसरे भोटिया लोगों को हरिजनों की भांति भवन निर्माण हेतु ऋण भी नहीं दिया जाता है । अतः अनुदान की धनराशि की दरें बढ़ाई जाँय पहाड़ी क्षेत्रों की विषम परिस्थितियों को देखते हुये धनराशि का अधिक प्राविधान किया जाय तथा भोटिया लोगों को भवन निर्माण हेतु ऋण की भी व्यवस्था हो ।

गत योजनाओं के संचालित परियोजनाओं की प्रगति समीक्षा एवं दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में संस्तुति :-

1:- पूर्वदशम् कक्षाओं की छात्रवृत्ति एवं अनावर्तीय सहायता :-

चौथी पंच वर्षीय योजना के अंत तक कक्षा एक से कक्षा 10 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिये इस परियोजना में 2-53 लाख रुपया व्यय किया गया जिससे 5580 छात्रों को लाभान्वित किया गया । पांचवी योजना के अन्तर्गत वर्ष 1974-75 में 38 हजार रुपये की छात्रवृत्ति 302 छात्रों को वितरित की गई ।

वर्ष 1975-76 में 20 छात्रों को छात्रवृत्ति सुविधा प्रदान करने हेतु 3 हजार रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है ।

(2) कक्षा 9 से 10 में अध्ययन करने वाले अशासकीय विद्यालयों के छात्रों के शुल्क की क्षतिपूर्ति :-

चौथी पंच वर्षीय योजना के अंत तक इस परियोजना के अन्तर्गत 3-60 हजार रुपये व्यय किये गये जिससे 62 छात्रों का लाभान्वित किया गया । पांचवीं पंच वर्षीय योजना में वर्ष 1974-75 में 1-5 हजार रुपया की क्षतिपूर्ति से 22 छात्रों को सुविधा प्रदान की गई। वर्ष 1975-76 में 20 छात्रों की सहायता के लिये 2 हजार रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है ।

3:- दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति :- इस परियोजना में चौथी पंच वर्षीय योजना के अंत तक 90-20 हजार रुपये व्यय किये गये जिसमें 5980 छात्रों को इसका लाभ मिला । पांचवी पंच वर्षीय योजना काल में वर्ष 1974-75 में 95 छात्रों को 49-5 हजारी रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई और वर्ष 1975-76 में 100 छात्रों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

चूंकि अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का शैक्षिक स्तर अभी काफी गिरा हुआ है और इनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ नही है । अत इनकी शिक्षा को सामान्य स्तर पर लाने के निमित उक्त तीनो परियोजनायें आगामी छटी एवं सातवी पंच वर्षीय योजना में भी चालू रखना होगा ।

4:- मेडिकल इंजिनियरिंग तथा तकनीकी छात्रों को अनावर्तीय सहायता :-

जनपद में इस प्रकार की कोई प्राविधिक शिक्षा संस्था नही है इसलिये इसमें अभी तक कोई व्यय होने का भी प्रश्न नही उठ रहा है । जनपद में आई०टी०आई० की स्थापना हो जाने के बाद ही प्राविधिक शिक्षा हेतु सहायता प्रदान की जा सकेगी ।

5:- विभागीय सहायता प्राप्त संस्थाओं, छात्रावासो एवं पुस्तकालयो का प्रसार :-

इस जनपद में विभाग की ओर से जनजाति छात्रों के लिये उक्त प्रकार का कोई छात्रावास एवं पुस्तकालय आदि संचालित नही है ।

6:- कृषि विकास अनुदान :- चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक इन मद में 94 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया जिससे 47-0 हजार रुपये व्यय हुये हैं । भोटिया लोगो में लगभग 25%परिवार कृषि का कार्य करते है जनपद की ~~सम्पत्ति~~ सामान्य जनसंख्या में जनजाति जनजाति के प्रतिशत में भोटिया लोगो की वर्ष 1973-74 में 8540 हो जाने का अनुमान है जिसके 25% के हिसाब से 427 कृषि परिवार होंगे जनसंख्या की यदि यही वृद्धि दर रहेगी तो वर्ष 1989 इनके कृषक परिवार 519 तक हो जाने की सम्भावना है अब तक 94 परिवारों को यह सुविधा दी जा चुकी है । अतः शेष 425 परिवारों को अभी और लाभान्वित किया जाना होगा । [illegible] वर्ष 1974-75 [illegible] योजना में 11 परिवारों को 1.00 [illegible]

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1974-75 में 11 परिवारों को 1000-00 रु0 की दर से 11000-00 रु0 की सहायता प्रदान की गई और वर्ष 1975-76 में 30 परिवारों को सुविधा के लिये 15 हजार रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस प्रकार 384 परिवारों को सहायता प्रदान करना शेष रह जावेगा।

(7) कुटीर उद्योग:- इस परियोजना के अंतर्गत चौथी पंच वर्षीय योजना के अंत तक 1.13 लाख रुपये व्यय किया जा चुका है जिससे 380 परिवार लाभान्वित हुये हैं। भोटिया लोगों में 70 % परिवार अपने पैतृक कारोबार में जैसे भेड़ बकरी पालन कताई बुनाई सिलाई बढ़ईगीरी एवं लोहारगिरी आदि कारोबार करते हैं। इन 70 % परिवारों में 10 % परिवारों की के अपने स्वयं से पैतृक कारोबार की व्यवस्था है, अतः 60 प्रतिशत परिवारों को इस परियोजना के अंतर्गत लाभ दिया जाना है। इनकी जनसंख्या की वृद्धि दर को देखते हुये आगामी 15 वर्षों में 60 प्रतिशत के हिसाब से 1245 परिवार होने का अनुमान है। इनमें 380 परिवारें जिन्हें वर्ष 1973-74 में तक लाभान्वित किया जा चुका है, को घटा कर 865 परिवारों को कुटीर उद्योग इ अनुदान दिया जाना है। पांचवीं पंच वर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष 1974-75 में इस मद में कोई सहायता प्रदान नहीं की जा सकी है किन्तु वर्ष 1975-76 में फिलहाल 12 हजार रुपये का प्राविधान किया जा चुका है।

(8) गृह निर्माण अनुदान:- चौथी पंच वर्षीय योजना के अंत तक भोटिया लोगों के 250 परिवारों को भवन निर्माण अनुदान दिया गया है। इस निर्माण कार्य में 3.37 लाख रुपया व्यय किये गये हैं। वर्तमान समय में अनुमानतः इनके 1710 परिवार होंगे। जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर आगामी 15 वर्षों में इन परिवारों की संख्या 2080 हो जाने की सम्भावना है। भोटिया लोगों से 50 प्रतिशत परिवार घास फूस की झोपड़ियों में निवास करते हैं। 250 परिवारों परिवारों जिन्हें भवन सुविधा दी जा चुकी है को घटा कर 790 परिवारों को आगामी 15 वर्षों की अवधि में यह सुविधा दी जानी है। पांचवीं पंच वर्षीय योजना में वर्ष 1974-75 में 26 हजार रुपये की सहायता से 14 परिवारों को लाभ प्रदान किया गया और वर्ष 1975-76 में 10 परिवारों को सहायता हेतु 16 हजार रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

(9) पुनर्वास योजना:- भोटिया लोगों के ऐसे परिवारों को जिनके पास ग्रामदान, भूदान या अन्य स्रोतों से प्राप्त 5 एकड़ तक जमीन हो उन्हें इस प्राप्त जमीन पर पुनर्वासित करने के लिये 5000 रुपया प्रति परिवार के हिसाब से अनुदान देने का प्राविधान है। इस जनपद में अभी तक किसी भूमिहीन परिवार को इस प्रकार की भूमि प्राप्त नहीं हुई है। अ इस परियोजना पर चौथी पंच वर्षीय योजना तक किसी प्रकार का व्यय नहीं हुआ है। वर्ष 1974-75 में प्रति 55 हजार रुपये के 11 परिवारों को लाभान्वित करने हेतु कार्यवाही चल रही है। वर्ष 1975-76 में 4 परिवारों को सुविधा प्रदान करने हेतु 20 हजार रुपया का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

10- आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना:- इस जनपद में चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्त

का जोगिरठ में एक आश्रम पद्धति विद्यालय जनजातियों के लिए 6 से 8 तक के बालकों के लिये स्थापित किया गया है। जिसमें निशुल्क भोजन, वस्त्र एवं आवास की समुचित व्यवस्था है इस विद्यालय की क्षमता 105 छात्रों की है। स्त्री समाज में शिक्षा के प्रति अभिरुचि लाने के लिये इसी प्रकार के बालिका आश्रम पद्धति विद्यालय की भी आवश्यकता है।

11:- जनजाति छात्रावास की स्थापना :- जिला मुख्यालय गोरखपुर में वर्ष 1974-75 में एक जनजाति छात्रावास की स्थापना की गई है। इसमें जनजाति के छात्रों को अवास तथा भोजन की निःशुल्क सुविधा प्राप्त है।

12:- थोरिया जाति का सर्वांगीण विकास :- पांचवीं पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत थोरिया जनजाति के सर्वांगीण विकास हेतु आन्तरिक मार्ग, लिंक मार्ग तथा सिंचाई योजनाओं के निर्माण विद्युतीकरण तथा दुधारु पशुओं के वितरण का कार्यक्रम किया गया है। इस हेतु वर्ष 1974-75 में 2-25 लाख रुपया व्यय किया गया और वर्ष 1975-76 के लिये 3-17 लाख रुपया का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

अ (2) अन्य पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति :-

शासन ने अन्य पिछड़ी जातियों जैसे नाई, खरवार, गिरी (गोसाई) आदि के छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्राविधान किया है। इसी प्रकार आय के आधार पर समाज के किसी भी वर्ग के छात्र को जिसके अभिभावक की आय 250 रुपये प्रतिमाह से कम हो, तो भी छात्रवृत्ति दी जा सकती है। इन परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :-

1:- पिछड़ी जाति के पूर्वदशम कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति तथा अनावर्तक सहायता :-

1:- इस मद में चौथी पंच वर्षीय योजना के अंतर्गत 20 छात्रों को लाभान्वित किया गया है है जिन पर 7-50 हजार रुपया व्यय हुआ है। पांचवीं परियोजना काल में वर्ष 1974-75 में 1 हजार रुपये की सहायता 6 विद्यार्थियों को दी गई है और 1975-76 में 9-00 हजार रुपये से 60 छात्रों को लाभान्वित किये जाने का प्रस्ताव है।

2:- पिछड़ी जाति केवल आय के आधार पर अध्ययन करने वाले दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति तथा आवर्तक सहायता :-

वर्ष 1973-74 तक इस परियोजना के अन्तर्गत 3-00 हजार रुपया व्यय हो चुके हैं जिससे 7 छात्र लाभान्वित हुये हैं। वर्ष 1974-75 में 11-7 हजार रुपये से 22 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई यह सुविधा वर्ष 1975-76 में भी जारी रहेगी जिसके लिये 16 हजार रुपये का प्राविधान किया जा चुका है।

3:- उक्त के अतिरिक्त 1974-75 में गोरखपुर जनपद अनुसार जाति के दशमोत्तर कक्षा के 8 छात्रों को 982 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। वर्ष 1975-76 के लिये 500 रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है।

## (23) - समाज कल्याण

(अ) समाज कल्याण की परियोजनायें :- समाज कल्याण में जनपद की निराश्रित महिलाओं का उद्धार तथा अपंग एवं बहरे लोगों के कल्याण कारी कार्य सम्मिलित हैं । जहाँ तक इस सीमावर्ती जनपद की महिला समाज की स्थिति का प्रश्न है वह बहुत ही दयनीय है । सूर्योदय से लेकर रात के अंधेरे तक यहाँ की महिलायें अपने कृषि, पशुपालन एवं अनेक घरेलू कार्यों में कठिन परिश्रम के साथ व्यस्त रहती हैं । यहाँ का पढ़ा लिखा युवक अधिकतर शासकीय सेवाओं में रहता है । इसलिये जनपद की जनशक्ति पूर्ण तया स्त्री समाज पर निर्भर करती है । यहाँ के पुरुष ने स्त्री शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है । आज के विकास शील युग में भी यहाँ का सामाजिक ढाँचा समानता पर आधारित नहीं है । यही कारण है कि जनपद के 5?3 प्रधानों में से एक भी महिला प्रधान नहीं है । इसलिये यह आवश्यक है कि स्त्रियों के उत्थान हेतु यहाँ के पुरुषों की मनोवृत्ति को बदलना होगा । स्त्रियों का कारोबार हल्का करने के लिये गाँव-गाँव में पानी की सुविधा हो, कृषि के आधुनिक तरीकों का प्रसार हो । युवक और युवतियों की शिक्षा में सन्तुलन हो । इच्छुक पढ़ी लिखी युवतियों एवं निराश्रित विधवा महिलाओं के लिये प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर एक-एक सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र हो । जहाँ एक प्रशिक्षण केन्द्र पर कम से कम 50 महिलाओं के लिये सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि कार्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हो । प्रशिक्षण एक वर्ष का हो जिसमें प्रत्येक महिला को कम से कम 60=00 रुपया प्रतिमाह छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाय । स्त्री शिक्षा कक्षा 8 तक अनिवार्य कर दी जाय । तभी जनपद की स्त्री समाज का उत्थान सम्भव है ।

इसी प्रकार दैवी प्रकोपों से अंगहीन अपंग हो जाने वाले व्यक्तियों को राहत देने का कार्य भी समाज का है । उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिये ।

समाज कल्याण से सम्बन्धित जो परियोजनायें इस विभाग द्वारा संचालित की जा रही है उनका संक्षिप्त विवरण आगे दिया जा रहा है :-

गत योजनाओं में संचालित परियोजनाओं की प्रगति समीक्षा तथा पाँचवीं पंच वर्षीय योजना की रूप रेखा

---

1. निराश्रित एवं विधवा महिलाओं को जिविकोपार्जन की सुविधा (सिलाई उपकरण के रूप में)

---

इस परियोजना के अन्तर्गत चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक 65-50 हजार रुपये व्यय किये गये हैं जिससे से 330 महिलाओं को सिलाई मशीन अनुदान के रूप में दी गई हैं । पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में इस सहायता के लिये 59 हजार रुपया और वर्ष 1975-76 में 5 हजार रुपया का परिव्यय निर्धारित किया गया है । वर्ष 1975-76 में निर्धारित 5 हजार रुपया परिव्यय के विपरित 1-5 हजार रुपया व्यय किया गया था जिससे 3 महिलाओं को सिलाई मशीन और प्रत्येक को 150 रुपया का कपड़ा उपलब्ध कराया गया ।

2: निराश्रित एवं विधवा महिलाओं को सहायक अनुदान( पेंशन के रूप में )

यह परियोजना विगत 2 वर्ष से चालू की गयी है । इसमें एक महिला को 30=00 रूपया प्रतिमास तथा प्रत्येक बच्चे के लिए 10=00 रूपया अतिरिक्त धनराशि के रूप में स्वीकृत किया जाता है । इसमें अधिकतम धनराशि एक महिला को 60=00 रूपया प्रतिमास है । इस परियोजना के अन्तर्गत 1973-74 तक 21-70 हजार रूपये व्यय किये गये हैं जिससे जनपद की 37 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है । पाँचवीं पंच वर्षीय योजना में वर्ष 1974-75 में 27-70 हजार रूपया व्यय करके 28 महिलाओं को पेंशन की सहायता प्रदान की गई । योजना के आगामी वर्षों में भी यह सुविधा जारी रखने का प्रस्ताव है ।

3: बहरे तथा अपंग लोगों को सहायता :-(कृत्रिम अंगों के रूप में )

चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस परियोजना में 1-86 हजार रूपये व्यय किये गये है जिससे जनपद के 6 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है । इस परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1974-75 में 400=00 रूपये की सहायता एक व्यक्ति को श्रवण यंत्र खरीदने हेतु दी गई । पाँचवीं योजना के शेष वर्षों में भी इस प्रकार की सहायता प्रदान किये जाने की सम्भावनायें हैं ।

=====0 0 0 =====

## (24) श्रम कल्याण ।

औद्योगिक विकास के साथ साथ श्रमिक वर्ग को सामाजिक सुरक्षा तथा हितकारी सुविधायें प्रदान किया जाना आवश्यक है । इस सन्दर्भ में प्रदेश के श्रमायुक्त संगठन द्वारा श्रम प्रवर्तन कार्य के लिये निरीक्षकों की नियुक्ति की जाती है । जनपद में पांचवी योजना काल में औद्योगिक विकास होने पर श्रमिकों के हितों की देखरेख का कार्यभार बढ़ेगा इस दृष्टी से श्रमायुक्त संगठन ने श्रम प्रवर्तन तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं विकेन्द्रीकरण परियोजना के अन्तर्गत तीन पदों का सृजन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है । जिसके लिये 20 हजार रु0 परिव्यय प्रस्तावित है ।

× × ×× ×××××××××× ×

## (25) आर्थिक सेवायें

जिला सांख्यिकीय कार्यालय की कार्यक्षमता में वृद्धि लाने के लिये पंचम पंच वर्षीय योजनावधि में गणक यंत्र डुप्लीकेटर तथा टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर नियोजन सम्बन्धी कार्यों में प्रगति लाने के लिये एक नियोजन खण्ड की स्थापना किये जाने का प्राविधान है। जिसमें एक अर्थशास्त्री और उसकी सहायता के लिये कुछ अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जावेगी। इस खण्ड का कार्य जिला स्तर पर योजना बनाने में स्थानीय अधिकारियों की मदद करना तथा समय समय पर योजना सम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की देख रेख करना होगा। पांचवी पंच वर्षीय योजना में उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिये निम्नलिखित दो परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं।-

1:- सांख्यिकी:- जिला सांख्यिकीय कार्यालयों की उनकी क्षमता में वृद्धि लाने हेतु सज्जा की सम्पूर्ति। इसके अन्तर्गत पांचवी योजना तथा वर्ष 1975-76 का परिव्यय क्रमशः 4-0 तद तथा 3-6 हजार रुपये है।

2- नियोजन यंत्र:- जिला योजनाओं के निर्माण में प्रगति लाना। यह परियोजना इस जनपद के लिये 24-3 हजार रुपये के प्राविधान के साथ वर्ष 1974-75 में स्वीकृत की गई थी किन्तु प्रशासन में निष्क्रियता के कारण इस पर व्यय नहीं किया गया। इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु पांचवी योजना तथा वर्ष 1975-76 में क्रमशः 129.5 और और 31-3 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है।

2- प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1975-76 में भी इन दोनों परियोजनाओं पर व्यय करने की अनुमति शासन से नहीं प्राप्त हुई है।

---

## 6- वित्तीय दृष्टिकोण एवं ऋण संस्थाओं का योगदान

साधनों की उपलब्धता प्रगतिशील देशों के लिये विकास के युग में एक सबसे बड़ी समस्या है। उत्तर प्रदेश जैसे गरीब और कम विकसित प्रदेश में यह समस्या कुछ और जटिल हो जाती है जब साधनों की पूर्ति मुख्यतया छोटी बचतों को जुटा कर पूरी करनी पड़ती है। इस समस्या के निराकरण में वित्तीय संस्थाओं का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि इनका मुख्य कार्य पूंजी को बाहुल्य वाले क्षेत्रों से अभावग्रस्त क्षेत्रों में जुटाना है। इस कार्य हेतु अधिक ध्यान विकास की प्राथमिकता पर केन्द्रित करना है। वित्तीय संस्थायें बचत की मात्रा, आय का अनुपात बढ़ाने में भी अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता बढ़ाकर सहायक सिद्ध होती है। व्यवसायिक बैंक ऊंची ब्याज दर बचतों को प्रोत्साहन देने में काफी सहायक सिद्ध होते हैं। व्यवसायिक बैंक, सहकारी बैंकिंग पद्धति, जीवन बीमा कम्पनियों, यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया तथा प्रमुख वित्तीय संस्थाओं ने देश की अर्थव्यवस्था में अपना एक ऊंचा स्थान बना लिया है. राष्ट्रीयकरण के उपरान्त व्यवसायिक बैंकिंग पद्धति काफी सुदृढ़ हुई है। प्रदेश में जुलाई 1969 से पूर्व 118 हजार की जनसंख्या पर औसतन एक बैंक कार्यालय था जबकि देश का औसत 65 जनसंख्या था जून 1972 के अन्त में स्थिति काफी सुधरी सुधरी और प्रदेश में 65 हजार की जनसंख्या पर एक बैंक कार्यालय का औसत हो गया जबकि देश का यह औसत 40 हजार की जनसंख्या तक पहुंच गया। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में बैंकिंग पद्धति में काफी सुधार आया है फिर भी यह देश के औसत से भी अभी काफी पीछे है।

चमोली जनपद प्रदेश का एक पहाड़ी और बहुत पिछड़ा हुआ जिला है। यहां संस्थागत संसाधनों का विकास बहुत ही कम हुआ है। अभी तक संस्थागत संसाधन जुटाने में कृषि कार्यक्रमों के अन्तर्गत सहकारिता द्वारा प्रमुख योगदान रहा है। जनपद के दोनों उप सम्भागों में कृषकों को ऋण देने की सुविधा प्रदान करने के लिये एक सहकारी बैंक चमोली में स्थित है जिसकी तीन शाखायें कर्णप्रयाग रुद्रप्रयाग और जोशीमठ में कार्य कर रही हैं। यद्यपि स्टेट बैंक आफ इण्डिया को जनपद का नेतृत्व बैंक बनाया गया है। परन्तु इसके द्वारा किये गये सर्वेक्षण की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। फलस्वरूप आगामी सम्भावित संस्थागत स्रोतों के उपयोग के क्षेत्रों में बाधायें बनी रहती है वर्ष 1973-74 तक स्टेट बैंक की शाखायें, चमोली कर्णप्रयाग एवं ऊखीमठ में कार्यरत थी इनके अतिरिक्त जोशीमठ में पंजाब नेशनल बैंक की भी एक शाखा है। इस समय स्टेट बैंक की उक्त शाखाओं के अतिरिक्त गोपेश्वर पोखरी तथा अगस्तमुनी में भी इसकी शाखायें स्थापित हो गई है। ऋण वितरण कार्यक्रम हेतु अभी इन राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रयास नगण्य है।

जनपद के आर्थिक औद्योगिक एवं भूगर्भीय सर्वेक्षण के अभाव में सांख्यिकीय तथ्यों पर आधारित अनेक आधारिक आंकड़े केवल अनुमानित ही कहे जा सकते है। वर्ष 1971 की

जनगणना के संशोधित अनुमानों के आधार पर जनसंख्या का 37-2 प्रतिशत कृषि एवं सम्वर्गीय कार्यों में 10-4 प्रतिशत वाणिज्य, परिवहन संचार एवं अन्य सेवाओं में तथा केवल 2-4 प्रतिशत उद्योग विनिर्माण आदि कार्यों में लगे हुये थे। कृषि प्रमुख उद्योग होने पर भी जनपद में साधनों का अभाव रहता है। क्षीण आय के साधनों की इस पृष्ठभूमि में जनपद की आर्थिक स्थिति एवं स्रोतों का मूल्यांकन सहज ही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वाणिज्य, परिवहन संचार आदि में जो लोग लगे हैं उनमें से अधिकांश जनपद के बाहर के लोग हैं जिनका अस्थाई निवास केवल लाभ उपार्जन की दृष्टि से जनपद में रहता है।

यहां का स्थानीय पूंजीपति जोखिम उठाने में हिचकिचाता है। और अपने लघु स्रोतों से अर्जित धन को किसी जोखिम में डालना नहीं चाहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के ऋण की अधिकांश आवश्यकता की पूर्ति उंची ब्याजदर पर गैर जमानती ऋण देकर साहूकारों द्वारा की जाती है। इस बात का अनुमान लगाना कठिन है कि कितने कृषक ग्रामीण साहूकारों से ऋण प्राप्त करते हैं। क्रमशः सहकारी ऋण के प्रसार से साहूकारों की महत्ता कम होती जा रही है। सहकारी समितियों द्वारा कृषकों को बैल क्रय करने, खेती के छोटे औजार क्रय करने तथा भूमि सुधार एवं लघु सिंचाई योजनाओं के लिये मध्यकालीन ऋण दिया जाता है। दीर्घकालीन ऋण की कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि जनपद में भूमि विकास बैंक की कोई शाखा कार्यरत नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों द्वारा ऋण पूर्ति मुख्यतया उपभोग कार्यों हेतु की जाती है। परन्तु यही साहूकार अन्य क्षेत्र में पूंजी विनियोग हेतु जोखिम के कारण संकोच करते हैं। इन्हीं सब कारणों से सब क्रयविक्रय भण्डारण, यातायात एवं संचार आदि व्यवसायों में बाहर के लोग अपनी वैश्य मनोवृत्ति के आधार पर पिछले कुछ समय से इस ओर अग्रसर होते दिखाई दे रहे हैं।

स्थानीय उद्योगों को विकसित करने के लिये भी कच्चे माल की उपलब्धि में बाधायें होने के कारण कोई उज्वल भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। अधिकांशतया यहां के सम्भावित उद्योग वनाधारित हैं। वन विभाग अभी यह निश्चय नहीं कर पा सका है कि इस प्रकार के वनाधारित उद्योगों के लिये किस मात्रा में किस कोटि की औद्योगिक सामग्री प्रदान करने में समर्थ हो सकेगा। अतः वनाधारित उद्योगों के सफल कार्यान्वयन की आशायें भी धूमिल एवं संदेहात्मक प्रतीत होती हैं।

उपरोक्त कारणों से ही विगत योजनाकाल में शासन द्वारा ही जनपद के निर्बल आर्थिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुये विभिन्न विभागीय कार्यक्रमों के लिये व्यय भार वहन करने की चेष्टा की गई थी।

सहकारिता द्वारा कृषि क्षेत्र में उत्पादन की वृद्धि हेतु वर्ष 1973-74 में 1... 19-06 लाख रुपये अल्पकालीन एवं 4-50 लाख रुपये मध्यकालीन ऋण वितरित किया गया।

पंचम पंचवर्षीय योजनाकाल में वित्तीय संसाधन जुटाने के कार्य में सहकारिता के अतिरिक्त नेतृत्व बैंक (स्टेट बैंक आफ इण्डिया) राष्ट्रीयकृत बैंक तथा कृषि पुनरकृत

निगम आदि संस्थाओं से लगभग 177-42 लाख रुपये के योगदान की अपेक्षा की गई है।

इसके अतिरिक्त जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में डाकखाने की बचत बैंक प्रणाली उपलब्ध है। सहकारी समितियों एवं सहकारी बैंकों में अमानत के रूप में बहुत कम धन जमा होता है। आय की न्यूनता के कारण बचत कम होती है। इसका अधिकांश भाग गहनों के बनवाने, मकान निर्माण अथवा भूमि क्रय करने पर लगा दिया जाता है। डाकघर बचत बैंक में अधिक धन जमा करने के लिये समय समय पर अभियान भी चलाये जाते हैं जिनके परिणाम किसी सीमा तक उत्साहवर्द्धक रहे हैं।

जनपद में मुख्यतया उन स्थानों पर जहाँ से आलू का निर्यात होता है बैंकिंग सुविधा के प्रसार की आवश्यकता है। मुख्य विपणन केन्द्रों पर भी बैंकिंग सुविधायें अपेक्षित हैं। यह सुविधा नेतृत्व बैंक (स्टेट बैंक आफ इण्डिया) राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों एवं भूमि विकास बैंकों की शाखायें खोलकर प्रदान की जा सकती है।

आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास हेतु संस्थाओं के प्रसार एवं कार्यान्वयन सम्बन्धी ठोस योजनायें नेतृत्व बैंक द्वारा कराये गये सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही प्रस्तावित की जा सकेंगी।

---

## 7- सामग्री की आवश्यकता

किसी योजना को कुशलता एवं मितव्ययता से चलाने के लिये पूंजीगत संसाधनों का समयानुसार उपलब्ध होते रहना अत्यन्त आवश्यक है । यह आवश्यकता चमोली जैसे पहाड़ी और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए जनपद में और भी तीव्र हो जाती है । जनपद में केवल वन विभाग को छोड़कर अन्य सभी विभागों के वित्तीय संसाधन शून्य से ही हैं ।

संसाधनों की आवश्यकता का निर्धारण एक कठिन कार्य है । सम्पूर्ण आवश्यकताओं का पहले से ही सही अनुमान लगाने के लिये बहुत विस्तृत और वास्तविकता पर आधारित योजना बनाने की आवश्यकता होती है । निसंदेह आवश्यकता के अनुमान बहुधा बदल जाते हैं । और समय समय पर पूरक अनुमान बनाने पड़ते हैं । फिर भी यदि पहले से वास्तविकता पर आधारित अनुमान बना लिये जांय तो काफी हद तक परिवर्तनों को कम किया जा सकता है ।

आर्थिक उन्नति के लिये संतुलित योजना हेतु आवश्यकता इस बात की है कि विभिन्न प्रकार का कच्चा और अन्य सामान जो उत्पादन प्रक्रिया के काम आते हैं समयानुसार आवश्यक मात्रा एवं अच्छे प्रकार का उपलब्ध हो जाता कि उन्हें प्रयोग करने वाले कारखानों व संस्थाओं की आवश्यकता की पूर्ति हो सके ।

हालांकि उन मदों की सूची जिनकी आवश्यकता का अनुमान लगाना आवश्यक है काफी लम्बी है । यहां केवल मुख्य मदों जैसे कृषि सामग्री, रसायनिक खाद सहित और मुख्य मुख्य निर्माण सामग्री जैसे लोहा और स्टील, सिमेन्ट आदि का ही विवेचन नीचे किया जा रहा है ।

1) कृषि पदार्थः- कृषि सामग्री की आवश्यकता इन पदार्थों की मांग के अनुसार आंकी जा सकती है । और उत्पादन के निर्धारित स्तर को प्राप्त करने के लिये सभी आवश्यक निवेशों का जुटाया जाना आवश्यक है ।

जनपद की आगामी पंचवर्षीय योजना में कुछ मुख्य मुख्य मदों की आवश्यकता के मोटे अनुमान निम्न प्रकार हैं :-

कृषि पदार्थों की मांग वर्ष 1975-76 तथा पांचवी योजना के अनुमान

| पदार्थ | इकाई | कृषि उत्पादन 1973-74 | 74-75 | प्रक्षिप्त मांग 75-76 | 78-79 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1- खाद्यान्न<br>2- दालें | (000) मी0टन | 74 | 78 | 79 | 83 |

उपरोक्त वर्णित पदार्थों की मांग को ध्यान में रखते हुए उनके उत्पादन के लक्ष्य किसी सीमा तक ऊंचे रखे गये हैं । ताकि उक्त वस्तुओं का कुछ अधिक स्टाक उपलब्ध हो सके और उसका प्रयोग अभाव के वर्षों में किया जा सके । यह इसलिये भी आवश्यक है ताकि खाद्यान्नों के मूल्य को एक निश्चित सीमा तक नियंत्रित रखा जा सके । उपरोक्त बातें को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादन की एक मुख्य वस्तुओं का प्रक्षेपण निम्न प्रकार किया जा सकता है ।

पंचम पंचवर्षीय योजनाकाल में वर्ष 1975-76 तथा 78-79 में कृषि पदार्थों का प्रक्षिप्त उत्पादन (हजार मे0टन)

| पदार्थ | प्रक्षिप्त उत्पादन | |
|---|---|---|
| | 75-76 | 78-79 |
| 1- खाद्यान्न | 80-89 | 89-06 |
| 2- दालें | 1.38 | 1-65 |
| योग | 82-27 | 90-71 |

2) रासायनिक खाद:-

उपरोक्त वर्णित खाद्यान्नों का उत्पादन सुनिश्चित करने के लिये रसायनिक खादों का समयानुसार आवश्यक मात्रा में उपलब्धता अनिवार्य है । सघन एवं द्विफसली कृषि भी उत्पादन बढ़ाने हेतु आवश्यक है । सिंचाई साधनों के अतिरिक्त, रसायनिक खाद ही ऐसा निवेश (Input) है जिसके संतुलित प्रयोग से कृषि उत्पादन को एक अच्छे स्तर तक बढ़ाना सम्भव हो सकता है । जनपद में रसायनिक खाद के प्रयोग की कुछ वर्षों की प्रगति इस प्रकार रही है:-

जनपद में वर्षवार रासायनिक खाद के प्रयोग की प्रगति

| वर्ष | नाईट्रोजनस खादें | फास्फेटिक खादें | पोटाशिक खादें |
|---|---|---|---|
| 1970-71 | 61 | 44 | 23 |
| 1971-72 | 52 | 38 | 17 |
| 1972-73 | 71 | 48 | 22 |
| 1973-74 | 86 | 78 | 15 |
| 1974-75 | 87 | 47 | 13 |

पंचम पंचवर्षीय योजनाकाल में वर्ष 1975-76 तथा 78-79 में रासायनिक खादों के उपयोग के प्रक्षिप्त अनुमान -(मे0टन0)

| वर्ष | नत्रजनिक खादें | फास्फेटिक खादें | पोटेशिक खादें |
|---|---|---|---|
| 1975-76 | 286 | 220 | 140 |
| 1978-79 | 294 | 220 | 147 |

मुख्य निर्माण सामग्री और उनकी आवश्यकता:-

आर्थिक और सामाजिक उन्नति से ही इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि किसी देश, प्रदेश अथवा जनपद की प्रगति की क्या सीमा है । इसके लिये निर्माण कार्यों का समयानुसार, कार्यक्रम के अनुरूप पूरा किया जाना आवश्यक है । इसे प्राप्त करने के लिये निर्माण सामग्री जैसे लोहा और स्पात, सीमेन्ट और कोयला आदि की लगातार आवश्यक मात्रा में उपलब्धता, प्राथमिक आवश्यकता है । इसके लिये इन मुख्य निर्माण सामग्री पदार्थों का पहले

से समुचित अनुमान लगाना आवश्यक है । ताकि बाद में इन वस्तुओं की लगातार मांग के अनुरूप पूर्ति में कोई बाधा न पड़े । निर्माणों में निर्माण सामग्री जैसे लोहा सीमेन्ट आदि की आवश्यकता का अनुमान लगाना कठिन है । क्योंकि इसके कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है । सरकारी क्षेत्र में किये जाने वाले निर्माण कार्यों हेतु सामग्री की आवश्यकता विभागीय योजनाओं के सम्मिलित रूप से की गई है । फिर भी कुछ प्रमुख वस्तुओं की आवश्यकता का विभागवार विवरण इस प्रकार है ।-

| विभाग | सीमेंट (मै० टन) | लोहा एवं स्पात (मै०टन) | एस्बेस्टस (मै०टन) | वायर (मै०टन) |
|---|---|---|---|---|
| 1- संचार व्यवस्था | 23,000 | 1670 | 120 | - |
| 2- पेयजल सम्पूर्ति | 8,658 | 385 | - | - |
| 3- सिंचाई | 6,000 | 55 | - | - |
| 4- विद्युत | 488 | 84 | - | 424 |
| 5- सहकारिता (भवनों एवं गोदामों के निर्माण हेतु) | 22 | 14 | 14 | - |

प्रत्येक विभाग के वित्तीय लक्ष्य रूप पत्र 1 एवं भौतिक लक्ष्य रूप पत्र 2 में विस्तार पूर्वक दिये गये हैं ।

जनपद में निर्माण कार्यक्रमों के लिये कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी क्योंकि जनपद के श्रमिक सीमेंट आदि के कार्य में अधिक दक्ष नहीं हो पाये हैं । अतः इस कमी को पूरा करने के लिये ठेकेदार निर्माणों के सम्पादन हेतु कुशल श्रमिक जनपद के बाहर से लाते हैं । उनके कार्य सम्पादित करने पर ही यहाँ के श्रमिक निपुण हो सकेंगे । वैसे शिक्षा प्रसार के साथ साथ कुशल श्रमिकों के बढ़ने की सम्भावना है । प्राविधिक एवं तकनीकी शिक्षा के प्रसार से सम्पूर्ण श्रमिकों की संख्या में आशातीत वृद्धि हो सकेगी ।

यों तो प्रत्येक विभाग ने कार्यक्रमों के प्रसार एवं संचालन हेतु संसाधनों के आधार पर अपनी रणनीति का निर्धारण कर लिया है । और इसका उल्लेख प्रत्येक विभाग के योजना के आलेख में किया गया है । प्रशासन से यह अपेक्षा की जाती है कि कार्यक्रमों के सम्पादन एवं संचालन हेतु वाली कठिनाइयों का समाधान समय समय पर शासकीय नीतियों में परिवर्तन कर किया जाये । उदाहरण के लिये जड़ी बूटियों की वनों से निकासी हेतु केवल प्रशिक्षित श्रमिकों को ही अधिकार दिया जाये, ताकि अमूल्य जड़ी बूटियां समूल नष्ट न होने पावें और आय का यह स्रोत सतत चलता रहे ।

पंचम पंचवर्षीय योजना में आधुनिक सुख सुविधायें उपलब्ध कराने के कार्यक्रम एवं उपलब्ध संसाधनों के अति आवश्यक रहेंगे । निजी, वित्तीय एवं कुशल श्रमिकों का पूर्ण उपयोग किया जाय जिससे अधिक विकास में रोजगार उपलब्धि हो सके और प्रति व्यक्ति औसत आय में अधिक से अधिक वृद्धि हो सके ।

## (8)- सेवा योजन कार्यक्रम

1961 में जनपद की जनसंख्या का 65-3 प्रतिशत कार्यरत था जो 1971 में घटकर 53-2 प्रतिशत हो गया। 1961 में जहाँ 60-8 प्रतिशत पुरुष तथा 69% महिलायें कार्यरत थी वहाँ यही प्रतिशत 1971 में घटकर 54-5 और 61 हो गये। 1971 में राज्य की 32-26 प्रतिशत और भारत की 33-54 प्रतिशत जनसंख्या कार्यरत पाई गई तथा उसमें पुरुषों का प्रतिशत 52-30 एवं 52-53 और महिलाओं का योगदान 8-3 प्रतिशत व 13-3 प्रतिशत रहा। इन आँकड़ों से प्रकट होता है कि जिले में कार्यरत जनसंख्या राज्य और राष्ट्र के औसत से अधिक है तथा जहाँ यह कार्यरत पुरुषों का प्रतिशत राज्य और राष्ट्र के समीप पहुंच जाता है, वहाँ महिलाओं के सम्बन्ध में वह राज्य के औसत से 7गुने एवं राष्ट्र के औसत से 4 गुने से भी अधिक है।

2- 1961 में कार्यरत जनसंख्या का 83-8 प्रतिशत खेती में लगा हुआ था। 1971 में यह प्रतिशत घटकर 86-9 हो गया। कार्यरत पुरुषों में से जहाँ 80-4 प्रतिशत 1961 में कृषि करते थे वहाँ 1971 में उनकी संख्या घटकर 74-3 प्रतिशत रह गई। इसके विपरीत महिलाओं की संख्या जो 1961 में 95-4 प्रतिशत थी, 1971 में बढ़कर 97-4 प्रतिशत हो गई। 1971 में उत्तर प्रदेश में खेती में लगे हुये पुरुषों और महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः 59-10 तथा 34-80 एवं भारत में यही 46-35 तथा 27-93 पाया गया।

3- काम करने की आयु प्रायः 15 से 59 वर्षों के बीच की आँकी जाती है। 1961 में इस आयु वर्ग में जिले की जनसंख्या में 53% लोग आते थे। उनमें भी पुरुष 46% तथा महिलायें 54% थी। 1971 की जनगणना के अनुसार यह प्रतिशत क्रमशः 52, 47 तथा 53 हो गये।

4- उपर्युक्त विवेचन से इतना स्पष्ट हो जाता है कि जिले में राज्य और राष्ट्र की तुलना में कहीं अधिक अनुपात में महिलायें कार्यरत हैं और काम करने वाली स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है तथा खेती के धन्धे में महत्वपूर्ण योगदान महिलाओं से ही मिल रहा है। यह भी अनुभव में आता है कि यहाँ के कृषि कार्य में सिवाय हल लगा देने तथा खेतों की जुताई कर देने के अतिरिक्त पुरुष अन्य कोई भूमिका नहीं निभाता। इस प्रकार जनगणना के अवसर पर जिन पुरुषों ने अपना मुख्य उद्यम खेती लिखवाया थी होगा वे इसी कोटी के अंशकालिक कार्यरत व्यक्ति रहे होंगे।

5- 1961 की जनगणना के अवसर पर जो सर्वेक्षण हुआ था उसके अनुसार जिले में केवल पढ़े लिखे एवं बिना किसी भी योग्यता वाले बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 19 पाई गई जो नगण्य है। ऐसा लगता है कि इस बात का कोई विचार नहीं किया गया कि सूचना लिखाने वाले पुरुष अधिकतर निठल्ले बैठे रहते हैं।

6- वैसे जिले में प्रति कृषक परिवारजोत का औसत आकार एक हैक्टर के लगभग आता है और इतनी भूमि में भरपूर खेती के तरीकों को अपनाने के बाद 5 व्यक्तियों के कुटुम्ब की जीविका मजे से चल सकती है परन्तु इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि

अधिकांश लोग स्वयं खेती न करके भरके एक या डेढ़ फसल हो लेते हैं । लगभग सारे पुरुष मूलतः बेरोजगारों को श्रेणी में आ जाते हैं । 1971 की जनगणना के अनुसार ऐसे व्यक्तियों की संख्या 58,159 है । इनके अतिरिक्त 393 पुरुष एवं 249 स्त्री खेत. हर मजदूरों को भी नहीं छोड़ा जा सकता । इस प्रकार यदि पूर्ण रूप से बेरोजगार न भी रहो परन्तु वर्ष के अधिकांश भाग में बेरोजगार रहने वाले लोगों की संख्या 58,702 आती है जो योजना के अन्त में बढ़कर 61,637 हो जाने का अनुमान है । खेती के धन्धे में लगी कुछ महिलाओं को बेरोजगार नहीं कहा जा सकता क्योंकि वे तो इस समय भी इतना परिश्रम कर रही हैं कि उन्हें और किसी काम के लिये फुरसत हो नहीं मिल पाती ।

7- वैसे तो कुछ आधुनिक ढंग से सघन खेती करके उक्त रोजगार समुदाय अपनी वृत्ति हिनता को स्थिति को दूर कर सकता है परन्तु अनुभव में यह आया है कि खेती के प्रति यहाँ के पुरुष समाज में रुचि नहीं है । वह उसको अलाभकारी धन्धा मानता है । वास्तविकता यह है कि विपणन की सुविधाओं के अभाव में वह पाता है कि अधिक फसल पैदा करके वह घर तो अधिक भरेगा परन्तु उसके हाथ में वह नकद नहीं आ पायेगा जिससे वह दूसरा वह जीवन की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है । अतएवं वह नकद पारिश्रमिक को अधिक पसन्द करता है । यह पारिश्रमिक उसे मजदूरी के रूप में मिल सकता है परन्तु घर से दूर जा कर काम न करने की प्रवृत्ति एवं मार्ग पर आवास आदि की सुविधाओं के अभाव में वह मजदूरी भी अपने गाँवों के निकट ही करना चाहता है । विकास की गति तीव्र होने से जो निर्माण कार्य होंगे उनसे भी गाँवों में रहने वाले लोहारों, राजगीरों और बढ़ईयों तथा अकुशल श्रमिकों को जीविका के अतिरिक्त साधन उपलब्ध हो सकेंगे ।

8- 1961 की जनगणना पुस्तिका में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 67 दी हुई है । 1971-72 में सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत ऐसे व्यक्तियों की संख्या 639 थी जो 1973-74 में 967 हो गई । 1973-74 में क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय ज्यादातर इस नीति के 19० और 1974-75 में 220 लोगों को काम दिलवा सका । शिक्षा प्रसार के साथ पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या निःसन्देह बढ़ेगी परन्तु उसका आकार इतना भीषण नहीं होगा जितना मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलता है । इसका कारण यह है कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र होने के कारण यहाँ विकास की गति अपेक्षाकृत तीव्र होगी जिससे मैदानी भाग की तुलना में यहाँ रोजगार के अवसर अधिक संख्या में सृजित होंगे । चिन्तित करने वाली बात यह है कि जनसंख्या के घनत्व के न्यून होने तथा गाँवों के दूर-दूर दुर्गम स्थानों पर बिखरा होने के कारण यहाँ पढ़े लिखे लोगों को बिजली, पानी, विपणन, संग्रह, उपभोग की वस्तुओं के क्रय विक्रय, परिवहन, संचार आदि आवश्यक सेवाओं के विकास से पर्याप्त उतनी आय न हो सके जिससे कि वे उनके सिलसिले में उत्पन्न होने वाले रोजगार अवसरों की ओर आकर्षित हो सकें ।

9- वर्ष 1973-74 में 4,118 छात्र-छात्रायें उत्तर माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षा पा रही थी । यह मानते हुये कि 48 प्रतिशत व्यक्ति या तो उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे या

महिलायें गृहस्थ जीवन व्यतीत करेंगी तो लगभग 2,470 स्त्री-पुरुष रोजगार की तलाश करेंगे । इसी दर पर पाँचवीं योजना के अन्त तक यह संख्या लगभग 8,600 पहुँच जायेगी । इस प्रकार शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती रहेगी ।

10- जहाँ तक बेरोजगारी का प्रश्न है जिले के दोनों उप सम्भागों में स्थिति लगभग एक सी है ।

11- जिले के औद्योगिक विकास में एक बहुत बड़ी बाधा प्रशिक्षित कुशल कारीगरों की कमी है । अतः बेरोजगार जनशक्ति को औद्योगिक प्रशिक्षण देने हेतु जिले में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने की नितान्त आवश्यकता है । इस बात को मद्देनजर रखते हुये शासन ने जनपद में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया है । इस हेतु वर्ष 1975-76 में 2-50 लाख रुपये परिव्यय निर्धारित किया गया है ।

=====0 0=====

9 न्यूनतम आवश्यकताओं के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम

पंचम पंच वर्षीय योजना में रोजगार के अवसरों के बढ़ने पर भी निर्धन वर्ग इस योग्य नहीं हो सकेगा कि वह अपनी आवश्यकता की वस्तुये एवं सेवायें क्रय करके जीवन का एक न्यूनतम स्तर प्राप्त कर सके। इस कमी को कुछ अनुपूरक कार्यक्रमों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, पीने के पानी की सुविधा, मकान, आवागमन के साधन, वातावरण सम्बन्धी स्वच्छता एवं विद्युतिकरण द्वारा दूर कर न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जायेगा। इन्हीं आधारीय सुविधाओं को ''न्यूनतम कार्यक्रम आवश्यकताओं की पूर्ति का राष्ट्रीय कार्यक्रम'' के रूप में स्वीकार किया गया है।

राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council) ने जिला स्तर पर पंचम पंच वर्षीय योजना में निम्न कार्यक्रमों को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति का राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्वीकार किया है।

1- समस्त बच्चों को आधारिक शिक्षा एवं 60 प्रतिशत बच्चों को आठवीं कक्षा तक की शिक्षा प्रदान किया जाना।

2- सम्पूर्ण ग्रामीण जनता को पेयजल की सुविधा प्रदान किया जाना।

3- ग्रामीण क्षेत्रों में 80 हजार से 1 लाख की जन संख्या पर साज सज्जा युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उपलब्ध कराया जाना तथा प्रत्येक 8,000 से 10 000 की जनसंख्या पर एक उप केन्द्र की स्थापना।

4- 1500 या उससे अधिक की जन संख्या वाले प्रत्येक ग्राम को पूर्णकालिक सड़कों से जुड़ाया जाना।

5- कम से कम 40 प्रतिशत ग्रामीण जन संख्या को विद्युत की सुविधा प्राप्त किया जाना।

6- नगरी क्षेत्र में गन्दी बस्तियों का सुधार।

7- कमजोर वर्ग की गर्भवती महिलाओं, धातृ माताओं एवं स्कूल जाने वाले बच्चों को पौष्टिक आहार की सुविधा का प्रदान कराया जाना।

8- भूमिहीन श्रमिकों को मकानीय भूमि का आवंटन।

जनपद चमोली में उपरोक्त कार्यक्रमों की संक्षिप्त में निम्न प्रकार समीक्षा की गई है।

1- आधारिक शिक्षा:- यह अब सर्वमान्य है कि आर्थिक बाजार में उत्पादकता की वृद्धि का सीधा सम्बन्ध लोगों की शिक्षा प्राप्ति से है। इसी कारण प्रत्येक नागरिक की शिक्षा का एक न्यूनतम निर्धारित स्तर प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है। आधारिक शिक्षा को प्राप्त कराना बुनियादी आवश्यकता है। योजना आयोग के शिक्षा अनुभाग ने निम्न परियोजनाओं को प्रथम स्तर पर न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल किये जाने की संस्तुति की है:-

1- बालिकाओं के लिये कक्षा एक से पांच तक पूरे समय के प्रायमरी स्कूल खोला जाना।

2- छठी कक्षा से आठवीं कक्षा तक पूरे समय के स्कूलों का होना ।

3- प्राइमरी स्कूलों के साथ छठी कक्षा से आठवीं कक्षा तक की क्रमोत्तर कक्षायें ।

4- 11-14 वर्ष की आयु वर्ग के 10 प्रतिशत बच्चों के लिये अल्पकालिक (Part-time) शिक्षा का प्रबन्ध ।

5- प्राईमरी एवं मिडिल कक्षाओं की 25 प्रतिशत अतिरिक्त बालिकाओं को यूनीफार्म एवं उपस्थित भत्ता देकर शिक्षा उपार्जन हेतु प्रोत्साहित करना । प्राइमरी कक्षाओं की 50 प्रतिशत अतिरिक्त बालिकाओं का मुफ्त पुस्तकों की सुविधाओं का दिया जाना, तथा मिडिल कक्षाओं के 50 प्रतिशत अतिरिक्त बच्चों ( बालक एवं बालिका ) को भी यही सुविधा प्रदान किया जाना, और प्राइमरी कक्षाओं के बालकों को दोपहर के भोजन का प्रबन्ध कराया जाना

जनपद में पंचम पंचवर्षीय योजना काल ( 1974-79) में बालक एवं बालिकाओं के लिये प्राईमरी स्कूलों की आवश्यकता निम्न प्रकार से दर्शायी गई है ।

(हजारों में )

| वर्ष 73-74 में 6-11 आयु वर्ग की अनुमानित जनसंख्या | कक्षा 1 से 5 की वर्ष 73-74 में भर्ती | कक्षा 1-5 में वर्ष 78-79 में अनुमानित भर्ती | अतिरिक्त बच्चे जो पंचम योजना काल में स्कूलों में भर्ती हुए होंगे | प्राईमरी स्कूल भवनों का पंचम योजना का लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|
| बालक 26 | 23 | 24 | 1 | 13 |
| बालिकायें 26 | 13 | 24 | 11 | 5 |

पंचम पंचवर्षीय योजना की अवधि में 6-11 वर्ष की आयु वर्ग के 85 प्रतिशत बच्चों को आधारिक शिक्षा सुलभ हो सकेगी ।

2- ग्रामीण पेयजल पूर्ति :- अब तक की प्रगति को देखते हुए यह स्पष्ट विदित होता है कि जनपद में ग्रामीण पेयजल योजना में आंशिक सफलता मिली है । 1971 के जनगणना के अनुसार जनपद में 1639 ग्राम हैं । इनमें से 146 गैरआबाद हैं। शेष 1493 ग्रामों में से वर्ष 1973-74 के अन्त तक, स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा 191 ग्रामों में यह सुविधा प्रदान करायी गई है । सिंचाई विभाग एवं विकास खण्डों द्वारा 510 ग्रामों में पेयजल योजनायें बनायी गई थी जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं । उनका पुनर्गठन एवं विस्तार किया जाना है ।

जनपद के अधिकांश ग्रामों में पाईप द्वारा पानी उपलब्ध किये जाने के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है । जनपद में पेयजल साधनों के उपलब्ध कराये जाने की सम्भावनाओं का विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है ।

| ग्रामों की संख्या | अभावग्रस्त ग्रामों की संख्या 31 मार्च 1974 | ग्रामों की संख्या जिनमें सुविधायें उपलब्ध की जायेंगी: मार्च 1978 तक | मार्च 1979 तक | पांचवी योजना का परिव्यय |
|---|---|---|---|---|
| 1493 | 693 | 191 | 316 | 581-74 |

इस पहाड़ी क्षेत्र में अधिकांश ग्रामों में पानी की सुविधा घरों के निकट नहीं है। कहीं कहीं तो एक मील से अधिक की दूरी से पानी लाना पड़ता है जिससे उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है और उनकी कार्यक्षमता पर विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। पंचम योजना में इसी कठिनाई एवं समस्या को दूर किये जाने का कार्यक्रम है। पंचम पंच वर्षीय योजना के सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त जिले में 478 अभावग्रस्त ग्राम रह जायेंगे। जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर जल सुविधा प्रदान करना होगा।

3:- स्वास्थ्य :- न्यूनतम आवश्यकता के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत पंचम पंच वर्षीय योजना में 80-100 हजार की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 8-10 उपकेन्द्र प्रत्येक 10 हजार की जनसंख्या के सेवार्थ न्यूनतम मानक रखा गया है। परन्तु उपरोक्त मानक केवल मैदानी जिलों में ही लागू हो सकेगा। चमोली जैसे पहाड़ी जनपद में जिसकी आबादी दूर दूर तथा बिखरी हुई है उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा। अतः इसे 35 हजार - 50 हजार जनसंख्या पर आधारित किया गया है।

जनपद की ग्रामीण जनता को इस समय विशेषज्ञ चिकित्सा, सर्जिकल, दन्त चिकित्सा, बच्चों तथा बच्चों तथा रोगों की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अतः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को वर्तमान साज सज्जा से सुसज्जित करना आवश्यक है। जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अपने भवन नहीं हैं, उन्हें भवनों की सुविधा प्रदान कराया जाना तथा रहने के क्वार्टरों की सुविधा का दिया जाना नितान्त आवश्यक है।

वर्तमान समय में किसी भी उपकेन्द्र का अपना भवन नहीं है, उनके भवनों एवं नये खोले जाने वाले उपकेन्द्रों के भवन निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

जनपद की वर्तमान एवं पंचवर्षीय योजना कालकी स्थिति निम्न तालिका में दर्शाई गई है:-

| | चिकित्सालयों की उपलब्धि 1973-74 में | चौथी योजना के अंत में | पांचवी योजना में कार्यक्रम एवं चिकित्सा का परिव्यय (लाख रुपये में) |
|---|---|---|---|
| 1:- प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र | 9 | 9 | 93-26 |
| 2:- एलोपैथिक चिकित्सालय | 22 | 23 | |
| 3:- आयुर्वेदिक चिकित्सालय | 39 | 41 | |
| 4:- होमियोपैथिक चिकित्सालय | 1 | 2 | |

4:- ग्रामीण सड़कें :- साधनों की कमी के कारण जनपद में अभी तक सड़कों एवं पुलों के निर्माण की गति उत्साह वर्धक नहीं रही है। यद्यपि विभिन्न योजनाओं में इस दिशा में प्रगति रही है। जनपद की भौगोलिक दृष्टि एवं सामरिक कारणों से अपनी एक विशेष महत्ता है। रेल संचार व्यवस्था के शून्य होने के कारण भी सड़क निर्माण को प्रोत्साहन एवं प्राथमिकता की आवश्यकता है। क्षेत्रीय असमानता को भी दूर करने पर भी बल दिया जा रहा है। परन्तु यदि तीनों सीमान्त जिलों की तुलना की जाय तो ज्ञात होगा कि चमोली सबसे पिछड़ा जिला है। उक्त तथ्य की पुष्टि निम्न तालिका से होती है :-

| जनपद | मोटर मार्ग प्रति 1000 हजार जनसंख्या | प्रति 100 वर्ग कीलोमीटर |
|---|---|---|
| 1:- चमोली | 2-10 | 7-02 |
| 2:- उत्तरकाशी | 5-29 | 10-57 |
| 3:- पिथौरागढ़ | 2-89 | 13-21 |

जनपद में 500 से अधिक आबादी वाले ग्रामों की संख्या 1971 की जनगणना के अनुसार 79 है जिसमें से 36 ग्रामों को मोटर मार्गों से सम्बद्ध किया जा सका है।

न्यूनतम कार्यक्रम के अनुसार जनपद के 500 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को सड़क से जोड़ने का कार्य पंचम योजना में लिया जाना चाहिये था किन्तु सीमित साधनों को देखते हुए पांचवी योजना में निर्माणाधीन सड़कों को लिया गया है उससे पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा और अधिक से अधिक औद्योगिक एवं विपणन केन्द्र तथा ग्राम क्षेत्र मोटर मार्गों से सम्बद्ध हो सकेंगे। पांचवी योजना के अवधि में 132 कि० मी० मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है। सड़क संचार पर 925-87 लाख रुपये पांचवी योजना में व्यय होने का अनुमान है।

5:- विद्युतीकरण :- किसी ग्राम के निवासियों को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत लाभान्वित तभी माना जायेगा जब कि उसकी आबादी वाले क्षेत्र में एल० टी० लाईन बिछी हो। केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग की परिभाषा के अनुसार विद्युतीकृत ग्रामों को इस श्रेणी में नहीं रखा जायेगा।

जनपद में चौथी योजना के अन्त तक 158 कि० मी० एल० टी० लाईन बिछा कर 3 नगरों और 119 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया जिससे लगभग 15 प्रतिशत जनसंख्या लाभान्वित हुई है। पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु जो कार्यक्रम बनाया गया है वह निम्न तालिका में दर्शाया गया है :-

| 1971 की जनगणना के आधार पर ग्रामों की संख्या | मार्च 31, 1974 तक विद्युतीकरण किये गये ग्राम | वर्ष 1974-75 में विद्युतीकरण विद्युतीकृत ग्राम | 1975-76 में विद्युतीकृत किये जाने वाले ग्रामों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1493 | 119 | 43 | 23 |

6:- पौष्टिक आहार:- राष्ट्रीय योजना है कि प्रारम्भ से ही कुपोषण को दूर किया जाये। इसके लिये आवश्यक है कि कमजोर वर्ग की गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और प्राइमरी स्कूल स्कूल के विद्यार्थियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाये। गत वर्षों में इस हेतु दो प्रकार की योजनायें योजनायें चलाई गई। शिक्षा विभाग के अधीन बालाहार योजना और सामुदायिक विकास विभाग के अन्तर्गत विशेष पौष्टिक आहार योजना। बालाहार योजना के अंतर्गत अब तक 140 अधिक विद्यालयों को शामिल किया जा चुका है। और इसमें 6739 छात्र छात्रायें लाभान्वित हुई हैं। सामुदायिक विकास विभाग की विशेष पौष्टिक आहार योजना जिले के एक विकास खण्ड दशोला में चालू की गई थी। पांचवी योजना में बालाहार योजना के अंतर्गत 25 अतिरिक्त विद्यालय प्रतिवर्ष सम्मिलित करते हुये लगभग 13 हजार छात्र छात्राओं को लाभान्वित किये जाने का अनुमान है। वर्ष 1974-75 में सामुदायिक विकास विभाग की व्यवहारिक पौष्टिक आहार योजना विकास खण्ड धराली में प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अंतर्गत मुख्यतः 300 कैलोरीज तथा 12 ग्राम प्रोटीन युक्त पूरक आहार 20 पैसे की दर से प्रति शिशु/महिला प्रति दिन उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। निर्धारित व्यवहारिक पौष्टिक आहार योजना हेतु पांचवी योजना में 10.46 लाख रुपया परिव्यय निर्धारित है।

7:- भूमिहीन श्रमिकों को किसान बनाने हेतु भूमि का आवंटन :-

---

केन्द्रीय सरकार ने इस योजना को central sector scheme के रूप में अपनाया है और इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकारों को शत प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है। परिवार की परिभाषा में श्रमिक, उसकी पत्नी और आश्रित माता पिता एवं बच्चों को सम्मिलित किया गया है। ऐसे परिवार के लिये 150 वर्ग गज भूमि का आवंटन करने का अनुमान है। प्रदेश सरकार की योजना भी प्रत्येक परिवार को इतनी ही भूमि दिये जाने की है। वर्ष 1974-75 में कमजोर वर्ग के 2406 परिवारों को 407 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया जा चुका है। इस वर्ग के व्यक्तियों को आवंटन करने हेतु 655.6 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है अतः शेष भूमि के आवंटन हेतु शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

---

## 1. कमजोर वर्ग के लिये कार्यक्रम

समाज में कमजोर वर्ग से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जो सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़े हुए हैं और वे अपना विकास कर पाने में असमर्थ हैं। इस श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ी हुई जातियों के अतिरिक्त छोटे छोटे जोतों वाले कृषक, भूमिहीन श्रमिक तथा पैतृक पेशे वाले शिल्पकार आते हैं। जनपद में महिला समाज की दयनीय अवस्था को देखते हुए उन्हें भी इसी श्रेणी में रखा जाना उपयुक्त होगा।

2- 1971 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति, जन जाति एवं महिला सदस्यों की संख्या क्रमशः 49 हजार, 8 हजार तथा 1.51 लाख के लगभग पायी गई जो जनपद की कुल जनसंख्या का क्रमशः 16.9, 2.8 एवं 51.5 प्रतिशत होती है। अनुसूचित जाति के अधिकतर लोग भूमिहीन हैं। जिले की जनसंख्या का लगभग 87 प्रतिशत कृषि एवं सम्बन्धित धन्धों में लगा हुआ है। किन्तु 85 प्रतिशत जोतें एक हेक्टेयर या उससे कम की हैं। जिनसे परिवार की आवश्यकता पूरी करने भर की आय सम्भव नहीं हो पाती। पांचवी पंच वर्षीय योजना के अंतर्गत यों तो सभी वर्गों के लिये पेयजल शिक्षा एवं चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं किन्तु अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों के लिये आवासीय सुविधायें प्राथमिकता के आधार पर जुटायी जाती हैं। वर्तमान समय में ये लोग जिन परिस्थितियों में घास फूस की झोपड़ियों में जीवन निर्वाह कर रहे हैं उसकी कल्पना भी कठिन है। इन लोगों के पास जीविकोपार्जन का कोई साधन भी नहीं है प्रायः सभी भूमिहीन हैं और यह मजदूरी, लोहारगिरी, बढ़ईगिरी तथा अपने पैतृक पेशों से किसी तरह अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। यद्यपि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति दोनों ही आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुये हैं। किन्तु अनुसूचित जाति के लोग अपेक्षाकृत अधिक विपन्नावस्था में हैं। इस वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिये विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पांचवीं योजना के लिये कमजोर वर्ग के लिये जो कार्यक्रम बनाये गये हैं उनका विस्तृत वर्णन विभिन्न परिच्छेदों में किया जा चुका है। यहां उनका संक्षिप्त उल्लेख किया जायेगा।

3- अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ:-

1:- शिक्षा:- कक्षा 10 तक के छात्रों को अभिभावकों की आय को ध्यान में रखते हुए हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। जो छात्र आवासीय

विद्यालयों में अध्ययन करेंगे उनको शुल्क की प्रतिपूर्ति भी किये जाने का प्राविधान है। मेडीकल, इन्जीनियरिंग तथा टक्नोलोजी छात्रों को अनावर्तीय सहायता देने के लिये भी इस योजना में प्राविधान किया गया है किन्तु इसका लाभ छात्र जनपद में प्राविधिक शिक्षा संस्था स्थापित हो जाने के बाद हो पा सकेगे। कक्षा 10 से उपर की शिक्षा के लिये शत प्रतिशत छात्रों को छात्र वृति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है।

2- कृषि विकास अनुदान:- जिन परिवारों के पास थोड़ी बहुत जमीन है उन्हें कृषि विकास अनुदान प्रदान किया जायेगा।

3:- कुटीर उद्योग सहायता:- छोटे उद्योग धन्धे से जीविकोपार्जन हेतु सहायता हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है।

4:- गृह निर्माण अनुदान:- आवास हेतु गृह निर्माण के लिये भी अनुदान दिये जाने का प्राविधान है।

## 4 अनुसूचित जनजाति

अनुसूचित जातियों की तरह जनजातियों को भी उक्त प्रकार की सभी सुविधायें प्रदान किये जाने का प्राविधान है अनुसूचित जन जाति के आर्थिक विकास के लिये 2 बहु धन्धी सहकारी समितियों का गठन किया गया है जिन्हें हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 1974-75 तक 46500रु0 अनुदान तथा ऋण दिया जा चुका है।

5- अन्य पिछड़ी जातियों एवं ऐसे छात्रों जिनके अभिभावकों की मासिक आय 250 रु0 से कम हो को भी छात्र वृति दिये जाने का प्राविधान है

6:- निराश्रित एवं विधवा महिलाओं को जीविकोपार्जन की सुविधा (सिलाई उपकरण के रूप में) तथा सहायक अनुदान (पेन्सन के रूप में) दिये जाने की योजना भी प्रस्तावित है।

7:- उक्त सुविधाओं के अतिरिक्त हरिजन बस्तियों में पेयजल व्यवस्था, विद्युतीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। वर्ष 1973-74 तक 39 हरिजन एवं जनजाति बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। वर्ष 1974-75 में 20 हरिजन बस्तियों को विद्युतीकरण की सुविधा प्रदान की गई और योजना के आगामी वर्षों में विद्युतीकृत किये किये जाने वाले ग्रामों से सम्बद्ध हरिजन तथा जन जाति बस्तियों का विद्युतीकरण साथ साथ किये जाने की नीति निर्धारित की गई है। हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के अतिरिक्त सामुदायिक विकास विभाग द्वारा वर्ष 1973-74 में 50 मकान हरिजनों के आवास हेतु निर्मित किये गये और दो ग्रामों में पेयजल योजना

का निर्माण किया गया। वर्ष 1975-76 में कमजोर वर्ग के 20 परिवारों के लिये स्थलों का विकास करके मकान निर्माण हेतु भूमि प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है। इस हेतु 30 हजार रुपये का प्रावधान है।

8:- उद्योग विभाग द्वारा कुटीर उद्योगों के स्थापना के लिये वर्ष 1973-74 का अनुसूचित जाति के सदस्यों को 37.8 हजार रु. 10 इकाइयों हेतु और जनजाति के सदस्यों को 4.79 हजार रु. 2.81 इकाइयां स्थापित करने हेतु ऋण वितरित किया गया। वर्ष 1974-75 में 5 हजार रु. अनुसूचित जाति के उद्योग पति को एक इकाई स्थापित करने हेतु ऋण प्रदान किया गया। उद्योग विभाग द्वारा ऋण वितरित करने के लिये पिछड़े वर्ग के आवेदन पत्रों को वरीयता दी जाती है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा एक इकाई के स्थापना के लिये 500 रु. जनजाति वर्ग को वर्ष 1975-76 में ऋण देने का प्रस्ताव है।

9:- अनुसूचित जाति जन जाति तथा कमजोर वर्ग के 2406 परिवारों को वर्ष 1975-76 में 407 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया जा चुका है। इस वर्ग के व्यक्तियों को आवंटित करने हेतु 8553.6 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है। अतः शेष भूमि के आवंटन हेतु शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

10:- अनुसूचित जाति तथा जनजाति की बस्तियों में पेयजल सुविधा प्रदान किये जाने का भी प्रावधान है। सार्वजनिक स्वा. अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जिन ग्रामों में पेयजल योजना का निर्माण किया जायेगा उनसे संबद्ध कमजोर वर्ग की इन बस्तियों में भी पेयजल सुविधायें उपलब्ध कराई जावेंगी।

11:- शासन के वर्तमान निर्णय के अनुसार कमजोर वर्ग के ऋण ग्रस्त व्यक्तियों को पुराने ऋणों और बंधक मजदूरों को प्रथा से मुक्ति मिल सकेगी।

## *जनजाति विकास ( Tribal Development)*

इस सीमान्त जनपद में भोटिया जनजाति निवास करती है, जो 1967 में भारत सरकार ने इस जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित किया है। इस जनजाति की जनपद में कुल जन जनसंख्या 1971 की जनगणना के आधार पर 8-0 हजार आंकी गई है। यह जनजाति जनपद की दुर्गम घाटियों में निवास करती है। इनके मूल निवास नीति व माणा घाटी में हैं। ये लोग गर्मियों में विकास खण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत अपने मूल ग्रामों में निवास करते हैं तथा सर्दियों में विकास खण्ड दशोली एवं कर्णप्रयाग के अन्तर्गत अलकनन्दा के दोनों ओर अपने निश्चित पड़ावों में रहते हैं। इनका पैतृक पेशा भेड़ बकरी पालन, कताई बुनाई तथा तिब्बत से व्यापार रहा है। नीती व माणा घाटी में अपने मूल ग्रामों में अधिक रूप से कृषि भी करते आये हैं।

सन 1960 से पूर्व इनका तिब्बत से व्यापार चलता रहा है तथा इनकी आजीविका सुचारू रूप से चलती रही, लेकिन 1960 के बाद भारत चीन युद्ध के फलस्वरूप इनका तिब्बत व्यापार ठप्प हो गया तथा इनकी आजीविका को काफी क्षति पहुंची। इनमें जो हरिजन भोटिया थे उनकी स्थिति और भी खराब हुई। भेड़ बकरी चारागाह क्षेत्र भी दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। 1970 की अलकनन्दा की भयंकर बाढ़ से इनके आवास स्थलों को बहुत क्षति हुई है। इसलिये इन लोगों की स्थिति और भी दयनीय हो गई है।

वैसे तो पिछड़ी हुई जातियों के कल्याण अध्याय में भोटिया जनजाति के विकास के प्रस्तावित परियोजनाओं पर विस्तृत प्रकाश डाला गया तथा पांचवी पंचवर्षीय योजना में आवश्यक धनराशि की माँग का प्रस्ताव है, फिर भी इनके जीवन स्तर को जनपद के सामान्य जीवन स्तर पर लाने के लिये चालू योजनाओं के अलावा कुछ अन्य विशेष प्रकार की परियोजनायें कार्यान्वित करनी आवश्यक होंगी जिसका विवरण इस प्रकार है :-

1 :- प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना,

अ- लोहार गिरी
ब- बढ़ईगिरी -
उनी उद्योग।
द- सिलाई कार्य आदि।

2 :- कि मार्गों का निर्माण जो अभी तक सम्पर्क मोटर मार्गों से नहीं मिल पाये हैं, वहां कि मार्गों का निर्माण किया जाना चाहिये।

3:- चिकित्सा सुविधा :- ग्राम नीमी, एवं सुराईटोला, आदि में चैकित्सालय स्थापित करने की आवश्यकता है।

4:- आधारिक विद्यालयों की स्थापना :- ग्राम करमेया, रेवलया(गाजोपुर) एवं तेन्दुहा में एक एक आधारिक विद्यालय स्थापना की मांग की। इनमें शाखा विद्यालय संचालित हो रहे हैं।

5:- बोड़ बकरी क्रय हेतु ऋण की व्यवस्था :- जिन भोटिया परिवारों के पास भी. बकरी नहीं हैं और वे इस कारोबार को करना चाहते हैं तो बैंकों निगम में उनके ब्याज की दर से भेड़ बकरी क्रय हेतु ऋण की व्यवस्था होनी चाहिये।

6:- ऋण से मुक्ति :- भोटिया जनजाति के कुछ हरिजन भोटिया परिवार ऐसे हैं जो सदियों से कर्ज में लदे हुये हैं। इनका शासन के स्तर से कर्ज किये जाने तथा कर्ज से मुक्ति दिलाने की आवश्यकता थी। शासन की वर्तमान नीति से उन्हें बहुत बड़ी राहत मिल जायेगी।

7:-भोटिया लोगों का पुनर्वास एवं भूमि व्यवस्था :- भोटियाओं क्षेत्र के कुछ ग्राम की भूमि सैनिक अधिकार में ले ली गई है। अतः भूमिहीन परिवारों को तराई क्षेत्र में बसाया जाय। कुछ शिल्पकार परिवार जिनका पैतृक पेशा कृषि कार्य नहीं रहा लेकिन अब वे कृषि करना चाहते हैं उन्हें भी तराई भाबर में भूमि दी जाय तथा पूर्णरूप से पुनर्वासित किया जाय।

8:-शासकीय सेवाओं में आरक्षण:-जनजाति के युवकों के लिये शासकीय सेवाओं में 2 प्रतिशत आरक्षण है इनकी वैकल्पिक स्थिति को देखते हुये दो प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत का आरक्षण कर दिया जाय।

9:- अधिकारी एवं कर्मचारियों के आवास व्यवस्था :-जनजाति क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों को शासन की ओर से आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाय ताकि वे लोग पूर्ण लगन से कार्य कर सकें।

10:-जनजाति क्षेत्र में विद्युतीकरण :- पांचवी पंच वर्षीय योजना में जनजाति जनजाति क्षेत्रों में के गांवों में प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण किया जाय।

11:-सिंचाई सुविधाओं का विस्तार :-विकास विभाग द्वारा सिंचाई सुविधाओं के लिये राजकीय सहायता दी जाती है। इनकी कृषि योग्य भूमि में प्राथमिकता के आधार पर सिंचाई के साधनों की व्यवस्था होनी चाहिये।

उक्त प्रकार की विशिष्ट परियोजनाओं के कार्यान्वयन से जनजाति समुदाय का विकास सम्भव हो सकेगा।

--- - ---

## (12) – पर्वतीय क्षेत्र का विकास

विकास के विभिन्न कार्य क्षेत्रों में तथा आधारभूत सम्बन्धित सुविधाओं को देखते हुये यह स्पष्ट है कि पर्वतीय क्षेत्र राज्य के अन्य भागों की अपेक्षा काफी पिछड़ा हुआ है। जनपद चमोली भी अन्य पर्वतीय जिलों की तुलना में भी काफी पिछड़ा है। राज्य सरकार की नीति अन्तर क्षेत्रीय तथा जिले के अन्दर सम्भागीय विषमतायें दूर करने की है। यद्यपि इस उद्देश्य की पूर्ति सिमित साधनों एवं अन्य कठिनाईयों के कारण केवल पंचवर्षीय योजना में कर पाना सम्भव नहीं है, तथापि इन्हीं उद्देश्यों एवं उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुये पर्वतीय क्षेत्र के जिला चमोली के लिये जो कार्यक्रम बनाये गये है उन्हें मोटे तौर पर दो भागों में बाँटा जा सकता है।

1- उत्पादक कार्य क्रम ( Productive Programme )
2- कल्याणकारी कार्य क्रम ( Amenities Programme )

उत्पादक कार्य क्रम में कृषि, उद्यान, पशुपालन, उद्योग और पर्यटन को लिया गया है। आगामी 5 वर्षों में जनपद कम से कम खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्म निर्भरता प्राप्त करले इसे ध्यान में रखकर कृषि की योजना बनाई गई है। इसके लिये अधिक उपज देने वाली बीजों से आच्छादन, रासायनिक उर्वरकों का समुचित प्रयोग, आलू, सोयाबीन, तिलहन तथा अन्य नकदी फसलों के लिये विकास की योजना बनाई गई है। इस समय जनपद में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 8-1 % भाग में खेती की जाती है जिसका लगभग 3-6 % सिंचित है। आगामी 5 वर्षों में 118 लाख रुपये की लागत से राजकीय साधनों द्वारा 620 हैक्टर और अन्य लघु सिंचाई साधनों द्वारा 847 हैक्टर सिंचन क्षमता सृजित किये जाने का प्रस्ताव है। पूरे सिंचित क्षेत्रफल में सघन कृषि पद्धति अपना कर खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाया जायेगा। सोयाबीन का 1973-74 का क्षेत्रफल लगभग 186 हैक्टर है जिसे पंचम योजना में बढ़ाकर 1500 है० करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार आलू, जो इस जनपद के उच्च स्थानों पर एक की मुख्य नकदी फसल के रूप में उगाया जाता है। 1973-74 के 2807 है० क्षेत्रफल को बढ़ाकर 3086 है० करने का लक्ष्य है।

उद्यानों के अन्तर्गत 46300 है० क्षेत्रफल को आगामी 5 वर्षों में बढ़ाकर 7100 है० किया जायेगा। यह भूमि अधिकांश कृषि भूमि से ली जायेगी। वे उद्यान जो इस पंचवर्षीय योजना में लगाये जायेंगे फल देने की स्थिति में तो इस अवधि में नहीं आयेंगे किन्तु जो पहले के उद्यान लगाये गये है उनके फलद देने की स्थिति ( fruit bearing ) में आ जाने के कारण फलों का 1973-74 उत्पादन 5000 मै०टन है वह पंचम योजना के अन्त तक बढ़कर 13300 मै०टन हो जायेगा। इसके अतिरिक्त 1440 है० में सब्जी उत्पादन का कार्य क्रम भी बनाया गया है।

लघु पशुपालन के क्षेत्र में आगामी पंचवर्षीय योजना काल में अब तक स्थापित 5 कुक्कुट प्रसार केन्द्रों का कुक्कुट प्रक्षेत्रों में पुनर गठन तथा एक नया कुक्कुट प्रक्षेत्र खोले जाने का प्राविधान है। इस योजना में जनपद में एक भेड़ फार्म की स्थापना की जायेगी।

के जिसमें 300 गायें व 6 सांड रखे जावेंगे । इसी प्रकार जिले में ऊन उत्पादन वृद्धि के लिये 4-665 लाख रुपये की लागत से वर्तमान 13 भेड़ा केन्द्रों को भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों के रूप में परिवर्तित किया जावेगा और 33-212 लाख रुपये की लागत से एक सघन भेड़ फार्म की स्थापना की जावेगी ।

जिले में लघु उद्योगों की इस समय छोटी बड़ी 85 ईकाईयाँ जिले में कार्यरत हैं जिन्हें बढ़ाकर 160 इकाईयाँ करने का कार्यक्रम बनाया गया है । औद्योगिक विकास हेतु बनाये गये कार्यक्रम से लगभग 200 कुशल कारीगरों तथा 500 अकुशल कारीगरों को भी रोजगार मिलेगा ।

जिले में रेशम - टसर विकास की भी योजना बनाई गई है । योजना की अवधि में रेशम योजना के अन्तर्गत 6 हजार किलोग्राम कोया और टसर योजना के अन्तर्गत 1-50 लाख कोया उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है दोनों प्रकार की योजनाओं में 100 व्यक्तियों को भी प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है ।

उद्योग और पशुपालन की जो विकास योजनायें बनाई गई हैं वे अधिकांश रूप में वनों पर ही आधारित रहेंगी क्योंकि चरागाह तथा चारा के अतिरिक्त उद्योगों के लिये कच्चा माल वनों से ही प्राप्त होगा । इस समय जनपद में कुल क्षेत्रफल का लगभग 54 % भाग वनों से आच्छादित है जिनमें बांज, चीड़, देवदार, बुरांस, कांजु, रिंगाल, भोजपत्र, अखरोट, किलमोड़ा आदि के वन हैं । इनके अतिरिक्त अधिक ऊंचाई में विभिन्न किस्म के क्षेत्रों में बहुमूल्य वनौषधियाँ तथा विशाल बुग्याल हैं । उद्योग और पशुपालन क्षेत्र में इनका उपयोग किया जाता है और इसी दृष्टि से वन सम्पदा एवं उन पर आधारित उद्योगों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है ।

पर्यटन विकास का जिले के औद्योगिक विकास से सीधा सम्बन्ध है । किन्तु पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये अच्छी संचार व्यवस्था, साफ सुथरे आकर्षक एवं सस्ते दर के होटलों की व्यवस्था, आवासीय सुविधा आदि का होना आवश्यक है । पांचवीं योजना में पर्यटन विकास पर 127-94 लाख रुपये व्यय करने का प्राविधान किया गया है । पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के साथ स्थानीय औद्योगिक इकाईयों द्वारा निर्मित सामान, फल, दूध आदि की बिक्री बढ़ेगी जिससे स्थानीय जनता को रोजगार का अवसर मिलेगा ।

कल्याण कारी कार्यक्रम
================

सर्वप्रथम आवश्यकता पेयजल की अनुभव की की गई है जिसके लिये आगामी पंचवर्षीय योजनाकाल में जिले के 683 अभावग्रस्त ग्रामों में से 125 ग्रामों जिनकी जनसंख्या 81000 है में स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग द्वारा पेयजल योजना बनाकर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी । इस कार्यक्रम पर 581-74 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य के लिये जिले में 72 चिकित्सालय उपलब्ध है और पाँचवीं योजना की अवधि में 4 चिकित्सालय और स्थापित किये जायेंगे । 36 मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र भी कार्यरत है । सभी चिकित्सालयों को आधुनिक साज सज्जा से युक्त किया जाने का प्रयास किया जायेगा ।

शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा के लिये योजना यह बनाई गई है कि 6-11 वर्ष की आयु के 85% बालक बालिकाओं के लिये शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था हो जाये । इस हेतु जनपद में कार्यरत 542 विद्यालयों के अतिरिक्त 13 विद्यालय पाँचवीं योजना में स्थापित किये जायेंगे । शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने की दृष्टि से 14 जू०हा० और 10 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाँचवीं योजना में प्रस्तावित किये गये हैं ।

यातायात एवं संचार व्यवस्था के सुधार हेतु योजनायें बनाई गई हैं । इसके अन्तर्गत प्रयास यह किया गया है कि अधिक से अधिक औद्योगिक एवं विपणन केन्द्र तथा उत्पादन क्षेत्र को मोटर मार्ग से सम्बद्ध किया जावे । पाँचवीं योजना में 132 कि०मी० नये मोटर मार्गों का निर्माण प्रस्तावित है । संचार व्यवस्था पर 925-87 लाख रुपये व्यय किये जाने का अनुमान है ।

उद्योगों का विकास विद्युत विकास पर अवलम्बित है । इसके अतिरिक्त ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिये आवश्यक है कि इन गाँवों को बिजली से जोड़ा जाय । पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में 750 कि०वाट क्षमता की माइक्रोहाइडिल स्कीम चालू हो जायेगी इससे जनपद की विद्युत की आवश्यकता को पूरा किया जा सकेगा । पाँचवीं योजना के अन्त तक 66 ग्रामों का विद्युतीकरण पूर्ण हो जाने की आशा हैं ।

पिछड़ी जातियों के विकास के लिये उनकी आवास व्यवस्था जीविकोपार्जन के लिये कृषि विकास अनुदान, कुटीर उद्योग अनुदान आदि का प्राविधान किया गया है । शिक्षा प्रसार के लिये छात्रवृत्ति शिक्षण शुल्क की क्षतिपूर्ति का भी प्रस्ताव है । इस प्रकार पिछड़े समुदाय के उत्थान हेतु इस योजना में 31-97 लाख रुपयें का प्राविधान हरिजन तथा समाज कल्याण की ओर से किया गया है । इसके अतिरिक्त अन्य विभागों द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले कार्यों में इस वर्ग के कल्याणकारी कार्य क्रम प्रस्तावित किये गये हैं जिनका विस्तृत उल्लेख अध्याय दस में किया जा चुका है ।

भूमि उपयोग के वर्तमान ढाँचे में कोई विशेष परिवर्तन का कार्य क्रम नहीं है । राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कृषि का उद्यानों में वन की भूमि नहीं ली जानी है । उद्यानों का क्षेत्रफल भी कृषि कृषि के अन्दर ही अनुपयोगी भूमि से लिया जायेगा ।

विबरण पत्र

फार्म पत्र -1

जिला - चमोली

पांचवीं योजना में परिव्यय (हजार रुपयों में)

| क्र० सं० | कार्यक्रम | पांचवीं योजना परिव्यय [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1- कृषि | | | | | | | | |
| | क- कृषि विभाग | 3568 | 350 | - | 2960 | - | - | 6878 |
| | ख- बागवानी तथा फलोपयोग | 11648 | - | - | 2432 | 371 | - | 14451 |
| | ग- भण्डारण एवं विपणन (भण्डारागार निगम) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2- लघु सिंचाई | | | | | | | | |
| | (1)- निजी | 1210 | - | - | - | - | - | 1210 |
| | (2)- राजकीय | 11200 | - | - | - | - | - | 11200 |
| 3- | भूमि एवं जल संरक्षण | 1228 | - | - | 1875 | - | - | 3103 |
| 4- | पशुपालन | 21224 | 530 | - | - | - | - | 21754 |
| 5- | दुग्ध विकास | 80 | - | - | - | - | - | 80 |
| 6- | मत्स्य | 118 | - | - | - | - | - | 118 |
| 7- वन | | | | | | | | |
| | (1)- वानिकी | 17713 | - | - | - | - | - | 17713 |
| | (2)- भूमि संरक्षण | 7400 | - | - | - | 1030 | - | 8430 |
| 8- सामुदायिक विकास कार्यक्रम | | | | | | | | |
| | क- पंचायत राज | 153 | - | - | 18 | - | - | 171 |
| | ख- सामुदायिक विकास कार्यक्रम | 87 | - | - | - | - | - | 87 |
| | ग- प्रादेशिक विकास दल | 38 | - | - | 500 | - | - | 538 |
| | घ- ग्रामीण अभियंत्रण सेवायें | - | - | - | - | - | - | - |
| | योग कृषि एवं सहकारी कार्यक्रम - | 75667 | 830 | - | 7335 | 1331 | - | 85732 |

( हजार रुपयों में)

| क्र० सं० | वर्ष 1974-75 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | परिव्यय | | | | | | | व्यय | | | | | | |
| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1- | | | | | | | | | | | | | | |
| क- | 335 | - | - | 340 | - | - | 675 | 35 | - | - | 340 | - | - | 375 |
| ख- | 331 | - | - | 421 | 52 | - | 804 | 522 | - | - | 421 | 34 | - | 977 |
| ग- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2- | | | | | | | | | | | | | | |
| (1)- | 390 | - | - | - | - | - | 390 | 341 | - | - | - | - | - | 341 |
| (2)- | 920 | - | - | - | - | - | 920 | 202 | - | - | - | - | - | 202 |
| 3- | 381 | - | - | 375 | - | - | 756 | 567 | - | - | 375 | - | - | 942 |
| 4- | 617 | - | - | - | - | - | 617 | 227 | - | - | - | - | - | 227 |
| 5- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6- | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7- | | | | | | | | | | | | | | |
| (1)- | 881 | - | - | - | - | - | 881 | 885 | - | - | - | - | - | 885 |
| (2)- | 475 | - | - | - | 200 | - | 675 | 472 | - | - | - | 224 | - | 696 |
| 8- | | | | | | | | | | | | | | |
| क- | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| ख- | 9 | - | - | - | - | - | 9 | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| ग- | 2 | - | - | 2 | - | - | 4 | 2 | - | - | 2 | - | - | 4 |
| घ- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| योग | 4361 | - | - | 1138 | 252 | - | 5751 | 3267 | - | - | 1138 | 258 | - | 4663 |

| क्र0 सं0 | 1975-76 का परिव्यय | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | राज्य आयोजनागत | पंचायत | राज्य निगमों/प्रतिष्ठानों द्वारा पूंजी निवेश | जनयोगदान | केन्द्र द्वारा पूर्ण नियोजित | बैंक द्वारा वित्त | योग |
| 1 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1- | | | | | | | |
| क- | 283 | 70 | - | 2622 | - | - | 2975 |
| ख- | 875 | - | - | 535 | 50 | - | 1460 |
| ग- | - | - | - | - | - | - | - |
| 2- | | | | | | | |
| (1)- | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
| (2)- | 1140 | - | - | - | - | - | 1140 |
| 3- | 242 | - | - | 375 | - | - | 617 |
| 4- | 1747 | - | - | - | - | - | 1747 |
| 5- | - | - | - | - | - | - | - |
| 6- | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
| 7- | | | | | | | |
| (1)- | 545 | - | - | - | - | - | 545 |
| (2)- | 1000 | - | - | - | 200 | - | 1200 |
| 8- | | | | | | | |
| क- | 20 | - | - | 6 | - | - | 26 |
| ख- | 33 | - | - | - | - | - | 33 |
| ग- | 3 | - | - | 108 | - | - | 111 |
| घ- | - | - | - | - | - | - | - |
| योग :- | 6108 | 70 | - | 3646 | 250 | - | 10074 |

(हजार रुपयों में)

| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9- सहकारिता | 1170 | 3330 | - | 1440 | 206 | - | 6146 |
| 10- सिंचाई | - | - | - | - | - | - | - |
| 11- बाढ़ नियंत्रण | - | - | - | - | - | - | - |
| 12- (क)-विद्युत | - | - | - | - | - | - | - |
| (ख)-ग्रामीण विद्युतीकरण | - | - | - | - | - | - | - |
| योग जल एवं विद्युत विकास | - | - | - | - | - | - | - |
| 13- वृहत उद्योग | - | - | - | - | - | - | - |
| 14- खनिकर्म एवं धातु उद्योग | 500 | - | - | - | - | - | 500 |
| 15- ग्रामीण एवं लघु उद्योग | | | | | | | |
| (1)- लघु उद्योग | 3015 | 740 | 300 | 400 | - | - | 4455 |
| (2)- खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड | - | 1107 | - | - | - | - | 1107 |
| (3)- हथकरघा | 524 | - | - | - | - | - | 524 |
| योग उद्योग एवं धातु उद्योग | 4039 | 1847 | 300 | 400 | - | - | 6586 |
| 16- सड़क एवं सेतु | 92587 | - | - | - | - | - | 92587 |
| 17- सड़क एवं सड़क परिवहन | - | - | - | - | - | - | - |
| 18- पर्यटन | 12794 | - | - | - | - | - | 12794 |
| योग यातायात संचार | 105381 | - | - | - | - | - | 105381 |
| 19- शिक्षा | 2233 | - | - | - | - | - | 2233 |
| 20- प्राविधिक शिक्षा | - | - | - | - | - | - | - |
| 21- वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध | - | - | - | - | - | - | - |
| 22- चिकित्सा<br>23- जन स्वास्थ्य | 2570 | - | - | - | 6957 | - | 9527 |
| 24- (क)-जल सम्पूर्ति | 47049 | 11125 | - | - | - | - | 58174 |
| (ख)- पेय जल (सामुदायिक विकास) | - | - | - | - | - | - | - |
| 25- आवास | | | | | | | |
| क- भवन निर्माण | - | 518 | - | - | - | - | 518 |
| ख- अन्य | - | - | - | - | - | - | - |
| 26- शहरी विकास | - | - | - | - | - | - | - |
| 27- सूचना एवं प्रचार | - | - | - | - | - | - | - |

(हजार रुपये)

| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9- | 182 | 2550 | - | 345 | - | - | 3077 | - | 5348 | - | 489 | - | - | 6337 |
| 10- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11- | 22 | - | - | - | - | - | 52 | 90 | - | - | - | - | - | 90 |
| 12-(क) | - | - | - | - | - | - | - | 592 | - | - | - | - | - | 592 |
| (ख)- | 629 | - | - | - | - | - | 629 | 1191 | - | - | - | - | - | 1191 |
| योग | 681 | - | - | - | - | - | 681 | 1373 | - | - | - | - | - | 1373 |
| 13- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14- | 25 | - | - | - | - | - | 25 | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 15- | | | | | | | | | | | | | | |
| (1)- | 253 | - | 278 | - | - | - | 531 | 253 | - | 278 | - | - | - | 531 |
| (2)- | - | 224 | - | - | - | - | 224 | - | - | - | - | - | - | - |
| (3)- | 134 | - | - | - | - | - | 134 | 61 | - | - | - | - | - | 61 |
| योग | 412 | 224 | 278 | - | - | - | 914 | 324 | - | 278 | - | - | - | 602 |
| 16- | 10605 | - | - | - | - | - | 10605 | 11286 | - | - | - | - | - | 11286 |
| 17- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18- | 638 | - | - | - | - | - | 638 | 638 | - | - | - | - | - | 638 |
| योग | 11243 | - | - | - | - | - | 11243 | 11924 | - | - | - | - | - | 11924 |
| 19- | 112 | - | - | - | - | - | 112 | 137 | - | - | - | - | - | 137 |
| 20- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22-) 23-) | 349 | - | - | - | 1051 | - | 1400 | 212 | [illegible] | - | - | 673 | - | 885 |
| 24-(क) | 3509 | - | - | - | - | - | 3509 | 5101 | - | - | - | - | - | 5101 |
| (ख) | 20 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
| 25- | | | | | | | | | | | | | | |
| (क)- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (ख)- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(हजार रु० में)

| 1 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9- | 61 | 2930 | - | 485 | - | - | 3476 |
| 10- | - | - | - | - | - | - | - |
| 11- | - | - | - | - | - | - | - |
| 12-(क) | 500 | - | - | - | - | - | 500 |
| (ख)- | 1911 | - | - | - | - | - | 1911 |
| योग | 2411 | - | - | - | - | - | 2411 |
| 13- | - | - | - | - | - | - | - |
| 14- | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 15- | | | | | | | |
| (1)- | 155 | 378 | 22 | 16 | - | - | 571 |
| (2)- | - | 175 | - | - | - | - | 175 |
| (3)- | 81 | - | - | - | - | - | 81 |
| योग | 246 | 553 | 22 | 16 | - | - | 837 |
| 16- | 8890 | - | - | - | - | - | 8890 |
| 17- | - | - | - | - | - | - | - |
| 18- | 2287 | - | - | - | - | - | 2287 |
| योग | 11177 | - | - | - | - | - | 11177 |
| 19- | 301 | - | - | - | - | - | 301 |
| 20- | - | - | - | - | - | - | - |
| 21- | - | - | - | - | - | - | - |
| 22-23- | 428 | - | - | - | 883 | - | 1311 |
| 24- | | | | | | | |
| क- | 3750 | 3063 | - | - | - | - | 6813 |
| ख- | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| 25- | | | | | | | |
| क- | - | - | - | - | - | - | - |
| ख- | - | - | - | - | - | - | - |
| 26- | - | - | - | - | - | - | - |
| 27- | - | - | - | - | - | - | - |

(हजार रु० में)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-(क) प्रशिक्षण एवं सेवा योजना | | - | - | - | - | - | - | - |
| (ख)-श्रम कल्याण | | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
| 29- पिछड़ी जातियों जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | | 1128 | - | - | - | 1830 | - | 3008 |
| 30- समाज कल्याण | | 189 | - | - | - | - | - | 189 |
| 31- पौष्टिक आहार | | 766 | 42 | - | - | 238 | - | 1046 |
| 32- अन्य सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें | | - | - | - | - | - | - | - |
| योग, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवायें | | 53955 | 11685 | - | - | 9075 | - | 74715 |
| 33- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें (अर्थ एवं संख्या प्रभाग) | | 134 | - | - | - | - | - | 134 |
| 34- विकास अनवेषण एवं प्रयोग प्रभाग | | 87 | - | - | - | - | - | 87 |
| योग | | 221 | - | - | - | - | - | 221 |
| महायोग | | 240433 | 17742 | 300 | 9675 | 10632 | - | 278782 |

=====0 0 0 =====

(हजार रु० में)

| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-(क) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (ख)- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29- | 27 | - | - | - | १० | - | 37 | 421 | - | - | - | - | - | 421 |
| 30- | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 31- | - | 13 | - | - | 60 | 0-4 | 73-4 | - | 13 | - | - | 60 | 0-4 | 73-4 |
| 32- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| योग | 4022 | 13 | - | - | 1121 | 0-4 | 5156-4 | 5893 | 13 | - | - | 733 | 0-4 | 6639-4 |
| 33- | 24 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 34- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| योग | 24 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| महायोग | 20925 | 2787 | 278 | 1483 | 1373 | 0-4 | 26346-4 | 23381 | 5861 | 278 | 1627 | 991 | 0-4 | 32038-4 |

=====0 0 0 =====

(हजार रु० में)

| 1 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-(क) | 250 | - | - | - | - | - | 250 |
| (ख)- | - | - | - | - | - | - | - |
| 29- | 633 | - | - | - | 412 | - | 1045 |
| 30- | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 31- | - | 6 | - | - | 60 | - | 66 |
| 32- | - | - | - | - | - | - | - |
| योग | 5397 | 3069 | - | - | 1355 | - | 9821 |
| 33- | 35 | - | - | - | - | - | 35 |
| 34- | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
| योग | 52 | - | - | - | - | - | 52 |
| महायोग | 25452 | 6622 | 22 | 4147 | 1605 | - | 37848 |

=====0 0 0 =====

रूप पत्र - 2

जिला चमोली पाँचवीं योजना का कार्य क्रम - भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ

| क्र0 सं0 | मद | इकाई | 31-3-69 तक स्थिति | 31-3-74 तक स्थिति | पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य | वर्ष 1974-75 की उपलब्धियाँ | वर्ष 1975-76 का लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1- | कृषि | | | | | | |
| (1)- | भौगोलिक क्षेत्रफल | हजार है0 | 912-8 | 912-8 | 912-8 | 912-8 | 912-8 |
| (2)- | शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल | ,, | 55-8 | 55-8 | 53-7 | 55-8 | 55-6 |
| (3)- | एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल | ,, | 27-7 | 35-3 | 44-1 | 37-1 | 39-3 |
| (4)- | कुल बोया गया क्षेत्र | ,, | 83-5 | 91-1 | 97-8 | 92-9 | 94-9 |
| (5)- | वनों के अन्तर्गत क्षेत्र | ,, | 496-0 | 496-0 | 496-0 | 496-0 | 496-0 |
| (6)- | कृषि योग्य बंजर भूमि | ,, | 13-9 | 13-1 | 12-7 | 12-9 | 12-7 |
| (7)- | ऊसर और कृषि के अयोग्य भूमि | ,, | 309-0 | 309-0 | 309-0 | 309-0 | 309-0 |
| (8)- | कृषि के अतिरिक्त उपयोग में लाई गई भूमि | ,, | 8-5 | 8-5 | 8-5 | 8-5 | 8-5 |
| (9)- | अन्य उद्यानों/वृक्षों की फसल का क्षेत्र | ,, | 3-8 | 4-6 | [illegible]-1 | 4-8 | 5-2 |
| (10)- | स्थायी चरागाह और अन्य चरागाह | ,, | 25-8 | 25-8 | 25-8 | 25-8 | 25-8 |
| (11)- | वर्तमान परती भूमि | ,, | - | - | - | - | - |
| (12)- | अन्य पुरानी परती भूमि | ,, | - | - | - | - | - |
| (13)- | खरीफ फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र | ,, | 54-3 | 54-5 | 53-2 | 54-5 | 54-2 |
| (14)- | रबी फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र | ,, | 29-2 | 36-6 | 44-6 | 38-4 | 40-7 |
| (15)- | जायद फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र | ,, | - | 0-01 | 0-02 | 0-02 | 0-01 |
| (16)- | फसल सघनता | प्रतिशत | 6-1 | 6-1 | 5-9 | 6-1 | 6-1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (17)- खरीफ के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र | हजार है० | 1-65 | 2-04 | 3-00 | 2-06 | 2-08 |
| (18)- रबी के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र | ,, | 1-53 | 2-04 | 2-80 | 2-04 | 2-04 |
| (19)- जायद के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र | ,, | - | 0-01 | 0-02 | 0-01 | 0-01 |
| (20)- सकल सिंचित क्षेत्र | ,, | 3-28 | 4-09 | 5-82 | 4-11 | 4-13 |
| (21)- शुद्ध सिंचित क्षेत्र | ,, | 1-65 | 2-04 | 3-00 | 2-06 | 2-08 |
| (22)- सिंचाई की सघनता | प्रतिशत | | | | | |
| 1- शुद्ध सिंचित क्षेत्र शुद्ध बोये गये क्षेत्र के % में | % | 2-9 | 3-6 | 5-6 | 3-7 | 3-7 |
| 2- कुल सिंचित क्षेत्र कुल बोये गये क्षेत्र के प्रतिशत में | % | 3-8 | 4-5 | 6-0 | 4-4 | 4-4 |
| (23)- कृषि योग्य भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से | प्रतिशत | 7-5 | 7-4 | 7-2 | 7-4 | 7-4 |
| (24)- शुद्ध बोये गये क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र से प्रतिशत | प्रतिशत | 6-1 | 6-1 | 5-9 | 6-1 | 6-1 |
| (25)- विभिन्न स्रोतों के द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र | हजार हैक्टर | | | | | |
| 1- नहरों - | ,, (राज्य) | 0-30 | 0-34 | 1-00 | 0-36 | 0-38 |
| 2- राजकीय नलकूपों | ,, ,, | - | - | - | - | - |
| 3- निजी नलकूपों | ,, | - | - | - | - | - |
| 4- अन्य (ताल, हौज, व पम्पसेट) | ,, | 1-35 | 1-70 | 2-00 | 1-70 | 1-70 |
| (26)- अधिक उपजशील किस्मों के बीजों का वितरण :- | | | | | | |
| 1- एक्जोटिक किस्में | कुन्तल | 100 | 218 | 700 | 316 | 202 |
| 2- [illegible] किस्में | ,, | 65 | 459 | 25 | 30 | 75 |
| (27)- अधिक उत्पादन वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र | हजार है० | | | | | |
| (क)- एक्जोटिक किस्में - | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (1) धान | हजार है0 | 0-46 | 1-67 | 2-10 | 1-56 | 1-9[illegible] |
| | (2) मक्का | ,, | 0-14 | 0-06 | 0-30 | 0-13 | 0-25 |
| | (3) बाजरा | ,, | - | - | - | - | - |
| | (4) गेहूँ | ,, | 0-90 | 2-17 | 4-95 | 2-46 | 4-39 |
| | (ग)- स्थानीय किस्में | हजार हैक्टर | | | | | |
| | (1)- धान | ,, | 2-15 | 2-64 | 5-00 | 2-62 | 2-78 |
| | (2)- मक्का | ,, | 0-09 | 0-18 | 0-95 | 0-15 | 0-31 |
| | (3)- बाजरा | ,, | - | - | - | - | - |
| | (4)- गेहूँ | ,, | 2-33 | 2-40 | 5-00 | 2-75 | 3-62 |
| | (5)- ज्वार | ,, | - | - | - | - | - |
| (28)- | प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र | हजार है0 | | | | | |
| | (क)- खाद्यान्न | | | | | | |
| | (1)- धान | हजार है0 | 18-[illegible] | 21-[illegible] | 25-0 | 24-0 | 24-7 |
| | (2)- कोदो सा | ,, | 8-6 | 8-5 | 7-0 | 8-0 | 7-3 |
| | (3)- मडुवा | ,, | 19-7 | 17-1 | 11-7 | 14-0 | 13-5 |
| | (4)- मक्का | ,, | 0-7 | 0-7 | 0-9 | 0-7 | 0-7 |
| | (5)- गेहूँ | ,, | 19-0 | 25-6 | 31-3 | 26-6 | 27-7 |
| | (6)- जौ | ,, | 7-7 | 7-3 | 7-0 | 7-3 | 7-3 |
| | योग | ,, | 73-3 | 80-3 | 82-9 | 80-6 | 81-2 |
| | (ख)- दाल | | | | | | |
| | (1)- उर्द | ,, | 0-16 | 0-17 | 0-18 | 0-17 | 0-17 |
| | (2)- मूँग | ,, | - | - | - | - | - |
| | (3)- चना | ,, | - | - | 0-05 | 0-04 | 0-04 |
| | (4)- मटर | ,, | - | - | 0-16 | 0-11 | 0-13 |
| | (5)- अरहर | ,, | - | - | - | - | - |
| | (6)- अन्य (मसूर, भट्ट) | | 2-14 | 2-14 | 2-61 | 2-18 | 2-31 |
| | योग | हजार है0 | 2-30 | 2-51 | 3-00 | 2-50 | 2-65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ग)- वाणिज्यिक फसलें | | | | | | | |
| | (1)- मूंगफली | हजार है0 | - | - | - | - | - |
| | (2)- लाही/सरसों | ,, | - | 0-23 | 0-80 | 0-34 | 0-67 |
| | (3)- सूरजमुखी | ,, | - | 0-02 | 0-60 | 0-04 | 0-60 |
| | (4)- सोयाबीन | ,, | - | 0-19 | 1-50 | 0-53 | 1-00 |
| | (5)- अन्य तिलहन | ,, | 1-86 | 1-61 | 0-90 | 1-57 | 0-77 |
| | (6)- गन्ना | ,, | - | - | - | - | - |
| | (7)- आलू | ,, | 2-42 | 2-81 | 3-08 | 2-37 | 2-93 |
| | (8)- तम्बाकू | ,, | 0-26 | 0-26 | 0-26 | 0-26 | 0-26 |
| | (9)- अन्य (सागभाजी आदि) | ,, | 2-57 | 2-37 | 2-35 | 2-37 | 2-36 |
| | योग | ,, | 7-11 | 7-49 | ~~9-49~~ 9-49 | 7-75 | 8-59 |

(29)- मुख्य फसलों का उत्पादन

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (क)- खाद्यान्न | | | | | | | |
| | (1)- धान | हजार मि0टन | 19-0 | 21-1 | 29-5 | 25-0 | 26-6 |
| | (2)- झंगोरा | ,, | 5-2 | 5-2 | 4-9 | 4-9 | 4-7 |
| | (3)- मडुवा | ,, | 15-8 | 10-2 | 8-2 | 8-7 | 8-7 |
| | (4)- मक्का | ,, | 0-4 | 0-4 | 0-7 | 0-5 | 0-5 |
| | (5)- गेहूँ | ,, | 13-0 | 30-7 | 39-1 | 32-5 | 34-2 |
| | (6)- जौ | ,, | [illegible]-0 | 4-4 | 4-9 | 4-7 | 4-7 |
| | योग | ,, | 59-4 | 72-0 | 87-3 | 76-3 | 79-4 |
| (ख)- दालें | | | | | | | |
| | (1)- उर्द | ,, | 0-08 | 0-08 | 0-09 | 0-08 | 0-08 |
| | (2)- मूंग | ,, | - | - | - | - | - |
| | (3)- चना | ,, | - | - | 0-03 | 0-02 | 0-02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (4)- मटर | हजार मी0टन | - | - | 0-08 | 0-05 | 0-06 |
| | (5)- अरहर | ,, | - | - | - | - | - |
| | (6)- अन्य | ,, | 1-06 | 1-07 | 1-45 | 1-12 | 1-22 |
| | योग | ,, | 1-14 | 1-15 | 1-65 | 1-27 | 1-38 |
| | (ग)- वाणिज्यिक फसलें | | | | | | |
| | (1)- मूँगफली | ,, | - | - | - | - | - |
| | (2)- लाही/सरसों | ,, | - | 0-06 | 0-29 | 0-08 | 0-17 |
| | (3)- सूरजमुखी | ,, | - | 0-006 | 0-180 | 0-012 | 0-180 |
| | (4)- सोयाबीन | ,, | - | 0-09 | 0-75 | 0-15 | 0-50 |
| | (5)- अन्य तिलहन | ,, | 0-26 | 0-20 | 0-15 | 0-19 | 0-11 |
| | (6)- गन्ना | ,, | - | - | - | - | - |
| | (7)- आलू | ,, | 19-38 | 22-50 | 29-93 | 24-40 | 25-70 |
| | (8)- तम्बाकू | ,, | 0-08 | 0-08 | 0-08 | 0-08 | 0-08 |
| | (9)- अन्य | ,, | 1-00 | 0-95 | 1-01 | 0-97 | 0-99 |
| | ([illegible])- कुल खाद्यान्न उत्पादन | | 61-54 | 74-19 | 90-71 | 78-69 | 82.27 |
| | (30)- पौध सुरक्षा के अन्तर्गत क्षेत्र | हजार है0 | 15-00 | 30-10 | 40-00 | 18-80 | 40-00 |
| | (31)- भूमि संरक्षण | | | | | | |
| | (1)- कृषि भूमि में | ,, (राज्य) | - | 1-040 | 1-500 | 0-304 | 0-300 |
| | (2)- रेवाइन्स में | ,, ,, | - | - | - | - | - |
| | (32)- जलग्रस्त | ,, ,, | - | - | - | - | - |
| | (33)- रासायनिक उर्वरक का वितरण | मी0टन (राज्य) | | | | | |
| | (1)- नत्रजन (N) कृषि विभाग | ,, | 45 | 86 | 294 | 87 | 286 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ख- सहकारिता विभाग | मी0टन (राज्य) | - | - | - | - | - |
| | ग- ऐग्रो | | - | - | - | - | - |
| | घ- अन्य सहकारी समितियाँ | ,, | - | - | - | - | - |
| | ङ- प्राइवेट ऐजेन्सीज | ,, | - | - | - | - | - |
| | (2)- फास्फेटिक ($P_2O_5$) | ,, | | | | | |
| | क- कृषि विभाग | ,, | 27 | 76 | 220 | 47 | 220 |
| | ख- सहकारिता विभाग | ,, | - | - | - | - | - |
| | ग- ऐग्रो | ,, | - | - | - | - | - |
| | घ- अन्य सहकारी समितियाँ | ,, | - | - | - | - | - |
| | ङ- प्राइवेट एजेन्सीज | ,, | - | - | - | - | - |
| | (3)- पोटाश ($K_2O$) | ,, | | | | | |
| | क- कृषि विभाग | ,, | 18 | 15 | 147 | 13 | 140 |
| | ख- सहकारिता विभाग | ,, | - | - | - | - | - |
| | ग- ऐग्रो | ,, | - | - | - | - | - |
| | घ- अन्य सहकारी समितियाँ | ,, | - | - | - | - | - |
| | ङ- प्राइवेट ऐजेन्सीज | ,, | - | - | - | - | - |
| | (4)- कम्पोस्ट खाद का उत्पादन | हजार मी0 टन | 600 | 625 | 621 | 302 | 587 |
| | (5)- हरी खाद के अन्तर्गत क्षेत्र | हैक्टर | - | - | 300 | 66 | 250 |
| 3 4)- | नियन्त्रित बाजार | संख्या (राज्य) | - | - | - | - | - |
| 3 5)- | उन्नत बीज का वितरण | हजार मी0टन (राज्य) | | | | | |
| | क- उर्वरक | | | | | | |
| | (1)- कृषि विभाग | ,, | 0-26 | 0-26 | 0-40 | 0-26 | 0-26 |
| | (2) सहकारिता विभाग | ,, | - | - | - | - | - |
| | (3)- अन्य (प्राइवेट हाउसेज) | ,, | - | - | - | - | - |
| | योग :- | ,, | 0-26 | 0-25 | 0-40 | 0-26 | 0-26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (ख) खाद्यान्न | | | | | | |
| | (1)- सहकारिता विभाग | हजार मी०टन (राशि) | 0-5[illegible] | 1-04 | 1-04 | 1-04 | 1-04 |
| | (2)- खाद्य निगम | ,, | - | - | - | - | - |
| | (3)- अन्य (पूर्ति विभाग) | ,, | 2-6 | 4-62 | 4-62 | 4-62 | 4-62 |
| | योग :- | ,, | 3-1 | 5-66 | 5-66 | 5-66 | 5-66 |
| | (36)- कृषि औद्योगिक निगम के माध्यम से उपकरणों का वितरण - | संख्या (राज्य) | | | | | |
| | (1)- पम्प सैट | ,, | - | - | - | - | - |
| | (2)- शक्ति चालित टिलर्स | ,, | - | - | - | - | - |
| | (3)- ट्रैक्टर्स | ,, | - | - | - | - | - |
| | (4)- अन्य (विवरण दीजिये) | ,, | - | - | - | - | - |
| | (37)- कृषि सेवा केन्द्रों की संख्या | | | | | | |
| | (1)- कृषि उद्योग निगम | ,, | - | - | - | - | - |
| | (2)- सहकारिता | ,, | - | - | - | - | - |
| | (3)- कृषि विभाग द्वारा | ,, | - | - | 1 | - | - |
| | (4)- अन्य | ,, | - | - | - | - | - |
| | 2- बागवानी क्षेत्र, पौध सुरक्षा के अन्तर्गत क्षेत्र | | | | | | |
| | (1)- फल | हजार है० | 3-007 | 4-600 | 2-500 | 0-204 | 0-450 |
| | (2)- शाक भाजी | ,, | 1-213 | 1-240 | 0-200 | 0-090 | 0-035 |
| | (3)- कीटाणु रोधक | ,, | 0-455 | 10-328 | 5-550 | 0-474 | 1-000 |
| | (4)- फल उत्पादन | हजार मी० टन | | | | | |
| | क- सेब, नाशपाती, आड़ू, अखरोट आदि | ,, | 1-875 | 2-800 | 13-300 | 4-500 | 9-300 |
| | ख- आम, पपीता, नारंगी आदि | ,, | 1-625 | 2-200 | | 2-500 | |
| | ग- अन्य (फलों के नाम दीजिए) | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3- | पशुपालन | | | | | | |
| (1)- | कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र | संख्या (राज्य) | - | - | 1 | 1 | - |
| (2)- | कृत्रिम गर्भाधान की संख्या | ,, | - | - | | | |
| (3)- | कृत्रिम गर्भाधान उप-केन्द्र | ,, | - | - | | - | - |
| (4)- | स्टाक मैन सेन्टर (पशु सेवा केन्द्र) | ,, | - | - | 6 | 4 | - |
| (5)- | राजकीय कुक्कुट फार्म | ,, | 47 | 47 | - | - | - |
| (6)- | सहकारी कुक्कुट फार्म | ,, | - | - | 1 | - | - |
| (7)- | पशु चिकित्सालय / औषधालय | ,, | - | - | - | - | - |
| (8)- | भेड़ एवं ऊन विस्तार केन्द्र | ,, | 10 | 10 | [illegible] | - | - |
| (9)- | सघन पशु विकास खण्ड | ,, | - | - | 9 | - | |
| (10)- | चारे की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र | ,, | - | - | - | - | |
| | | हजार है0 (राज्य) | 0-330 | 0-050 | 0-232 | 0-150 | 0-058 |
| (11)- | पशुओं की बीमारियों की रोक थाम | संख्या | | | | | |
| | 1-एच0एस0 | ,, | 4,434 | 24339 | | 31106 | - |
| | 2- ब्लैक्वार्टर | ,, | 5,582 | 32499 | - | 10800 | - |
| | 3- रिंडर पेस्ट | ,, | 2,097 | 51367 | - | 36553 | - |
| 4- | मत्स्य | | | | | | |
| (1)- | नावों का यंत्रीकरण | संख्या (राज्य) | - | - | - | - | - |
| (2)- | प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियाँ | ,, | - | - | - | - | - |
| (3)- | अंगुलिकाओं का लाभ फिंगरलिंग | (राज्य) | - | - | - | - | - |
| (4)- | मत्स्य बीज फार्म | संख्या (राज्य) | - | - | - | - | - |
| (5)- | मछली उत्पादन | मी0टन | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5- वन | | | | | | | |
| | (1)- वन विभाग के प्रबन्ध के अन्तर्गत कुल क्षेत्र | हजार हैं० (राज्य) | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| | (2)- वर्क प्लान क्षेत्र | ,, | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| | (3)- आर्थिक महत्व के वृक्षों का क्षेत्र | ,, | 20 | 65 | 1-0 | 0-11 | 0-15 |
| | (4)- जल्दी उगने वाले वृक्षों का क्षेत्र | ,, | - | - | - | - | - |
| | (5)- ईंधन वृक्षों का क्षेत्र | ,, | 4-7 | 71-9 | - | - | - |
| | (6)- भूमि संरक्षण के अन्तर्गत क्षेत्र | ,, | 0-97 | 1-39 | 7-4 | 0-23 | 0-56 |
| | (7)- सड़कों की लम्बाई | कि०मी० | | | | | |
| | 1- सरफेस्ड | ,, | - | - | - | - | - |
| | 2- अनसरफेस्ड | ,, | 35 | 95 | 45 | 3 | - |
| | (8)- रेवाइन रिक्लेमेशन | हजार हैं० (राज्य) | - | - | - | - | - |
| | (9)- वर्क प्लान के बाहर क्षेत्र | ,, | - | - | - | - | - |
| 6- सिंचाई | | | | | | | |
| | (1)- लघु सिंचाई | | | | | | |
| | क- निजी लघु सिंचाई | | | | | | |
| | 1- पक्के कुएं | संख्या | - | - | - | - | - |
| | 2- ट्यूब वेल/बोरिंग | ,, | - | - | - | - | - |
| | 3- रहट | ,, | - | - | - | - | - |
| | 4- नलकूप | ,, | - | - | - | - | - |
| | 5- पम्प सेट | ,, | - | 7 | 30 | 1 | 8 |
| | 6- बंधी | हेक्टेयर | - | - | - | - | - |
| | 7- पहाड़ी क्षेत्र में नालियाँ | कि०मी० (राज्य) | 220 | 304 | 165 | 6 | 25 |
| | 8- पहाड़ी क्षेत्रों में हौज निर्माण | संख्या (राज्य) | 534 | 745 | 690 | 43 | 160 |
| | 9- सिंचन क्षमता का सृजन | हजार हैं० | 1-5 | 1-98 | 0-847 | 0-138 | 0-195 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ख- | राजकीय लघु सिंचाई | | | | | | |
| | (1)- नलकूप | संख्या (राज्य) | - | - | - | - | - |
| | (2)- कुल निर्मित (पर्वतीय नहरें) | कि0मी0 (राज्य) | 92 | 98 | 35-50 | 1-25 | 11-75 |
| | (3)- अन्य (डाल सिंचाई योजना) | संख्या (राज्य) | - | - | 2 | - | - |
| | (4)- पर्वतीय नहरों का आधुनिकीकरण | कि0मी0 (राज्य) | 5 | - | 29-6 | - | - |
| | (5)- सिंचन क्षमता का सृजन | हजार है0 (राज्य) | 1-49 | 1-58 | 0-62 | 0-08 | 0-06 |
| ग- | मौजूदा सिंचन क्षमता में ह्रास | | | | | | |
| | (1)- निजी लघु सिंचाई | हजार है0 (राज्य) | - | - | 0-12 | 0-10 | 0-10 |
| | (2)- राजकीय लघु सिंचाई | ,, | - | - | 0-10 | 0-08 | 0-08 |
| | योग :- | ,, | - | - | 0-22 | 0-18 | 0-18 |
| घ- | कुल उपलब्ध शुद्ध क्षमता | | | | | | |
| | (1)- निजी लघु सिंचाई | ,, | 1-50 | 1-98 | 2-50 | 1-92 | 2-01 |
| | (2)- राजकीय लघु सिंचाई | ,, | 1-49 | 1-58 | 1-94 | 1-58 | 1-56 |
| | योग :- | ,, | 2-99 | 3-56 | 4-44 | 3-50 | 3-57 |
| 2 - | बृहत एवं मध्यम सिंचाई | | | | | | |
| | (1) सिंचन क्षमता का सृजन | हजार है0 (राज्य) | - | - | - | - | - |
| | (2)- नहर निर्माण | कि0मी0 (राज्य) | - | - | - | - | - |
| | [illegible] | | | | | | |
| 3 - | सिंचन क्षमता का वास्तविक उपयोग | | | | | | |
| | (1)- निजी लघु सिंचाई | हजार है0 (राज्य) | 1-35 | 1-70 | 2-00 | 1-70 | 1-70 |
| | (2)- राजकीय लघु सिंचाई | ,, | 0-30 | 0-34 | 1-00 | 0-36 | 0-38 |
| | (3)- बृहत एवं मध्यम सिंचाई | ,, | - | - | - | - | - |
| | योग :- | ,, | 1-65 | 2-04 | 3-00 | 2-06 | 2-08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 - उद्योग | | | | | | | |
| (1)- औद्योगिक इकाइयों की स्थापना | संख्या | | | | | | |
| क- संगठित | | | | | | | |
| (1)- फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत | ,, | - | - | - | - | - | |
| (2)- अन्य | ,, | 16 | 85 | 75 | 15 | 15 | |
| ख- असंगठित | ,, | 300 | 350 | 150 | 15 | 15 | |
| (2)- रोजगार में लगे व्यक्तियों की संख्या | | | | | | | |
| क- संगठित क्षेत्रों में - | | | | | | | |
| (1)- फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत इकाइयों में | संख्या | - | - | - | - | - | |
| (2)- अन्य | संख्या | 50 | 275 | 300 | 60 | 60 | |
| ख- असंगठित क्षेत्रों | ,, | 750 | 875 | 375 | 35 | 40 | |
| (3)- उत्पादित वस्तुओं का मूल्य | | | | | | | |
| क- संगठित क्षेत्र | हजार रुपयों | 150 | 550 | 750 | 225 | 230 | |
| ख- असंगठित क्षेत्र | ,, | 150 | 200 | 375 | 75 | 75 | |
| 4- औद्योगिक आस्थान - | | | | | | | |
| (1)- संख्या | संख्या | - | - | - | - | - | |
| (2)- शेडों का निर्माण | ,, | - | - | - | - | - | |
| (3)- कार्यरत इकाइयाँ | ,, | - | - | - | - | - | |
| 5- हथकरघा उद्योग | | | | | | | |
| क- हथकरघों की संख्या | संख्या | - | - | - | - | - | |
| ख- सहकारी क्षेत्र में हथकरघों की संख्या | ,, | - | - | - | - | - | |
| ग- बुनकरों की सहकारी समितियों का गठन | संख्या | - | - | - | - | - | |
| घ- हैण्डलूम क्षेत्र में उत्पादन | लाख मी० | - | - | - | [illegible] | - | |
| 6- रेशम उद्योग | | | | | | | |
| कोकून का उत्पादन | टन | 0-2 | 2-8 | 6-0 | 1-27 | 1-0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7- | ऊन उद्योग | | | | | | |
| | क- दस्तकारों की संख्या | संख्या | 1000 | 1250 | 50 | 5 | 5 |
| | ख- सहकारी क्षेत्र में दस्तकारों की संख्या | ,, | - | - | - | - | - |
| | ग- बुनकरों की सहकारी समितियों का गठन | ,, | - | - | 5 | 1 | 1 |
| | घ- ऊनी वस्त्र का उत्पादन | मी०टन | 6-0 | 7-5 | 1-5 | 0-3 | 0-3 |
| 8- | बृहद मात्रा में उत्पादन करने वाली इकाइयाँ | | | | | | |
| | क- चीनी मिल | | | | | | |
| | (1)- संख्या | संख्या (राज्य) | - | - | - | - | - |
| | (2)- उत्पादन | टन हजार में (राज्य) | - | - | - | - | - |
| | (3)- रोजगार में लगे व्यक्ति | संख्या हजार (राज्य) | - | - | - | - | - |
| | ख- वस्त्र मिल | | | | | | |
| | (1)- संख्या | संख्या (राज्य) | - | - | - | - | - |
| | (2)- उत्पादन | लाख मीटर (राज्य) | - | - | - | - | - |
| | (3)- कार्यरत व्यक्ति | संख्या (राज्य) | - | - | - | - | - |
| 9- | सहकारिता :- | | | | | | |
| | (1)- बैंक | | | | | | |
| | क- जिला सहकारी बैंक :- | | | | | | |
| | (1)- बैंकों की संख्या | संख्या (राज्य) | 1 | 1 | - | - | - |
| | (2)- शाखाओं की संख्या | ,, | 1 | 3 | 1 | - | 1 |
| | (3)- अंशपूँजी | हजार रुपयों (राज्य) | 325 | 557 | 40 | 56 | 10 |
| | (4)- कार्यशील पूँजी | ,, | 14,44 | 41,92 | - | 576 | - |
| | (5)- जमा धनराशि | ,, | 251 | 342 | 600 | 57 | 300 |
| | (6)- ऋण वितरण | ,, | | | | | |
| | क- अल्पकालीन | ,, | 435 | 2160 | 2200 | 2614 | 2000 |
| | ख- मध्यकालीन | ,, | 207 | 319 | 1130 | 346 | 930 |
| | ग- भूमि विकास बैंक | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (1)-शाखा की संख्या | संख्या (राज्य) | - | - | - | - | - |
| | (2)- दीर्घकालीन ऋण वितरण | हजार रु० (राज्य) | - | - | - | - | - |
| 2- | प्रारम्भिक ऋण समितियाँ | | | | | | |
| | (1)- समितियों की संख्या | संख्या (राज्य) | 140 | 135 | - | - | - |
| | (2)- सदस्यता | हजार में | 34 | 40 | 6 | 2 | 2-5 |
| | (3)-अंशपूंजी | हजार रु० में (राज्य) | 711 | 1240 | 120 | 162 | 50 |
| | (4)- कार्यशील पूंजी | ,, | 1321 | 4811 | - | 795 | - |
| | (5)- जमा धनराशि | ,, | 140 | 212 | 600 | 102 | 300 |
| | (6)-अल्पकालीन ऋण वितरण | ,, | | | | | |
| | क- नकद | ,, | 498 | 1301 | 2200 | 2497 | 2000 |
| | ख- वस्तु के रूप में | ,, | 5 | 105 | - | 115 | - |
| | (7)-मध्यकालीन ऋण वितरण | ,, | 244 | 450 | 1130 | 1214 | 930 |
| 3- | क्रय विक्रय समितियाँ | | | | | | |
| | (1)-समितियों की संख्या | संख्या | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | (2)-सदस्यता | संख्या हजार | 0-1 | 0-1 | 0-013 | - | - |
| | (3)- निजी पूंजी | हजार रु० | 74 | 134 | - | 3 | - |
| | (4)- विपणन की गई वस्तुओं का मूल्य | ,, | - | - | - | - | - |
| | क- उर्वरक | ,, | - | - | - | - | - |
| | ख- बीज | ,, | - | - | - | - | - |
| | ग- खाद्यान्न | ,, | 295 | 556 | - | 388 | 5 |
| | घ- अन्य | ,, | - | - | - | - | - |
| 4- | सहकारी विपणन समितियाँ | | | | | | |
| | (1)-समितियों की संख्या | संख्या | - | - | - | - | - |
| | (2)- सदस्यता | ,, हजार में | - | - | - | - | - |
| | (3)- निजी पूंजी | हजार रु० में | - | - | - | - | - |
| | (4)- विपणन की गई वस्तुओं का मूल्य | ,, | - | - | - | - | - |
| | ~~(5)~~ | | | | | | |
| 5- | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5- | उपभोक्ता सहकारी समितियाँ | | | | | | |
| | (1)- समितियों की संख्या | संख्या | 8 | 12 | - | - | - |
| | (2)- सदस्यता | संख्या हजार | 2 | 2 | - | - | - |
| | (3)- निजी पूँजी | हजार रु० | 22 | 61 | - | - | - |
| | (4)- विक्रय की गई वस्तुओं का मूल्य | ,, | 170 | 1373 | - | 1134 | - |
| 6- | (सि.क्षेत्र) सहकारी दुग्ध समितियाँ | | | | | | |
| | (1)- समितियों की संख्या | संख्या | - | - | - | - | - |
| | (2)- सदस्यता | ,, | - | - | - | - | - |
| | (3)- निजी पूँजी | हजार रु० | - | - | - | - | - |
| | (4)- वितरण की गई दूध की मात्रा | ,, लीटर में | - | - | - | - | - |
| 7- | अन्य समितियाँ :- | | | | | | |
| | (1)- समितियों की संख्या | संख्या | 3 | 5 | 2 | 1 | - |
| | (2)- सदस्यता | हजार में | 0-3 | 0-4 | 0-04 | 0-02 | - |
| 8- | गन्ना समितियाँ :- | | | | | | |
| | (1)- समितियों की संख्या | संख्या | - | - | - | - | - |
| | (2)- सदस्यता | हजार में | - | - | - | - | - |
| | (3)- अंश पूँजी | हजार रु० | - | - | - | - | - |
| | (4)- कार्यशील पूँजी | ,, | - | - | - | - | - |
| | (5)- जमा धनराशि | ,, | - | - | - | - | - |
| 9- | व्यावसायिक बैंक :- | | | | | | |
| | (1)- अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कार्यालयों की संख्या | संख्या | 1 | 4 | अप्राप्त | 2 | अप्राप्त |
| | (2)- प्रति बैंक कार्यालय पर जनसंख्या | हजार में | 234 | 75 | ,, | 52 | ,, |
| | (3)- अनुसूचित व्यावसायिक बैंक में जमा धनराशि | लाख रु० में | 7 | 35 | ,, | अप्राप्त | अप्राप्त |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (4)- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वितरित ऋण | लाख रूपये | 5 | 2 | अप्राप्त | अप्राप्त | अप्राप्त |
| | (5)- प्रति व्यक्ति जमा धनराशि | रूपयों में | 2-50 | 11-60 | ,, | ,, | ,, |
| | (6)- प्रति व्यक्ति दिया गया ऋण | ,, | - | 0-67 | ,, | ,, | ,, |
| 9- | विद्युत | | | | | | |
| | 1- विद्युत का उपभोग | किलोवाट घण्टे (राज्य) | अप्राप्त | 7,62,487 | - | 7,33,363 | - |
| | 2- विभिन्न कार्यों में विद्युत का उपभोग | | | | | | |
| | (1)-घरेलू एवं वाणिज्य | ,, | ,, | 6,61,532 | - | 6,22,533 | - |
| | (2)-औद्योगिक | ,, | ,, | 1,[illegible],955 | - | 1,60,775 | - |
| | (3)-कृषि, सिंचाई कार्यों को सम्मिलित करते हुये | ,, | ,, | - | - | - | - |
| | (4)- अन्य | ,, | ,, | - | - | - | - |
| | 3- उपरोक्त मदों (1-4) में प्रति व्यक्ति उपभोग | ,, | ,, | 2-5 | - | 2-5 | - |
| | 4- वितरण लाइनों की लम्बाई:- | | | | | | |
| | (1)- हाइ टैन्शन लाइन:- | | | | | | |
| | 11 के0वी0 | किमी0(राज्य) | ,, | 262 | - | 28 | 40 |
| | 33 के0वी0 | ,, ,, | ,, | - | - | - | - |
| | अन्य | ,, ,, | ,, | - | - | - | - |
| | (2)-लो टैन्शन लाइन | ,, ,, | ,, | 153 | - | 51 | - |
| | 5- विद्युतीकृत ग्राम :- | | | | | | |
| | (1)- संख्या | संख्या ,, | 22 | 119 | - | 43 | 23 |
| | (2)- कुल ग्रामों से प्रतिशत | प्रतिशत ,, | 1-4 | 7-6 | - | 10-8 | 12-3 |
| | 6- हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण | संख्या ,, | अप्राप्त | 39 | - | 20 | 20 |

7-

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7- | औद्योगिक कनेक्शन | | | | | | |
| | (1)- ग्रामीण | संख्या (राज्य) | अप्राप्त | 30 | - | 5 | - |
| | (2)- अन्य शहरी | ,, ,, | ,, | 8 | - | 1 | - |
| 8- | विद्युतीकृत ट्यूबवेल/ पम्प सेटों की संख्या | | | | | | |
| | (1)- राजकीय | ,, ,, | ,, | - | - | - | - |
| | (2)- निजी | ,, ,, | ,, | - | - | - | - |
| | (3)- अन्य | ,, ,, | ,, | - | - | - | - |
| 10- | सड़कें | | | | | | |
| | (1)- रेलवे लाइनों की लम्बाई | कि0मी0(राज्य) | - | - | - | - | - |
| | (2)- समतल सड़कों की लम्बाई:- | | | | | | |
| | 1- राष्ट्रीय राज मार्ग | कि0मी0(राज्य) | - | - | - | - | - |
| | 2- प्रदेशिक राज मार्ग | ,, ,, | 209 | 209 | - | - | - |
| | 3-मुख्य जिला सड़कें<br>4- अन्य जिला सड़कें<br>5-ग्रामीण सड़कें | ,, ,, | 432 | 432 | 132 | - | 22 |
| | (3)- पक्की सड़कों से जुड़े ग्रामों की संख्या | संख्या ,, | 214 | 214 | - | 214 | - |
| | (4)- ग्रामों की संख्या जो पक्की सड़कों से जुड़े नहीं हैं लेकिन 3 कि0मी0 की पक्की सड़कों के अन्दर हैं। | संख्या | 459 | 459 | - | 459 | - |
| | (5)- सड़कों की लम्बाई जिस पर बसें चलती हैं:- | | | | | | |
| | 1- निजी | कि0मी0(राज्य) | 531 | 530 | - | 530 | - |
| | 2- राज्य की रोडवेज बसें | ,, ,, | - | 131 | - | 131 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (6)- पंजीकृत बसें :- | | | | | | | |
| | (1)- निजी बसें | संख्या(राज्य) | 343 | 381 | 109 | 452 | - |
| | (2)- राज्य की रोड वेज बसें | ,, ,, | - | 4 | - | 4 | - |
| 11- शिक्षा :- | | | | | | | |
| 1- विद्यालयों की संख्या | | | | | | | |
| क- नगरीय | | | | | | | |
| | (1)- बेसिक स्कूल | संख्या(राज्य) | 11 | 12 | - | 3 | - |
| | (2)- सीनियर बेसिक स्कूल | ,, | 3 | 3 | - | - | - |
| | (3)- हायर सेकेन्डरी स्कूल | ,, | 2 | 3 | 5 | - | 9 |
| | (4)- डिग्री कालेज | ,, | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | (5)- विश्व विद्यालय | ,, | - | - | - | - | - |
| ख- ग्रामीण :- | | | | | | | |
| | (1)- बेसिक स्कूल | संख्या(राज्य) | 507 | 530 | 13 | 22 | 10 |
| | (2)- सीनियर बेसिक स्कूल | ,, | 49 | 64 | 14 | 5 | 6 |
| | (3)- हायर सेकेन्डरी स्कूल | ,, | 19 | 32 | 5 | 3 | - |
| | (4)- डिग्री कालेज | ,, | - | - | - | 1 | - |
| | (5)- विश्व विद्यालय | ,, | - | - | - | - | - |
| 2- छात्रों | | | | | | | |
| क- योग | | | | | | | |
| | (1)- बेसिक स्कूल | हजार में (संख्या) | 23-1 | 36-1 | 43-5 | 39-7 | 40-0 |
| | आयु वर्ग का प्रतिशत | % | 63 | 68 | 85 | 72 | 73 |
| | (2)- सीनियर बेसिक स्कूल | हजारों (राज्य) | 5-7 | 7-5 | 14-0 | 8-4 | 9-4 |
| | आयु वर्ग का प्रतिशत | % | 28 | 31 | 49 | 32 | 34 |
| | (3)- हायर सेकेन्डरी स्कूल | हजारों (राज्य) | 2-7 | 4-1 | 14-0 | 4-2 | 4-3 |
| | आयु वर्ग का प्रतिशत | % | 11 | 15 | 35 | 15-2 | 15-6 |
| | (4)- डिग्री कालेज | हजारों | 0-1 | 0-2 | 0-5 | 0-3 | 0-4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-(ख)- बालिकायें | | | | | | | |
| | (1)-बेसिक स्कूल | हजार में (राज्य) | 5-5 | 12-9 | 24-2 | 14-1 | 14-9 |
| | (2)-सीनियर बेसिक स्कूल | ,, | 0-5 | 1-5 | 6-0 | 1-1 | 1-2 |
| | (3)-हायर सेकेण्डरी स्कूल | ,, | 0-2 | 0-4 | 4-0 | 0-3 | 0-4 |
| | (4)-डिग्री कालेज | ,, | - | 0-05 | 0-1 | 0-1 | 0-04 |
| | (5)-विश्वविद्यालय | ,, | - | - | - | - | - |
| (ग)-अनुसूचित जाति/जनजाति | | | | | | | |
| | (1)-बेसिक स्कूल | हजार में (राज्य) | 4-2 | 5-9 | 3-0 | 6-2 | 6-3 |
| | (2)-सीनियर बेसिक स्कूल | हजार में (राज्य) | 0-6 | 1-0 | 1-5 | 1-1 | 1-2 |
| | (3)-हायर सेकेण्डरी स्कूल | ,, | 0-2 | 0-4 | 0-3 | 0-5 | 0-5 |
| | (4)-डिग्री कालेज | ,, | 0-01 | 0-02 | 0-2 | 0-03 | 0-05 |
| | (5)-विश्वविद्यालय | ,, | - | - | - | - | - |
| 3-शिक्षक शिष्य अनुपात | | | | | | | |
| | (1)-बेसिक स्कूल | अनुपात (राज्य) | 1:25 | 1:30 | 1:40 | 1:31 | 1:32 |
| | (2)-सीनियर बेसिक स्कूल | ,, | 1:15 | 1:15 | 1:30 | 1:15 | 1:15 |
| | (3)-हायर सेकेण्डरी स्कूल | ,, | 1:10 | 1:12 | 1:25 | 1:12 | 1:12 |
| 12- प्राविधिक शिक्षा | | | | | | | |
| 1- | (1)-इन्जीनियरिंग/प्राविधिक संस्थाओं की संख्या | संख्या (राज्य) | - | - | - | - | - |
| | (2)-डिप्लोमा स्तर की संस्थाओं की संख्या | ,, | - | - | - | - | - |
| | (3)-सार्टीफिकेट स्तर की संस्थाओं की संख्या | संख्या (राज्य) | - | - | - | - | - |
| 2- भर्ती | | | | | | | |
| | (1)-डिग्री | संख्या (राज्य) | - | - | - | - | - |
| | (2)-डिप्लोमा | ,, | - | - | - | - | - |
| | (3)-सार्टीफिकेट | ,, | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-जनस्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन | | | | | | | |
| 1- ऐलोपैथिक अस्पताल एवं औषधालय की संख्या | | | | | | | |
| क- राजकीय | | | | | | | |
| (*) (1)-नगरीय | संख्या (राज्य) | | 2 | 7 | - | - | - |
| (2)-ग्रामीण | ,, | ,, | 12 | 16 | 1 | 1 | - |
| ख-अन्य | | | | | | | |
| (1)-नगरीय (नेत्र) | ,, | ,, | 1 | 1 | - | - | - |
| (2)-ग्रामीण | ,, | ,, | - | - | - | - | - |
| 2- आयुर्वेदिक एवं यूनानी अस्पताल/औषधालय की संख्या | | | | | | | |
| क- राजकीय | | | | | | | |
| (1)-नगरीय | संख्या (राज्य) | | - | - | - | - | - |
| (2)-ग्रामीण | ,, | ,, | 24 | 39 | 2 | 1 | - |
| ख- अन्य | | | | | | | |
| (1)-नगरीय | ,, | ,, | - | - | - | - | - |
| (2)-ग्रामीण | ,, | ,, | - | - | - | - | - |
| 3-होम्योपैथिक अस्पताल एवं औषधालय की संख्या | | | | | | | |
| क- राजकीय | | | | | | | |
| (1)-नगरीय | संख्या (राज्य) | | - | - | - | - | - |
| (2)-ग्रामीण | ,, | | - | 1 | 1 | - | - |
| 4- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या | ,, | | 9 | 9 | - | - | - |

(*) इस मद की सूचना में मद 6(1) '6(3) पर अंकित चिकित्सालय तथा एक जी०डी० कालोनी का सारणी 5 की सूचना में शामिल है।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5- शैय्याओं की संख्या | | | | | | | |
| क- नगरीय | | | | | | | |
| (*)(1)- एलोपैथिक | | संख्या (राज्य) | 96 | 156 | 10 | - | 10 |
| (2)-आयुर्वेदिक/यूनानी | | ,, | - | - | - | - | - |
| (3)-होम्योपैथिक | | ,, | - | - | - | - | - |
| ख- ग्रामीण | | | | | | | |
| (x) (1)-एलोपैथिक | | ,, | 112 | 155 | - | 4 | - |
| (2)- आयुर्वेदिक/यूनानी | | ,, | 96 | 156 | 8 | 4 | - |
| (3)-होम्योपैथिक | | ,, | - | 4 | - | - | - |
| 6-विभिन्न बीमारियों से सम्बन्धित अस्पतालों की संख्या | | | | | | | |
| (1)- टी०बी० (क्लीनिक तथा अस्पताल | | ,, | 1 | 2 | - | - | - |
| (2)- फाइलेरिया | | ,, | - | - | - | - | - |
| (3)- छूत की बीमारी (आई०डी० ब्लॉक) | | ,, | - | 1 | - | - | - |
| (4)- कुष्ठ रोग (एस०ई० टी० सेन्टर) | | ,, | - | 5 | - | - | - |
| 7- परिवार नियोजन केन्द्रों की संख्या | | ,, | 10 | 10 | - | - | - |
| 8- मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्रों की संख्या | | ,, | 51 | 36 | - | - | - |
| 9- ए० एन० एम० उप केन्द्रों की संख्या | | ,, | 45 | 45 | - | - | - |
| 10-मेडिकल कालेजों की संख्या | | ,, | - | - | - | - | - |
| 11- प्रवेश क्षमता | | ,, | - | - | - | - | - |
| 12- सरकारी अस्पताल/औषधालयों में डाक्टरों की संख्या | | ,, | 38 | 63 | - | 1 | - |

(*) स्तम्भ 4 व 5 में नेत्र चिकित्सालय की 40 शैय्यायें सम्मिलित हैं ।

(x) स्तम्भ 4 व 5 में 30 शैय्यायें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की शामिल हैं ।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | परिवार नियोजन | | | | | | |
| 1- | बन्ध्याकरण | | | | | | |
| | (1)- पुरुष | संख्या (राज्य) | 4,932 | 7416 | | 397 | |
| | (2)- स्त्री | ,, | - | 15 | 6066 | 16 | 985 |
| 2- | आई०यू०सी०डी० | ,, | 132 | 935 | 5197 | 337 | 1641 |
| 14- | आवास | | | | | | |
| | (1)- मध्यम आय वर्ग आवासों को | संख्या (राज्य) | - | - | 2 | - | - |
| | (2) अल्प आय वर्ग | ,, | - | - | 3 | - | - |
| | (3)- दुर्बल आय वर्ग | ,, | - | - | 16 | - | - |
| 15- | पिछड़ी जातियों का कल्याण | | | | | | |
| | (1)- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ | | | | | | |
| | क- सामान्य कोर्स | | | | | | |
| | (1)- अनुसूचित जातियाँ | संख्या (राज्य) | 19 | 222 | 322 | 52 | 60 |
| | (2)- अनुसूचित जन जातियाँ | ,, | 18 | 5930 | 590 | 95 | 1[illegible] |
| | ख- प्राविधिक एवं व्यावसायिक कोर्स | | | | | | |
| | (1)- अनुसूचित जातियाँ | ,, | - | - | - | - | - |
| | (2)- अनुसूचित जन जातियाँ | ,, | - | - | - | - | - |
| 16- | संस्थागत वित्त | | | | | | |
| 1- | स्वीकृत ऋण | हजार रु० में | - | - | अप्राप्त | - | अप्राप्त |
| 2- | वितरित ऋण | | | | | | |
| | (1)- कृषि | ,, | - | - | ,, | - | ,, |
| | (2)- उद्योग | ,, | | | | | |
| | क- वृहद | ,, | - | - | ,, | - | ,, |
| | ख- मध्यम | ,, | - | - | ,, | - | ,, |
| | ग- लघु | ,, | - | - | ,, | - | ,, |
| | (3)- अन्य | ,, | - | - | ,, | - | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17- जल सम्पूर्ति | | | | | | | |
| | क- नागरीय जल सम्पूर्ति | | | | | | |
| | (1)- नगरों की संख्या | संख्या(राज्य) | 3 | - | - | - | - |
| | (2)- जनसंख्या लाभान्वित | हजार ,, | 12206 | - | - | - | - |
| | ख- ग्रामीण जल सम्पूर्ति | | | | | | |
| | पाइप द्वारा | | | | | | |
| | (1)- ग्राम | संख्या(राज्य) | 71 | 191 | 125 | 64 | 35 |
| | (2)- जनसंख्या लाभान्वित | हजार (राज्य) | 13-3 | 43-7 | 81 | 18 | 21 |
| | ग- हैण्ड पम्प तथा कुएँ (ग्रामीण विकास विभाग) | | | | | | |
| | (1)- ग्राम | संख्या(राज्य) | - | - | - | - | - |
| | (2)-जनसंख्या लाभान्वित | हजार (राज्य) | - | - | - | - | - |
| | घ- नागरीय जल निस्तारण | | | | | | |
| | (1)-जल निस्तारण | संख्या(राज्य) | - | 1 | - | - | - |
| | (2)-जन संख्या लाभान्वित | हजार (राज्य) | - | 5-0 | - | - | - |

===== 0 0 0 =====

# विवरण-पत्र-१

जिला के आधारभूत आँकड़े — जनपद - चमोली

| कुल क्षेत्र :- | इकाई | वर्ष १९६८-६९ | १९७३-७४ | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| भौगोलिक क्षेत्र | (००० हे०) | ९१२-८ | ९१२-८ | सांख्यिकीय डायरी |
| वनों के अन्तर्गत क्षेत्र | ,, | ४९६-० | ४९६-० | उप वन संरक्षक / प्रभागीय वनाधिकारी |
| फलोद्यानों के अन्तर्गत क्षेत्र | ,, | ३-८ | ४-६ | जिला उद्यान अधिकारी |
| शुद्ध बोया गया क्षेत्र | ,, | ५५-८ | ५५-८ | जिला कृषि अधिकारी |
| परती भूमि (कुल) | ,, | - | - | |
| (१) वर्तमान परती | ,, | - | - | |
| (२) अन्य परती | ,, | - | - | |
| कृषि योग्य बंजर भूमि | ,, | १३-९ | १३-९ | जिला कृषि अधिकारी |
| भूमि जो कृषि के लिये उपलब्ध नहीं (कुल) | ,, | ३१७-५ | ३१७-५ | ,, |
| (१) बंजर भूमि जो कृषि योग्य नहीं है | ,, | ३०९-० | ३०९-० | ,, |
| (२) भूमि जो कृषि से भिन्न प्रयोजनों के लिये काम में लाई जा रही है | ,, | ८-५ | ८-५ | ,, |
| स्थायी चरागाह तथा अन्य चरागाह | ,, | २५-८ | २५-८ | उप वन संरक्षक / प्रभागीय वनाधिकारी |

| जोतों की संख्या तथा उनके अन्तर्गत क्षेत्र :- | संख्या | क्षेत्रफल | संख्या | क्षेत्रफल | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|
| १ हेक्टर तक | ६०४९९ | ३१७४० | ६०४९९ | ३१७४० | जिला कृषि अधिकारी। |
| १ हे० से ३ हे० के बीच | १०८०३ | १९५०१ | १०८०३ | १९५०१ | ,, |
| ३ हे० से ५ हे० के बीच | ५०९ | ३८६२ | ५०९ | ३८६२ | ,, |
| ५ हे० से अधिक | २८ | ६९७ | २८ | ६९७ | ,, |
| कुल जोतें- | ७१८३९ | ५५८०० | ७१८३९ | ५५८०० | ,, |

जनसंख्या वर्ष (१९७१) (००० में) — (वर्ष १९७३ की प्रक्षेपित) (००० में)

| | नगर | ग्रामीण | योग | नगर | ग्रामीण | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| पुरुष | ७-८२४ | १३४-३३८ | १४१-९६२ | ९-५ | १३७-००० | १४६-५०० |
| स्त्री - | ४-५८२ | १४६-०२७ | १५०-६०९ | ५-७ | १४९-०० | १५४-७ |
| योग - | १२-२०६ | २८०-३६५ | २९२-७५१ | १५-२ | २८६-००० | ३०१-२ |

| श्रमिकों की संख्या | (वर्ष १९६१) | (वर्ष १९७१) |
|---|---|---|
| पुरुष | ७३-२०४ | ७८-९९३ |
| स्त्री | ९२-०३४ | ९१-२५४ |
| योग | १६५-२३८ | १६९-७४७ |

| पिछड़े समुदायों की जनसंख्या (०००) | अनुसूचित जाति १९७१ | अनुसूचित जाति १९७३ | अनुसूचित जनजाति १९७१ | अनुसूचित जनजाति १९७३ |
|---|---|---|---|---|
| पुरुष | २४-३०४ | २४-५ | ४-०५३ | ४-२ |
| स्त्री | २४-६८४ | २६-५ | ४-१०२ | ४-३ |
| योग - | ४९-०७८ | ५१-० | ८-१५५ | ८-५ |

| | १९७१ | १९७३ |
|---|---|---|
| घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर | ३२ | ३३ |

| | नाम | लम्बाई |
|---|---|---|
| सतत प्रवाहशील नदियाँ :- | १- अलकनन्दा | अप्राप्य |
| | २- धौली | ,, |
| | ३- बिरही | ,, |
| | ४- नन्दाकिनी | ,, |
| | ५- पिण्डर | ,, |
| | ६- मन्दाकिनी | ,, |
| | ७- रामगंगा | ,, |
| | ८- कैल | ,, |
| मौसमी नदियाँ :- | १- सरस्वती | ,, |
| | २- काकड़ा गाड़ | ,, |
| | ३- कुंजा गाड़ | ,, |
| | ४- सारंग गाड़ | ,, |
| | ५- सारंग गधेरा | ,, |

| | |
|---|---|
| ६- आटा गाड़ | अप्राप्त |
| ७- भीलतीर गाड़ | ,, |
| ८- निगोलि गाड़ | ,, |
| ९- पु[illegible]ामती | ,, |
| १०- भींग गधेरा | ,, |
| ११- गरुड़ गंगा | ,, |
| १२- बालखिला | ,, |
| १३- बावल गंगा | ,, |

मिट्टी की मुख्य किस्में:- ( अन्तर्गत क्षेत्र ) (हैक्टेयर) -

| | |
|---|---|
| (क) दोमट | क्षेत्र अप्राप्त |
| (ख) मटियार दोमट | ,, |
| (ग) बलुई दोमट | ,, |

मासिक औसत वर्षा (मिली मी) — १५५ मि०मी०

चकबन्दी क्षेत्र - (००० है०) - — क्षेत्र अप्राप्त

| साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्र (००० है० में) | | १९६८-६९ | ७३-७४ | स्रोत |
|---|---|---|---|---|
| १- नहरें | | ०-३० | ०-३४ | सिंचाई विभाग |
| लिफ्ट (उत्थापक) पम्प | ,, | - | - | ,, |
| तालाब | ,, | - | - | ,, |
| भण्डारा | ,, | | | ,, |
| निजी गूलें व हौज. | ,, | १-३५ | २-७० | ,, |
| सिंचित क्षेत्रफल | ,, | - | - | |
| (१) शुद्ध | ,, | १-६५ | २-०४ | ,, |
| (२) सकल | ,, | ३-२० | ४-०[illegible] | |
| महत्वपूर्ण फसलों के नाम | ,, | | | |
| क- गेहूँ | ,, | १९-०० | २५-६ | जिला कृषि अधिकारी |
| ख- धान | ,, | [illegible]-० | २-१ | ,, |
| ग- झँगारा | ,, | ८-६ | ८-[illegible] | ,, |
| घ- मण्डुवा | ,, | १९-७ | १७-१ | ,, |
| ङ- आलू | | २-४२ | २-६२ | ,, |

| औसत उपज प्रति हैक्टेयर (कि० ग्रा०) | जिला | राज्य |
|---|---|---|
| क- गेहूँ | १२०० | १२६६ |
| ख- धान | १००० | ७९८ |
| ग- मंगोरा | ६०० | ४२० |
| घ- मण्डुवा | ६०० | ५३९ |
| च- आलू | ८००० | ६५८६ |

नोट- राज्य की औसत उपज केवल मैदानी भाग की है।

| महत्वपूर्ण फलों के नाम | क्षेत्रफल (हैक्टेयर) | | |
|---|---|---|---|
| (क) सेव-नाशपाती | १०५० | १०५० | जिला उद्यान अधिकारी |
| (ख) आडू, पलम अखरोट | ७५० | १०९३ | ,, |
| (ग) नींबू प्रजाति | ७८० | १०८० | ,, |
| (घ) अन्य | ४२७ | ६७३ | |

| महत्वपूर्ण वन उपज के नाम क्षेत्रफल (००० हैक्ट०में) | | | |
|---|---|---|---|
| (१) चीड़ | ४०-०० | ४०-०० | उपअरण्यपाल |
| (२) सूप्रस | २-५० | २-५० | |
| (३) फर | १२-५० | १२-५० | |
| (४) सुरई | १-२० | १-२० | |
| (५) ब्लूपाइन | १-४० | १-४० | |
| (६) देवदार | ०-२० | ०-२० | |

व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों के नाम- सूचना अप्राप्त है। (केन्द्रीय सरकार द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है)

महत्वपूर्ण स्थानीय औद्योगिक उत्पादन के नाम :- जिला उद्योग अधिकारी

(क) ऊन व ऊनी वस्त्र

(ख) लकड़ी का सामान

(ग) रिंगाल का सामान

रेलवे लाइनों की लम्बाई- जिले में कोई रेलवे लाइन नहीं है।

| | | | |
|---|---|---|---|
| सड़कों की लम्बाई (किलोमीटर) | | | |
| (क) समतल | ६४१ | ६४१ | |
| (ख) असमतल सड़कें | ९६० | ९६० | |
| बिजली की लाइनों की लम्बाई (किलोमीटर) | | | |
| (१) एच० टी० लाइनें | अप्राप्त | २६२ | अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग |
| (२) एल० टी० लाइनें | ,, | १५८ | |
| पशु संख्या | १९६८-६९ | १९७२-७३ | |
| (१) दुधारू पशु | ४८००० | ६०००० | जिला पशुधन अधिकारी |
| (२) अदुधारू पशु | २२१००० | २४५००० | ,, |
| (३) भेड़ बकरियाँ | २२६४०७ | २३२८८२ | ,, |
| (४) अन्य | २५१४ | ३५६६ | ,, |
| योग- | ५३३२५४ | ५५७४४८ | |
| कुक्कुट संख्या | १५००० | २५००० | |
| तहसीलों की संख्या | ४ | ४ | |
| खण्डों की संख्या | ६ | ६ | |
| ग्रामों की संख्या | १६३९ | १६३९ | १९७१ जनगणना रिपोर्ट |
| जनसंख्या सहित नगरों। शहरों की संख्या :- | | | |
| १०,००० तक- | २ | २ | |
| १०,००० से २०,००० | - | - | |
| २०,००० से ५०,००० | - | - | |
| ५०,००० से १,००,००० | - | - | |
| १,००,००० से ऊपर | - | - | |
| नगरों की संख्या :- | | | |
| (क) जिनमें बिजली लगी है | ३ | ३ | अधिशासी अभियन्ता विद्युत |
| (ख) जिनमें पम्प द्वारा जल पूर्ति होती है - | | ३ | अधिशासी अभियन्ता लो० नि० वि० |

ग्रामों की संख्या :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| (क) जिनमें बिजली लगी है | २२ | १६ | अधिशासी अभियन्ता विद्युत |
| (ख) जिनमें पाइप द्वारा जलपूर्ति होती है। | ७१ | ९१ | अधिशासी अभियन्ता स्वा० शा० अ० वि० |

विद्यालयों की संख्या :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| (क) प्राथमिक | ५९८ | ५४२ | जिला विद्यालय निरीक्षक |
| (ख) अपर (जूनियर) | ५२ | ६७ | |
| (ग) मिडिल (मध्यवर्ती) | - | - | |
| (घ) उच्च<br>(ङ) उच्चतर माध्यमिक | २२ | ३५ | |
| (च) महाविद्यालय/कालेजों की सी० डिग्री | १ | १. | |
| प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थायें | - | - | |
| अनुसूचित बैंकों की शाखाओं की संख्या | १ | ४ | सहायक निबन्धक समिति |
| नगर क्षेत्रों में | १ | २ | |
| ग्रामीण क्षेत्रों में | - | २ | |
| प्राथमिक/कृषि/साख सहकारी समितियों की संख्या | १४७ | १७५ | |
| वृहदाकार समितियों की संख्या | - | - | |
| सहकारी यूनियनों की संख्या | ९ | १६ | |
| क्रय-विक्रय समितियों की संख्या | १ | १ | |
| जिला सहकारी बैंक | १ | १ | |
| सहकारी बैंकों की शाखाओं की संख्या | १ | ३ | ,, |
| विनियमित बाजारों की संख्या | - | - | |

| गोदाम | संख्या | संग्रहण क्षमता (मि० टन) | संख्या | संग्रहण क्षमता (मि० टन) | |
|---|---|---|---|---|---|
| सरकारी | १२ | २६१२ | १५ | ४६७७ | सहायक निबन्धक |
| सहकारी | २५ | ५०० | ५२ | १७४० | सहकारी समितियाँ |
| अन्य | - | | - | | |

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No........................
Date...............................
National Institute of Educational Planning and Administration

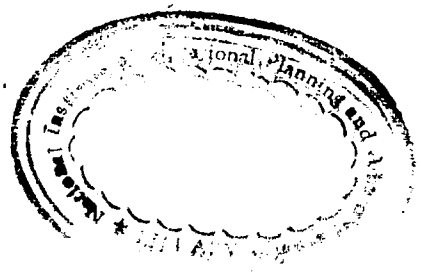

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| उर्वरक डिपो | | | | |
| कृषि विभाग | १७ | २६७ | १७ | २६७ |
| सहकारी विभाग | - | - | - | - |
| अन्य - | - | - | - | - |
| राजकीय बीज फार्म :- | | | | |
| संख्या | १ | | १ | जिला कृषि अधिकारी |
| क्षेत्रफल (हैक्टेयर ) | ८ | | ८ | |
| पशु चिकित्सालय । औषधालयों की संख्या- | १७ | | १७ | जिला [illegible] अधिकारी |
| कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की संख्या | - | | - | |
| पशुपालन केन्द्रों की संख्या | ४३ | | ६१ | |
| चिकित्सालयों । औषधालयों की संख्या | | | | |
| (१) शहरी | ३ | | ५ | मुख्य चिकित्सा अधिकारी |
| (२) ग्रामीण | ३६ | | ५८ | |
| प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या | ६ | | ६ | |
| चिकित्सालयों । औषधालयों में शय्याओं की संख्या:- | | | | |
| (१) शहरी | ६६ | | १५६ | |
| (२) ग्रामीण | २७८ | | ३१५ | |

- - - - -